द्वादश माला, खंड 8, अंक 8

शुक्रवार, 5 मार्च, 1999
14 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

(खंड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 1999/1920 (शक)]

अंक 8, शुक्रवार, 5 मार्च, 1999/14 फाल्गुन, 1920 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 144 से 147	2–28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 143 और 148 से 160	28–57
अतारांकित प्रश्न संख्या 1464 से 1693	57–402
सभा पटल पर रखे गए पत्र	402–409
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
छठा प्रतिवेदन	410
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	
सोलहवें से उन्नीसवां प्रतिवेदन	410–411
सभा का कार्य	411–415
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1996-97	415
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1998-99	415
विधेयक–वापस लिए गए	416, 445
(एक) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक	416
(दो) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन विधेयक	445
विधेयक–पुर:स्थापित	416–418, 445–446
(एक) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक	416
(दो) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक	417
(तीन) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक	417–418
(चार) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन विधेयक	445–446

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण–*सभा पटल पर रखा गया*...	418
कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	
और	
कम्पनी (संशोधन) विधेयक...	446
श्री वी.वी. राघवन	447
श्री राजो सिंह	451
डा. एम. तम्बी दुरई	453
खंड 2 से 21 और 1	454
पारित करने के लिए प्रस्ताव	458
वित्त (संख्यांक 2) संशोधन विधेयक...	458–460
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री यशवंत सिन्हा	459
खंड 2 से 4 और 1	460
पारित करने के लिए प्रस्ताव	460
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प	
सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का पुनरुद्धार	461–506
श्री खारबेल स्वाईं	461
श्री बसुदेव आचार्य	465
श्री सुब्रत मुखर्जी	471
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	473
श्री मोहन सिंह	478
श्री सत्य पाल जैन	482
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	488
श्री आदित्यनाथ	492
श्री के.डी. सुल्तानपुरी	494
प्रो. जोगेन्द्र कवाडे	497
श्री वी.वी. राघवन	502

लोक सभा

शुक्रवार, 5 मार्च, 1999/14 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, बिहार के मामले में लोक सभा में दो दिन तक चर्चा हुई और सब लोगों को आपने बोलने की इजाजत दी। धारा 356 के मामले में यहां जो बातें तय हुईं, इसके बाद इसे तुरंत अपर हाउस में ले जाना था। केन्द्रीय मंत्रियों के जो परस्पर विरोधी बयान आ रहे हैं उससे हमारे मन में पक्की शंका पैदा हो गई है। कोई बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे, कोई बोलता है कि आठ तारीख को इस बारे में बोलेंगे, जिससे पूरे मुल्क में और विशेषकर बिहार में अराजकता की स्थिति है। हम लोग सदन चलाना चाहते हैं, आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि यहां कोई गवर्नमेंट है। यहां संविधान की धज्जियां उड़ायी जा रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है। हम लोग व्यवस्था चाहते हैं कि यह सरकार क्या करना चाहती है, सरकार स्पष्ट क्यों नहीं बताना चाहती है कि वह कब अपर हाउस में इस मामले को ले जायेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: लालू प्रसाद जी, मैं प्रश्न काल के बाद सरकार से पूछूंगा। कृपया मेरी बात समझिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, यह बात आज क्वेश्चन ऑवर के बाद साफ-साफ हो जानी चाहिए। पूरे मुल्क में लोकतंत्र की सारी संस्थाओं का यह लोग नाश कर रहे हैं। ऐसा लगता नहीं कि कहीं कोई गवर्नमेंट है। इनके यहां चारों तरफ आपसी लड़ाई है। हम लोग आपकी बात को मान लेते हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: प्रश्न काल के बाद सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको प्रश्न काल के बाद बोलने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

प्रश्न संख्या 141, श्री मोतीलाल वोरा।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, बिहार के बजट का भी सवाल है। अगर इसको रिवोक नहीं करेंगे तो बिहार का बजट पास नहीं होगा और देश में कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद सिंह कृपया इसे प्रश्न काल के बाद उठाएं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: यह सरकार संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है। देश में कांस्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा करने का काम कर रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 141, श्री मोतीलाल वोरा–अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 142, श्री रामचन्द्र बैंदा–अनुपस्थित। श्री मदन लाल पाटिल–अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 143, डा. मदन प्रसाद जायसवाल–अनुपस्थित। श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी–अनुपस्थित।

श्री बसुदेव आचार्य: कल सी.पी.आई. के एक नेता को गोली मार दी गयी ...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सी.पी.एस.ई. पर एस. मोहन समिति की सिफारिशें

***144. श्री +बसुदेव आचार्य:**
श्री सुनील खाँ:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकारी अधिकारियों के वेतन ढांचे में संशोधन करने के बारे में न्यायाधीश एस. मोहन समिति की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा सिफारिशों के निहितार्थ का गहन अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यपालकों के वेतन ढांचे में संशोधन के संबंध में न्यायाधीश मोहन समिति ने निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की हैं:

- प्रस्तावित वेतनमान 1.1.97 से प्रभावी होंगे।
- कार्यपालकों के लिए सिफारिश किए गए वेतनमान इस प्रकार हैं: अनुसूची "क" पद 27,750-31,500 रुपए, अनुसूची "ख" पद 25,750-30,950 रुपए, अनुसूची "ग" पद 22,500-27,300 रुपए तथा अनुसूची "घ" पद 20,500-25,000 रुपए।
- इस समिति के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के लिए जीवन-निर्वाह लागत का 100 प्रतिशत निष्प्रभावीकरण।
- सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कार्यपालकों के लिए आगामी वेतन संशोधन 10 वर्ष की अवधि के पश्चात् अथवा सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतनमान संशोधन के साथ होगा।
- पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा यथा सूचित शहरों की पुन: वर्गीकृत सूची पर आधारित मकान किराया भत्ता।
- कार्यपालकों को वेतन के अलावा अदायगियों को बढ़े हुए अनुपात में कार्य-निष्पादन से संबद्ध होना चाहिए और इस प्रकार यह प्रोत्साहन/अप्रोत्साहन अदायगी योग्य होंगे। अनुलाभ और भत्ते मूल वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक न हों। 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक अदायगी पूर्ण रूप से कार्य-निष्पादन से संबद्ध अदायगियों के रूप में होनी चाहिए।

  औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे गए उद्यमों सहित रुग्ण उद्यमों के संबंध में वेतनमान में संशोधन की अनुमति केवल इस बात के पश्चात दी जानी चाहिए, जब पर्याप्त धनराशि के साथ पुनरुद्धार के लिए पुनर्निर्माण की रणनीतिक योजना का क्रियान्वयन हो चुका हो। उन उद्यमों के संबंध में जिन्हें सरकार बंद करने का निर्णय लेती है, उनमें एक उदार स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

(ख) से (घ) सरकार सिफारिशों की जांच कर रही है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, उद्योग मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकारी अधिकारियों के वेतन संशोधन के संबंध में एक लम्बा वक्तव्य दिया है। महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के कार्यकारी अधिकारियों के वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप वित्तीय ढांचे पर कितना बोझ पड़ेगा।

मंत्री जी ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस वेतन संशोधन से वित्तीय ढांचे पर कितना बोझ पड़ेगा।

श्री सिकन्दर बख्त: महोदय, मैं अभी आ के बैठा ही हूं और मैं यह नहीं समझ पाया कि हम सीधे प्रश्न संख्या 144 पर कैसे पहुंच गए।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मेरी राय में ऐसा लगता है कि इस बारे में मंत्री महोदय को जानकारी नहीं दी गई है और न ही मंत्री जी ने कोई तैयारी ही की है।

श्री सिकन्दर बख्त: बोर्ड स्तर या बोर्ड स्तर से नीचे दोनों स्तरों के कार्यकारी अधिकारियों के प्रस्तावित वेतनमानों का ब्यौरा इस प्रकार है। उच्चतर स्तर अर्थात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर पर उनके द्वारा 27,750-31,500 रुपये वेतनमान की सिफारिश की गई है। कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए 6,500-11,350 रुपये के वेतनमान की सिफारिश की गई है। अत: इसके लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों के मामले बी.आई.एफ.आर. के विचार हेतु भेजे गए है उनमें

मजदूरों और कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कोई संशोधन नहीं किया गया है। इसलिए जब जस्टिस मोहन कमेटी ने सरकारी क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारियों के संबंध में वेतन संशोधन के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के कार्यकारी अधिकारियों के वेतन संशोधन के संबंध में कोई कार्रवाई की है जिनके मामले बी.आई.एफ.आर. के विचार हेतु भेजे गये हैं। इस बारे में सरकार क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है?

अध्यक्ष महोदय: आज, श्री बसुदेव आचार्य ने काफी संक्षेप में बात की है?

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं हमेशा संक्षेप में बात करता हूँ।

श्री सिकन्दर बख्त: केन्द्रीय सरकार के अधीन उद्यमों और मजदूर संघों के बीच वेतन समझौते संबंधी वार्ता का अगला दौर जो आम राय से 1 जनवरी, 1997 को होना था उसे प्रबंध मंडल द्वारा शुरू किया जा सकता है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंध मंडलों को उन कर्मचारियों के वेतन ढांचों को बातचीत के द्वारा तय करने का पूरा अधिकार है जिन पर जस्टिस मोहन कमेटी द्वारा विचार नहीं किया गया है और यह कार्य संबंधित उपक्रमों के संसाधन उत्पादन को ध्यान में रखते हुए और पूर्णत: ताल-मेल बैठाते हुए किया जाएगा।

समिति ने सिफारिश की थी कि कम्पनी सचिवों का एक मुख्य समूह गठित किया जाना चाहिए जो रुग्ण उपक्रमों की समस्याओं की जांच करेगा और भावी स्वरूप पर विचार करेगा तथा रुग्ण उद्यमों का पता लगाकर उन्हें पुन: अर्थक्षम बनाएगा। जिन उपक्रमों का पुनर्गठन सम्भव नहीं है उनके बारे में यह सिफारिश की गई थी कि उनका प्रचालन बंद करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने वह प्रश्न नहीं पूछा था। मैंने उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकारी अधिकारियों के वेतन में संशोधन हेतु जस्टिस मोहन कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में पूछा था जिनका मामला बी.आई.एफ.आर. के विचार हेतु भेजा गया है।

श्री सिकन्दर बख्त: मैं इसके बारे में आपको पूरा ब्यौरा दूंगा।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय यह तो तब है जब प्रश्न संक्षिप्त है।

श्री बसुदेव आचार्य: सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों संबंधी मामला बी.आई.एफ.आर. के विचार हेतु भेजा गया है, मैं उनकी स्थिति जानना चाहता हूँ।

डा. असीम बाला: महोदय, मंत्री जी को पूरी जानकारी ले कर आना था ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री सिकन्दर बख्त: जिन उद्यमों के मामले बी.आई.एफ.आर. के विचार हेतु भेजे गए हैं, उनके साथ-साथ अन्य उद्यमों के वेतनमानों, को भी पुनरुज्जीवित करने के लिए पुनर्गठन संबंधी रणनीति के कार्यान्वयन के लिए जब पर्याप्त धन उपलब्ध हो जाए उसके बाद ही वेतनमानों में संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री सुनील खां: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वेतनमान, महंगाई भत्ता इत्यादि, 1.1.87 से 1.1.92 तक समुचित रूप से संशोधित किया जाएगा।

यहां यह कहा गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकारी अधिकारियों के लिए यह अवधि दस वर्ष होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि जब अन्य मामलों में वेतन संशोधन पांच वर्षों में किया जाएगा तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 5 वर्ष में क्यों नहीं किया जाएगा।

श्री सिकन्दर बख्त: इसे दस साल में बदलने का फैसला किया गया है।

श्री सुनील खां: क्या वेतनमानों और महंगाई भत्ते को 1.1.1987 और 1.1.1992 से यथास्थिति संशोधित किया जाएगा तथा ऐसे संशोधनों के आधार पर 1.1.97 से भी संशोधन किया जाएगा।

श्री सिकन्दर बख्त: इस पूरे प्रश्न की जांच की जा रही है। मोहन कमेटी की सभी सिफारिशों पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। कुछ ऐसे मंत्रालय भी है जिन्होंने अपनी सिफारिशें अभी तक नहीं भेजी हैं। उनकी सिफारिशें मिलने के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जाएगा। अत: इस मुद्दे की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो उत्तर दिया है, वह छह खंडों में है। इसमें सिफारिश की गई है कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा यथा सूचित शहरों की पुन: वर्गीकृत सूची पर मकान किराया भत्ता दिया जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि 1997 के पूर्व

जब उन्होंने सिफारिश की और कहा कि 1.1.97 से यह प्रभावी होगा, तो इस संबंध में सरकार ने निर्णय क्यों नहीं लिया?

सरकार ने उत्तर दिया है कि उन सिफारिशों की जांच कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि 1997 से लेकर 1999 तक सरकार ने इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की? हमने स्पष्ट पूछा है कि जो किराया भत्ता लागू करना था, उसको क्यों नहीं किया गया और बाकी जो सिफारिशें लागू करनी थीं, उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की?

श्री सिकन्दर बख्त: मैंने अर्ज किया था कि 34 मिनिस्ट्रीज हैं, जिन पर इनको लागू होना है। इन 34 मिनिस्ट्रीज में से 25 मिनिस्ट्रीज ने अपनी राय हमको लिखकर भेज दी है। बाकी नौ मिनिस्ट्रीज ने अपनी राय नहीं दी है, वह आनी हैं, उसके बाद ही एग्जामिनेशन और अगली कार्यवाही पूरी होगी।

डा. विजय सोनकर शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं एक सीधा और स्पष्ट प्रश्न आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि सैंट्रल विलिजेंस कमिश्नर ने बैंकों में कम्प्यूटराईजेशन से संबंधित सेमिनार के अवसर पर यह आरोप लगाया था कि बैंकों के अधिकारी और पूंजीपतियों के बीच सांठ-गांठ है जिसके चलते नॉन परफार्मिंग एसेट्स बैंकों में लगातर बढ़ रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री शास्त्री जी आपको पहले प्रश्न को समझना चाहिए। यह प्रश्न केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित है।

[हिन्दी]

डा. विजय सोनकर शास्त्री: मैंने सोचा कि पहला प्रश्न चल रहा है।

श्री सत्यपाल जैन: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में जस्टिस मोहन कमेटी की सिफारिशों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। यह भी एक हकीकत है कि बहुत सारे पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स नुकसान में और घाटे में चल रहे हैं। इनके घाटे का एक कारण यह है कि उनमें बहुत सारे पद और बहुत सारे आफिसर्स ऐसे हैं जिनके पास पूरा काम भी नहीं है, जो फालतू केटेगरीज में आ सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अभी श्री यशवंत सिन्हा जी ने अपना बजट पेश करते हुए यह बात कही कि बहुत सारे मंत्रालयों में जो फालतू पद हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है, उनको कम करके, सरेंडर किया जा रहा है, उन पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पब्लिक सैक्टर एण्टरप्राइजेज में जहां घाटा बढ़ने का काफी हद तक कारण उनकी ज्यादा सैलरीज और आवश्यकता से अधिक पद हैं, क्या उनका मंत्रालय इन पब्लिक सैक्टर एण्टरप्राइजेज का एक अध्ययन करवायेगा और जहां-जहां फालतू पद हैं, जहां उनकी आवश्यकता नहीं है, उनको कम करके इन पब्लिक सैक्टर एण्टरप्राइजेज का खर्चा कम करने की कोशिश की जाएगी?

श्री सिकन्दर बख्त: यह सिलसिला लगातार चल रहा है। बुनियादी सवाल जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तकरीर से उन्होंने लिया है, वह इसमें पैदा नहीं होता, लेकिन जनरली सवाल यह है कि पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स में और मिनिस्ट्रीज में भी खर्च कम करने की कोशिश जारी है।

[अनुवाद]

डा. असीम बाला: महोदय, सरकार ने जिन उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया था उनके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि उदार स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को लागू किया जाना चाहिए।

पिछले सत्र के दौरान, सरकार ने यह घोषणा की थी कि सरकारी क्षेत्र की आठ इकाइयों को बंद कर दिया गया है और उनके कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। हाल ही में, कुछ पैकेज सामने आए हैं। हमने उसके बारे में अखबारों में भी पढ़ा है। हमने सुना है कि सरकारी क्षेत्र के आठ बंद पड़े उद्योग, जिनमें साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया, एम.एम.सी.एल., बी.ओ.जी.एल. और नेशनल एन्स्ट्रूमेंट्स इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं उन को पुनरुज्जीवित किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: डा. असीम बाला, यह प्रश्न जस्टिस, मोहन कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों से संबंधित है।

डा. असीम बाला: इसलिए, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने उन बंद पड़े हुए आठ उद्योगों को पुनरुज्जीवित किया गया है या नहीं।

श्री सिकन्दर बख्त: महोदय, उनका प्रश्न यहां सूची में दिए गए मुख्य प्रश्न से संबद्ध नहीं है। परन्तु फिर भी मुझे उनसे यह कहना है कि इन सभी बातों पर गौर करने के लिए हमने और तीन महीने विचार करने का फैसला कर लिया है।

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, आज कल, जो औद्योगिक प्रशासन है, वह सरकारी प्रशासन या राजस्व प्रशासन से बिल्कुल भिन्न है क्योंकि औद्योगिक प्रशासन में तकनीकीविद, प्रौद्योगिकी इत्यादि शामिल होते हैं। इसलिए, औद्योगिक प्रशासन के लिए एक अलग संवर्ग बनाना बहुत जरूरी है। अतः, क्या सरकार औद्योगिक प्रशासन के लिए एक अलग संवर्ग की स्थापना करने पर विचार कर रही है जिससे यह कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सके?

आजकल, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को औद्योगिक इकाइयों में स्थानांतरित करने की प्रवृत्ति सी है। और कुछ वर्ष वहां काम करने के बाद वे वापिस चले जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उद्योगों से उन्हें जो भी अनुभव प्राप्त होता है उसका उद्योगों के फायदे के लिए उपयोग नहीं हो पाता। यह कामचलाऊ व्यवस्था औद्योगिक रुग्णता का मुख्य कारण है। इसलिए, क्या सरकार इस संबंध में एक अलग संवर्ग और दीर्घावधि नीति बनाने पर विचार करेगी?

श्री सिकन्दर बख्त: मैं इस सुझाव के लिए केवल बहुत-बहुत धन्यवाद ही कह सकता हूँ। क्योंकि यह प्रश्न इस मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है। मूल प्रश्न जस्टिस मोहन कमेटी के रिपोर्ट की सिफारिशों से संबंधित है। फिर भी आपके सुझाव के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, यह प्रश्न से संबंधित है। मंत्री जी तकनीकी पहलू पर ज्यादा ध्यान ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री एच.पी. सिंह: अध्यक्ष जी, उद्योग मंत्री जी बतायें कि जो जस्टिस एस. मोहन समिति की सिफारिशों में कहा गया है कि जितने पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या जितने अधिकारियों और कर्मचारियों के समन्वित वेतन और उनके सारे भत्तों में परिवर्तन का मामला है, आयोग और समितियों में ऐसे बहुत से मामले चले जाते हैं। इस प्रश्न के लास्ट भाग 'घ' में साफ पूछा गया है कि रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा? यदि यह निर्णय ले लिया जायेगा, क्योंकि 1997 का मामला चल रहा है, जैसे इलैक्ट्रिक पेमेण्ट के मामले में लेट फाइन लग सकता है, स्कूल-कालेजों में बच्चों के ऊपर लेट फाइन लग सकता है, उसी तरह यदि इस मामले में देरी होती है, मजदूर कर्मचारी वर्गों के वेज रिवीजन में देरी होती है तो क्या सरकार भी उनके लेट होने के लिए महंगाई के डिफरेंस को अलग से जोड़कर देगी?

[अनुवाद]

श्री सिकन्दर बख्त: महोदय, प्रत्येक सार्वजनिक उपक्रम की भुगतान क्षमता परस्पर से भिन्न है।

[हिन्दी]

बिल्कुल मुख्तलिफ है। पी.एस.यू. बहुत सारी हैं, करीब 234 हैं। उनमें मंत्रालयों के अलग-अलग व्यू आए हैं। उन व्यूज को समावेश करना अभी मुश्किल है, क्योंकि सभी मंत्रालयों के व्यू नहीं आए हैं। जब सभी के आ जाएंगे तब हम कोई फैसला करेंगे।

भूमिगत खानों का नक्शा

***145. प्रो. रीता वर्मा:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत कोकिंग कोल लि. की भूमिगत खानों का नक्शा किस तिथि को तैयार किया गया था;

(ख) कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद भूमिगत खानों के नक्शे अब तक कितनी बार अद्यतन बनाए गए हैं;

(ग) क्या बी.सी.एल. की इन भूमिगत कोयला खानों के गेट बंद किए जाने के बावजूद विभिन्न तरीकों से वहां केबल की चोरी और अवैध खनन के मामलों में वृद्धि हो रही है जिनसे प्रबंधन अनभिज्ञ है;

(घ) यदि हां, इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेवार पाए गए हैं; और

(ङ) अवैध खनन और ऐसी चोरी को रोकने के लिए और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (ङ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) कोयला खान विनियमन अधिनियम, 1957 के सांविधिक प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक कार्यरत भूमिगत खान हेतु कई मानचित्र/योजनाएं तैयार करना अपेक्षित होता है। संविधि के अंतर्गत भा.को.को.लि. की प्रत्येक कार्यरत भूमिगत खान हेतु इस प्रकार के मानचित्र/योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इन मानचित्रों/

योजनाओं को प्रत्येक तीन माह में एक बार (प्रति तिमाही) अद्यतन करना अपेक्षित होता है। भा.को.को.लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार भा.को.को.लि की प्रत्येक कार्यरत खान हेतु प्रत्येक तिमाही में सांविधिक योजनाओं को अद्यतन किया जाता है।

(ग) से (ङ) कोयला कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भा.को.को.लि. की भूमिगत खानों में होने वाले अवैध खनन तथा खान संपदा की चोरी की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है। किन्तु, यह कहा गया है कि कोयले की चोरी, उठाईगिरी तथा अवैध खनन कार्य गुप्त रूप से तथा कोयला कंपनी के कर्मचारियों की सहायता अथवा जानकारी के बिना चल रहा है, अत: इन क्रियाकलापों की पूरी जानकारी रखना संभव नहीं है। किन्तु, कोयला कंपनियां इन घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है:

(1) खनन की जा चुकी ओपनकास्ट खानों के खुले मुहानों को यथासंभव स्तर तक मलबे से ढका जा रहा है। इन ओपनकास्ट खानों के आसपास, जहां भी अपेक्षित हो, खाइयां खुदवाई गयी हैं, ताकि इन क्षेत्रों में बैलगाड़ी के आवागमन पर रोक लगाई जा सके। खानों में आवाजाही पर रोक लगाने के लिए भूमिगत खानों के मुहानों को भी मलबे से अवरुद्ध किया जा रहा है। जब भी कोलियरी के प्राधिकारियों के नोटिस में यह बात लाई जाती है कि इस प्रकार से अवरुद्ध किए गए कोयला मुहाने फिर से खुल गए हैं, तो उन्हें दुबारा आच्छादित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

(2) जब भी इस प्रकार की कार्रवाई प्राधिकारियों के नोटिस में आती है तो सीआईएसएफ/कंपनी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा गश्त बढ़ा दी जाती है। कई बार सीआईएसएफ तथा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रकार के क्षेत्रों में छापे मारे जाते हैं।

(3) चोरी होने की आशंका वाले क्षेत्रों में कई स्थानों पर उन्हें नियमित खानों में बदल दिया गया है। उदाहरणस्वरूप ऐसी खान भा.को.को.लि. में भाटडी कोलियरी और बोरिया कोलियरी हैं।

(4) ऐसे क्रियाकलाप को रोकने के लिए प्रबंधन राज्य प्राधिकारियों/पुलिस के साथ निकट संपर्क बनाए रखते हैं।

(5) ऐसे किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप की सूचना प्राप्त होने पर कोलियरी प्राधिकारी स्थानीय पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं।

(6) राज्य की कानून एवं व्यवस्था के अनुरक्षण करने वाले प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से संपर्क रखना एवं आसूचना का एकत्रीकरण।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह खान की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आजादी के बाद 50 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, इनके समय में ही कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि कोलियरी के मैप बनाने के बारे में और खासकर भूमिगत माइन्स के मैप बनाने के पहलू की तरफ इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। ...*(व्यवधान)* मैं सही बता रही हूं, कभी उसकी अपडेटिंग नहीं हुई ...*(व्यवधान)* कोयले के बारे में आप मुझे नहीं बता सकते, मैं ही बताऊंगी। मैप की अभी भी अपडेटिंग नहीं हुई। इसी कारण इनके शासन में गजली टाल में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें 96 मजदूर पानी में डूब गए, क्योंकि उनको एस्केप रूट मालूम नहीं था, मैप नहीं था, मजदूरों को बताया नहीं गया था कि एस्केप रूट किधर से है और एस्केप रूट की देखभाल नहीं की जाती थी। इसीलिए मजदूर पानी में डूब कर तड़प-तड़पकर मर गए और उनकी हड्डियां भी नहीं मिली। इसीलिए उनका इंशोरेंस भी तय नहीं हो सका। हमारी सरकार कल्याणकारी सरकार है, उसने सत्ता में आने के बाद इस संबंध में क्या-क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या करने जा रही है, ताकि खान की सुरक्षा हो और खान में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा हो? इसके लिए मेरा सुझाव था कि कोल मिनिस्टरी में जो अधिकारी पोस्टेड हों, उनको मंत्रालय में काम करने से पहले एक महीने तक के लिए खदानों का अध्ययन करने के लिए भेजा जाए और कम से कम दस ट्रिप अंडरग्राउंड माइन में बिल्कुल फेस तक जाना जरूरी हो, क्या आप इसको मेंडटरी कर रहे हैं और इस सुझाव पर विचार कर रहे हैं, ताकि हर तीन महीने में मैप अपडेटिंग हो सके?

[अनुवाद]

श्री दिलीप राय: इतना महत्वपूर्ण प्रश्न सदन में पूछे जाने के लिए मैं माननीय सदस्या का धन्यवाद करता हूँ। जहां तक मेरी जानकारी है पहली बार यह प्रश्न इस मंत्रालय में आया है। माननीय सदस्य इस सभा की एक वरिष्ठ सदस्य हैं और धनबाद से संबंधित है। वे इस प्रश्न का भी उत्तर जानती हैं।

कोयला एक समाप्य होने वाली परिसंपत्ति है। इसके लिए नियमित रूप से योजना बनानी जरूरी है। इस क्षेत्र का मानचित्र या योजना बनाने से माननीय सदस्य का जो भी आशय है वह कोयले के संरक्षण और खानों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

सुर ाा कारणों से हम इनका नदियों, रेलवे, राजमार्गों और अन्य खानों से कितना निकट होना चाहिए इस पर ध्यान देते हैं।

खानों संबंधी इन योजनाओं को कोयला खान विनियमन अधिनियम, 1957 के सांविधिक उपबंधों के अधीन प्रत्येक तीन महीनों में एक बार अद्यतन किया जाता है। कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण में तुरंत बाद से मानचित्र तैयार करने संबंधी योजना बनायी जाती रही है। पहली 1973-74 में की गई थी जब बीसीपीएल ने इस योजना को 83 कोयला खानों के लिए तैयार किया था।

दूसरी 1975 में मूंद्रीह और सुदामद्रीह कोलियरीज के लिए अद्यतन की गईं थीं।

वर्ष 1976 के लिए झरिया हेतु मास्टर प्लान तैयार किया गया था।

बी.सी.सी.एल. की नौ औपन कास्ट और 21 भूमिगत खानों हेतु के लिए 1978-79 की अवधि के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया था।

वर्ष 1997 में जब बी.सी.सी.एल. का पुनर्गठन किया गया था तो 89 कोयला खानों के लिए 13 क्षेत्रों में योजनाएं बनाई गई थीं।

हाल ही में, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर उपाय किए हैं कि ये योजनाएं प्रत्येक तीन महीनों में अद्यतन की जाएं। पहले इन खान योजनाओं संबंधी काम स्थानीय स्तर पर किया जाता था। किंतु अब हमने इसे अधिक विशिष्ट बना दिया है और हम इसका समन्वय कर रहे हैं और राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ रहे हैं।

इसके अलावा, 'हाल ही में हमने जी.पी.एस. अर्थात जियोफीजिकल पोजीशनिंग सिस्टम स्थापित किया है जो विश्व में उपलब्ध सबसे आधुनिक सुविधा है। हम उपग्रह की मदद से कम्प्यूटरीकृत सर्वेक्षण का कार्य भी कर रहे हैं। इस समय, हम झरिया कोयला क्षेत्र के 100 किलोमीटर वृत्त का मानचित्र तैयार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कोयला राज्य मंत्री जी को बधाई देती हूं कि इतने सालों की उपेक्षा के बाद ध्यान दिया, क्योंकि इनके जवाब से ही यह प्रकट होता है कि एक बार जो मैप्स पहले समय में बन गए, उनकी अपडेटिंग नहीं हुई। उनकी अब जाकर अपडेटिंग हो रही है, यह स्वयं इनके जवाब से ही प्रकट होता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको माननीय सदस्या की बात में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री एच.पी. सिंह: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने मजदूरों के बारे में कुछ नहीं बोला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री हरपाल सिंह, आप पर भी यही बात लागू होती है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा: अध्यक्ष जी, अभी तीन-चार साल पहले जबकि इनका शासन था, उस समय गुडक्या माइन में एक केबल चोरी हुई। अक्सर वहां केबल्स की चोरी की घटनाएं होती हैं क्योंकि मैप्स अपडेटेड नहीं रहते थे। वहां चोरों को पकड़ने के लिए सी.आई.एस.एफ. को बिठा दिया गया। दो दिन बात पता चला कि एक और मुहाने में भी केबल की चोरी हुई है। फिर तीन-चार दिन बाद पता चला कि एक और जगह केबल की चोरी हो गई। इस तरह पांच जगह सी.आई.एस.एफ. को बिठा दिया गया और एक महीने वहां चौकसी रही लेकिन चोर तो तीसरे दिन ही किसी और रास्ते से निकलकर भाग गए थे। आपके समय में मैप्स की इतनी अपडेटिंग थी। क्योंकि मैप्स अपडेटेड नहीं हैं इसके कारण जो चोरी की घटनाएं, जो इल्लीगल माइनिंग, क्रिमिनल घटनाएं वहां हो रही थी, उन पर अंकुश पाने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है? मेरे पहले प्रश्न के एक पार्ट में था कि लोगों ने अंडर ग्राउन्ड माइन्स में जाना छोड़ दिया है, इसलिए मैप बनाने में दिक्कत होती है। इस व्यवस्था को चुस्त करने के लिए, जैसा हमारे प्रति रक्षा मंत्री महोदय ने एक आदेश दिया है कि ब्यूरोक्रैट्स को भी दूर-दराब की कठिन जगहों पर जाना पड़ेगा, मैं जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री जी अपनी मिनिस्ट्री में भी कोई ऐसा आदेश देने वाले हैं कि हर अफसर को कम से कम दस विजिट अंडर ग्राउन्ड माइन्स में करने पड़ेंगे?

[अनुवाद]

श्री दिलीप राय: महोदय, माननीय सदस्य का यह सुझाव कि अधिकारियों को भूमिगत खानों में भेजा जाना चाहिए एक अच्छा सुझाव है। मैं इस पर गौर करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: किंतु मंत्री के बारे में क्या कहना है।

श्री दिलीप राय: मैं यहां यह बताना चाहूँगा कि मैं सभी भूमिगत व खुली कोयला खदानों में गया हूं। मैंने सभी खदानों का दौरा किया।

दूसरा प्रश्न गुटकिया खदान में चोरी के बारे में है जो 1995 में हुई थी और यहां पर चोरी की तीन घटनाएं हुई थी। उस समय से हमने वहां से 120 कि.मी. लम्बी तारें बरामद की हैं। यदि आप 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के आंकड़ों को देखें तो आप पाएंगे कि चोरी की घटनाओं में कमी हुई है। वर्ष 1998-99 में चोरी की एक भी घटना नहीं हुई है।

डा. रामचन्द्र डोम: अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है *...(व्यवधान)* कोयले की चोरी का एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहां उठाया गया है। यह केवल बीसीसीएल की समस्या नहीं है अपितु ईसीएल के क्षेत्रों में भी चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है विशेषरूप से सरकार द्वारा कोयला खदानों को बंद करने और त्यागने के निर्णय से ये घटनाएं बढ़ी हैं। चोरी की घटनाएं उन नए क्षेत्रों, जहां पर कोयला भंडार हैं में भी हो रही है, किंतु सरकार ईसीएल क्षेत्रों में कोयले के दोहन के लिए पहलकदमी नहीं कर रही है। कोयले का यह अवैध व्यापार बढ़ता जा रहा है और यह इस पूरे क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर रहा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न कोयले के अवैध व्यापार के बारे में नहीं है अपितु भूमिगत खानों के बारे में है।

डा. रामचन्द्र डोम: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास ईसीएल क्षेत्रों में कोयले की चोरी की घटनाओं में वृद्धि के बारे में कोई विशेष सूचना है। भारतीय भूसर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार मेरे जिले वीरभूम तथा पुरलिया व बांकुरा में काफी कोयला भंडार हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. डोम, क्या यह प्रश्न वर्तमान प्रश्न से संबद्ध है।

डा. रामचन्द्र डोम: मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार की नए क्षेत्रों विशेष रूप से वीरभूम, बांकुरा और पुरलिया जिलों में कोयला भंडार के दोहन की कोई योजना है?

श्री दिलीप राय: मुख्य प्रश्न विशेष रूप से बीसीसीएल क्षेत्रों के मानचित्रण और योजना के बारे में है। अनुपूरक प्रश्न उससे संबंधित नहीं है।

श्री नादेन्दला भास्कर राव: मेरा प्रश्न बहुत सरल है और यह भूमिगत कोयला खदानों के बारे में है। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में सिंगरेणी कोलियरीज हैं। यह बताया गया है और पता चला है कि उसके समीप सत्तुपल्ली में भी कोयला खानें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन मानचित्रों में वे खानें शामिल है या नहीं?

श्री दिलीप राय: सभी खानों में मानचित्रण किया जाता है। कोल इंडिया और सिंगरेणी कोलियरीज की सभी अनुषंगी खानों में यह कार्य किया जा रहा है किंतु मुख्य प्रश्न विशेषरूप से बीसीसीएल के बारे में है।

श्री नादेन्दला भास्कर राव: सिंगरेणी कोलियरीज के साथ सत्तूपल्ली क्षेत्र में भी कोयला खानें पाई गईं।

श्री दिलीप राय: यह सिंगरेणी कोल फील्ड के अधीन है। यहं कार्य किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की बहुत सी कोयला खानों में जो मजदूर वहां कार्यरत हैं, जिन मजदूरों की जमीनों का कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बाद अधिग्रहण किया गया था, उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला और न ही उन्हें काम पर लिया गया है। कोयला खानों में केबल की जो चोरियां हो रही हैं, वहां जो माफिया लोग हैं क्या आप उन्हें पकड़ने के लिए कोई कार्य योजना या ऐसा दल बनाएंगे ताकि वहां केबल की तथा अन्य चोरियां रुक सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं। यह संगत प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाती है। श्री प्रभुनाथ सिंह।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, बी.सी.सी.एल. में अवैध कोयले का खनन होता है, हमें लगता है कि इस बात की जानकारी सरकार को भी है। हम जानना चाहते हैं कि जो अवैध कोयले का खनन होता है उसमें कौन सी माफिया गिरोह शामिल हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह मैंने अभी-अभी श्री शैलेन्द्र कुमार के प्रश्न को अस्वीकार किया है। आपको मुख्य प्रश्न और मुख्य प्रश्न की प्रासंगिकता को समझना होगा, मुख्य प्रश्न अवैध खनन के बारे में नहीं है। यह भूमिगत खानों के मानचित्रण के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, आप पहले मेरा प्रश्न सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* प्रश्न में नीचे की लाइन में पूछा गया है कि अवैध खनन और चोरी को रोकने के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, बी.सी.सी.एल. में अवैध कोयले की खुदाई होती है, जिसे सरकार भी जानती है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि जो अवैध कोयले की खुदाई होती है उसमें वहां के कौन से माफिया गिरोह शामिल हैं? क्या उसमें कोल इंडिया के पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं? अगर हैं तो क्या सरकार द्वारा उन माफिया गिरोह और पदाधिकारियों को चिन्हित किया गया है या नहीं? अगर चिन्हित किया गया है तो अब तक उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई?

[अनुवाद]

श्री दिलीप राय: हमें सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल के क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन की जानकारी है। यह कार्य इस क्षेत्रों की परित्यक्त या बंद खदानों में होता है। हमने इसे रोकने के लिए कार्यवाही की है। उस क्षेत्र में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सक्रिय हैं। हमने राज्य सरकार से पुलिस सहायता भी ली है। इस कार्य में संलिप्त व्यक्ति चाहे अधिकारी हों या बाह्य व्यक्ति, के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू: अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पेसिफिक प्रश्न करना चाहता हूं कि जो अवैध खनन और चोरी में संलग्न पाए गए अधिकारी हैं, चाहे वह बी.सी.सी.एल., ए.सी.एल. या डब्ल्यू.सी.एल. के हों, वे अपने आपको बचाने के लिए, राजनीतिक संरक्षण या इसी प्रकार की पहल करते हुए पाए गए, क्या यह सरकार की जानकारी में है?

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना साफ है कि ऐसे अधिकारी या लोग जो अवैध उत्खनन और चोरियों के लिए दोषी पाये जाते हैं और जो राजनैतिक संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास करते रहे हैं, क्या यह सरकार की जानकारी में है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री दिलीप राय: हम उन अधिकारियों को नहीं बख्शते, जो ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे बिहार के इलाके में 81 कोयला खदानें ऐसी हैं जो बी.सी.सी.एल. की नजरों में गैर फायदेमंद हैं और बंद पड़ी हैं। उन्हीं जगहों पर जहां आपकी खदानें हैं, वहां साईकिल पर, रिक्शा पर बड़े लोग खनन का काम करवाते हैं। वहां पर 81 कोयला खदानें बंद हैं। न राज्य उन्हें हाथ लगा सकता है और न ही आप उन्हें छू रहे हैं। आपसे पहले कोयला मंत्री ने निर्णय लिया था कि उन बंद खदानों को, जो बी.सी.सी.एल. के लिए अनइकोनौमिक हैं, राज्य को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। राज्य वहां एक तरफ रोजगार का सृजन करेगा और दूसरी तरफ उसकी देखभाल भी करेगा। जब आप कोयला मंत्री बने तो जो आपके मुख्यालय में बैठे पदाधिकारी हैं, क्या आपने उनसे सलाह करके समीक्षा करने का कष्ट किया कि जो पूर्व में मिनिस्टर लेवल पर निर्णय लिये गये थे उनका क्या हुआ? यही वे खदानें हैं जिनमें अवैध खनन का कार्य हो रहा है। पूरे छोटा नागपुर इलाके में लोग इससे वंचित हैं। अब मुझे नहीं पता कि लोग आपको डिसीव या मिस्लीड कर रहे हैं या सदन में आपको जवाब देने में गुमराह कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री दिलीप राय: महोदय, माननीय सदस्य के सुझाव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। वह माइनिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन को देने की स्टेज में है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: डी.एम, डी.सी. को देने का निर्णय हुआ था. वह कब दिया जाएगा, यह जल्दी बताइये।

प्रो. रीता वर्मा: यह प्रस्ताव खाली चोरियां करवाने के लिए है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

ऋण राशि के गलत उपयोग के बारे में शिकायतें

***146. डा. अशोक पटेल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋणों के कारण घाटे की राशि कम दर्शाने की प्रवृत्ति है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को यह निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में निर्धारित दिशा निर्देशों के उचित कार्यान्वयन के लिए बैंकों को अनुदेश दें;

(ग) क्या सरकार में कर्जदारों द्वारा ऋण जिस उद्देश्य के लिए लिये गये, उनके अलावा अन्य प्रयोजनों में ऋण की राशि को उपयोग में लाने की शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन शिकायतों से सख्ती से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1992 में वसूली रिकार्ड, घटिया संदिग्ध और घाटे वाली श्रेणियों में आस्तियों के वर्गीकरण, अनुप्रयोज्य आस्तियों के संबंध में निर्धारित सीमा तक ऋण घाटे के लिए प्रावधान करके विवेकपूर्ण मानदंड और साथ ही बैंकों को अनुप्रयोज्य ऋण खातों में वास्तव में वसूल न की गई आय, ब्याज को ध्यान में न रखने की सलाह देते हुए आय पहचान के मानदंड लागू किए थे। आस्तियों के वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा न करने, आय की पहचान करने और अपेक्षित व्यवस्था करने से संबंधित यदि कोई मामले ध्यान में आते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण और सांविधिक लेखापरीक्षा के दौरान उन पर कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) ऋण की स्वीकृति देते समय बैंक यह शर्त रखते हैं कि जिस कार्य के लिए ऋण की मंजूरी ली जा रही है, उसका उपयोग भी उसी कार्य के लिए किया जाएगा। स्वीकृति देने वाले प्राधिकारियों से यह आशा की जाती है कि वे उन शर्तों के अनुपालन पर निगरानी रखेंगे। ऐसे मामलों में जहां ऋण का उपयोग निर्धारित कार्य के लिए नहीं किया गया हो बैंक या तो ऋण की वापसी करने के लिए कह सकते हैं या उस पर दंडात्मक ब्याज लगा सकते हैं या स्वीकृति ऋण सीमा में कटौती कर सकते हैं। निरीक्षण के दौरान यदि आर.बी.आई. के ध्यान में ऐसे मामले आते हैं जिनमें ऋणों का दुरुपयोग हुआ है तो सरकारी क्षेत्र के संबंधित बैंक को ऐसे दुरुपयोग के मामलों पर उपयुक्त कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

[हिन्दी]

डा. अशोक पटेल: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विगत वर्षों में सरकार को, कर्जदारों द्वारा ऋण जिस उद्देश्य के लिए लिये गये उनके अलावा अन्य प्रयोजनों में उपयोग में लाने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई। क्या इनकी कोई जांच की गयी? यदि हां तो जांच में दोषी पाए गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी?

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन: अध्यक्ष महोदय, वाणिज्यिक बैंकों की जांच के दौरान नियामक निकाय अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक को जिस उद्देश्य के लिए ऋण स्वीकृत किए गए थे, उनके अलावा अन्य प्रयोजनों में ऋण की राशि के उपयोग के बारे में सूचना मिली। ऐसे मामलों में संबंधित शाखाओं को आगाह किया गया। यदि कोई कर्जदार कार्यशील पूंजी निधि को अन्यथा उपयोग में लाया पाया गया, तो बैंक ने उसे राशि की वापसी के लिए कहा और उस पर 2 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज लिया। बैंकों को 50 लाख रुपये व उससे अधिक राशि के ऋण की निकासी की प्रभावी संवीक्षा करने का निर्देश दिया गया है ताकि जिस उद्देश्य के लिए ऋण स्वीकृत किया गया हो, पूरा हो सके।

[हिन्दी]

डा. अशोक पटेल: अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार ने ऋणों के दुरुपयोग रोकने के लिए कोई व्यापक योजना बनायी है? यदि हां

तो सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप ऋणों के दुरुपयोग में कितनी कमी आई है?

[अनुवाद]

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन: महोदय कार्यात्मक हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:

1. बैंकों के ऋण मूल्यांकन तंत्र को सुदृढ़ बनाना।
2. दिए गए ऋणों पर कड़ा पर्यवेक्षण व नियंत्रण।
3. अनुप्रयोज्य ऋणों की वसूली में सुधार के लिए प्रभावी कदम।
4. बैंकों के शीर्षोपरि व्ययों को कम करना।
5. भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के बिना पूंजीगत व्यय, शाखा विस्तार व कर्मचारियों की भर्त्ती को हतोत्साहित करना।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: अनुप्रयोज्य परिसंपत्तियों जिनके बारे में मंत्री जी ने अभी अभी उल्लेख किया है। के बारे में जानकारी का अभाव है। हमारा विचार है कि जब कभी कोई औद्योगिक इकाई उस राशि की नियमित किस्त अथवा ब्याज नहीं दे पाती है तो उसे अनुप्रयोज्य परिसंपत्ति घोषित किया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंक इसके कारण भारी घाटा दर्शा रहे हैं। इसलिए सरकार अनुप्रयोज्य परिसंपत्तियों और ऐसी कंपनियों को पूरी तरह रुग्ण होने को जो लम्बे समय तक मूल राशि या ब्याज का भुगतान नहीं करतीं, के बीच के अन्तर क्यों नहीं समझ पाती? कुछ ऐसे उद्योग हैं, जो किन्हीं उचित कारणों से तुरंत भुगतान नहीं कर पाते हैं किंतु एक या दो माह में भुगतान कर सकते है। ऐसी परिसंपत्तियों की भी बैंकों की अनुप्रयोज्य परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है। इसलिए अनुप्रयोज्य परिसंपत्तियों को दो भागों में क्यों नहीं बांटा जा सकता है। पहले भाग में ऐसी परिसंपत्तियां हों, जो पूर्णत: रुग्ण औद्योगिक इकाइयां हैं और दूसरे भाग में सुदृढ़ उद्योगों की परिसंपत्तियां शामिल हों जो केवल वर्तमान में भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): वस्तुत: ऐसा अन्तर किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री एच.पी. सिंह: हिन्दी में बोलिए।

श्री यशवन्त सिन्हा: परम्परा यह है कि जिस भाषा में सवाल पूछा जाए, उसी भाषा में उत्तर दिया जाएगा। अगर कोई प्रश्न अंग्रेजी में पूछा जाएगा तो मैं अंग्रेजी में उत्तर दूंगा। यदि कोई प्रश्न हिन्दी में पूछा जाएगा तो मैं हिन्दी में उत्तर दूंगा। मुझे दोनों भाषाओं में कतिपय कठिनाई नहीं है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: जिसको जो भाषा आती हो, वह उसी भाषा में उत्तर दे।

श्री यशवन्त सिन्हा: इसलिए हम अननैसेसरी भाषा का सवाल क्यों खड़ा करें?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, बैंकों द्वारा वास्तव में ऐसा अन्तर किया जा रहा है। माननीय सदस्य को इस तथ्य की जानकारी होनी चाहिए कि बैंकों द्वारा खातों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक 'स्टैंडर्ड कैटेग्री' है, जो सामान्य रूप से चल रहा खाता है और जिसके संबंध में कोई समस्या नहीं है। फिर सब-स्टैंडर्ड खाता है। इसके अतिरिक्त संदेहास्पद खाता, और चौथी श्रेणी में घाटे वाले खाते आते हैं। केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक बैंक ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रेड्डी, आपको मंत्री जी के बोलने में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

श्री यशवन्त सिन्हा: यही मैं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड खाता अनुप्रयोज्य परिसंपत्ति में नहीं गिना जाता जबकि सब-स्टैंडर्ड खाता, संदेहास्पद खाता और घाटे वाला खाता बैंक की अनुप्रयोज्य परिसंपत्तियों में गिना जाता है। हमारे मानदंड क्या हैं? अब हमारे मानदंड हैं कि एक समयावधि में प्रगति के साथ, यदि कोई खाताधारी लगातार दो तिमाई तक भुगतान नहीं करता तो इसे अनुप्रयोज्य परिसंपत्ति माना जाता है और यह सब-स्टैंडर्ड खाता बन जाता है। यदि आगे कुछ और समस्याएं हों, तो यह संदेहास्पद खाता बन जाता है। यदि फिर भी समस्या रहती है, तो इसे घाटे वाला खाता समझा जाता है। अत: इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। बैंकों का इरादा यह सुनिश्चित करना होता है कि जो कंपनियां या ऋणी अपनी ईकाइयों को पुनरुज्जीवित कर सकते हैं, उन्हें अपनी ईकाइयों को पुनरुज्जीवित करने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हम सभी को एक ही लाठी से हांक रहे हैं। हमारा अलग-अलग दृष्टिकोण है और बैंक भी अपने खाते को नियमित रखने की किसी फर्म या ईकाई की क्षमता को ध्यान में रखते हैं।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने ठीक बताया है कि अगर दो क्वार्टर तक कोई इंडस्ट्रीज ब्याज नहीं देती है तो वह नॉन-परफार्मिंग असैट्स की गिनती में आ जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि पिछले दो साल से इंडस्ट्रीज के अंदर जो भयंकर रिसैशन है।

[अनुवाद]

मंदी केवल भारत में नहीं अपितु विश्वव्यापी है। ऐसे अनेक उद्योग हैं, जो दो तिमाही तक अपना ब्याज अदा नहीं कर सके हैं। उनकी अनुप्रयोज्य परिसंपत्तियों के रूप में पहचान की जा रही है। अनुप्रयोज्य परिसंपत्तियों में पहले ही लगभग 45,000 करोड़ रुपये की राशि है और इसमें और वृद्धि होगी। विगत दो वर्षों की मंदी को देखते हुए क्या सरकार कुछ नरम रुख अपनाएगी और दो तिमाही की अवधि को तीन तिमाही बढ़ाकर कुछ रियायत देगी? क्या मंत्री जी उद्योगों के लिए कुछ समय बढ़ाने पर विचार करेंगे?

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, उद्योग समूह और उनके प्रतिनिधियों की ओर से समय समय पर सिफारिशें मिलती रहती हैं जैसा अभी माननीय सदस्य ने सदन के समक्ष रखा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक ग्रॉस, एन.पी.एज का प्रश्न है या नैट एन.पी.एज का प्रश्न है, सरकार की ओर से समय समय पर जो कदम उठाये गये हैं, उनके चलते इन दोनों में कमी आई है। जैसा मैंने पहले बताया कि 1994 में ग्रास, एन.पी.ए. 24.78 प्रतिशत था जो 31 मार्च, 1998 में घटकर 16.02 प्रतिशत हो गया था। 31 मार्च, 1994 में नैट एन.पी.ए. 14.46 प्रतिशत था जो 31 मार्च, 1998 को घटकर 8.13 प्रतिशत पर आ गया है। इस बारे में हमने जो मानदंड निर्धारित किये हैं, वे पहले ही से लिबरल हैं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां अधिक कठिनाई है। जहां एक ओर बैंक्स इस बात की ओर जरूर विशेष ध्यान देंगे कि उनका उद्देश्य ईकाइयों को रुग्ण करना नहीं है, वहीं मैंने पहले ही प्रश्न के उत्तर में बताया कि यदि वे एक समझौते के तहत किसी एक ईकाई को रिलीफ देने की स्थिति में होंगे तो देंगे लेकिन जहां तक नार्म्स को रिलैक्स करने का सवाल है, मैं दृढ़ता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार या आर.बी.आई. के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सी. गोपाल: अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकृत बैंकों को हजारों करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। हमें पता चला है कि इंडियन बैंक को वर्ष 1996-98 के दौरान 2000 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है। विशष रूप से तमिलनाडु में ऐसे अनेक लोग हैं, जिन्होंने इंडियन बैंक से ऋण लिया है और उसका प्रयोग उन प्रयोजनों से भिन्न किया है, जिनके लिए वे ऋण लिए गए थे, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ वे व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने इस ऋण को लिया है और उसका दुरुपयोग किया है। क्या उनके विरुद्ध कोई जांच की गई है? सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश क्या हैं?

श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन: महोदय, इंडियन बैंक का मामला सी.बी.आई. की जांच के अधीन है और इस बारे में उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है। जैसा कि तमिलनाडु के सदस्य अवश्य जानते होंगे कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका लम्बित है। चूंकि यह मामला न्याय निर्णयाधीन है, अतः मुझे खेद है कि मैं इस संबंध में तथ्यों का खुलासा नहीं कर सकता हूँ।

श्री बसुदेव आचार्य: इसी सदन में लगातार मांग की जाती रही है कि 5 लाख से अधिक ऋण लेने वालों और ऋण वापस न करने वाले लोगों की सूची प्रकाशित अथवा प्रकट की जानी चाहिए। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार ऐसे लोगों की सूची प्रकट करेगी?

श्री यशवन्त सिन्हा: विद्यमान व्यवस्था के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये के चूककर्त्ता के नाम को भारतीय रिजर्व बैंक की सूची में शामिल किया जाता है जिसे सार्वजनिक किया जाता है। हाल ही में, मुख्य सतर्कता आयुक्त के निर्देशों के अंतर्गत बैंकों को उन चूककर्ताओं की सूची भा.रि. बैंक को भेजने के लिए कहा गया है जिन पर 25 लाख रुपये तक की ऋण की रकम बकाया है लेकिन माननीय सदस्य को पता है कि हमारे बैंकिंग विनियमन अधिनियम में गोपनीयता संबंधी प्रावधान है और बैंकों के पास उपलब्ध सभी सूचनाओं को सार्वजनिक करने से इन प्रावधानों का उल्लंघन होता है।

श्री बसुदेव आचार्य: क्या आप उस अधिनियम को संशोधित नहीं कर सकते क्योंकि जनता को इसके बारे में मालूम होना चाहिए।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: महोदय, आपके अनुपूरक प्रश्न पर आने से पहले मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने कहा कि भा.रि. बैंक उन चूककर्ताओं की सूची को सार्वजनिक करने वाला है जिन पर 1 करोड़ रु. से अधिक का ऋण बकाया है क्या यह सही स्थिति है?

श्री यशवन्त सिन्हा: जी हां।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम में गोपनीयता के प्रावधान के विरुद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा काली सूची बनाई जाती है जिसे सार्वजनिक न करके केवल बैंकों में ही परिचालित किया जाता है इसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इसमें यह फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसे सार्वजनिक किया जाता है तो हम इसके बारे में जानना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय: यह आपका अनुपूरक प्रश्न है अथवा स्पष्टीकरण है?

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने वक्तव्य दिया है कि इसे सार्वजनिक किया गया है। मैं इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण अन्तर है। जहां तक मैं समझ पाया हूँ वह सूची सार्वजनिक नहीं की गई है। इसे केवल बैंकों को ही दिया गया है। यदि अब इसे जनता को सौंपा गया है तो मैं भी इसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री यशवन्त सिन्हा: कृपया मुझे यह बात स्पष्ट करने दीजिए। इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिए।

1 करोड़ रुपये के बकाया ऋण वाले चूककर्ताओं की वह सूची केवल वहीं सार्वजनिक की गई है जहाँ कानूनी कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: यदि यह अन्तर है तो यह ठीक है। मुझे खेद है।

मेरा अनुपूरक प्रश्न अनुप्रयोज्य आस्तियों की परिभाषा के बारे में है। श्री चेतन चौहान द्वारा किये गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि अनुप्रयोज्य आस्तियों की परिभाषा को और हल्का करने की कोई योजना नहीं है। यह ठीक है ...*(व्यवधान)* लेकिन क्या उन्हें पता नहीं है और उन्होंने इसका जिक्र किया है कि अनुप्रयोज्य आस्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड केवल एक तिमाही ही हैं न कि दो तिमाही चूक के हैं और मोडिज और स्टैंडर्ड और पुअर जैसी अन्तर्राष्ट्रीय ऋण दर निर्धारित एजेन्सियों के विवरण ऐसे हैं जिसने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के अनुप्रयोज्य आस्तियों का मूल्यांकन 50% से अधिक नहीं किया है। यदि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुसार मात्र समझा जाता है, तो क्या उन्होंने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था विशेषकर राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था की अनुप्रयोज्य आस्तियों के प्रतिशत का अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों द्वारा मात्र रूप में अनुमान लगाया है। हो सकता है आपने स्वयं यह अनुमान लगाया है। क्या मोडिज और स्टैंडर्ड और पुअर द्वारा बताया गया 50% का आंकड़ा सही है?

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं नहीं जानता कहां और कब मोडिज ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड के अनुसार यह 50% है। हमारे अपने मानदंड हैं। जहां तक, उन तिमाहियों की संख्या के संबंध में हमारे मानदंडों का प्रश्न है जिनके लिये ब्याज अथवा धन बकाया उद्योग, वे तथ्य यह है कि कई अन्य मामलों में हमारे मानदण्ड अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों की तुलना में अधिक कठोर हैं। अत: मैं कहना चाहूंगा कि वह मानदण्ड जो भारतीय बैंकों में लागू होते हैं वह अन्तर्राष्ट्रीय रूप से लागू मानदण्डों में किसी भी प्रकार कम कठोर नहीं है। हम उन मानदण्डों से बहुत संतुष्ट हैं और इन्हें चालू रखना चाहते हैं। जैसाकि मैंने कहा है कि अभी इन्हें शिथिल करने की तत्काल कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी की तरफ से यह उत्तर आया था कि देशी कंपनियों को ऋण की स्वीकृति देते समय ये शर्तें रखते हैं कि जिस कार्य के लिए ऋण दिया जाता है उसका उपयोग उसी कार्य के लिए होगा और जो इन शर्तों का पालन नहीं करते, उन मामलों में दंडात्मक प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन मेरी जानकारी यह है कि जिन शर्तों के आधार पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ व्यापार का प्रावधान हमारे देश में लागू किया गया है, उनसे शर्त रखी जाती है कि विदेशी कंपनियां अपनी ओर से पैसा ले आएंगी लेकिन जब वे अपने देश से पैसा नहीं लाती, वहां वे पहली शर्त तोड़ती हैं। दूसरी शर्त वे तब तोड़ती हैं जब अपने देश के बैंकों से ऋण लेती हैं और वह ऋण जिन शर्तों पर लेती हैं, उन शर्तों का पालन नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए। ज्यादा समय नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: ज्यादा समय नहीं है तो इस पर चर्चा करा दीजिए।

मेरी जानकारी में उन कंपनियों के नाम हैं और आप आदेश करेंगे तो मैं अभी बता सकता हूं कि किन कंपनियों ने विदेशों से पैसा न लाकर अपने देश के बैंकों से पैसा लिया है और शर्तें तोड़ी हैं। क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की है या दंडात्मक कार्रवाई करने की कोई योजना है? अगर वित्त मंत्री जी कहेंगे तो मैं उन कंपनियों का नाम भी ले सकता हूं।

श्री यशवन्त सिन्हा: अध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य ने कहा है कि इस प्रकार की कंपनियों की उनके पास लिस्ट है। हम लोग

आपस में बैठकर बात करके उस लिस्ट को ले लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे।

भारतीय मुद्रा की निर्भरता

***147. श्री शान्तिलाल चपलोत:**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय मुद्रा विश्व बाजार में किस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा पर प्रमुख रूप से निर्भर है;

(ख) क्या भारतीय मुद्रा "यूरो" के प्रचलन के बाद भी "डालर" पर ही निर्भर है; और

(ग) यदि हां, तो यूरोपीय देशों के साथ बेहतर समन्वय के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) चालू और पूंजीगत खाते पर भारत के अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनों का एक बड़ा हिस्सा अमरीकी डॉलर में किया जाता है। अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपए की विनिमय दर भारत में विदेशी मुद्रा बाजार में निर्धारित होती है। रुपए की विनिमय दर में घट-बढ़, कुछ सीमा तक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजारों में अमरीकी डॉलर की घट-बढ़ को भी प्रतिबिम्बित करती है। यूरो के शुरू हो जाने के बाद भी यथा स्थिति बनी हुई है।

(ग) भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास में वृहत-आर्थिक नीतियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार तथा यूरोपीय अर्थव्यवस्था में सुधारों की बारीकी से तथा निरन्तर मानीटरिंग की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री शांति लाल चपलोत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अमेरिका की चौधराहट सैक्शन्स के जरिये चल रही है। सारी दुनिया को अमेरिका ने तबाह कर रखा है। क्या अमेरिका की शक्ति इसलिए है कि वह डॉलर के बल पर सारी दुनिया में खरीद-फरोख्त मचा रहा है और सी.आई.ए. की गतिविधियां कर रहा है? क्या अमेरिका को कवर करने के लिए आप यूरो को महत्व देने का विचार रखते हैं और किन-किन देशों से हमने इस बारे में संपर्क किया है?

श्री यशवन्त सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, यूरो का प्रचलन 1 जनवरी, 1999 से शुरू हुआ है। अभी यूरो भी चल रहा है और उन देशों की मुद्राएं भी चल रही हैं जिनको अंततः यूरो रीप्लेस करेगा। भारत को इन देशों से व्यापार करने में और उनके साथ हमारे जो दूसरे आर्थिक संबंध हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जितनी तैयारी हमें करनी थी, यूरो का स्वागत करने के लिए, यूरो के साथ अपना काम-काज करने के लिए, उतनी तैयारी रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कर ली है और हम समय के साथ यूरो के साथ, अपना संपर्क बढ़ा रहे हैं।

श्री शांति लाल चपलोत: माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉलर की कीमत आज देश में रुपये के मुकाबले 42.46 रुपये है जबकि यूरो की कीमत 46.76 रुपये है। मैं आज भी महसूस कर रहा हूं कि यूरो ज्यादा मजबूत है डॉलर के मुकाबले, तो क्यों नहीं हम यूरो की तरफ झुकें और अमेरिका को मात देने का प्रयास करें।

श्री यशवन्त सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, व्यापार में डालर का महत्व है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डालर का महत्व निकट भविष्य में मैं कम होते हुए नहीं देख रहा हूं। जहां तक यूरो का प्रश्न है, जैसा मैंने कहा यूरो धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और जहां तक रुपये का प्रश्न है, डालर और यूरो की तुलना में रुपये के मूल्य का प्रश्न है, वह फौरन एक्सचेंज के बाजार में तय होता है। वहां स्वयं सरकार या आर.बी.आई. उसे तय नहीं करती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

बैंक घाटे

***141. श्री मोतीलाल वोरा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों को पिछले कई वर्षों से लगातार भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अर्जित लाभ/उठाया गया घाटा कितना है;

(घ) क्या इन घाटों के प्रमुख कारणों में से एक कारण अशोध्य ऋण है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का उन बैंकों द्वारा दिये जा रहे ऋणों पर रोक/प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, जो घाटे में चल रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन बैंकों को लाभप्रद बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) प्रत्येक गत तीन वर्षों के दौरान, दो राष्ट्रीयकृत बैंकों ने नीचे दर्शाए गए विवरण के अनुसार घाटे उठाये हैं:-

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	बैंक का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1.	इंडियन बैंक	1336.40	389.09	301.50
2.	यूको बैंक	236.66	176.23	96.22

(ग) वर्ष 1995-96 से 1997-98 के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की बैंक-वार लाभ और घाटे की स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) गत कुछ वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उठाए गए घाटों के लिए कई कारणों में से एक कारण अनुप्रयोज्य आस्तियों का उच्च स्तर का होना है।

(ङ) और (च) सरकार का उन बैंकों द्वारा दिये जा रहे ऋणों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो घाटा उठा रहे हैं। यह प्रत्येक बैंक पर निर्भर करेगा कि वह अपनी निधियों की उपलब्धता, प्रावधान करने संबंधी अपेक्षा और पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, यह निर्धारित करे कि वह किस सीमा तक नए ऋण दे सकता है।

(छ) बैंकों की समग्र कार्य पद्धति में सुधार लाने हेतु विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनसे जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए उच्च लाभप्रदता और सुरक्षा में बढ़ोत्तरी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार ने बैंकों को परामर्श दिया है कि वे न केवल नई अनुप्रयोज्य आस्तियों को रोकने के लिए कार्रवाई करें अपितु वर्तमान अनुप्रयोज्य आस्तियों की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठायें। बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा उठाए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

1. लाभप्रदता, एनपीए की कमी, आदि जैसे महत्वपूर्ण मानदण्डों के अंतर्गत परिणामों में सुधार लाने हेतु कार्यनिष्पादन बाध्यता और प्रतिबद्धताएं तैयार करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ चर्चाएं आयोजित की जाती है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार के अनुरोध पर, बैंकों ने अपनी ऋण नीति और ऋण वसूली नीति निर्धारित की है।

3. बैंकों ने अपने प्रधान कार्यालयों पर वसूली कक्ष स्थापित किए हैं। शाखा-वार वसूली लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और वसूली की निगरानी वसूली कक्ष द्वारा की जाती है।

4. सरकार ने दस ऋण वसूली अधिकरण और एक ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण स्थापित किए हैं।

5. सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनरुज्जीवन हेतु भारतीय स्टेट बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एम. एस. वर्मा की अध्यक्षता में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित विचारार्थ विषय के साथ एक कार्यकारी दल की स्थापना की है।

    (क) सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों की पहचान के लिए मानदण्ड;

    (ख) कमजोर बैंकों की समस्याओं का अध्ययन करना और उनकी समीक्षा करना;

    (ग) कमजोर बैंकों की अलग-अलग समीक्षा करके इस बात का पता लगाना कि उनमें से कितने अर्थक्षम हैं।

    (घ) सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों के वित्तीय संरचनात्मक और प्रचालनात्मक पुनर्गठन के लिए नीतिगत सुझाव देना।

विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंक-लाभ/हानि की स्थिति

(करोड़ रुपए)

बैंक का नाम	31.3.96 की स्थिति के अनुसार		31.3.97 की स्थिति के अनुसार		31.3.98 की स्थिति के अनुसार	
	परिचालन लाभ	निवल लाभ	परिचालन लाभ	निवल लाभ	परिचालन लाभ	निवल लाभ
1	2	3	4	5	6	7
इलाहाबाद बैंक	103.21	5.62	184.26	64.30	227.49	129.21
आंध्रा बैंक	61.67	11.07	87.55	35.70	155.25	75.25
बैंक आफ बड़ौदा	877.27	204.27	776.43	276.53	8068.05	458.73
बैंक आफ इंडिया	473.88	276.48	580.00	360.02	697.18	364.51
बैंक आफ महाराष्ट्र	66.49	12.60	103.37	47.26	124.10	58.29
केनरा बैंक	684.63	252.52	654.20	147.40	672.52	203.02
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	210.89	-75.53	299.59	150.83	360.71	174.89
कार्पोरेशन बैंक	216.10	104.75	245.95	125.13	302.85	166.87
देना बैंक	145.48	51.69	194.04	72.91	273.61	105.04
इंडियन बैंक	-223.88	-1336.40	-138.38	-389.09	-209.50	-301.50
इंडियन ओवरसीज बैंक	21.95	3.20	129.45	104.51	154.34	113.06

1	2	3	4	5	6	7
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	276.14	172.75	300.70	180.25	337.38	210.00
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	8.40	-132.16	56.63	20.00	100.07	65.09
पंजाब नेशनल बैंक	384.28	-95.92	620.00	238.00	801.11	477.35
सिंडिकेट बैंक	99.40	20.17	98.65	66.96	135.40	82.66
यूको बैंक	-26.13	-236.66	-72.76	-176.23	15.04	-96.22
यूनियन बैंक आफ इंडिया	311.02	80.49	341.32	215.68	349.53	250.10
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	-50.24	-234.46	-54.97	-113.64	164.31	9.62
विजया बैंक	4.91	-250.95	34.77	18.96	63.75	23.31
राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुल लाभ	3945.71	1195.61	4706.91	2124.44	5740.69	2965.00
राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुल हानि	-300.05	-2360.10	-266.09	-678.96	-209.50	-397.72

स्रोत: तुलन पत्र

[अनुवाद]

फूलों का निर्यात

***142. श्री रामचन्द्र बैंदा:**
श्री मदन पाटील:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहाँ से फूलों का निर्यात किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आज तक विभिन्न प्रकार के फूलों का कितना उत्पादन हुआ तथा उनका कितना निर्यात किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्यात से देशवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या फूलों की खेती करने वालों और निर्यातकों को बहुत-सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और इनका निर्यात वर्ष-प्रति-वर्ष कम होता जा रहा है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) फूलों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) राज्यवार निर्यात के आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार वाणिज्यिक खेती और पुष्पोत्पाद मदों के निर्यात में शामिल कुछ राज्य हैं-आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, सिक्किम, मेघालय, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल।

(ख) और (ग) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान चुने गए फूलों और उत्पादित मानक फूलों, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, की मात्रा नीचे दी गई है-

मद	1993-94	1994-95	1995-96
चुने हुए फूल, बिखरे (मी. टन)	232536	260595	333759
मानक फूल (मिलियन सं.)	512.3	519.4	536.8

स्रोत: राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड

पिछले तीन वर्षों के दौरान और अप्रैल-नवम्बर 98 की अवधि के दौरान पुष्पोत्पाद मदों के निर्यात मूल्य इस प्रकार हैं:

(कीमत लाख रुपए में)

मद	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99 (अप्रैल-नवम्बर)
ताजे चुने हुए फूल	1003.00	1808.65	1867.00	उपलब्ध नहीं
सूखे फूल एवं पौधे	4003.00	3490.12	5727.00	उपलब्ध नहीं
रोपण सामग्री	1008.00	949.01	265.00	उपलब्ध नहीं
कुल	6014.00	6247.78	7859.00	6463.17

टिप्पणी: उ. नहीं-मदवार-आंकड़ों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। (1997-98 के आंकड़े अनंतिम हैं)

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस, कलकत्ता

निर्यातों के देशवार ब्यौरे डीजीसीआई एण्डएस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार आंकड़ों के मासिक/वार्षिक बुलेटिन में हैं जिसकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में रखी जाती हैं।

(घ) से (च) पुष्पोत्पाद इकाइयों के सामने आ रही कुछ समस्याओं में हैं–उम्मीद से कम लाभ, कम उत्पादकता और कम मूल्य वसूली, अधिक भाड़ा लागत और उच्च ब्याज दर के कारण वित्तीय संस्थानों को ऋणों की वापसी में असमर्थता। तथापि, पुष्पोत्पाद के निर्यातों में कमी नहीं आई है। पुष्पोत्पादों का उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं उनमें शामिल हैं। श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्मों, गुणात्मक परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए आसान शर्तों पर ऋणों की व्यवस्था; विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों (रीफर कन्टेनरों) की खरीद पूर्व प्रशीतन/शीतगार सुविधाओं की स्थापना इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना; उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। विदेशों में संवर्धनात्मक अभियान चलाना एवं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों, पुष्प प्रदर्शनी एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी; विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर चलते-फिरते शीतगारों की स्थापना करना और एकीकृत कार्गो संचालन करना और पुष्पोत्पादों के निर्यात के लिए वायु भाड़ा इमदाद प्रदान करना।

[हिन्दी]

औद्योगिक रुग्णता

***143. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक रुग्णता के कारणों का विश्लेषण किया है;

(ख) यदि हां, तो रुग्णता के लिए जिम्मेवार मुख्य कारकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बिहार की औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए कतिपय संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विशेष कर बिहार में औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) देश में बैंकों द्वारा सहायतित रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किये जाते हैं। इसके अनुसार, अनेक कारण जो कि आन्तरिक तथा बाह्य दोनों स्वरूप में तथा प्राय: संयुक्त रूप में परिचालन में होते हैं, उक्त काल औद्योगिक रुग्णता के लिए उत्तरदायी हैं। इस संबंध में मुख्य कारणों में, परियोजना प्रबन्धन में कमियां, विपणन, आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी हां। ये रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुर्नजीवन से तथा बिहार के आर्थिक विकास, आदि से संबंधित है।

(ङ) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुर्नजीवित करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को मार्गनिदेशन, रुग्ण इकाइयों को स्वास्थ्य इकाइयों के साथ मिलाना, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, राष्ट्रीय नवीकरण निधि, आदि के अंतर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को गठित किया जाना शामिल है।

[अनुवाद]

सिगरेट उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

***148. श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री कृष्ण लाल शर्मा:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिगरेट उद्योग में शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) की अनुमति देने के अपने कदम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निवेश की अनुमति देने से अर्थव्यवस्था को कौन से प्रमुख लाभ होंगे;

(ग) स्वदेशी बीड़ी उद्योग, विशेषकर कुटीर उद्योग तथा उसमें कार्यरत कामगारों के हितों को इससे कितना नुकसान पहुंचने की संभावना है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (घ) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों पर विचार करने के विद्यमान दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, उपभोक्ता गैर-टिकाऊ क्षेत्रों में, जिसमें सिगरेट क्षेत्र भी शामिल है, अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी इक्विटी भागीदारी की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। तथापि, क्योंकि सिगरेट क्षेत्र में अब तक 100%

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदन का कोई उदाहरण नहीं हैं, अतः दिनांक 27 अगस्त, 1998 के प्रेस नोट संख्या 11 (1998 शृंखला) के द्वारा यह स्पष्ट करना आवश्यक समझा गया कि सिगरेटों के विनिर्माण के लिए 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत अनिवार्य लाइसेंस से संबंधित उपबंधों की शर्तों के तहत विचार किया जायेगा। ऐसा इस दृष्टि से किया गया कि ताकि निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता लायी जा सके।

बीड़ी और सिगरेटें सामान्यतः बाजार के भिन्न-भिन्न वर्गों की मांगों को पूरा करते हैं, जैसाकि विकासशील घरेलू सिगरेट उद्योग के साथ-साथ बीड़ी उद्योग की पहले से ही मौजूदगी से स्पष्ट है। 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के आगमन से बीड़ी कामगारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि इससे केवल सिगरेट क्षेत्र में ही प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा मिलता है।

तत्पश्चात् तंबाकू और सिगरेट उद्योग में विदेशी निवेश से संबंधित दिशा-निर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

जाली नोट

***149. श्री विट्ठल तुपे:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 नवम्बर, 1998 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में 'पैनिक इन आर.बी.आई. ओवर फेक रुपीज 500 नोट्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला है;

(ङ) सरकार द्वारा जाली नोटों का प्रचालन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(च) महानगरीय शहरों में 500 रु. के जाली नोटों के प्रचालन की स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) जी हां।

(ख) बैंक आफ बड़ौदा की स्थानीय जे.एम. एवेन्यू शाखा मे प्राप्त नोटों के प्रेषण क। रूटीन जांच की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता में 12 नवम्बर, 1998 को 500 रु. मूल्यवर्ग (पुराना डिजाइन) के 68 जाली नोटों की पहचान की गई।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक, कलकत्ता ने स्थानीय पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई है और जाली नोट जांच-पड़ताल के लिए उन्हें सौंप दिए हैं। मामले की पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है।

(ङ) भारतीय करेंसी नोटों की जालसाजी को अत्यधिक कठिन बनाने के उद्देश्य से सरकार ने नए डिजाइन और अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं से युक्त नोटों की नई शृंखला आरम्भ की है। ये विशेषताएं समसामयिक विश्व में नोटों की छपाई के क्षेत्र में उपलब्ध सर्वोत्तम विशेषताएं समझी जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी करता रहता है ताकि जनता सही और जाली करेंसी नोटों के बीच अन्तर कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सभी निर्गम कार्यालयों और वाणिज्यिक बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखाओं को भी पुराने डिजाइन वाले 500 रु. मूल्यवर्ग के जाली नोटों की मौजूदगी के बारे में सूचना दी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले ही इन बैंकों को उनके काउंटर आदि पर प्रस्तुत किये जाने वाले सभी जाली नोटों को जब्त करने और उन्हें आवश्यक छानबीन के लिए पुलिस प्राधिकारियों को अग्रेषित किये जाने के स्थाई निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(च) जनवरी से दिसम्बर, 1998 तक की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में 500 रु. मूल्यवर्ग के 2921 जाली नोटों की पहचान की गई थी।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***150. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्व एशियाई संकट के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बचत तथा निवेश दरों के अन्तर को पाटने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर जोर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह, घरेलू आर्थिक परिस्थितियों, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीतिगत व्यवस्था, विश्वव्यापी निवेशकों की कार्यनीतियां और विश्व एवं क्षेत्रीय आर्थिक प्रवृत्तियों जैसे अनेक कारकों से निर्धारित होता है। पूर्वी एशियाई संकट मुख्यतया बाहरी संस्थाओं को अत्यधिक अल्पकालीन ऋण देने के कारण हुआ है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर मुद्रा संकट और पूंजी का निकास हुआ है। इसी प्रकार, अचल संपदा क्षेत्र और स्टाक मार्केट जो कि दोनों प्रकृति की दृष्टि से अत्यधिक अस्थिर हैं, में अत्यधिक निवेश के कारण भी संकट बड़ा है।

पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत भारत पूंजी लेखा परिवर्तनीयता के प्रति एक चौकस व अशांकित नीति अपनाता रहा है और वित्तीय क्षेत्र का अचल संपदा, स्टाक बाजारों और अल्पकालीन बाहरी ऋण न्यूनतम रहा है। पूंजी पर्याप्तता संबंधी कठोर मानदण्डों और गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्ति मानदंडों सहित वित्तीय क्षेत्र की विवेकपूर्ण नीतियों से भारत को अपनी मुद्रा की अपेक्षाकृत स्थिरता बनाये रखने में और पूंजी संचलन की अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रण करने में मदद मिली है।

यद्यपि पूर्वी एशियाइ संकट और भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्तःप्रवाह के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित करना कठिन है, फिर भी यह उल्लेखनीय है कि विश्व जमा प्राप्तियों (जी डी आर) को छोड़कर 1998 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अन्तःप्रवाह 1997 में 12989 करोड़ रु. की तुलना में 1998 में 13265 करोड़ रु. था। पूर्वी एशियाई बाजार में अनेक विश्वव्यापी निवेशकों के अत्यधिक निवेश की वजह से उनके सामने आये अन्य अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय कारकों के अतिरिक्त उपर्युक्त कारण न होते, तो अन्तःप्रवाह अधिक हुआ होता।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) निवेश और बचत के बीच अन्तराल को पूरा करने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को एक विश्वसनीय संसाधन के रूप में उचित मान्यता देती है। इस प्रयोजन के लिए नौवीं योजना के दौरान कुल 24 बिलियन अमेरीकी डालर के विदेशी प्रत्यक्ष, निवेश की राशि की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया गया है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन

***151. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां (एम.एन.सी.) सैकड़ों करोड़ रुपए का कर अपवंचन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और कर अपवंचन की राशि कितनी है;

(ग) इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन के लिए कौन सी कार्यप्रणाली अपनायी जाती है; और

(घ) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है और उनके द्वारा इस प्रकार किए गए कर अपवंचन की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (घ) आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किए गए कुछेक सर्वेक्षणों के दौरान, यह पाया गया था कि बहुत सी विदेशी कम्पनियां अपने प्रवासी कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्तों के एक बड़े भाग का उनके अपने देश में भुगतान कर रही थीं, लेकिन वे ऐसी राशियों पर देय आयकर की कटौती नहीं कर रही थीं। आरंभिक सर्वेक्षणों के पश्चात, अनेकों विदेशी कंपनियां स्वेच्छा से आगे आयीं और उन्होंने अपने प्रवासी कर्मचारियों को उनके अपने देश में किये जाने वाले भुगतानों पर देय राशियों के संबंध में घोषणा की। इन सर्वेक्षणों के दौरान, तथा साथ ही विदेशी कम्पनियों द्वारा की गई स्वैच्छिक घोषणाओं के माध्यम से यह मालूम हुआ है कि कुल 82 विदेशी कम्पनियां (विवरण संलग्न) प्रवासी कर्मचारियों को उनके अपने देश में भुगतान किये गये वेतन वाले भाग पर कर की कटौती करने में विफल रहीं। इसके फलस्वरूप देय ब्याज सहित कर की कुल राशि 484 करोड़ रुपये बैठती है जिसमें से 478 करोड़ रुपये की राशि पहले ही वसूल कर ली गई है।

विवरण

क्रम सं.	कंपनी का नाम
1	2
1.	आल निपों एयरवेज कं. लि.
2.	अन्नत्सु कार्पोरेशन
3.	इशी कावाजिमा हरिया हैवी इन्ड. कं. लि.
4.	डेन्सो इन्डिया
5.	फ्यूजी बैंक लि.

1	2
6.	इलेक्ट्रीकल पॉवर डेवेलपमेंट कार्पोरेशन
7.	जापान ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन
8.	एरीकसन कम्यूनिकेशन प्रा. लि.
9.	एल्काटेल मोदी नैटवर्क सिस्टम्स
10.	एल्कोटेल साऊथ एशिया पैसिफिक लि.
11.	सेजेलेक इंडिया लि.
12.	सेलेजेक इंडिया लि. (नोएडा कार्यालय)
13.	हुन्दई इन्जि. एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी
14.	डेबू मोटर्स इंडिया लि.
15.	बैंक परिबा
16.	एयरोफ्लोट
17.	दी बैंक ऑफ टोक्यो
18.	दी सकूरा बैंक लि.
19.	जापान एयरलाइन्स
20.	सान्वा बैंक लि., नई दिल्ली
21.	नैशनल पैनासोनिक
22.	निरुशो हवाई कारपोरेशन
23.	मित्सुविशी कार्पोरेशन
24.	एल जी इलेक्ट्रोनिक्स
25.	सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स
26.	दी कामर्शियल बैंक ऑफ कोरिया लि.
27.	दी बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया
28.	नोकिया प्राई. लि.
29.	लुफ्थांसा एयरलाइन्स
30.	जापान रेडियो कंपनी लि.
31.	एशाही ग्लास कंपनी लि.
32.	कैसियो भारती मोबाइल कम्युनिकेशन लि.
33.	फ्यूजीत्सु लि.
34.	इटोचु कार्पोरेशन
35.	चोरी कंपनी लि.
36.	एस्कोर्ट्स यामहा मोटरर्स लि.
37.	फ्यूजी फोटो फिल्म (सिंगापुर)
38.	हितौची कैबल्स लि.
39.	एक्सेडी सीके लि.
40.	होंडा मोटर कंपनी
41.	केनवुड
42.	जुकी सिंगापुर
43.	हितैची कार्पोरेशन इंडिया ट्रेडिंग प्राई. लि.
44.	टोकयो मोटरस कार्पोरेशन
45.	सोनी इंडिया प्राई. लि.

1	2
46.	सोनी गल्प
47.	सोनी कार्पोरेशन लि.
48.	एस डब्ल्यू एस इंडिया होल्डिंग लि.
49.	सुपी मदरसन इन्नोविटिव इन्जीनियरिंग लि.
50.	सुमी मदरसन इन्टेग्रेटेड टैक्नोलाजिस लि.
51.	मदरसन सुम सिस्टम लि.
52.	एन ई सी कार्पोरेशन
53.	मरूवेनी कार्पोरेशन, नई दिल्ली
54.	वाई के के इंडिया प्राई. लि.
55.	मितसुयी कंस्ट्रक्शन कं. लि.
56.	मितसुयी केनसेत्सु इंडिया प्रा. लि.
57.	टी एस टेक कं. लि.
58.	सुमीटोमो कारपोरेशन
59.	सनदन विकास (इंडिया) लि.
60.	तोशिबा कारपोरेशन
61.	मरूबेनी कारपोरेशन प्रोजेक्ट आफिस
62.	मरूबेनी इंडिया प्रा. लि.
63.	मितसुयी मेरीन एण्ड फायर इन्सयोरेन्स कं. लि.
64.	टेरूमो कारपोरेशन
65.	मितसुबीसी इलेक्ट्रिक कारपोरेशन इंडिया संपर्क कार्यालय
66.	शोवा कारपोरेशन (मुंबई)
67.	मोरीरका कम्पनी लि.
68.	मितसुयी एण्ड कं.
69.	के ई आई एच एन कारपोरेशन
70.	सुब्रोस लि.
71.	सुमीटोमो इलैक्ट्रिक इंडस्ट्रीज लि.
72.	राइसो कगाको कारपोरेशन
73.	केनवुड कारपोरेशन
74.	ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लि.
75.	यवुदा फायर एण्ड मैरीन इंश्योरेंस कं. लि.
76.	मत्युशिटा टेलीविजन एंड आडियो इंडिया लि.
77.	सताके कारपोरेशन
78.	मत्युशिटा इलेक्ट्रिक वर्क लि. (नेशनल पैनासोनिक)
79.	निस्सो ल्वाई कारपोरेशन (बंबई कार्यालय)
80.	टोयोटा त्सुशो कारपोरेशन
81.	पायनियर इलेक्ट्रिक कारपोरेशन
82.	सुमिटोमो इलेक्ट्रिक इंड. लि.

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को बन्द करना

***152. श्री शैलेन्द्र कुमारः**
श्री भेरूलाल मीणाः

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान लम्बे समय से घाटे में चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण करने तथा ऐसे रुग्ण उपक्रमों को बन्द करने का निर्णय लिया है तथा राज्य सरकारों को भी लम्बे समय से घाटे में चल रहे उपक्रमों का निजीकरण करने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो अंतिम रूप दिये गये/विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान निजीकरण/बन्द किए जाने के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों की सूची क्या है;

(घ) इन उपक्रमों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा कौन से दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं; और

(ङ) इस निर्णय के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ङ) सरकार ने चालू वर्ष में किसी रुग्ण केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का पूरी तरह निजीकरण करने या बन्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्य सरकारी क्षेत्र उपक्रम संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन होते हैं और केन्द्रीय सरकार का संबंध केवल केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों से है। सरकार सभी मामलों में कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है।

निर्यातकों को प्रोत्साहन

***153. श्री कांतिलाल भूरियाः** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान निर्यातकों को दिये गये प्रोत्साहनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्यात को बढ़ावा देने हेतु नई योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) भारतीय निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने की दृष्टि से पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं: निर्यात ऋण की ब्याज दर 11% से घटाकर 9% करना, मौजूदा निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को सुदृढ़ बनाना, क्रिया-विधियों को सरल बनाना, कुछ वर्गों को निर्यात संवर्धन पूँजीगत सामान योजना के तहत प्रारंभिक सीमा में कमी करना और एग्जिम नीति में पर्यटन क्षेत्र को आवश्यक प्रोत्साहन देना। तथापि, ये उपाय आम तौर पर राज्य विशेष के लिए नहीं हैं बल्कि सभी पात्र निर्यातकों पर लागू होते हैं।

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान निर्यात बढ़ाने के लिए नीति तैयार करने के लिए विभिन्न सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। इन सुझावों की जांच की जा रही है और इन्हें शीघ्र ही घोषित की जाने वाली एग्जिम नीति में उपयुक्त रूप से परिलक्षित किया जाएगा।

[अनुवाद]

कॉफी बोर्ड को हुआ घाटा

***154. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पाः** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कॉफी बोर्ड को पिछले तीन वर्षों से घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे घाटे के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने कॉफी बोर्ड को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

आर्थिक सुधार

***155. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:**
श्री रामपाल सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निवेशकों को, उदारीकरण और आर्थिक सुधारों की धीमी प्रगति के संबंध में उनकी आशंकाओं को दूर करने के लिए यह आश्वासन दिया है कि सुधार कार्यक्रम को कार्यान्वित किये जाने को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के परिणामस्वरूप निवेश में अनुमानित: कितनी वृद्धि होगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) आर्थिक सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता वर्ष 1998-99 तथा केन्द्रीय बजट (1999-2000) में अपनाए गए विभिन्न उपायों में स्पष्ट दिखायी देती है। अभी तक अपनाए गए सुधारात्मक उपायों का उद्देश्य बुनियादी ढांचों को मजबूत उद्दीपक प्रदान करना, औद्योगिक वृद्धि को आगे बढ़ाना, पूंजी बाजार को पुनर्गठित करना तथा समग्र आर्थिक गतिविधि को तीव्र करना है।

(ख) अभी तक आरम्भ किये गये सुधारों में प्रमुख उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के क्षेत्र को विस्तृत करना तथा उसके मानदण्डों को उदार करना, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए विशिष्ट उपायों को कार्यान्वित करना, चुनिन्दा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश, बुनियादी ढांचे में निवेश के क्षेत्र को विस्तृत करना, निगमित संवृद्धि के नवीकरण के लिए शेयरों की पुनर्खरीद जैसे उपायों की घोषणा करना, आदि शामिल हैं। केन्द्रीय बजट (1999-2000) में दूरगामी उपायों की घोषणा द्वारा आवास और लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। विदेशी निवेश मानदण्डों को और अधिक सरल और उदार बनाया गया है। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया है और व्यय प्रबन्ध व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया है।

(ग) जनवरी-नवम्बर, 1998 के दौरान 54,284 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के लिए आई ई एम और एल ओ आई के जरिए 2764 निवेश प्रस्ताव दर्ज किए गए। जनवरी-अक्तूबर, 1998 के दौरान 24,454 करोड़ रुपये मूल्य के एफ डी आई प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (ए आई एफ आई) की स्वीकृतियों और संवितरणों में अप्रैल-दिसम्बर, 1998 के दौरान क्रमश: 36.9 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[अनुवाद]

कॉफी का निर्यात

***156. श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री माधवराव पाटील:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान तथा आज तक कितनी मात्रा में कॉफी का निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार किन-किन देशों को कॉफी का निर्यात किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान कॉफी के निर्यात में कमी हुई है;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या कॉफी के निर्यात को बढ़ाने के लिए कॉफी निर्यातकों ने कुछ सुझाव दिए हैं;

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ज) सरकार ने कॉफी के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (ङ) वर्ष 1996-97 1997-98 और 1998-99 (फरवरी, 1999 तक) के दौरान 1.81 लाख मीट्रिक टन, 1.79 लाख मीट्रिक टन तथा 1.52 लाख मीट्रिक टन कॉफी की कुल मात्रा निर्यात की गई है जिससे क्रमश: 451 मिलियन अमरीकी डालर, 477 मिलियन अमरीकी डालर और 318 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है। प्रमुख आयातक देश जिनको भारतीय कॉफी का निर्यात किया गया है, वे हैं-रूसी संघ, इटली, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, मध्य पूर्व देश, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, स्लोवेनिया, बेल्जियम।

(च) और (छ) कॉफी निर्यातकों ने विभिन्न सुझाव दिये हैं जैसे गुणवत्ता नियंत्रण का उन्नयन करना, प्रसंस्करण प्रणाली में सुधार करना, निर्यात प्रलेख तथा क्रियाविधियों को सरल बनाना, विभिन्न करों व शुल्कों से छूट प्रदान करना, कॉफी इत्यादि के सम्वर्द्धन के लिए लोगों का विकास करना। कॉफी बोर्ड द्वारा अधिकांश सुझावों पर पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है।

(ज) कॉफी उत्पादन में वृद्धि के लिए, कॉफी बोर्ड, विकासात्मक क्रियाकलाप भी चलाता है जिनका उद्देश्य गहन खेती करना, पुनर्रोपण कार्यक्रम चलाना, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चलाना, जलवृद्धि कार्यक्रम चलाने के अलावा कई योजना कार्यक्रमों का संचालन करता रहा है। कॉफी बोर्ड (क) कृषि अनुसंधान (ख) विस्तारन (ग) ऋण एवम् वित्त के लिए व्यवस्था और अन्य रोपण उद्देश्यों आदि के लिए बीजों की आपूर्ति जैसी अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करता रहा है।

कॉफी की निर्यात-वृद्धि के लिए, कॉफी बोर्ड लक्षित आयात बाजारों पर अधिक ध्यान दे रहा है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, मध्य पूर्व देश आदि। बोर्ड विदेशों में चुनिंदा खाद्य मेलों, प्रदर्शनियों में भाग लेता है, चुनिंदा विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में भारतीय कॉफी के अद्वितीय गुणों के बारे में विज्ञापन भी देता है।

भारत में सभी लक्षित बाजारों से रोस्टरों के शिष्ट-मण्डल आमंत्रित करता है, हमारे दूतावासों के जरिए विदेशों में भारतीय कॉफी की सेवा की व्यवस्था करता है, विशेष अवसरों तथा उत्सवों पर भारतीय दूतावासों के जरिये भारतीय कॉफी के गिफ्ट पैकेटों का वितरण करता है। भारतीय कॉफी के लिए लोगों का संवर्धन और भारतीय कॉफी के बारे में साहित्य प्रकाशित कर उनका वितरण करता है।

सीमेन्ट उद्योग में वित्तीय समस्याएं

***157. श्री आर.एस. गवई:**
डा. उल्हास वासुदेव पाटील:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में सीमेंट की मांगें और आपूर्ति में असंतुलन और मूल्यों में विसंगति है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सीमेंट उद्योग अपने क्षमता विस्तार कार्यक्रमों में वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सीमेंट उद्योग को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) जी, हां। स्थानीय मांग तथा आपूर्ति, सीमेंट उत्पादन के केन्द्रों से बाजार की दूरी, आदि जैसे कारकों के कारण सीमेंट की अन्तर क्षेत्रीय कीमतों में परिवर्तन होता है। मांग में मंदी होने के कारण वर्तमान में सीमेंट की विद्यमान उत्पादन क्षमता तथा मांग के बीच असमानता की स्थिति है।

(ग) और (घ) चूंकि वर्तमान में सीमेंट उद्योग में क्षमता की अधिकता है, अतः सीमेंट उद्योग द्वारा किसी बड़ी क्षमता विस्तार योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

भविष्य निधि योजना

***158. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की भविष्य निधि योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भविष्य निधि नीति में परिवर्तन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या परिवर्तित नीति से पुरानी नीति की तुलना में कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिलेंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में पूरा ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) सरकार की भविष्य निधि पालिसी स्कीमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(1) सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.)

सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली, 1980, पेंशन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। इसमें न्यूनतम मासिक अंशदान किसी कर्मचारी की कुल परिलब्धियों का 8% और कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होता है। इस पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज देय है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अग्रिम एवं निकासी नियमावली में यथानिहित के अनुसार,

इसमें कर्मचारी विभिन्न प्रयोजनों के लिए इसमें से अग्रिम और निकासी के हकदार होते हैं। जब कोई अंशदाता नौकरी छोड़ता है तब निधि में उसके खाते में जमा कुल राशि का उसे ब्याज सहित भुगतान किया जाता है।

अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य कर्मचारो, ए.आई.एस. (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 के द्वारा अधिशासित होते हैं, जो कि कार्यक्षेत्र और विषय वस्तु में जी.पी.एफ. नियमावली के समान ही है।

(2) अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.)

अंशदायी भविष्य निधि नियमावली (भारत) 1982, गैर-पेंशनभोगी सेवाओं वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। इसमें अंशदाता का मासिक अंशदान उसकी परिलब्धियों के 10% से कम और उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगा और समय-समय पर विनिर्धारित दर से, जो कि वर्तमान में 10% है, सरकार द्वारा अंशदान किया जाएगा। सामान्य भविष्य निधि की भांति ही सी.पी.एफ. पर 12% की दर से ब्याज देय है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। उसी प्रकार अंशदायी भविष्य निधि से अग्रिम एवं निकासी के नियम व शर्तें सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम एवं निकासी की नियम व शर्तों के समान ही है।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) स्कीम, 1952

यह स्कीम 20 या उससे अधिक कार्मिकों वाली फैक्ट्रियों/स्थापनाओं पर लागू होती है। 5000 रुपये प्रतिमाह तक मजदूरी पाने वाले सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से इस योजना के अंतर्गत आते हैं। 172 श्रेणी के उद्योगों/स्थापनाओं के कर्मचारियों के संबंध में इस निधि में अंशदान की दर उनकी मासिक मजदूरी का 12% है। शेष पांच उद्योगों (जैसे ईंट, जूट, नारियल, खारगम तथा बीड़ी) में अंशदान की दर 10% है। इस स्कीम के अंतर्गत इस निधि में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों द्वारा समान अंशदान किया जाता है। निधि में नियोक्ता के शेयर में से मासिक मजदूरी की 8.33% के बराबर की राशि को पेंशन फंड में अंतरित कर दिया जाता है। कर्मचारी के अंशदान तथा नियोक्ता के शेष अंशदान को कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदाता के व्यक्तिगत खाते में जमा कर दिया जाता है। अंशदाता को चालू शेष पर 12% ब्याज दिया जाता है। नौकरी से सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र पर अंशदाता द्वारा अपने खाते में जोड़ी गई सम्पूर्ण निधि, ब्याज सहित वापिस दे दी जाती है। कर्मचारी अपने भविष्य निधि से नॉनरिफन्डेबल (वापिस न किये जाने वाला) अग्रिम लेने का हकदार भी होता है।

(4) लोक भविष्य निधि (पी.पी.एफ.)

लोक भविष्य निधि (पी.पी.एफ.) खाता, एक व्यक्ति द्वारा अपने नाम से या उस अवयस्क जिसका वह अभिभावक हो या हिन्दू अविभाजित परिवार जिसका वह एक सदस्य हो या व्यक्तियों की एक संस्था अथवा केवल पति और पत्नी से बने व दादरा तथा नगर हवेली और दमन दीव के केन्द्र शासित क्षेत्रों तथा गोवा प्रदेश में प्रचलित संपत्ति के संप्रदाय की विधि द्वारा संचालित व्यक्तियों के निकाय की ओर से खाता खोल सकता है। सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.), अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.), और कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) रखने वाला कोई व्यक्ति भी लोक भविष्य निधि (पी.पी.एफ.) खाता खोल सकता है। खाता, मुख्य डाकघर या भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा या इसके सहायक और अन्य राष्ट्रीय बैंकों की विशिष्ट शाखाओं में खोला जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में, निधि में न्यूनतम और अधिकतम अंशदान क्रमशः 100 रुपए तथा 60,000 रुपए है। पी.पी.एफ. के शेष पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दर से ब्याज देय होता है। वर्तमान ब्याज दर 12% वार्षिक है। योजना के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार सदस्य, फंड से निकासी एवं ऋण के हकदार हैं। 15 वर्ष की समाप्ति पर खाता बंद किया जा सकता है। यदि कोई अंशदाता किसी समयावधि के पूरा होने के पश्चात अपना खाता चालू रखना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति है।

(ख) चालू विभिन्न स्कीमों से संबंधित पॉलिसियों को बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

डी.आई.सी.जी.सी. योजना को समाप्त करना

*159. **श्री भर्तृहरि मेहताब:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकतर राज्य वित्तीय निगमों और अनेक वाणिज्यिक बैंकों ने उच्च प्रीमियम, कम कवरेज और असंतोषजनक सेवाओं के कारण डिपोजिट इंश्योरेन्स क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन (डीआईसीजीसी) से अपना कारोबार समेट लिया है;

(ख) क्या इस संबंध में गठित विशेषज्ञ समिति ने डिपोजिट इंश्योरेन्स क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन की वर्तमान योजना को समाप्त करने की सिफारिश की है आईडीबीआई के माध्यम से इसे प्रयोक्ता अनुकूल बनाने की सिफारिश की है; और

(ग) समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने सूचित किया है कि उसने राज्य वित्तीय निगम्मों द्वारा नगण्य भागीदारी के कारण और गारंटी शुल्क के भुगतान में दीर्घकालिक एवं लगातार चूक को देखते हुए 31 मार्च, 1992 से लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 को समाप्त कर दिया है। गारंटी शुल्क में वृद्धि तथा डीआईसीजीसी द्वारा दावों को निपटाने में विलम्ब सहित योजना की शर्तें कड़ी कर देने के कारण दिनांक 1 अप्रैल, 1995 से ऋण गारंटी योजना के संशोधन के बाद कई वाणिज्यिक बैंकों ने भी इसे छोड़ने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एस.एल. कपूर समिति ने लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर किये गये 10 लाख रुपए तक के ऋणों को वसूल करने के लिए नया ऋण गारंटी निगम स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। वर्ष 1999-2000 के बजट भाषण में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए नई ऋण बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना

***160. डा. एस. वेणुगोपालाचारी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मानदण्डों/मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऋण उपलब्ध कराने के प्रयोजन हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दर्जा दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपनी शुद्ध बैंक ऋण (एनबीसी) का 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र को दें। जिसमें से एनबीसी का 18 प्रतिशत कृषि के लिए तथा एन बी सी का 10 प्रतिशत कमजोर वर्गों को दिया जाना अपेक्षित है। प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल खंडों के ब्यौरे संलग्न विवरण दिये गये हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल खंड

1. कृषि (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों)।
2. लघु क्षेत्र के उद्योग (औद्योगिक संपदा की स्थापना सहित) (संयंत्र एवं मशीनरी की मूल लागत 3 करोड़ रुपए से अनधिक वाले लघु क्षेत्र उद्योग के एकक के रूप में परिभाषित एकक। अति लघु क्षेत्र के एकक वे हैं। जिनकी संयंत्र एवं मशीनरी की मूल लागत 25 लाख रुपए तक है)।
3. लघु सड़क एवं जल यातायात परिचालक (10 वाहन तक रखने वाले)।
4. लघु व्यवसाय (व्यवसाय के लिए प्रयुक्त उपस्कर की मूल लागत 10 लाख रुपए, कार्यशील पूंजी सीमा 5 लाख रुपए से अधिक न हो)।
5. फुटकर व्यापार (गैर-सरकारी फुटकर व्यापारियों को अग्रिम राशि 5 लाख रुपए तक)।
6. व्यावसायिक एवं स्व-रोजगार वाले व्यक्ति (ऋण लेने की सीमा 5 लाख रुपए से अधिक न हो, जिसमें से कार्यशील पूंजी 1 लाख रुपए से अधिक न हो, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय स्थापित करने वाले योग्यता प्राप्त चिकित्सकों के मामले में सीमाएं उपर्युक्त आंकड़ों की दुगुनी होंगी और प्राथमिकता क्षेत्र के तहत इन सीमाओं में एक मोटर वाहन की खरीद शामिल की जा सकती है)।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यों द्वारा प्रायोजित संगठन।
8. शिक्षा (बैंकों द्वारा अपनी स्वयं की योजनाओं के तहत अलग-अलग व्यक्तियों को दिए गए शैक्षिक ऋण)।

9. आवास (5 लाख रुपए तक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ऋण)।

10. उपभोग ऋण (कमजोर वर्गों के लिए उपभोग ऋण योजना के तहत)।

11. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रायोजक बैंकों द्वारा पुनर्वित्तपोषण।

12. स्व-सहायता समूहों (एसएचजी)/एसएचजी को ऋण देने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को ऋण।

13. साफ्टवेयर उद्योग (1 करोड़ रुपये तक ऋण सीमा)।

14. खाद्य एवं कृषि आधारित संसाधन क्षेत्र।

विश्व बैंक के सुझावों पर आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की टिप्पणियां

1464. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
श्रीमती लक्ष्मी पनबाक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को ऋण/सहायता स्वीकृत करने से पहले सुझाए गए कुछ परिवर्तनों से सहमत नहीं है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार किन-किन सुझावों से सहमत नहीं है;

(घ) विश्व बैंक के विचारों को स्वीकार करने में राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या कठिनाइयां बताई गई हैं; और

(ङ) क्या विश्व बैंक अपने विचारों को स्वीकार न किये जाने को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश को ऋण प्रदान करने के लिए सहमत नहीं है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ङ) आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना के लिए 543.2 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण करार पर भारत सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार तथा विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के बीच दि. 4.2.1999 को हस्ताक्षर किए गए थे। पुन: विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की विद्युत परियोजना हेतु 210 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर भी दि. 18.2.1999 को हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए विश्व बैंक तथा आंध्र प्रदेश की सरकार के बीच विचारों में भिन्नता होने का प्रश्न नहीं उठता।

नारियल और नारियल तेल का निर्यात

1465. श्री चेंगारा सुरेन्द्रन: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारियल और नारियल तेल की कीमतें कम हो जाने के कारण इनके आयात से घरेलू नारियल उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सभी प्रकार के आयातों को बन्द करने की मांग पर विचार कर रही है जिनका स्वदेशी किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) कोपरा एवं नारियल के तेल के आयात का सरणीयन भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. हिन्दुस्तान वेजिटेबल्स आयल कारपोरेशन के जरिए किया जाता है। घरेलू बाजार में खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने, प्रसंस्करण मिलों की क्षमता उपयोगिता बढ़ाने और अलसी की खली का अतिरिक्त निर्यात बढ़ाने के लिए ही इन अभिकरणों के जरिए आयात करने की अनुमति है। इस बात पर विचार करते हुए कि कोपरा एवं नारियल तेल का आयात प्रतिबंधित सूची में ही रहेगा, ऐसे सरणीकृत आयातों का घरेलू कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। तथापि, भारत उचित टैरिफ संरक्षण के अंतर्गत अगले 3-4 वर्षों में आयात प्रतिबंधों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को अंतरिम राहत

1466. श्री सी.डी. गामीत: क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत की अंतरिम राहत देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्या नाम हैं और उनकी कितनी संख्या है;

(ग) क्या यह अंतरिम राहत बोर्ड फोर इण्डस्ट्रीयल एण्ड फिनांशीयल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आने वाली रुग्ण इकाइयों के

कर्मचारियों पर और वर्ष 1962 से संशोधित न हुए वेतनमानों वाले घाटे में चल रही उन अन्य इकाइयों पर भी लागू है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) से (घ) वेतन संशोधन समिति की अंतरिम सिफारिशों के आधार पर जिसकी स्थापना सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यपालकों के वेतन संशोधन के लिए सिफारिश करने हेतु की गई थी, सरकार ने औद्योगिक महंगाई भत्ता अपनाने वाले सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों को मूल वेतन के 10 प्रतिशत अंतरिम राहत की अदायगी की अनुमति प्रदान की है, बशर्ते कि कुछ शर्तों पर यह कम से कम 280 रुपए प्रतिमाह होगी। विनिर्दिष्ट शर्तों में से एक शर्त यह थी कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे गए रुग्ण उद्यमों और घाटा उठाने वाले अन्य उद्यमों जिन्होंने 1-1-1992 से अपने वेतन में अब तक संशोधन नहीं किया है, उनके कर्मचारियों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी जानी चाहिए। उद्यमों के प्रबन्धनों को यह छूट दी गई है कि वे उद्यमों की वित्तीय स्थिति और ऐसी अंतरिम राहत दिए जाने के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों और कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करने पर निर्णय लें। इसमें यह भी विनिर्दिष्ट किया गया था कि अंतरिम राहत की अदायगी की देनदारियों को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोई बजटीय सहायता नहीं दी जाएगी। इस प्रकार उन उद्यमों के नाम तथा उनकी संख्या बताना सम्भव नहीं है, जिन्होंने अपने कर्मचारियों को अंतरिम राहत दी/नहीं दी है।

[अनुवाद]

आर्थिक कार्य समिति (ई.ए.सी.)

1467. श्री रवि सीताराम नायक: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापार तथा उद्योग संबंधी आर्थिक कार्य समिति (ई.ए.सी.) की सिफारिशों की जांच करने तथा इन्हें क्रियान्वित करने हेतु मंत्रालयीय अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) व्यापार और उद्योग परिषद की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर, परिषद् के सदस्यों में से कृतिक बल के स्वरूप के छह विशेष विषय दल स्थापित किए गए। दलों ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। विशेष दलों की सिफारिशों का सारांश, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्रवाई संबंधी मुद्दे बताए गए हैं, को अन्तर-मंत्रालयी परामर्शों के बाद और जहाँ भी जरूरी हो, इस प्रयोजन के लिए गठित मंत्री दलों (जी.ओ.एम.) के सुझावों पर विचार-विमर्श करने हेतु अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अग्रेषित कर दिया जाता है। मंत्री दल में विदेश कार्य, उद्योग और वित्त मंत्री होते हैं। मंत्री. दल को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के प्रभारी मंत्री को सहयोजित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जब उन मंत्रालयों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार-विमर्श किया जा रहा हो। मंत्री दल जैसे और जब भी जरूरी हो, अन्य मंत्रियों को भी सहयोजित कर सकता है। मंत्री दल व्यापार और उद्योग संबंधी प्रधान मंत्री परिषद् और समय-समय पर उसके अधीन गठित विशेष विषय दलों की सिफारिशों पर विचार करने और उनके कार्यान्वयन के तौर-तरीकों की जांच करने के लिए अधिदेश प्राप्त है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष से धन देना

1468. श्री महबूब जहेदी: क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय नवीकरण कोष (एन.आर.एफ.) से 12 लाख कमाने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 191 करोड़ रु. की धनराशि प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या छः केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना कोष की 29.06 करोड़ रुपये की राशि संबंधित मार्ग निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपनी संचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा दी; और

(घ) यदि हां, तो इसमें शामिल सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं और उन सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध वर्ग के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (घ) मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के लिए भारत [संघ सरकार (सिविल)

निष्पादन मूल्यांकन, 1998 की संख्या 3] के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि नियंत्रणकारी मंत्रालयों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.) के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि सहायता के रूप में लाभ कमाने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 12 उपक्रमों (नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं) उपक्रमों को 190.73 करोड़ रुपये जारी किये। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 6 उपक्रमों (नाम विवरण II पर) ने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के लिए उनको जारी की गई निधियों में से 29.06 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण करके उसे अपनी परिचालनात्मक जरूरतों को पूरा करने में प्रयोग किया।

मामले को आगे की कार्रवाई के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ उठाया गया है।

विवरण I

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	कंपनी/निगम का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का नाम
1.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	भारी उद्योग
2.	एण्ड्रयू यूले एंड कं.	भारी उद्योग
3.	भारत हैवी प्लेट वेसल्स लि.	भारी उद्योग
4.	ब्रिज एण्ड रूफ कं. लि.	भारी उद्योग
5.	तंगबहादरा स्टील प्रोडक्ट लि.	भारी उद्योग
6.	भारतीय पर्यटन विकास निगम	नागर विमानन
7.	मजगांव डौक्स लिमिटेड	रक्षा
8.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	रक्षा
9.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	खान
10.	भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड	खान
11.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	खान
12.	इलैक्ट्रानिक कार्पो. आफ इंडिया	परमाणु ऊर्जा

विवरण II

परिचालनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए निधियों के अंतरण में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नाम को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	मंत्रालय का नाम
1.	आई.डी.पी.एल.	रसायन तथा पैट्रो रसायन
2.	एस.एस.पी.एल.	रसायन तथा पैट्रो रसायन
3.	बी.आई.एल.	रसायन तथा पैट्रो रसायन
4.	जे.सी.आई.	वस्त्र
5.	एन.टी.सी.	वस्त्र
6.	एन.जे.एम.सी.	वस्त्र

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में लघु इकाईयों के लिए ई-मेल सुविधा

1469. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु इकाइयों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए मध्य प्रदेश के आठ जिला औद्योगिक केन्द्रों की ई-मेल सुविधा उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में शेष केन्द्रों को भी वही सुविधा प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) सरकार ने मध्य प्रदेश में आठ जिला उद्योग केन्द्रों अर्थात् विलासपुर, दुर्गग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, खारगांव, रायगढ़ तथा रायपुर को ई-मेल सुविधा उपलब्ध करायी है ताकि लघु एककों से एकत्रित आंकड़ों तथा लघु उद्योगों से संबंधित अन्य सूचना को तीव्रता से राज्य उद्योग निदेशालय तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय को संप्रेषित किया जा सके। यह सुविधा लघु एककों के कम्प्यूटरीकरण के लिए नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। यह सुविधा उन जिला उद्योग केन्द्रों को प्रदान की गई है जिनके पास काफी लघु एकक हैं

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नवीकरण कोष से धन

1470. **श्री सुरेश वरपुडकर:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय नवीकरण कोष (एन.आर.एफ.) की स्थापना केवल सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने के लिए की गई है निजी क्षेत्र के लिए नहीं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस कोष से निजी क्षेत्र के कितने रुग्ण उद्योगों को लाभ पहुंचा है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) भारतीय उद्योग के प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिक पुन: संरचना से प्रभावित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा फरवरी, 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई है। तथापि, इस समय, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना और संगठन क्षेत्र से युक्तियुक्त कामगारों को परामर्श देने, उनके पुन: प्रशिक्षण तथा पुन: नियुक्ति की योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता उपलब्ध है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों को ऋण

1471. श्री राजो सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा ऋण न जारी करने के बारे में उद्यमियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंक निर्धारित नीति एक अपने निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित मानदण्डों और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी मार्गनिर्देशों/अनुदेशों के आधार पर सभी पात्र उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उद्यमियों से ऋण जारी न किये जाने संबंधी प्राप्त शिकायतों को सरकार उपचारी कार्रवाई के लिए संबंधित बैंक के पास भेजती है। सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र होते हैं जो ऐसी शिकायतों को डील करते हैं।

[अनुवाद]

ई.सी.एल. के कोयला संभलाई संयंत्र

1472. श्री विकास चौधरी: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा इस समय ई.सी.एल. में स्थापित किये जा रहे कोयला संभलाई संयंत्रों के समय पर पूरा किये जाने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इनके पूरा होने की संबंधित लक्षित तिथियां क्या हैं;

(ख) इसके विकास की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या ई.सी.एल. के 21 सड़कों के विकास हेतु 1215.90 लाख रु. की लागत मंजूर की गई थी लेकिन वर्ष 1997-98 के दौरान केवल 199.51 लाख रुपए की सिफ़ारिश की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इन सड़कों को पूरा किए जाने हेतु लक्षित तिथियां क्या-क्या हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. द्वारा सूचित किया गया है कि बकोला तथा जे.के. नगर के सी.एच.पी. रुके हुए सी.एच.पी. हैं। दोनों सी.एच.पी. को वर्ष 1999-2000 के अंत तक एक नए अनुबंध के माध्यम से पूरा किए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। जे.के. नगर सी.एच.पी. के प्राप्ति भाग को विभागीय रूप से पूरा कर लिया गया है। प्रेषण स्थल पर सी.एच.पी. का शेष कार्य रेलवे साइडिंग को चालू किए जाने के साथ ही आरंभ तथा पूर्ण किया जाएगा, जोकि रेलवे द्वारा जमा शर्तों पर किया जा रहा है।

(ग) और (घ) कोयला नियंत्रक द्वारा यह सूचित किया गया है कि कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत उत्पाद शुल्क के माध्यम से एकत्रित निधियों से वर्ष 1994-95 से 1997-98 की अवधि के दौरान 1843.30 लाख रु. की राशि (सड़कों की अनुमानित लागत का 50%) से 42 सड़कों की स्वीकृति दी गई है। मार्च, 1998 तक ई.को.लि. को 1209.06 लाख रु. का भुगतान कर दिया गया है। सड़कों को मार्च, 2001 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान

1473. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे: क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एकक अपनी इक्विटी पर केन्द्र सरकार को प्रतिवर्ष लाभांश का भुगतान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों ने घाटे के कारण गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को लाभांश का भुगतान नहीं किया है; और

(घ) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर खर्च की गई अपनी धनराशि की वापसी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रम अपनी शेयर पूँजी पर प्रति वर्ष लाभांश की घोषणा तथा उसका भुगतान करते रहे हैं। विगत तीन वर्ष अर्थात् 1997-98, 1996-97 तथा 1995-96 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा घोषित लाभांश का ब्यौरा दिनांक 26.2.1999 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-1 के विवरण संख्या 8 (पृष्ट विवरण 60, विवरण 65) में दिया गया है।

(घ) नियोजित पूंजी पर प्रतिफल पाने के लिए सरकारी उपक्रमों के कार्य निष्पादन में सुधार के उद्देश्य से सरकार द्वारा किए जाने वाले विभिन्न उपायों में व्यापारिक एवं वित्तीय पुनर्गठन करना, अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान करना, संयंत्रों एवं मशीनों का आधुनिकीकरण करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन, क्षमता में वृद्धि, श्रम शक्ति का यौक्तिकीकरण आदि शामिल हैं।

दिल्ली में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों द्वारा कपड़े की सप्लाई

1474. श्री विजय गोयल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने कितने कपड़े की सप्लाई की; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने किस किस्म और श्रेणी का कपड़ा सप्लाई किया?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) एन टी सी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान आपूर्ति किये गये कपड़े की मात्रा निम्नानुसार है:

(लाख में)

वर्ष	मी.	अदद
1996-97	64.88	0.24
1997-98	50.07	0.29
1998-99	32.34	0.32

(ख) सूती तथा ब्लेंडिड किस्मों में कपड़े का प्रकार एवं श्रेणियों में सूटिंग, शर्टिंग, पॉपलिन, टरबन क्लाथ, माजरी, मलेसिया, दुसुत्ती, मारकीन, कर्टेन क्लॉथ, ड्रेस मेटेरियल, चादरें, तौलिया, सूती ड्रिल, सेलुलर, लोंग क्लॉथ, युनिफार्म साड़ियां, वूलेन सर्ज, कंबल, रोटरी प्रिंटेड साटीन, मुलों, वॉयल, धोती, नियंत्रित ग्रे धोती, मच्छरदानी तथा गादेलापट आदि शामिल हैं।

भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक की पुनर्वित्त योजनाएं

1475. श्रीमती शीला गौतम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु क्षेत्र एवं लघु विपणन उद्यमों के लिए आज की तिथि तक भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक द्वारा औपचारिक रूप से आरम्भ की गई पुनर्वित्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है एवं ऊपरी सीमा, कार्यकारी पूंजी, राष्ट्रीय इक्विटी फंड सहायता का योजनावार क्रमवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत उद्यमियों को सिंगल विंडो योजना के अधीन भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक द्वारा टर्म लोन, कार्यकारी पूंजी, राष्ट्रीय इक्विटी फंड, केश क्रेडिट फेसिलीटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक ने सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में निर्दिष्ट किया और इसके लिए क्रमवार कितनी वित्तीय सीमा तय की गई; और

(ङ) आज की तिथि तक भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए दिए गए नए प्रस्तावों पर किसी

बहाने से अपनी पुनर्वित्त योजनाओं के अधीन विचार करने के मामले में मना किया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (घ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने लघु उद्योग क्षेत्र के विभिन्न लक्ष्य वर्ग के लिए बहुत सी पुनर्वित्तयन योजनाएं और प्रत्यक्ष वित्तयन योजनाएं प्रारम्भ की हैं, जिनका विवरण संसद भवन पुस्तकालय में रखी गई पुस्तिका की प्रति में दिया गया है।

(ङ) सिडबी ने सूचित किया है कि उन्होंने मूल ऋण संस्थानों (पीएलआई) को सलाह दी है कि वे लघु क्षेत्र उद्योग से आने वाले सभी लाभप्रद प्रस्तावों को स्वीकार करें और मूल ऋण संस्थानों की ओर से दिए गए आवधिक ऋणों के बदले सिडबी से 100% पुनर्वित्त प्राप्त करें। अभी तक सिडबी को ऐसे प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं जिनमें लघु उद्योग प्रवर्तकों के ठोस प्रस्तावों को बैंकों ने खारिज कर दिया हो। फिर भी, जहां कहीं भी लघु उद्योगों की तरफ से शिकायतें प्राप्त होती हैं, सिडबी संबंधित पीएलआई के समक्ष मामला उठाता है।

[हिन्दी]

एन.टी.सी. मिलों द्वारा उत्पादन

1476. श्री मित्रसेन यादव: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राज्य वस्त्र निगम तथा निजी क्षेत्र की कपड़ा मिलों द्वारा जनवरी, 1998 से जनवरी, 1999 तक कुल कितना उत्पादन किया गया और इन कपड़ा मिलों में कितने कामगार काम कर रहे हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी कपड़ा मिलें बंद पड़ी रहीं और इनके पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा मिल-वार क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) इन मिलों के बंद होने के कारण बेकार हुए कामगारों के पुनर्वास और उन्हें पुन: रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) जनवरी, 1998 से जनवरी, 1999 तक एन.टी.सी., एस.टी.सी. तथा निजी क्षेत्र सहित वस्त्र मिलों में कपड़े और स्पन यार्न का कुल उत्पादन क्रमश: 2010.03 मिलियन वर्ग मी. और 3443.94 मिलियन कि.ग्रा. (अनंतिम) है। 31.1.1999 तक की स्थिति अनुसार इन मिलों में कामगारों की कुल संख्या 10.09 लाख थी।

(ख) और (ग) एन.टी.सी. के अधीन कोई मिल बंद नहीं है, जबकि, कार्यशील पूँजी की जटिल कमी के कारण कुछ मिलों में क्रियाकलाप पूर्णत:/आंशिक रूप से बंद हैं। तथापि, अज्युधिया टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार बंद कर दिया गया था और इस मिल के कर्मचारियों को उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रतिपूर्ति की बढ़ी हुई राशि अदा की गई थी। चूँकि एन.टी.सी. के 9 सहायक निगमों में से 8 के मामले बी.आई.एफ.आर. को भेजे गए हैं तथा उसने उन्हें रुग्ण घोषित कर दिया है, फिर भी एन.टी.सी. द्वारा किए गए एकक-वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर एन.टी.सी. के सहायक निगमों के साथ-साथ उनके अधीन अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना विचाराधीन है, जो कि बी.आई.एफ.आर. के इस मानदण्ड पर आधारित है कि निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों की निबल पूँजी सकारात्मक बन जाएगी। पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा।

दिसम्बर, 1998 के अंत तक बंद पड़ी सूती/मानव-निर्मित वस्त्र मिलों की कुल संख्या 284 थी। सरकार ने औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) की स्थापना की है, जिसे रुग्ण कंपनियों की पुनर्स्थापना का दायित्व सौंपा गया है। मिलों के बंद होने के कारण बेरोजगार हो गए कामगारों के पुनर्वासन के संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि नामक योजना वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत केवल निजी क्षेत्र की मिलों के आंशिक/पूर्ण रूप से बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हो गए कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान की जाती है।

कपड़े की प्रति-व्यक्ति उपलब्धता

1477. श्री मोइनुल हसन अहमद: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं और आठवीं योजनावधियों के दौरान कपड़े की योजनावार प्रतिव्यक्ति उपलब्धता क्या थी?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): सातवीं एवं आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्रति व्यक्ति कपड़े की उपलब्धता

का विवरण नीचे दिया गया है:

प्रति व्यक्ति कपड़े की उपलब्धता

(वर्ग मी. में)

सातवीं पंचवर्षीय योजना	
1985-86	21.55
1986-87	21.84
1987-88	20.96
1988-89	23.00
1989-90	22.65
आठवीं पंचवर्षीय योजना	
1992-93	24.50
1993-94	26.22
1994-95	25.98
1995-96	27.99
1996-97	29.30

भारतीय स्टेट बैंक की सेवाएं

1478. **श्री अमर राय प्रधान:**
श्री ए.सी. जोस:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी बैंकों की कुशलता, अच्छी सेवाओं और उच्च ब्याज दर के कारण कई लोग भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपने खाते बंद करवा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इन बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक की कुछ शाखाओं ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अपना खाता बंद कराने हेतु अपने कार्यालय के वेतन एवं लेखा विभाग से सिफारिश लाने की एक निरर्थक शर्त लगा रखी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी शर्त लगाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि एसबीआई से अन्य बैंकों को जमाकर्ता ग्राहकों का पलायन नहीं हो रहा है जैसाकि 1.4.1998 से जनवरी, 1999 की अवधि के दौरान एसबीआई की जमाराशियों में वृद्धि से प्रमाणित होता है।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उनकी शाखाओं में ग्राहक सेवा संतोषजनक है। तथापि, बैंक की सभी शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए निरंतर आधार पर प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) अपनी किसी भी शाखा को इस प्रकार के कोई मार्गनिर्देश एसबीआई ने जारी नहीं किए हैं। बैंक खाते का बन्द करना पूर्णतया ग्राहक के विवेक पर निर्भर करता है जिसे बैंक को लिखित रूप में ऐसा आशय बताना होता है साथ ही अप्रयुक्त चेक पन्नों को संलग्न करना जैसी कुछ प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं की अनुपालना करने की अपेक्षा की जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

खुले मुहाने वाली खानों में खनन के लिए निजी कंपनियों के साथ समझौता

1479. **डा. जयंत रंगपी:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर कोयला क्षेत्र ने खुले मुहाने वाली खानों में खनन के लिए निजी कंपनियों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसे समझौतों के खंडों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) ओपनकास्ट कोयला खानों में उपयोग किये जाने हेतु हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) को किराए पर लिये जाने के लिए नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (ना.ई.को.) द्वारा निजी कंपनियों के साथ तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वे निजी कंपनियां जिनके साथ ना.ई.को. द्वारा समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा ना.ई.को. की वे ओपनकास्ट कोयला खानें, जिनमें हैम का उपयोग किया जाएगा, नीचे दी गई है:

निजी कंपनी	ना.ई.को. की ओपनकास्ट कोयला खान
मैसर्स उज्जल परिवहन एजेंसी, डांडो हाउस, 29, गणेश चन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता 700 013, पं. बंगाल	टिकाक
-वही-	तिरप-I
मैसर्स सौम्या माइनिंग प्रा. लि., शास्त्री चांक्स, रायपुर-492 001, मध्य प्रदेश	तिरप-II
मेसर्स नैशनल माइनिंग कंपनी, चंडीगढ़ रोड, नवा शहर-144 514, जिला जालंधर, पंजाब	तिरप-III

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक उल्लिखित ओपनकास्ट खान हेतु किए गए समझौते में निहित खंडों की अन्तर्वस्तु और अनुबंधित दरें नीचे दी गई हैं:

खंड अनुबंधित दर

	खंड	अनुबंधित दर	
		तिरप-I, तिरप-II तथा तिरप-III ओपनकास्ट के लिए	टिकाक ओपनकास्ट खान के लिए
1.	ऊपरी मलबा हटाया जाना (हार्ड शेल)	48.10 रु. प्रति क्यूबिक मीटर	42.70 रु. प्रति क्यूबिक मीटर
2.	कार्बोनेशियस शेल को हटाया जाना	41.166 रु. प्रति क्यूबिक मीटर	रु. 40.26 प्रति क्यूबिक मीटर
3.	ड्रिलिंग	103.70 रु. प्रति मीटर	रु. 103.70 प्रति मीटर
4.	जैसाकि उपर्युक्त खंड 1 और 2 में प्रावधान है, पहले एक किलोमीटर से अधिक के प्रत्येक 500 मीटर हेतु ऊपरी मलबे को हटाए जाने की लागत। (हार्ड शेल तथा कार्बोनेशियल शेल, दोनों के लिए)	2.55 रु.	2.55 रु.

जब कभी डीजल की सांविधिक कीमत में वृद्धि होती है, तो उपर्युक्त खण्ड 1 और 2 के लिए दरों में वृद्धि किए जाने हेतु भी समझौतों में प्रावधान है।

विदेशी परियोजनाओं में निवेश

1480. श्री अभय सिंह एस. भोंसले:
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:
श्री डी.एस. अहिरे:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विदेशी परियोजनाओं में कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) क्या विदेशी परियोजनाओं में निवेश आधा रह गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) कौन सी परियोजनाओं पर इसका बुरा असर पड़ा है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) विदेशी निवेश सिविल निर्माण परियोजनाओं और इंजीनियरिंग (टर्नकी) परियोजनाओं संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में किया जाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों तथा भारतीय निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) परियोजना निर्यातों में कोई गिरावट नहीं आई है। तथापि, विदेशों में संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में हुए वास्तविक निवेशों में विश्व भर में आई आम आर्थिक मंदी और भारतीय निवेशकों के पास निवेश योग्य निधियों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण गिरावट प्रदर्शित हुई है।

(घ) सरकार के ध्यान में बुरी तरह निष्पादित किसी परियोजना की घटना नहीं आई है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फास्ट ट्रैक क्लीयरेंस की सीमा बढ़ाकर 15 मिलियन अमरीकी डालर (नेपाल और भूटान में भारतीय रुपए में निवेश के मामले में 60 करोड़ रु.) और अधिकतम 25 मिलियन अमरीकी डालर के अदीन कंप्यूटर साफ्टवेयर कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने निर्यात/विदेशी मुद्रा वसूली का ब्लैंकेट निवेश 50% तक करके विदेशों में संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त और अधिक उदार बना दिया गए हैं।

विवरण

(1) पिछले दो वर्षों के दौरान विदेशों में संयुक्त उद्यमों और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेशों का ब्यौरा:

(राशि मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	अनुमोदन की सं.	इक्विटी और गारंटी ऋण		किए गए वास्तविक निवेश
1996-97	212	284.15	183.35	214.47
1997-98	164	462.00	137.03	120.76

(2) पिछले दो वर्षों के दौरान सिविल निर्माण और टर्नकी परियोजना निर्यातों के बारे में प्राप्त ठेकों के मूल्य और परामर्शी सेवाओं (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सहित) के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	सिविल निर्माण परियोजना	टर्नकी परियोजनाएं
1996-97	338	861
1997-98	431	1240

सरकारी उपक्रम

1481. श्री रंजीब बिस्वाल: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत कितने सरकारी उपक्रम हैं;

(ख) इन सरकारी उपक्रमों को उनके संयंत्रों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी बिजली की आवश्यकता पड़ी;

(ग) तत्संबंधी पृथक ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन सरकारी उपक्रमों के अपने रक्षित विद्युत संयंत्र हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन विद्युत संयंत्रों की क्षमता कितनी है; और

(च) तत्संबंधी पृथक ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) इस्पात और खान मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या निम्नानुसार है-

इस्पात विभाग	:	10 (एम.एस.टी.सी. की सहायक कंपनी एफ.एस.एन.एल. को छोड़कर)
खान विभाग	:	6

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय एल्युमिनियम कम्पनी (नैलको)

1482. श्रीमती जयन्ती पटनायक: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय एल्युमिनियम कम्पनी अपने विस्तार कार्यक्रम संबंधी कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो नैलको द्वारा तैयार की गई विस्तार योजना का ब्यौरा क्या है जिसे नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ग) इस विस्तार के लिए क्या वित्तीय प्रावधान किया गया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) जी, हाँ।

(ख) नालको इस समय दो विस्तार परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। 1664.60 करोड़ रुपये (जून, 1996 के मूल्य स्तर पर) की लागत से बाक्साइट खान और एल्यूमिना शोधनशाला की क्षमता के विस्तार संबंधी परियोजना को सरकार के अनुमोदन की तारीख अर्थात 18.12.1996 से 51 महीनों में क्रियान्वित किया जाना है। 2062 करोड़ रु. (जून, 1997 के मूल्य स्तर पर) की लागत से एल्यूमिनियम प्रगालक और कैप्टिव विद्युत संयंत्र की क्षमता के विस्तार संबंधी परियोजना को सरकार के अनुमोदन की

तारीख अर्थात 3.2.1998 से 51 महीने में क्रियान्वित किया जाना है। इस समय दोनों परियोजनाओं के कार्य की प्रगति निर्धारित समय के अनुरूप चल रही है। बाक्साइट खान तथा एल्यूमिना शोधनशाला का विस्तार कार्य निर्धारित समय के अनुसार 9वीं योजनावधि के अंदर पूरा हो जाएगा तथा एल्यूमिनियम प्रगालक और कैप्टिव विद्युत संयंत्र के विस्तार संबंधी परियोजना का कार्य 9वीं योजना के पश्चात् 2 महीने तक चलेगा।

(ग) कम्पनी ने कुल प्रावधानों का 60%-70% आंतरिक संसाधनों से तथा शेष बाह्य संसाधनों से पूरा किये जाने की योजना बनाई है।

सामान्य से अधिक आकार का तथा पत्थर मिश्रित कोयला

1483. श्री डी.एस. अहिरे:
श्री माधवराव पाटील:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड कोल इंडिया लि. द्वारा सामान्य से अधिक आकार तथा पत्थर मिश्रित कोयले की आपूर्ति किए जाने के कारण अपनी क्षमता के अनुरूप विद्युत का उत्पादन नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) जी, नहीं। तापीय विद्युत गृहों को कोयले की मात्रात्मक और गुणवत्तात्मक आपूर्ति में पर्याप्त सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप एम.एस.ई.बी. के विद्युत गृहों द्वारा उत्पादित विद्युत में वृद्धि हुई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सूचना के अनुसार एम.एस.ई.बी. के विद्युत गृहों द्वारा अप्रैल, 1998 से जनवरी, 1999 तक के दौरान उत्पादित विद्युत 28906 मिलियन यूनिट थी, जोकि पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान उत्पादित 26754 मिलियन यूनिट का 108% है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) भागों के दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सीमेंट संयंत्र

1484. श्री रामानन्द सिंह: क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रीवा, मध्य प्रदेश में सतना सीमेंट वर्क्स, सतना मेहर सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट, मनकहरी और जे.पी. सीमेंट द्वारा सीमेंट का कितना उत्पादन किया गया;

(ख) क्या सरकार द्वारा धूल प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जारी किये गये दिशा-निर्देशों का उपर्युक्त संयंत्र द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन संयंत्रों के श्रमिकों के अलावा अनेक लोग इन संयंत्रों से धूल हटाने के कारण क्षयरोग, दमा और अन्य रोगों के शिकार हो रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) सीमेंट विनिर्माता संघ द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान सतना सीमेंट वर्क्स, मेहर सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट तथा जेपी रीवा सीमेंट प्रत्येक के उत्पादन संबंधी आंकड़े इस प्रकार हैं:

(हजार टन में)

	1995-96	1996-97	1997-98
सतना सीमेंट	760	752	851
मेहर सीमेंट	955	1505	1834
प्रिज्म सीमेंट	-	-	602
जे.पी. रीवा सीमेंट	2319	2154	1916

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सूचना अनुसार ये संयंत्र पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत यथा निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों को सामान्यतौर पर पूरा कर रहे हैं।

(घ) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण ब्रोर्ड को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

निर्यात पर आर्थिक प्रतिबंधों का प्रभाव

1485. श्री टी. गोविन्दन: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत पर लगाये गये आर्थिक प्रतिबंधों के कारण निर्यात के कौन से क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं; और

(ख) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) संरक्षणवादी आर्थिक उपायों के एक भाग के रूप में यू.एस.ए. द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों से जो भारतीय उद्यमी प्रभावित हुए हैं, वे यू.एस.ए. को कोई निर्यात नहीं करते हैं और इसलिए हमारे निर्यात पर कोई उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना

1486. श्री सत्यपाल जैन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चंडीगढ़ में आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों ने अपनी परिसम्पत्तियां घोषित कीं;

(ख) सरकार को चंडीगढ़ में आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना के अंतर्गत कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और

(ग) चंडीगढ़ को इसमें से कितना हिस्सा दिया गया?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना के अधीन चंडीगढ़ में जिन व्यक्तियों ने अपनी परिसंपत्तियों की घोषणा की थी, उनकी संख्या एक हजार नौ सौ पैंतालीस है।

(ख) स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना के अधीन सरकार द्वारा चंडीगढ़ में प्राप्त राजस्व की राशि 41.33 करोड़ रुपए है।

(ग) संघ शासित क्षेत्र, केन्द्र तथा राज्यों के बीच राजस्व साझेदारी फार्मूला का हिस्सा नहीं होते हैं, तथा इसलिए चंडीगढ़ स्वैच्छिक आय प्रकटन योजना के अंतर्गत वसूली गई राशि के किसी भी हिस्से के लिए पात्र नहीं है।

करारोपण का अधिकार

1487. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सेवाओं पर कराधान के अधिकार के संबंध में राज्यों को अनुमति दिये जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं अथवा विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (ग) सरकार को सेवाओं पर कर लगाने के अधिकार के संबंध में राज्यों को अनुमति देने के लिए तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सेवाओं पर कराधान के अधिकार के संबंध में राज्यों को अनुमति देने हेतु इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पूर्वी क्षेत्र की लघु उद्योग इकाइयां

1488. श्री अजय मुखोपाध्याय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूर्वी क्षेत्र की लघु उद्योग इकाइयों से प्राप्त ऋण अनुरोध संबंधी आवेदनों की अधिकतम संख्या होने के बावजूद ऋण का संवितरण अत्यधिक कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वी क्षेत्र में लघु उद्योग इकाइयों के रुग्ण होने क एक मुख्य कारण इस क्षेत्र के प्रति सरकारी क्षेत्र के बैंकों क भेदभाव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि लघु क्षेत्र के एककों से प्राप्त तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं रखे जाते हैं। जून, 1997 (नवीनतम उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पूर्वी क्षेत्र में संवितरित राशि 674.59 करोड़ रुपए है, जिसमें खातों की संख्या 188824 है, जबकि जून 1996 की स्थिति के अनुसार यह राशि 524.04 करोड़ रु. थी और खातों की संख्या 199390 थी।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि पूर्वी क्षेत्र सहित किसी भी क्षेत्र के लिए ऋण नियोजन में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। भारतीय रिजर्व बैंक को इस संबंध में न तो अलग-अलग व्यक्तियों से और न ही संस्थाओं से सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भेदभाव किए जाने के बारे में कोई विशेष शिकायत मिली है। इसके अलावा, किसी क्षेत्र विशेष में ऋण नियोजन कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें उस क्षेत्र विशेष में ऋण खपत की क्षमता का स्तर, सड़क एवं परिवहन सहित आधारभूत सुविधा का नियोजन और साथ ही उस क्षेत्र ऋण योग्य प्रस्तावों का प्रवाह शामिल है।

बजट भाषण में वर्णित योजनाएं

1489. श्री वैको: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बजट में सरकार द्वारा राज्य एवं अधित्याग जैसी कई आकर्षक योजनाएं उन लोगों को सम्पत्ति एवं आय की घोषणा के लिए मनाने हेतु लागू की हैं जिन्होंने गैर-कानूनी धन इकट्ठा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो घोषित योजनाओं का ब्यौरा क्या है एवं इसमें से कितनी योजनाएं लागू की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने सम्मान योजना के अधीन ईमानदार करदाताओं के लिए रेल और हवाई आरक्षण में वरीयता, टेलीफोन कनेक्शनों तथा विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश में वरीयता जैसी कुछ सुविधाओं की भी घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सम्मान योजना के प्रतिपादन के लिए गठित समिति ऐसे भौतिक लाभों को प्रदान करने के पक्ष में नहीं थी क्योंकि इसे व्यावहारिक रूप से उपयुक्त नहीं पाया गया था। सरकार ने समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

आम का निर्यात

1490. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कौन-कौन से आम उत्पादक राज्य है;

(ख) क्या आम महाराष्ट्र से निर्यात किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए आम बोर्ड गठित करने का है।

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) देश में आम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य/क्षेत्र ये हैं: उत्तर प्रदेश में लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, बुलंदशहर, अल्मोड़ा, नैनीताल और देहरादून; हरियाणा में करनाल, कुरुक्षेत्र, मध्य प्रदेश में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, रामनंदगांव, राजगढ़, रीवा, सतना और जबलपुर, महाराष्ट्र में रत्नगिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़, गुजरात में भावनगर, सूरत, बलसाड़, जूनागढ़ मेहसाना और खेड़ा, राजस्थान में उदयपुर, आंध्र प्रदेश में चित्तौड़, कृष्णा, गोदावरी, खम्माम और विजयनगर, उड़ीसा में धनकनाल, गंजाम, कोरापुट तथा पुरी, केरल में कालीकट, कन्नानौर, कर्नाटक में कोलार, बंगलौर, तुमकुर तथा

कोडांग तमिलनाडु का प्रमुख भाग, जम्मू व कश्मीर में जम्मू, कठवा उद्यमपुर, पंजाब में गुरुदासपुर, होशियारपुर, रोपड़, बिहार, हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

(ख) और (ग) निर्यातों के संबंध में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य से अधिक मात्रा में निर्यात किये जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) आमों के विकास तथा उत्पादन के लिए सहायता देने का कार्य कृषि मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बागान बोर्ड द्वारा किया जाता है और आमों के निर्यातों के संवर्धन से संबंधित क्रियाकलाप वाणिज्य मंत्रालय के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपीडा द्वारा किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए अलग से आम बोर्ड गठित करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई है।

[अनुवाद]

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

1491. श्री गिरिधर गमांग: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक उड़ीसा के दामनजोड़ी तथा अंगुल स्थित एल्युमिनिया—एल्युमिनियम परिसर के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु नगद धनराशि अथवा अन्य रूप में योजनावार कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ख) इन दो संयंत्रों में विस्थापित व्यक्तियों को काम देने हेतु इन्हें रोजगार के क्या अवसर तथा प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के सर्वांगीण विकास हेतु अब तक शुरू की गई योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने 1986 तक दामनजोड़ी में भूमि अधिग्रहण के लिए 2.60 करोड़ रु. तथा अंगुल में भूमि अधिग्रहण के लिए 7.85 करोड़ रु. का नकद मुआवजा दिया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, नालको द्वारा कोई भूमि अधिगृहीत नहीं की गई है इसलिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया है. दामनजोड़ी में 596 विस्थापित परिवारों में से 522 परिवारों को पक्के मकानों, सड़कों, जल आपूर्ति, बिजली आदि से परिपूर्ण, विशेषतौर पर निर्मित कालोनी में पुनर्वासित किया गया है जिस पर 2.2 करोड़ रु. खर्च हुए हैं।

(ख) अंगुल में सभी 34 विस्थापित व्यक्तियों को नालको मे रोजगार दिया गया है। दामनजोड़ी में 596 विस्थापित व्यक्तियों मे से 482 को नालको में रोजगार दिया गया है। नालको द्वारा दामनजोड़ी में विस्थापितों को रोजगार-पूर्व प्रशिक्षण दिया गया है।

(ग) नालको ने दामनजोड़ी की खानों तथा शोधनशाला परिसर के आस-पास के क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 1994-95 से 1998-99 (दिसम्बर, 1998 तक) के दौरान 87.95 लाख रु. खर्च किए हैं। शुरू की गई योजनाओं तथा कार्यक्रमों में सड़कों का निर्माण, कूपों, तालाबों का निर्माण, सामुदायिक केन्द्रों की मरम्मत, शिक्षण कक्ष का निर्माण, जल-आपूर्ति में सुधार, बाजार का विकास बस स्टैंड का विकास आदि शामिल हैं।

नालको ने अंगुल के प्रगालक संयंत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, 1994-95 से 1998-99 (दिसम्बर, 1998 के दौरान) 427.55 लाख रु. खर्च किये हैं। शुरू की गई योजनाओं तथा कार्यक्रमों में सड़कों की मरम्मत, विद्यालय भवन का निर्माण/मरम्मत, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, विद्यालयों को वित्तीय सहायता, बच्चों के लिए पार्क का विकास, उद्यान कार्य, पशु स्वास्थ्य शिविर, परिवार नियोजन शिविर आदि शामिल हैं।

नालको ने अंगुल स्थित गृहीत विद्युत संयंत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 1994-95 से 1998-99 (दिसम्बर, 1998 तक) के दौरान 10.95 लाख रु. खर्च किये हैं। शुरू की गई योजनाओं तथा कार्यक्रमों में पेय जल, विद्यालयों की मरम्मत, नलकूप लगाना, स्वास्थ्य शिविर आदि शामिल हैं।

प्रधान मंत्री सचिवालय में कर्मचारी

1492. श्री सुशील चंद्र वर्मा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कार्यालय में श्रेणी-वार कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है;

(ख) क्या 1998-99 के दौरान अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी श्रेणी और वेतनमान क्या हैं;

(घ) क्या प्रशासनिक व्यय को कम करने के बारे में बार-बार निदेश दिये जाते हैं;

(ङ) क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में इस संबंध में कोई मानक निर्धारित किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो गत 12 माह के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में कितना व्यय किया गया है और इस वर्ष में कितना व्यय किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) प्रधान मंत्री कार्यालय में नियमित स्थापना में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों और प्रधानमंत्री के वैयक्तिक स्टाफ की कुल संख्या संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) और (ग) कर्मचारी निरीक्षण एकक के अध्ययन के बाद वित्त मंत्रालय की संस्तुति पर वर्ष 1998-99 के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय के नियमित स्थापना में तीन अतिरिक्त पदों, एक अनुभाग अधिकारी (6500-10500 रु.) एक सहायक (5500-9000 रु.) और एक उच्च श्रेणी लिपिक (4000-6000 रु.) के प्रत्येक ग्रेड में नियुक्तियों की स्वीकृति दी गई है।

(घ) और (ङ) प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर प्रशासनिक व्यय कम किये जाने संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करता है।

(च) (1) पिछले बारह महीनों (मार्च, 98 से फरवरी, 99 तक) में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा किया गया कुल व्यय 8.37 करोड़ रुपए।

(2) इस साल के अर्थात् मार्च, 1999 तक का संभावित व्यय 9.68 करोड़ रुपए।

(3) अगले वित्त वर्ष का संभावित व्यय 9.11 करोड़ रुपए।

विवरण I

प्रधान मंत्री कार्यालय में नियमित स्थापना में आज की तारीख तक कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव	30,000 रु. (नियत)	1
2.	प्रधानमंत्री के सचिव	28,000 रु. (नियत)	1
3.	संयुक्त सचिव	18400-500-22400 रु.	7
4.	निदेशक	14300-400-18300 रु.	6
5.	उप सचिव	12000-18500 रु.	1
6.	अवर सचिव	10000-325-15200 रु.	1

1	2	3	4
7.	उप निदेशक (राजभाषा)	10000-325-15200 रु.	1
8.	प्रधान सचिव के प्र.नि. सचिव	10000-325-15200 रु.	1
9.	डेस्क अधिकारी	6500-200-10500 रु.	1
10.	अनुभाग अधिकारी	6500-200-10500 रु.	13
11.	निजी सचिव	6500-200-10500 रु.	18
12.	अनुसंधान सहायक	5500-175-9000 रु.	1
13.	हिन्दी अनुवादक	5500-175-9000 रु.	1
14.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	5000-150-8000 रु.	3
15.	सहायक	5500-175-9000 रु.	42
16.	केयर टेकर	4500-125-7000 रु.	1
17.	कम्प्यूटर प्रचालक	5500-175-9000 रु.	1
18.	वैयक्तिक सहायक	5500-175-9000 रु.	45
19.	लेखाकार	4500-125-7000 रु.	1
20.	पुस्तकाध्यक्ष	4500-125-7000 रु.	1
21.	आशुलिपिक	4000-100-7000 रु.	14
22.	उच्च श्रेणी लिपिक	4000-100-6000 रु.	50

1	2	3	4
23.	अवर श्रेणी लिपिक	3050-4590 रु.	46
24.	स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-I)	4500-125-7000 रु.	3
25.	स्टाफ कार ड्राइवर (ग्रेड-II)	4000-100-6000 रु.	3
26.	स्टाफ कार ड्राइवर (सी. ग्रेड)	3050-4500 रु.	12
27.	बढ़ई	3050-4590 रु.	1
28.	डिस्पैच राइडर	3050-4590 रु.	5
29.	पुस्तकालय परिचालक	3050-4590 रु.	1
30.	फोटोस्टेट आपरेटर	3050-4590 रु.	4
31.	वरिष्ठ गेस्टेट ऑपरेटर	3050-4590 रु.	1
32.	कनिष्ठ गेस्टेट ऑपरेटर	2650-4000 रु.	1
33.	दफ्तरी	2610-3540 रु.	14
34.	जमादार	2610-3540 रु.	12
35.	चपरासी	2550-3200 रु.	73
36.	फराश	2550-3200 रु.	4
37.	सफाईवाला	2550-3200 रु.	6
38.	हेल्पर	2550-3200 रु.	4

राजपत्रित अधिकारी-51 अराजपत्रित अधिकारी 350 = 401

विवरण II

आज की तारीख तक प्रधानमंत्री के निजी स्टाफ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	विशेष कार्य अधिकारी	?2400-24500 रु.	1
2.	प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव	14300-18300 रु.	1
3.	निदेशक	14300-18300 रु.	1
4.	प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव	12000-16500 रु.	1
5.	प्रधानमंत्री के अपर निजी सचिव	10000-15200 रु.	1
6.	संसद अधिकारी	10000-15200 रु.	1
7.	अनुसंधान अधिकारी	10000-15200 रु.	1
8.	प्रधान निजी सचिव	10000-15200 रु.	1
9.	संदर्भ अधिकारी	8000-13500 रु.	1
10.	प्रधानमंत्री के सहायक निजी सचिव	6500-10500 रु.	2
11.	अनुभाग अधिकारी (कार्मिक)	6500-10500 रु.	1
12.	प्रधानमंत्री के प्रथम वै.स. के नि. सचिव	8500-10500 रु.	1

1	2	3	4
13.	निजी सचिव	8500-10500 रु.	2
14.	दौरा अधिकारी/पर्यटन अधिकारी	6500-10500 रु.	1
15.	पुस्तकालय-प्रभारी-अधिकारी	8500-10500 रु.	1
16.	वैयक्तिक सहायक	5500-9000 रु.	8
17.	आशुलिपिक ग्रेड "घ"	4000-6000 रु.	5
18.	उच्च श्रेणी लिपिक	4000-8000 रु.	3
19.	स्टाफ कार ड्राइवर	3050-4590 रु.	2
20.	परिचारक	3050-4590 रु.	1
21.	दफ्तरी	2810-3540 रु.	1
22.	जमादार	2650-4000 रु.	4
23.	चपरासी	2550-3200 रु.	17

राजपत्रित अधिकारी-17 अराजपत्रित अधिकारी 41 = 58

इन्सट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, पालघाट

1493. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों से पालघाट (केरल) स्थित इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड मुनाफा अर्जित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस इकाई के विकास हेतु कोई अनुशंसा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) और (ख) इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि. का कोटा, जयपुर और पालघाट स्थित सभी इकाइयों का संयुक्त लेखा है। तथापि, कम्पनी की केरल में पालघाट इकाई लाभ अर्जित करने वाले केन्द्र के रूप में गत तीन वर्षों से निम्नानुसार लाभ अर्जित करती रही है:

वर्ष	करोड़ रुपये में
1995-96	0.28
1996-97	2.18
1997-98	6.78

(ग) और (घ) केरल सरकार ने पालघाट इकाई के अवमनक व परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों में अपने शेयर का मामला उठाया था। सरकार/बीआईएफआर ने एक ट्रनअराउन्ड प्लान को अनुमोदित कर दिया है जिसमें पालघाट इकाई को आई एल की एक सहायिका के रूप में एक नई कम्पनी में परिवर्तित करना है और जो पालघाट ईकाई के संचलनों से संबंधित हैं, उन्हें छोड़कर सकल देनदारियाँ नई कम्पनी को नहीं दी जाएगी।

[हिन्दी]

खनन क्षेत्रों के नजदीक रह रहे स्थानीय लोगों को सुविधाएं

1494. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मुख्य खनिजों के खनन क्षेत्रों के नजदीक रहने वाले स्थानीय लोगों को पट्टे पर अधिगृहीत की गई भूमि पर खान मालिकों द्वारा स्थापित स्कूलों और अस्पतालों में उन खानों के कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियम और विनियमों में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) खनिज अधिनियम, 1952, जो श्रम मंत्रालय और उस मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशालय के क्षेत्राधिकार में आता है, के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत खानों में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्कूल, अस्पताल, रहने का आवास, शिशु सदन आदि जैसी कल्याण सुख-सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

खान विभाग का स्थानीय लोगों को स्कूल, अस्पताल, आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने हेतु नियमों और विनियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

डीजल वाहन

1495. श्रीमती रमा देवी: क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीजल को परिवहन तथा जनरेटरों में अधिक प्रदूषण फैलाने के कारण समर्थन नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या इसके बावजूद भी देश में कई नये डीजल कार माडलों को शुरू किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का, डीजल से चलने वाले दुपहिया और तिपहिया वाहनों को भी चलाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ङ) जी, नहीं। यद्यपि डीजल से उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में प्रदूषण फैल सकता है, फिर भी वैकल्पिक लागत-प्रभावी ईंधन उपलब्ध होने तक,

डीजल का प्रयोग जारी रखना होगा। तथापि, वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए विनिर्माता के स्तर पर उत्तरोत्तर उत्सर्जन मानदण्ड अधिसूचित किए गए हैं, सीसा-रहित पैट्रोल, कम सल्फर के डीजल और सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) जैसे साफ ईंधन भी धीरे-धीरे शुरू किये जा रहे हैं। उदारीकृत परिदृश्य में डीजल कारों/दुपहियों अथवा तिपहियों के विनिर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इनके विनिर्माण संबंधी निर्णय उद्यमियों के वाणिज्यिक मत पर छोड़ दिए जाते हैं।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु नीति

1496. **श्री संदीपान थोरात: क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विकसित देशों से और अधिक मात्रा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को आकृष्ट करने हेतु नई नीतिगत पहल की है;

(ख) यदि हाँ, तो घोषित नीति परिवर्तनों/संशोधनों का ब्यौरा क्या है और इस पर विदेशी निवेशकों की क्या प्रतिक्रिया है और कितने निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए तथा इनमें से कितने प्रस्ताव विशेषकर महाराष्ट्र राज्य हेतु थे;

(ग) चालू परियोजनाओं, विशेषकर महाराष्ट्र में चालू परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वीकृति हेतु लंबित प्रमुख प्रस्तावों का महाराष्ट्र में स्थानवार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की निरंतर समीक्षा की जा रही है ताकि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे आकर्षक और निवेशकोन्मुख बनाया जा सके। सरकार ने इस दिशा में कई नीतिगत पहले की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं-(1) कोयला और लिग्नाइट (2) पेट्रोलियम (कच्चे को छोड़कर) और इसके आसवन उत्पाद (3) चीनी उद्योग, और (4) भरपूर मात्रा में (बल्क) औषधियों, को लाइसेंसमुक्त करना, उपग्रह द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कॉमुनिकेशन में 49% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देना और स्वत: मार्ग के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र, सड़कों और राजमार्गों, पत्तनों व बन्दरगाहों में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देना बशर्ते कि विदेशी इक्विटी 1500 करोड़ रुपये से अधिक न हो, तथा केन्द्रीय बिजली विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करना।

विदेशी निवेशक इन पहलों की तरफ सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। जनवरी, 1998 से दिसम्बर 1998 तक 30813.57 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदित हुआ था जिसमें से महाराष्ट्र का हिस्सा 3063.05 करोड़ रुपये था। वर्ष 1998 में सारभौमिक जमा प्राप्तियों (जीडीआर) को छोड़कर वर्ष 1997 में 12989 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 1998 में 13625 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह हुआ था।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र राज्य में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से क्रियान्वित की जा रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं ये हैं—डाभोल विद्युत परियोजना, मर्सिडोज बैंज, इल्कट्रोलक्स बोल्टास, इस्पात एनर्जी, ह्यूजेज इस्पात लि., निप्पन डेनरो इस्पात लिमिटेड, सेंट्रल इंडिया पॉवर कंपनी लिमिटेड, एस्सार शिपिंग लिमिटेड, हटशिसन मैक्स टेलिकॉम, सेंट्रल इंडिया कोपल कंपनी लिमिटेड, इंडो सभा सिंथेटिक (इंडिया) लिमिटेड, रामेश्वर वैभव ड़िवेलपमेंट प्रा.लि. इत्यादि।

महाराष्ट्र में 11701.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक अवसंरचना मिश्रित औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए एक बड़ी भारी परियोजना सरकार के विचाराधीन है।

चूना पत्थर और बाक्साइट

1497. **श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी: क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची में दर्शाए सूचीबद्ध खनिजों की सूची में से चूना-पत्थर और बाक्साइट को निकाल देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी, हाँ। चूना पत्थर और बाक्साइट को खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में से निकाल देने के प्रस्ताव पर तत्कालीन सचिव (खान) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार किया गया है गुजरात सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों के सचिव, भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ के महा-सचिव, भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक आदि इस समिति के सदस्य थे। समिति के विचारणीय विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, खनिजों के विनियमन और विकास को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और उन्हें नीतिगत परिवर्तनों के अनुकूल बनाने हेतु उपाय सुझाना तथा पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे देने/उनके नवीकरण

में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए उपाय सुझाना शामिल था। समिति को पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे देने/नवीकरण करने के संबंध में राज्य सरकारों को और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने और अवैध खनन को रोकने के लिए किये जाने वाले उपायों पर भी विचार करना था और इस संबंध में सुझाव देने थे। समिति ने अब अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिस पर, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और इसके तहत बनाए गए नियमों में संशोधन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

नामांकन सुविधाएं

1498. **श्री बी.एम. मेनसिंकाई:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अधीन कितने नियमों में गैर-सेवारत व्यक्तियों हेतु विशेष नामांकन सुविधाएं हैं; और

(ख) इस संबंध में प्रक्रिया और मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) निम्नलिखित निगम इस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे हैं:

(1) निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम (ई सी जी सी)

(2) भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन (आई टी पी ओ)

(3) राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (एन सी टी आई)

(4) भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि. (एम एम टी सी)

(5) भारतीय राज्य व्यापार निगम लि. (एस टी सी)

(6) भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लि. (पी ई सी)

(7) भारतीय मसाला व्यापार निगम लि., बंगलौर (एस टी सी एल)

वर्तमान से, ईसीजीसी, आईटीपीओ, एनसीटीआई के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी प्रतिनिधित्व है।

एम एम टी सी, एस टी सी, पी ई सी, और एस टी सी एल के बोर्डों में कोर्ड गैर-सरकारी प्रतिनिधित्व नहीं है।

2. निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संबंधित संस्था के अन्तर्नियमों में निहित उपबंधों के अनुसार क्रियाविधि में सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने का प्रावधान है.

चावल का आयात

1499. **श्री सतनाम सिंह कैंथ:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय व्यापारी पाकिस्तान और बंगलादेश से चावल का आयात कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी मात्रा में आयात किया गया है और उक्त आयात किस दर पर किया गया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) वर्तमान आयात निर्यात नीति के अनुसार साधारण व मोटे तरह का चावल और 50% से अधिक टूटा हुआ चावल मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नवम्बर, 98 तक पाकिस्तान व बंगलादेश से चावल का कोई आयात नहीं किया गया था।

जेसप एंड कंपनी लिमिटेड

1500. **श्री तपन सिकदर:** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जेसप एंड कंपनी की बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कराने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार जेसप एंड कंपनी विशेषकर रोड-रोलरों तथा क्रेनों के लिए कुछ प्रतिशत आरक्षित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के विभागों को निर्देश जारी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) से (ग) बीआईएफआर की स्वीकृत की गई पुनरुद्धार योजना 29.7.98 से कार्यान्वयनाधीन है। योजना कंपनी के निष्पादन और प्रतिस्पर्धा में बेहतरी का उल्लेख करती है। सरकार ने पुनरुद्धार योजना में परिकल्पित की गई निधियां पहले ही जारी कर दी हैं। अन्य सहायता और छूट मुहैया कराने के लिए कदम उठाये गये हैं।

(घ) से (च) जी नहीं। भारत सरकार राज्य सरकारों को ऐसे दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकती। केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से खरीदने के आदेश की प्राथमिकता पहले से ही लागू है।

जे.वी.जी. कंपनी के विरुद्ध जांच

1501. **श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. जे.वीजी. कंपनी और उसके उत्पादों के मामले की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या छोटे निवेशकों द्वारा खोयी गई राशि की वसूली हो चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शेयरों का व्यापार करना

1502. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 1999 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "एन.एस.ई. टू स्टाप ट्रेडिंग इन 59 शेयरस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) एन.एस.ई. से ट्रेडिंग इन इक्विटी शेयर वापस लेने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लि. (एन.एस.ई.) ने एक्सचेंज पर 59 कम्पनियों का लेन-देन बन्द कर दिया है।

(ख) इन कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) एन.एस.ई. पर इन कम्पनियों का लेन-देन बन्द करने के कारण हैं-"परमिटिड टू ट्रेड" श्रेणी के अन्तर्गत निरन्तर कारोबार के लिए मानदण्डों का अनुपालन न किया जाना, एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बही समाप्ति की घोषणा न करना तथा अन्य एक्सचेंजों पर मानदण्डों का अनुपालन न करना तथा बही समाप्ति/रिकार्ड तिथि के लिए अल्प सूचना देना।

विवरण

क्र.सं.	उन कंपनियों की सूची जो वर्ष 1998 के दौरान निरंतर अनुमति के लिए मानदंड पूरे नहीं करती है
1	2
1.	अल्फ्रेड हरबर्ट (इंडिया) लि.
2.	अरावली सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लि.
3.	चोखानी इंटरनेशनल लि.
4.	डेक्कन ग्रेनाइट्स लि.
5.	फास्ट कैपिटल ग्रोथ लि.
6.	जी.एस.एल. (आई.) लि.

1	2
7.	हिन्दुस्तान इंडस्ट्रियल कैमिकल्स लि.
8.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कं. लि.
9.	जे.एम. शेयर तथा स्टाक ब्रोकर्स लि.
10.	महेन्द्र पैट्रोकैमिकल्स लि.
11.	मेडि कैप्स लि.
12.	पैसिफिक इंडस्ट्रीज लि.
13.	पिट्टी फाइनेंस लि.
14.	प्रेसिमेट डायमंड्स (इंडिया) लि.
15.	रेनबो पेपर्स लि.
16.	सिरिन इंडस्ट्रीज लि.
17.	शार्यन्स रिसोर्सेज लि.
18.	सोमदत्त फाइनेंस कार्पोरेशन लि.
19.	सुदिति इंडस्ट्रीज लि.
20.	स्पिक आर्गेनिक्स लि.
21.	वैलमैन इन्कैडेस्टेट इंडिया लि.

क्र.सं.	उन कंपनियों की सूची जहाँ अन्य एक्सचेंजों द्वारा कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है तथा जिनमें एन.एस.ई. को बही समाप्ति/रिकार्ड की तिथि के लिए अल्प नोटिस दिये गये हैं।
1.	ए.ई.सी. (आई) लि.
2.	एग्रो डच फूड्स लि.
3.	आटो पाल इंडस्ट्रीज लि.
4.	डी. फार्मा लि.
5.	जी. कैपिटल ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंशियल सर्विसेज लि.
6.	इंडबैंक म्युचुअल फंड इंड रत्ना
7.	नैटवर्क लि.
8.	पाम फार्मास्यूटिकल्स (दिल्ली) लि.
9.	पनयम सीमेंट माइनिंग इंडस्ट्रीज लि.
10.	रामा फास्फेट्स लि.
11.	आर.ई.पी.एल. इंजीनियरिंग लि.
12.	श्री प्रीकोटेड स्टील्स लि.
13.	स्काईलाइन एन.ई.पी.सी. लि.

क्र.सं.	उन कम्पनियों की सूची जिन्होंने एक वर्ष से अधिक अवधि से बही समाप्ति नहीं की है।
1	2
1.	त्रिवेणी शीट ग्लासवर्क्स लि.
2.	टी एम टी (इंडिया) लि.
3.	पर्टेक कम्प्यूटर्स लि.

1	2
4.	जमना आटो इंडस्ट्रीज लि.
5.	मिल्टन प्लास्टिक्स लि.
6.	विरल फिलामेंटस लि.
7.	इंटेग्रेटेड फाइनेंस लि.
8.	मोदी ओलिवेट्टी लि.
9.	टी टी जी इंडस्ट्रीज लि.
10.	श्याम टेलिकॉम लि.
11.	श्री दिग्विजय सीमेंट्स लि.
12.	सोलरसन इंडस्ट्रीज लि.
13.	शॉपर्स इंवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लि.
14.	किरण ओवरसीज एक्सपोर्टस लि.
15.	हरियाणा पैट्रोकैमिकल्स लि.
16.	पदमिनी पोलीमर्स लि.
17.	फेमनोर मिनरल (आई) लि.
18.	ओप्टेल टैलिकम्युनिकेशंस लि.
19.	ए सी ई लैबोरेटरीज लि.
20.	बेकलाइट हाइलैम लि.
21.	पांडियन ग्रेफाइट्स (इंडिया) लि.
22.	आतश इंडस्ट्रीज लि.
23.	बीटा नैफथोल लि.
24.	प्रीसीजन फास्टनर्स लि.
25.	ईश्वर मैडिकल सर्विसेज लि.

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए निधियां

1503. श्री भीम दाहाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को नब्बे प्रतिशत अनुदान प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में सिक्किम को परियोजना-वार कितना अनुदान दिया गया?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिक्किम सरकार को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत कोई राशि जारी नहीं की गई थी। चालू वर्ष यानि 1998-99 के दौरान आज तक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत चिकित्सकीय उपस्कर, नामची की आपूर्ति हेतु सिक्किम सरकार को 1188.88 लाख रुपए (1051.79 लाख रुपए सहायता और 118.87 लाख रुपए ऋण के रूप में) जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

कर प्रणाली का सरलीकरण

1504. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर प्रणाली को सरल बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई पहल की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दनन): (क) से (घ) महोदय, कराधान प्रणाली का सरलीकरण एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें कार्यविधि की पुनरीक्षा और उसके परिणामस्वरूप मुख्यत: वित्त

अधिनियमों के माध्यम से विभिन्न कर कानूनों में संशोधन करना शामिल है। इस वर्ष भी केन्द्रीय बजट में मौजूदा मूल्यानुसार 11 प्रमुख दरों को कम करके 3 दरें अर्थात 6% की सेन्ट्रल दर, 8% की मेरिट दर और 24% की डी मेरिट दर बना कर उत्पादन शुल्क ढांचे को सरल बनाने का प्रस्ताव है। सीमा शुल्क में भी सीमाशुल्क की मूल्यानुसार 7 प्रमुख दरों को कम करके 5 बेसिक दरें अर्थात 5%, 15%, 25%, 35% और 40% करने का प्रस्ताव है। जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है आयकर अधिनियम को तर्कसंगत और सरल बनाने के लिए 1997 में गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के आधार पर पहले से ही कई कदम उठाए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक

1505. **श्रीमती गीता मुखर्जी:**
श्री एस. सुधाकर रेड्डी:
श्री वी.वी. राघवन:
श्री के. येरननायडू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को 24 दिसम्बर, 1998 को न्यायमूर्ति सेन एन. वैरवा द्वारा दिए निर्णय की जानकारी है जिसमें प्रतिभूति घोटाले की जांच के दौरान स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा बढ़ा-चढ़ा कर पेश किये गये झूठे दावों का पर्दाफाश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उन्हें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और अन्य बनाम अभिरक्षक और अन्य द्वारा दायर किए गए मुकदमें में विशेष न्यायालय के 24 दिसम्बर, 1998 के निर्णय की जानकारी हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने विशेष न्यायालय में यह मुकदमा दायर किया था क्योंकि अभिरक्षक ने अपेक्षा की थी कि बैक अधिसूचित दलाल (ब्रोकर) हितेन पी. दलाल के और उसके पास रखे शेयरों, डिबेंचरों और स्टॉकों पर अपना अधिकार साबित करे। उक्त मुकदमें में विशेष न्यायालय के पास विचारार्थ प्रश्न ये थे कि क्या, वादी को कोई घाटा हुआ था जैसाकि दावा किया गया, क्या ब्रोकर ने प्रतिभूति के रूप में शेयर दिए थे या बैंक द्वारा उन्हें जबरदस्ती ले लिया गया था और क्या उक्त शेयर, यदि प्रतिभूति के रूप में दिए गए थे, बंधक के रूप में थे और साथ ही क्या राइट्स और बोनस शेयरों, लाभांश तथा उक्त शेयरों पर ब्याज प्रत्याभूत आस्तियों का एक भाग होगा।

मुकदमें में पक्षों को सुनने के पश्चात् माननीय न्यायाधीश ने यह माना कि:

- अपनी कमियों को पूरा करने के लिए स्टेनचार्ट द्वारा हितेन पी. दलाल से प्रतिभूतियां प्राप्त करने में बल का प्रयोग नहीं किया गया था।

- उक्त प्रतिभूतियां (शेयर) घाटे से बचने के लिए स्टेंचार्ट के पक्ष में हितेन पी. दलाल द्वारा बंधक रखी गई थी।

- स्टेंचार्ट केवल 280 करोड़ रु. (दावा किए गए 1253 करोड़ रु. की तुलना में) के घाटे को साबित कर पाया है और इसलिए बंधक रखी गई ये प्रतिभूतियां उक्त हानि को पूरा करने के लिए 2 वर्षों की अवधि में स्टेंचार्ट द्वारा बेची जा सकती है।

- उपर्युक्त प्रतिभूतियों पर प्राप्त बोनस, लाभांश तथा ब्याज बंधक रखी गई प्रतिभूति के भाग नहीं है और इसलिए स्टेंचार्ट इसे अभिरक्षक के कार्यालय को वापस करे।

- 35.5 करोड़ रु. के अंकित मूल्य के कैनट्रिपल यूनिटों को अभिरक्षक के कार्यालय को सौंप दिया जाना चाहिए।

अपने निर्णय में विशेष न्यायालय ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बारे में कुछ टिप्पणियां की। इन टिप्पणियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, इस आशय की टिप्पणी भी शामिल थी कि मिथ्या रिकार्ड तैयार करके बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया। विशेष न्यायालय ने यह भी पाया कि बैंक तथा ब्रोकर दोनों ही न्यायालय से छिपाकर आपसी व्यवस्था बनाए हुए थे और कि बैंक इस व्यवस्था की बात स्वीकार नहीं कर रहा था कि क्योंकि यह भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों के विपरीत था और उसका उल्लंघन करता था और यह विवेकपूर्ण बैंकिंग प्रभावों के भी विरुद्ध था।

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक तथा हितेन पी. दलाल की ओर से दायर किए गए आवेदन पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय के परिचालन पर रोक को 24.1.99 से आगे और चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है।

पंजाब नेशनल बैंक

1506. डा. विजय सोनकर शास्त्री: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विशिष्ट रूप से पंजाब नेशनल बैंक पर अभ्यारोप लगाया है और सी.बी.आई. करोड़ों रुपये के ऋण की मंजूरी के संबंध में जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सी.बी.आई. ने मामले की जांच की है;

(ग) क्या लोगों को ऋणों की मंजूरी में अन्य सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों में ऐसे संदिग्ध तरीके अपनाए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक बैंक का एन.पी.ए. धीरे-धीरे बढ़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर आर.बी.आई. और सी.बी.आई. द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) को पंजाब नेशनल बैंक में हुई कुछ अनियमितताओं की सूचना मिली है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996, 1997, 1998 तथा 31.1.1999 तक, के दौरान सी बी आई ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋणों की मंजूरी से संबंधित दस मामले दर्ज किए हैं। चार मामलों में जांच पूरी कर ली गई है। एक मामले के बारे में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है. दो मामलों में नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है तथा एक मामले का निपटान कर दिया गया है।

(ग) और (घ) सी बी आई ने सूचित किया है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान अन्य राष्ट्रीय बैंकों/कोआपरेटिव बैंकों के विरुद्ध ऐसे 71 मामले दर्ज किए गए हैं तथा आठ मामलों में जांच का काम पूरा हो गया है। इनमें से, पांच मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर दिए गए हैं, एक मामले में नियमित विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है तथा दो मामले बन्द कर दिए गए हैं।

आर बी आई/सरकार ने बैंकों को न केवल अनुप्रयोज्य आस्तियों के रोकने के लिए कार्रवाई करने को कहा है बल्कि अनुप्रयोज्य आस्तियों की वसूली के बारे में प्रभावी उपाय करने के लिए कहा है। तदनुसार बैंकों ने ऋण नीति, ऋण वसूली नीति आदि के दस्तावेज तैयार किये हैं। इसलिए, अब प्रत्येक बैंक की अपनी एक ऋण नीति है जो ऋण स्वीकृति का तरीका, ऋण स्वीकृति के लिए मार्गदर्शन, दस्तावेज तैयार करने संवितरण के पश्चात की जाने वाली कार्रवाईयां आदि निर्धारित करती है। आर बी आई बैंकों का वार्षिक वित्तीय निरीक्षण भी करता है। निरीक्षण अधिकारी बैंकों में स्वीकृति के बाद पर्यवेक्षण प्रणाली की पर्याप्तता, स्वीकृति शर्तों का अनुपालन, वसूली नीति की पर्याप्तता, बैंक द्वारा अपनाए गए वसूली उपायों की प्रभावकारिता, निर्धारित लक्षण के मुकाबले अनुप्रयोज्य अग्रिमों की वास्तविक वसूली आदि पर विचार करते हैं। महसूस की गई कमियां बैंक के ध्यान में लायी जाती है ताकि उन पर सुधारात्मक कार्रवाई शीघ्र की जा सके।

कोयले को हाइड्रोजन से बदलना

1507. श्री बीर सिंह महतो: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23.1.1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "वर्क आन टू कन्वर्ट कोल इन्टू हाइड्रोजन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि कई मार्गों से कोयले के हाइड्रोजन के उत्पादन की संभावना को काफी समय से एक भिन्न प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है। इस संदर्भ में सी.एफ.आर.आई. द्वारा कुछ क्षेत्रों, नामत: विभिन्न पैमानों तक गैसीकरण और कैटेलाइटिक डीहाइड्रोजेनेशन के माध्यम से अन्वेषण संबंधी अध्ययन किए गए हैं। तथापि वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद्

1508. श्री विलास मुत्तेमवार:
डा. टी. सुब्बासामी रेड्डी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री सलाहकार परिषद ने कहा है कि कठोर मानदंडों के कारण पूंजी बाजार में मंदी का दौर आ गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) व्यापार और उद्योग से संबंधित प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद् के पूंजी बाजार और वित्तीय क्षेत्र के उपायों संबंधी विषय समूह ने पूंजी बाजार के विभिन्न खण्डों के विकास और विनियमन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की थी। उक्त समूह की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, पूंजी बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त उपाय किये जा रहे हैं।

कपास के निर्यात पर प्रतिबंध

1509. **श्री के. येरननायडू:**
श्री के. पैरी मोहन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है तथा राज्य में धागे की कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ग) जी हां, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वस्त्र मंत्री को तमिलनाडु में वस्त्र उद्योग द्वारा सामना किये जा रहे संकट के कारण अपरिष्कृत कपास के निर्यात की अनुमति न देने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को सूचित किया गया था कि सरकार की दीर्घावधि निर्यात नीति के अंतर्गत, "कपास कीमतों का स्थिरीकरण", "कपास उपजकर्त्ताओं को लाभप्रद कीमतें सुनिश्चित करने" तथा "अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कपास के स्थायी आपूर्तिकर्त्ता के रूप में भारत की उपस्थिति को कायम रखने" के विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपरिष्कृत कपास के निर्यात की अनुमति दी जाती है। कपास सलाहकार बोर्ड ने 158 लाख गांठ (2 लाख गांठ के अनुमानित निर्यात सहित) तक की कुल मांग की तुलना में चालू कपास वर्ष 1998-99 के दौरान 198.00 लाख गांठ (6.50 लाख गांठ के अग्रेषित भंडार तथा अनुमानित आयात सहित) की कपास की कुल आपूर्ति का अनुमान किया है। जिससे अपरिष्कृत कपास की 40 लाख गांठ का सुखद अंतिम भंडार रहा। इसके अतिरिक्त, अपरिष्कृत कपास के आयात को आवश्यकता पड़ने पर मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए 5% शुल्क के साथ मुक्त सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में, कताई मिलों की स्थापना के लिए, स्थानीयता को छोड़कर, कोई प्रतिबंध नहीं है। साथ ही, सरकार के पास हथकरघा क्षेत्र को छोड़कर किसी खास राज्य/उद्योग को यार्न की आपूर्ति के लिए कोई योजना नहीं है।

कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को ऋण

1510. **श्री डी.एस. अहिरे:**
श्री अभयसिंह एस. भोंसले:
श्री एम. राजैया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बीच ऋण अनुपात का अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस अन्तर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विकास कार्यों पर व्यय

1511. **डा. सुशील इन्दौरा:**
डा. चिन्ता मोहन:
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक अध्ययन के अनुसार विकास कार्यों पर व्यय होने वाली राशि का 70 प्रतिशत प्रशासनिक मशीनरी के रख-रखाव पर खर्च हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रशासनिक व्यय दुगुना हो गया है; और

(घ) यदि नहीं तो वर्ष 1992-93 और वर्ष 1997-98 में कितना प्रशासनिक व्यय हुआ और चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत कितनी राशि व्यय की गई?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) विकास कार्यों पर होने वाला व्यय सामान्यतया योजना खर्च के एक भाग के रूप में ही किया जाता है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, योजना खर्च, विभिन्न मंत्रालयों के उनके विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों और योजनाओं जैसे कृषि तथा संबंधित गतिविधियों, ग्रामीण विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, आधारभूत संरचना, सामाजिक सेवाओं इत्यादि के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय योजना के तहत बजटीय आबंटन से समाविष्ट होता है। इसके अलावा राज्यों और संघ-क्षेत्र की योजनाओं के लिए भी केन्द्रीय सहायता के रूप में निधियों का अन्तरण किया जाता है। चूंकि योजना खर्च का प्रावधान मुख्यतया राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, स्वायत्तशासी निकायों और जिला स्तरीय क्रियान्वयन समितियों में शामिल होता है अत: प्रशासनिक या अन्य मदों के व्यय को पृथक्कृत कर पाना असंभव है। 1998-99 के बजट में योजना खर्च के आकलन के आधार पर, खर्च का लगभग 39% पूंजीगत मदों में और शेष को राजस्व मदों में आबंटित किया गया है। व्यय की राजस्व मदें कुल योजना व्यय का सारभूत भाग है। राजस्व व्यय के अधिकांश में राज्यों, जिला स्तरीय एजेंसियों आदि के अनुदान शामिल है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय बजट में वेतन, यात्रा और अन्य भत्तों पर व्यय के प्रावधान का विस्तृत विवरण केन्द्रीय सरकार के संबंधित साल के व्यय बजट के खण्ड-1 में सहज उपलब्ध है।

[अनुवाद]

सुपर 301

1512. श्री वी.वी. राघवन: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के एक भाग के रूप में सुपर 301 को बहाल करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 26 जनवरी, 1999 को संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यू एस टी आर) ने एक अधिशासी आदेश के द्वारा सुपर 301 को बहाल करने के राष्ट्रपति के निर्णय की घोषणा की। बहाल किये गये सुपर 301 के अनुसार यू एस टी आर यू एस कांग्रेस को राष्ट्रीय व्यापार अनुमान रिपोर्ट 31 मार्च, 1999 को प्रस्तुत करेगा और वरीय विदेश व्यापार क्रियाकलाप संबंधी रिपोर्ट 30 अप्रैल, 1999 तक यू एस कांग्रेस को प्रस्तुत करेगा। जिन देशों को "वरीय विदेशी देश" के रूप में अभिज्ञात किया गया है, केवल उनके मामले में ही संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि जांच शुरू करने के लिए बाध्य है। इसके पश्चात संबद्ध विदेशी सरकारों से संपर्क करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर अमरीकी सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। इसलिए, अमरीकी सरकार द्वारा बहाली की इस कार्रवाई का भारत के व्यापार पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं है।

[हिन्दी]

"सेल" की इकाइयों द्वारा लाभार्जन/हानि

1513. डा. चिन्ता मोहन:
डा. सुशील इन्दौरा:

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के द्वारा ऐसी इकाइयों की पहचान की गई है जो लगातार हानि उठा रही है या लाभार्जन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों श्रेणियों के अंतर्गत अलग-अलग ऐसी इकाइयों के नाम क्या हैं;

(ग) मार्च, 1998 के अंत तक दोनों श्रेणियों की इकाइयों में कितनी पूंजी का निवेश किया गया; और

(घ) मार्च, 1998 के अंत तक इन दोनों श्रेणियों की इकाइयों में हुए लाभ और हानि की धनराशि पृथक-पृथक कितनी है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क), (ख) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की इकाइयों को हुआ लाभ और

हानि नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये)

	लाभ/हानि (–)		
	1997–98	1996–97	1995–96
निरन्तर लाभ अर्जित करने वाली इकाइयां			
भिलाई इस्पात संयंत्र	701	684	819
बोकारो इस्पात संयंत्र*	367	357	806
घाटे में चल रही इकाइयां			
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	–509	–236	–174
राउरकेला इस्पात संयंत्र	–374	–316	–57
मिश्र इस्पात संयंत्र**	–88	–67	1
सेलम इस्पात संयंत्र**	–120	–38	4

* बोकारो इस्पात संयंत्र को अप्रैल-दिसम्बर, 1998 के दौरान हानि हुई।

** वर्ष 1995-96 में मिश्र इस्पात संयंत्र और सेलम इस्पात संयंत्र ने लाभ अर्जित किया।

(ग) 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार सेल की घाटे में चल रही इकाइयों, साथ ही सात लाभ अर्जित करने वाली इकाइयों में किया गया निवेश (संपत्तियों के मूल्य ह्रासित मूल्य+चल रहे प्रमुख कार्यों की दृष्टि से) निम्नानुसार है:

31.03.1998 की स्थिति के अनुसार निवेश (करोड़ रुपये)

लाभ अर्जित करने वाली इकाइयों में निवेश		घाटे में चल रही इकाइयों में निवेश	
भिलाई इस्पात संयंत्र	2695	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	5827
बोकारो इस्पात संयंत्र	4278	राउरकेला इस्पात संयंत्र	5528
		मिश्र इस्पात संयंत्र	182
		सेलम इस्पात संयंत्र	944

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत दी गई ऋणराशि का अन्यत्र प्रयोग में लाया जाना

1514. **श्री दादा बाबूराव परांजपे:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि जबलपुर, मध्य प्रदेश में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत दी गई निधियों का कुछ अन्य योजनाओं में लगाने के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस योजना की निधियों के उपयुक्त प्रयोग हेतु कोई कार्रवाई करने का विचार है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का एक प्रमुख भाग (लगभग 80% से 87.5%) बैंकों से ऋण के रूप में आता है। भारत सरकार अलग-अलग लाभ-भोगियों को अधिकतम 7,500 रु. की शर्त पर परियोजना लागत का 15% की दर से राजसहायता उपलब्ध कराती है। राजसहायता भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत की जाती है जिसे अलग-अलग लाभभोगियों के खाते में समायोजित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशिक्षण तथा आकस्मिकता आदि के लिए निधियों के रूप में केन्द्रीय सहायता रिलीज की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों का अन्तरण राजसहायता, प्रशिक्षण तथा आकस्मिकता आदि के प्रयोजनार्थ नहीं किया गया है।

तथापि, बैंकों तथा मध्य प्रदेश सरकार के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किये गये संयुक्त रूप में निरीक्षणों के परिणामस्वरूप ऋणों के दुरुपयोग किये जाने संबंधी कुछ मामले पकड़े गये हैं, उक्त मामलों को बैंक की शाखाओं को उपयुक्त कार्रवाई किए जाने हेतु सिफारिश की गई है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों से कानून लागू करने का अनुरोध किया गया है ताकि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बैंक को देय राशि को भूमि राजस्व के बराबर लाया जा सके। राज्य सरकारों को इस योजना के अंतर्गत ऋण वसूली में सुधार करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने की भी सलाह दी गई है।

आन्तरिक व्यापार हेतु नया मंत्रालय

1515. **श्री मोहन रावले:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े व्यापारिक संगठनों ने केन्द्र और राज्यों के बीच आन्तरिक व्यापार हेतु नया मंत्रालय बनाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) जी, हां। मर्चेन्ट चैम्बर्स ऑफ कामर्स, कलकत्ता तथा एसोसिएटिड चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में एक आन्तरिक व्यापार मंत्रालय का सुझाव दिया है। यह महसूस किया गया है कि इंटरनल ट्रेड से संबंधित विभिन्न मामले संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रभावी रूप से निपटाए जा रहे हैं तथा इंटरनल ट्रेड मंत्रालय का सृजन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कपड़ा मिलों में वेतन न दिया जाना

1516. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूरत (गुजरात) में विभिन्न कपड़ा मिलों में अनुमानतः कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में मिल-वार अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मिलों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से आए श्रमिकों को नियमित रूप से उनका वेतन नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नए उद्योगों की स्थापना

1517. श्री प्रदीप कुमार यादव: क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार वर्ष 1999-2000 के दौरान नए उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह उद्योग कहां-कहां स्थापित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) प्रत्येक उद्योग पर कुल कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादक

1518. श्री अजय कुमार एस. सरनायक: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिगरेट उद्योग के प्रतिनिधियों ने कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादकों से तम्बाकू की खरीद चालू बाजार दरों के मुकाबले अधिक कीमतों पर खरीदने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यातकों और व्यापारियों ने भी उक्त किसानों के पास ढेर लगे तम्बाकू के भंडारों को खरीदने के लिए इसी तरह का आश्वासन दिया है क्योंकि ये किसान तम्बाकू की कीमतों में भारी गिरावट और मांग की कमी की शिकायत करते रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन किसानों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जो निम्न कोटि की तम्बाकू की बिक्री न होने के कारण काफी हतोत्साहित हो रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (घ) एफ सी वी तम्बाकू के विनिर्माता, निर्यातक और व्यापारी 16.50 रु. प्रति कि.ग्रा. से लेकर 55 रु. प्रति कि.ग्रा. की औसत कीमत पर कर्नाटक के सभी श्रेणियों के प्राधिकृत एफ सी वी तम्बाकू की लगभग 26 मिलियन कि.ग्रा. की शेष मात्रा की खरीद के लिए सहमत हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, ऋण पुनर्भुगतान प्रणाली के तहत रूस को बड़ी मात्रा में निम्न ग्रेड के तम्बाकू का निर्यात सुनिश्चित करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं जिससे देश में निम्न ग्रेड के तम्बाकू के बेशी स्टॉक को समाप्त करने में सहायता मिलेगी।

पूर्वोत्तर हस्तशिल्प विकास निगम (एन.ई.एच.डी.सी.) को वित्तीय सहायता

1519. श्री नृपेन गोस्वामी:
श्री रामेश्वर पाटीदार:
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर हस्तशिल्प विकास निगम (एन.ई.एच.डी.सी.) ने बेंत एवं बांस तथा लकड़ी की वस्तुओं के निर्माण हेतु योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई है।

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ग) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम (एन.ई.एच.एच.डी.सी.), शिलांग ने बेंत एवं बांस उत्पादों की खरीद करने/उन्हें संसाधित करने एवं परिष्कृत करने के लिए 1997-98 में सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव भेजा है ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। निगम को 32.00 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है और उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब तक 15.00 लाख रुपये दिये जा चुके हैं। शेष धनराशि कार्य की प्रगति और परीक्षित लेखा विवरण मिलने पर दी जाएगी।

ऋण जमा अनुपात

1520. श्री तारिक अनवर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च स्तरीय केन्द्रीय दल ने बिहार के ऋण जमा अनुपात पर बातचीत करने के लिए राज्य का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार का ऋण जमा अनुपात देश में सबसे कम है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) बिहार की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 7 जनवरी, 1999 को पटना में आयोजित बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ-साथ भाग लेने वाले बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा बिहार सरकार के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। बैठक में अन्य मामलों के साथ-साथ बिहार में बैंकों के ऋण जमा अनुपात (सीडी) पर भी विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) और (घ) मार्च, 1998 के अंत की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण जमा अनुपात बिहार के लिए 27.1 प्रतिशत तथा सम्पूर्ण देश के लिए 54 प्रतिशत था। बिहार में कम ऋण जमा अनुपात के कारणों की जांच करने तथा उनमें सुधार के लिए उपाय सुझाने के उद्देश्य से एक कृतिक बल का गठन किया गया था जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकार, राज्य स्तरीय बैंकर्स, समिति के संयोजक बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य में कार्यरत बैंकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। कृतिक बल की सिफारिशों पर कार्रवाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में हुई प्रगति की निगरानी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा आवधिक अंतरालों पर की जाती है।

एस.ए.आई.एल. का वित्तीय पुनर्गठन

1521. श्री कमलनाथ: क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सरकार से वित्तीय पुनर्गठन का आग्रह किया है ताकि एस.ए.आई.एल. द्वारा टिस्को को ऋण और इस्पात विकास निधि से लिए गए कर्ज को समायोजित करने पर मूल रूप से विचार किया जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस्पात विकास निधि में अंशदान न करने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(घ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोझ को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क), (ख) और (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को प्रचालनों में सुधार करने और प्रतिफल बढ़ाने के लिए निरर्थक अथवा गैर-महत्वपूर्ण परिसम्पत्तियों का पुनर्गठन/घाटे वाली इकाइयों आदि का स्वत्वहरण जैसे व्यापारिक समाधानों की दीर्घकालीन नीति पर विचार करना चाहिए।

वित्तीय पुनर्संरचना के संबंध में आई.डी.बी.आई. की सिफारिशों के आधार पर सेल ने अपनी वित्तीय पुनर्संरचना के लिए सरकार से अनुरोध किया है। इसमें मुख्य रूप से इस्पात विकास निधि/भारत सरकार के ऋण से अचल परिसम्पत्तियों का ब्याज पूंजीकरण की सीमा तक अपलेखन, ऋणों को बट्टे खाते में डालने और सेल द्वारा इस्को आदि को दिये गये ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालने की राहत की परिकल्पना की गई है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) इस्पात विकास निधि में प्रमुख इस्पात उत्पादकों द्वारा अंशदान 21 अप्रैल, 1994 से समाप्त कर दिया गया है।

रबड़ मिश्रित डामर का वाणिज्यिकीकरण

1522. श्री पी.सी. थामस: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रबड़ मिश्रित डामर का वाणिज्यिकीकरण किए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे सड़कों पर रबड़ बिछाने में किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है;

(घ) क्या अम्बलमड्डु, कोच्ची केरल स्थित कोचीन रिफायनरीज लिमिटेड इन उत्पादों को वाणिज्यिक आधार पर तैयार करने हेतु सहमत हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रबड़ बोर्ड, केरल सरकार अथवा किसी अन्य एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

लौह अयस्क की खानें

1523. श्री उपेन्द्र नाथ नायक: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लौह अयस्क की खानों के भंडार का क्योंझर, उड़ीसा की अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु उपयोग कर रही है;

(ख) क्या वहां की जनजातियों को खानों में रोजगार देने के लिए कोई विशेष प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्योंझर में लौह अयस्क की खानों में कार्यरत जनजातियों की संख्या तथा प्रतिशत क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बैंक में धोखाधड़ी संबंधी केन्द्रीय बोर्ड

1524. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक धोखाधड़ी संबंधी किसी केन्द्रीय बोर्ड का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज तक इस बोर्ड को कितने मामले सौंपे गये हैं; और

(घ) 30 अप्रैल, 1998 की स्थिति के अनुसार उक्त मामलों में से बोर्ड द्वारा कितने मामलों का निपटान किया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने महा प्रबंधक और इससे ऊपर के बैंक अधिकारियों के विरुद्ध मामलों की जांच/पंजीकरण के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी बी आई) द्वारा सीधे या वित्त मंत्रालय के जरिए सौंपे गए मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह देने के लिए बैंक धोखाधड़ी संबंधी सलाहकार बोर्ड (ए बी वी एफ) की स्थापना की है। बोर्ड का गठन निम्नलिखित है:

श्री एस.एस. तारापोर, भूतपूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक	अध्यक्ष
न्यायमूर्ति श्री बी.वी. चह्वाण, मुंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा भारतीय रिजर्व बैंक सेवा बोर्ड के सदस्य	सदस्य
श्री बी.एन. भागवत, सेवानिवृत्त सचिव, भारत सरकार	सदस्य
श्री सतीश साहनी, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र	सदस्य
श्री वाई.एच. मालेगम, चार्टर्ड लेखाकार एवं मैसर्स एस.एस. बिलिमोरिया एंड कं. में वरिष्ठ भागीदार	सदस्य
श्री एस. दोरेस्वामी, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	सदस्य

बैंक धोखाधड़ियों संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के लिए सतर्कता नियमावली में बैंकों से संबंधित नया अध्याय दिया गया है, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने निर्णय लिया है कि वह ए बी बी एफ के मौजूदा सदस्यों को शामिल करेगा।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बोर्ड को समय-समय पर 24 मामले भेजे गए थे। बोर्ड ने इन सभी मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी सलाह दी है। दिनांक 30.4.1998 की स्थिति के अनुसार उस तारीख तक बोर्ड को भेजे गए 10 मामलों में से 9 मामलों में बोर्ड द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह दी गई थी।

[अनुवाद]

उच्च अध्ययन के लिए युवाओं को ऋण

1525. श्रीमती भावना कर्दम दवे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मेधावी निर्धन विद्यार्थियों को देश तथा विदेश में उच्च तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा दिलाने हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गयी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन ऋणों की नियामक शर्तें इतनी कठोर और अव्यवहार्य है कि इनसे इन योजनाओं का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उन्हें और अधिक आकर्षक बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ ऐसे मेधावी छात्रों के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत मार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कौन सी छात्रवृत्तियां/ऋण मंजूर किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भारत और विदेश में उच्च अध्ययन जारी रखने के लिए जरूरतमंद विद्यार्थियों के शैक्षणिक ऋण मंजूर करने के लिए अपनी स्वयं की योजनाएं तैयार की है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के व्यापक मानदंड निम्नानुसार है:

पात्रता — वे सभी विद्यार्थी जो लाभकर रूप में रोजगार में नहीं है और जिनका चयन तकनीकी और चिकित्सा सहित सामान्य/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हो गया है, इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।

आयु — वित्तपोषण के समय विद्यार्थी की आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जिलाधिकारियों और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के मामले में छूट दी जाती है)।

ऋण राशि

(1) भारत में अध्ययन हेतु: पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर 50,000 रुपए से 1.00 लाख रुपए तक।

(2) विदेश में उच्च अध्ययन हेतु: पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर 3.00 लाख रुपये से 1.00 लाख रुपए तक।

वापसी अदायगी — वापसी अदायगी, पाठ्यक्रम के पूरा होने के 12 महीनों के बाद अथवा जब से उधारकर्ता विद्यार्थी कमाना प्रारम्भ करता है, इनमें से जो भी पहले हो, से प्रारम्भ होगी। वापसी अदायगी की कुल अवधि, पाठ्यक्रम के पूरा होने की तारीख से 5 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ब्याज दर — विभेदी ब्याज दर योजना (आय मानदण्ड के अतिरिक्त) के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदण्ड को पूरा करने वाले गरीब विद्यार्थियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की शर्त के अनुसार 4% वार्षिक। फिलहाल अन्य सभी शैक्षणिकों ऋणों के संबंध में ब्याज दर निम्नानुसार है:

200 लाख रुपए तक के ऋण	बैंक के प्राथमिक ऋण दर से अधिक नहीं।
200 लाख रुपये से अधिक के ऋण	बैंक ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान 32269 खातों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 172.38 करोड़ रु. की कुल राशि संवितरित की गई थी।

कयर बोर्ड के लिए बजटीय सहायता

1526. **श्री वी.एम. सुधीरन:** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कयर बोर्ड की बजटीय सहायता में वृद्धि करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) जी हां। रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने में कयर उद्योग के महत्व के दृष्टिगत, कयर उद्योग का व्यवहार्य रूप से विस्तार करने की समग्र रणनीति के एक भाग के तौर पर कयर बोर्ड के लिए नौवीं योजना के परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि की गयी है। वर्ष 1998-99 के वार्षिक बजट में 13000 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय को तुलना में 1999-2000 के वार्षिक बजट में 20 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

1527. **श्री के. पैरी मोहन:** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को धन की कमी के कारण उसकी घाटशिला प्रगालक इकाई को बंद करने के लिए कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस इकाई को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या सरकार ने इस इकाई के पुनरुद्धार हेतु प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) भारत सरकार ने हिन्दुस्तान कॉपर लि. (एच.सी.एल.) को घाटशिला स्थित अपने इंडियन कॉपर कम्पलैक्स (आई.सी.सी.) को बंद करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। एच.सी.एल. ने 15.12.1998 से प्रागलक और शोधनशाला का त्रिवार्षिक मरम्मत कार्य करने के लिए स्वयं ही घाटशिला स्थित आई.सी.सी. प्रगालक को बंद कर दिया है। इस मरम्मत कार्य के पूरा होने में 60-80 दिन लगने का संभावना है।

(ख) एच.सी.एल. की राखा यूनिट सहित घाटशिला स्थित आई.सी.सी. यूनिट को बहुत घाटा हो रहा है। एच.सी.एल. की इस यूनिट को पिछले तीन वर्षों में हुआ घाटा निम्न प्रकार है:

वर्ष	करोड़ रु.
1995-96	43.76
1996-97	57.41
1997-98	78.23

(ग) और (घ) सरकार ने घाटशिला स्थित आई.सी.सी. यूनिट को लाभकारी बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अलाभकारी खानों और अव्यवहार्य प्रचालनों को बंद करने के साथ-साथ स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत अतिरिक्त जनशक्ति को हटाया जाना शामिल है। सरकार ने वर्ष 1998-99 से 4 वर्ष से अधिक समय में ब्याज वाले गैर योजना ऋण के रूप में 414 करोड़ रु. की बजट सहायता, 31.3.1998 को एच.सी.एल. के 180.73 करोड़ रु. के बकाया सरकारी ऋण को 7.5% गैर संचयी विमोच्य अधिमान शेयरों, जिन्हें परिवर्तन की तारीख से 10वें वर्ष के अंत में निष्कृत (रिडीम) किया जाना है, में परिवर्तन करने, 31.3.1998 को 167.43 करोड़ रु. के बकाया ब्याज को माफ करने और भारत सरकार की गारन्टी पर एच.सी.एल. द्वारा वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से 75 करोड़ रु. के क्रियाशील पूंजीगत आवधिक ऋण जुटाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।

निर्यात-आयात बैंक नीति में परिवर्तन

1528. **श्री लक्ष्मण सिंह:**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "फैडरेशन आफ इंडिया चैम्बर्स आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री" ने सुझाव दिया है कि आयात को कम करने, निर्यात बढ़ाने तथा भारतीय उद्योग को धक्का पहुंचाने वाली मंदी को कम करने के लिए निर्यात-आयात बैंक नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सुझावों को कहां तक स्वीकार किया है; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (ग) फैडरेशन आफ इंडिया चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने आयात को कम करने, निर्यात को बढ़ाने के लिए एक्जिम बैंक नीति में किसी परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया है। तथापि, वैश्विक बाजारों में भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने हेतु अन्य ऐसी एसोसिएशनों के सुझावों के साथ इनके सुझावों को प्राप्त किया गया है। सरकार एक्जिम नीति में संशोधनों को अंतिम रूप देते समय इन सभी सुझावों पर उपयुक्त ध्यान दे रही है, जिन्हें जल्द ही अधिसूचित किए जाने की संभावना है।

बकाया आरक्षित रिक्तियां

1529. श्री के.डी. सुल्तानपुरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में श्रेणीवार कितनी आरक्षित रिक्तियां रिक्त थीं; और

(ख) 31 जनवरी, 1999 तक इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुसूचित जाति (अ.जा.) अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) (30.6.1998 की स्थिति के अनुसार) और अन्य पिछड़े वर्गों (31.12.1997 की स्थिति के अनुसार) के आरक्षित पदों की बकाया रिक्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

संवर्ग	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओ.बी.सी.
अधिकारी	149	106	109
लिपिक	601	835	959
अधीनस्थ कर्मचारी	366	664	832

(ख) बकाया रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आवश्यक कदम उठाए हैं।

उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में डब्ल्यू.सी.एल और एस.ई.सी.एल. के मामले

1530. श्री विजय कुमार "विजय":
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद):

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम न्यायाधिकरण बोर्डों में पंजीकृत किए गए बहुत से मामलों को कोल इंडिया की वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल.) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एस.ई.सी.एल.) इकाईयों द्वारा मंत्रालय की अनुमति लिए बिना ही, जबलपुर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) डब्ल्यू.सी.एल. और एस.ई.सी.एल. द्वारा श्रम न्यायाधिकरण बोर्डों के खिलाफ दर्ज कराए गए कितने मामले आज तक जबलपुर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं;

(घ) क्या उच्च न्यायालयों में चल रहे मामलों में से कुछ पिछले आठ वर्षों से अटके पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इन कंपनियों द्वारा अधिवक्ताओं की फीस के रूप में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(च) इन मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (च) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

लौह अयस्क का निर्यात

1531. मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए.वी.एस.एम.: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997 और 1998 के दौरान देशवार कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का अर्द्ध-निर्मित इस्पात के सामान निर्यात के बजाय लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) महोदय, वर्ष 1997-98 और 1998-99 (अप्रैल-नवम्बर) में खनिज लौह के निर्यात की मात्रा देशवार निम्नवत है:

(मात्रा टनों में)

देश	1997-98	1998-99 (अप्रैल-नवम्बर)
1	2	3
आस्ट्रेलिया	650247	334000
चीन	5571821	2652225
जापान	14330401	5831200
कोरिया गणराज्य	713381	621989
नीदरलैंड	762909	444210
पाकिस्तान	441282	144100
संयुक्त अरब अमीरात	73300	37600
तुर्की	309734	49500
इटली	471670	248160
ईरान	1482428	578519
फ्रांस	374000	138300
बंगला देश	200	
बेल्जियम	333900	278650
भूटान	135	–
चिली	45000	–
जर्मनी	125543	–
इंडोनेशिया	40000	–
नेपाल	4050	24
रोमानिया	284400	258000
रवांडा	221800	–
चाइनीज ताइपेई	1419367	691557
यू.के.	–	99000
यू एस ए	–	8870
कुल	27655568	12418204

स्रोत : डीजीसीआई एंड एस

(ख) से (घ) महोदय, एग्जिम नीति के अनुसार सरकार ने खनिज लोहे की घरेलू बाजार में जरूरत एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग को ध्यान में रखते हुए निर्यात पर मात्रात्मक और गुणात्मक नियंत्रण लगाया हुआ है।

''सेबी'' में पंजीकृत कम्पनियां

1532. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय गैर-सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियां (नॉन इनफोर्मेशन टेकनॉलोजी कंपनीज़) स्वयं को स्टॉक मार्केट में सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों के रूप में पंजीकृत करा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा कितनी कम्पनियों का पता लगाया गया है; और

(ग) इन कम्पनियों के खिलाफ ''सेबी'' द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) सेबी ने सूचित किया है कि गैर-सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा अपने नाम बदलकर साफ्टवेयर और सूचना-प्रौद्योगिकी कंपनियां करने के 25 मामले अब तक उसकी जानकारी में आए हैं।

(ग) सेबी ने स्टाक एक्सचेंजों को ऐसी कंपनियों की स्क्रिपों में कारोबार को मानीटर करते समय चौकस रहने की सलाह दी है।

कोरबा की श्रमिक सभा का मामला

1533. श्री हीरा लाल राय: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने डब्ल्यू.पी. (सी.) संख्या 168/98 के फैसले में मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले की कोरबा कोयला खान के यूनियन कोयला श्रमिक सभा के पक्ष में दिया था और कोल इंडिया लि. के प्राधिकारियों द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका 8.2.1999 को नामंजूर कर दी गई थी;

(ख) क्या कोल इंडिया लि. के प्राधिकारियों का कानूनी राय के साथ यह मामला फिर से उच्चतम न्यायालय में दायर करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कोल इंडिया लि. द्वारा कोरबा कोयला खान की श्रमिक सभा के मुद्दे के समाधान हेतु की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष कोरबा कोलियरी की कोयला श्रमिक सभा ने एक रिट याचिका सं. 4795/96 दायर की थी, जिसमें उन्होंने औद्योगिक संबंध प्रणाली में शामिल किए जाने की छूट दिए जाने की प्रार्थना की थी। यह मामला उच्च न्यायालय में अभी भी लंबित हैं। तदंतर संघ द्वारा एक रिट याचिका सं. 168/98 उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर की गई, जिसमें अन्य बातों के अलावा, इस बात के लिए प्रार्थना की गई थी कि संघ को कोयला उद्योग में संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जे बी सी सी आई) तथा औद्योगिक संबंध प्रणाली की बैठकों में भी शामिल किया जाए। दिनांक 19.9.1998 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को निम्नलिखित आदेश जारी करते हुए निपटाया:

> ''याचिकाकर्ता के विद्वान काउंसिल ने उल्लेख किया है कि रिट याचिका में केवल औद्योगिक संबंध प्रणाली में प्रतिनिधित्व के लिए तीसरे प्रतिवादी और उसकी अनुषंगी कंपनियों को याचिकाकर्ता के संघ के साथ समझौता किये जाने के निर्देश दिये जाने की प्रार्थना पर बल दिया गया है। तीसरे प्रतिवादी की ओर से दायर प्रति-शपथपत्र में यह उल्लेख है कि, 'यह आरोप कि रिट याचिकाकर्ता को औद्योगिक संबंध प्रणाली के अंतर्गत समझौता करने और प्रतिनिधित्व करने के अधिकार से वंचित रखा गया है, को अस्वीकार किया जाता है।' इस वक्तव्य के संबंध में यह स्पष्ट है कि औद्योगिक संबंध प्रणाली के संबंध में तीसरे प्रतिवादी के साथ प्रतिनिधित्व और समझौता करने की याचिकाकर्ता संघ की हकदारी विवादित नहीं है। अत: रिट याचिका पर कोई छूट आवश्यक नहीं है। रिट याचिका को तदनुसार निपटाया जाता है।''

कोल इंडिया लि. ने कोई विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं की। तथापि प्रबंधन ने, यह स्पष्टीकरण मांगते हुए कि क्या उच्चतम

न्यायालय के दिनांक 19.9.1998 के आदेश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका सं. 4795/96 को निष्प्रभावी करता है, एक अर्जी दायर की है। इसी बीच कोयला श्रमिक सभा ने दिनांक 19.9.1998 के आदेश का उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाते हुए अध्यक्ष, कोल इंडिया लि. और अन्य के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर की। उपर्युक्त अवमानना एवं स्पष्टीकरण से संबंधित दोनों ही अर्जियों पर दिनांक 8.2.1999 को सुनवाई हुई और माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न आदेश जारी किए:

"इस न्यायालय के अधिदेशात्मक आदेश को भंग नहीं किया गया है। अवमानना संबंधी याचिका को खारिज किया जाता है। स्पष्टीकरण संबंधी आवेदन पर बल नहीं दिया गया और इसे खारिज किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।"

(ख) कोल इंडिया लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्तमान में ऐसा कोई अभिप्राप्य नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) चूंकि मामला अभी भी मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीन है, अत: इस मामले में कोल इंडिया लि. द्वारा कोई एकपक्षीय कार्रवाई नहीं की जा रही है।

कमजोर बैंकों का पुनर्गठन

1534. श्री जयराम आई.एम. शेट्टी:
श्री सी. कुप्पुसामी:
श्री यू.वी. कृष्णमराजू:
श्री ए.सी. जोस:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनरुद्धार हेतु उपाय सुझाने के लिए कार्यकारी समूह की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्यकारी समूह के गठन और कार्यकारी समूह के निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में कार्य कर रहे कर्मियों के लाभ हेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) कार्यदल की संरचना इस प्रकार है:

1.	श्री एम.एस. वर्मा, परामर्शदाता, भारतीय रिजर्व बैंक	अध्यक्ष
2.	श्री के.आर. रामामूर्ति, अध्यक्ष वैश्य बैंक लि.	सदस्य
3.	श्री एम.एम. चिताले, सनदी लेखाकार	सदस्य
4.	श्री पी.के. चौधरी, प्रबंध निदेशक, आईसीआरए	सदस्य
5.	श्री जे.आर. प्रभु, भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक आरबीआई	सदस्य
6.	डा. सुशील चन्द्र, भूतपूर्व निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्री सी आर मुरलीधरन, महाप्रबंधक, आरबीआई	सदस्य सचिव

कार्यदल के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(1) सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों की पहचान की कसौटी का पता लगाना।

(2) सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों की समस्याओं का अध्ययन करना व उनकी समीक्षा करना;

(3) सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों की अलग-अलग समीक्षा करके इस बात का पता लगाना कि उनमें से कितने अर्थक्षम हैं।

(4) सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों के वित्तीय, संरचनात्मक और प्रचालनात्मक पुनर्गठन के लिए नीतिगत सुझाव देना।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य गैर-बैंककारी वित्तीय निगमों के कर्मचारियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक और सांविधिक ढांचे के बारे में अवगत कराना और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किये गये नियामक ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देना है।

कम राख वाला कोयला

1535. **श्री अनंत कुमार हेगड़े:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अधिक सल्फरयुक्त, कम राख वाला कोयला आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कोयले के उपयोग से प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष रहे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) सरकार किसी भी प्रकार के कोयले का आयात नहीं कर रही है। कोयले के ओ.जी.एल. के अंतर्गत होने के कारण इस प्रकार का आयात उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं किया जाता है और कोयला मंत्रालय इस संबंध में प्रबोधन नहीं करता है।

(ख) कोल इंडिया लि. के पास उपलब्ध सूचना के गौण स्रोतों के अनुसार, देश में आयात किए जा रहे कोयले में 0.9 से 1.0% तक सल्फर होता है, जोकि देशीय कोयले के सल्फर तत्व से अधिक होता है, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खनिज कोयले को छोड़कर शेष देशीय कोयले में सल्फर की मात्रा अधिकतम 0.7% होती है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

निर्यात में कमी

1536. **श्री के.पी. मुनुसामी:**
श्री सतनाम सिंह कैंथ:
श्री राम टहल चौधरी:
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील:
श्री हरिभाई चौधरी:
श्री विजय गोयल:
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
श्री विलास मुत्तेमवार:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
डा. चिन्ता मोहन:
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:
श्री विट्ठल तुपे:
श्री यू.वी. कृष्णमराजु:
श्री अभयसिंह एस. भोंसले:
श्री डी.एस. अहिरे:
श्री जयराम आई.एम. शेट्टी:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों विशेषरूप से गत छः महीनों के दौरान आयात में बेतहाशा वृद्धि हुई है और निर्यात में काफी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें उक्त अवधि के दौरान निर्यात कम हुआ है;

(घ) क्या निर्यात वृद्धि के प्रयासों में राज्य सरकारों को भी शामिल किये जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने तथा निर्यात में कमी को दुरुस्त करने हेतु त्रिमुखी रणनीति अपनाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(छ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) निर्यात संवर्धन के लिए सरकार द्वारा और क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (ग) वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के आयात और निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार है:

(मि. अमरीकी डालर)

वर्ष	आयात	निर्यात
1996-97	39132	33470
1997-98 (अ)	40779	33980
अप्रैल-नवम्बर		
1998-99 (अ)	28177	21476

(अ) अनंतिम

उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से सोने और चांदी, परियोजना वस्तुएं तथा खाद्य तेलों के आयातों में वृद्धि के कारण सभी आयातों में वृद्धि हुई है। अप्रैल-नवम्बर, 1998-99 के दौरान, कृषि तथा सम्बद्ध उत्पादों, समुद्री उत्पादों, अयस्क तथा खनिजों, चमड़ा तथा चमड़े का सामान, खेल का सामान, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादों इंजीनियरी सामान, इलैक्ट्रानिक्स (हार्डवेयर) परियोजना वस्तुएं, सूती यार्न फैब्रिक्स, मेडअस, मानव निर्मित वस्त्र, मेडअस, ऊन तथा ऊन से बनी वस्तुएं तथा पटसन से बना सामान, कालीन, अपशिष्ट सहित कपास तथा पेट्रोलियम उत्पादों में डालर के रूप में ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई है। निर्यात में कमी मुख्यतया दक्षिण-पूर्व एशियाई संकट और विश्वव्यापी मंदी के कारण है।

(घ) से (ज) सरकार द्वारा निर्यात अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए नीतियों तथा प्रक्रियाओं में परिवर्तन करके निर्यात संवर्धन करने के उपाय निरंतर किये जा रहे हैं। राज्य सरकारें, व्यापार और उद्योग के साथ परामर्श करके निर्यात उत्पादन तथा अवस्थापना के विकास में संलग्न हैं। निर्यातों का संवर्धन करने के लिए किए गए अनेक उपायों में ये शामिल हैं: निर्यात ऋण पर ब्याज की दरों को कम करना, विकेन्द्रीकरण तथा क्रियाविधियों के सरलीकरण तथा एक्जिम नीति में उल्लिखित किए गए विभिन्न अन्य उपायों के माध्यम से कारोबार लागत कम करना। बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय पहल तथा थ्रस्ट क्षेत्रों तथा केन्द्रक क्षेत्रों को अभिज्ञात करके निर्यातों का संवर्धन करने के उपाय किए गए हैं। सरकार निर्यातों को उच्च प्राथमिकता दे रही है तथा निर्यातों में वृद्धि करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

एन्टी-डम्पिंग मामलों में चीन का विरोध

1537. श्री ए.सी. जोस: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने भारत की इस बात पर गहरा विरोध व्यक्त किया है कि चीनी-निर्यातकों पर बढ़ते हुए एंटी-डम्पिंग मामले थोपे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) मेटकोक से संबंधित पाटनरोधी मामले के लिए चीन ने भारत से विरोध प्रकट किया है। इसने विगत दो वर्षों में चीनी वस्तुओं के खिलाफ संबद्ध भारतीय प्राधिकारियों द्वारा शुरू किए गए बढ़ती पाटनरोधी जांचों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

(ख) भारतीय पाटनरोधी कानूनों के अधीन जांच, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देशों की सरकारों सहित सभी हितबद्ध पार्टियों के विचार और अभ्यावेदनों को ध्यान में रखकर की जाती है। मेटकोक के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आज तक चीन के खिलाफ सभी मामलों में चीन की सरकार सहित सभी पार्टियों द्वारा व्यक्त विचारों पर गौर करने के बाद जांच परिणाम जारी किए हैं।

लंबित औद्योगिक परियोजना

1538. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र की स्वीकृति के लिए लंबित गुजरात की औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है एवं विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) प्रत्येक परियोजना की लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित राज्य सरकार/संगठनों से अतिरिक्त जानकारी मांगी गई है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) 31 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी करने हेतु केन्द्र सरकार के पास कोई औद्योगिक लाइसेंस आवेदन लंबित नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

आयकर छापे

1539. श्री रामपाल उपाध्याय:
श्री महेश कनोडिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान आयकर के संबंध में कितने छापे मारे गए;

(ख) इन छापों में कितनी अघोषित धनराशि का पता चला; और

(ग) उक्त छापों से कुल कितनी राशि वसूल की गई?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान की गई आयकर तलाशियों और जब्तियों की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	वारन्टों की संख्या	जब्ती (करोड़ रु. में)
1996-97	4299	405.63
1997-98	3653	306.85
1998-99 (जनवरी, 1999 तक)	4439*	201.41

(*आंकड़े अनंतिम हैं)

(ग) तलाशी और जब्ती के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष कर कानून के अनुसार सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई की गई है और उक्त तलाशियों से संगृहीत करों की कुल धनराशि का पता तलाशी निर्धारणों को अंतिम रूप दिए जाने के उपरान्त ही लग सकेगा।

[अनुवाद]

प्रत्येक बैंक के लिए पृथक वेतन संबंधी समझौता

1540. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 फरवरी, 1999 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" के दिल्ली संस्करण में "सेपरेट वेज-डील विद् ईच बैंक नीडिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो बैंकिंग उद्योग के सामने उत्पन्न इस दुविधा पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का प्रत्येक बैंक को भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए पृथक वेतन समझौता करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) बैंकिंग उद्योग में वेतन संबंधी समझौते बैंक प्रबंधन के प्रतिनिधि, भारतीय बैंक संघ (आई बी ए) और कर्मचारी यूनियनों/अधिकारी संघों के प्रतिनिधियों की परस्पर वार्ताओं के माध्यम से किए जाते हैं। आई बी ए ने दो विकल्प प्रस्तुत किए हैं: (1) मूल वेतन व महंगाई भत्ते के बारे में विचार-विमर्श को उद्योग स्तर तक सीमित रखा और वेतन के अन्य सभी संघटकों पर निर्णय बैंक स्तर पर छोड़ना, या (2) बैंकों को उनकी लाभप्रदत्ता के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित करना और बैंकों के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग समझौता व्यवस्था करना, परन्तु यूनियनों/संघों ने दोनों ही विकल्पों को अस्वीकार किया है। उसके पश्चात, आठ दौर में चर्चाएं हुई हैं ताकि सभी बैंकों, जो इस समझौते में पार्टी हैं उनके लिए एक सामान्य व्यवस्था की जा सकें। आई बी ए और यूनियन/संघ विचार-विमर्श के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता होने की आशा है।

अमेरिका में रबड़ को डंप करना

1541. **श्री गुरूदास कामत:**
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऐसा कहा है कि भारतीय कंपनियां, अमेरिकी बाजारों में रबर-टेप उत्पादों को डंप कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) यू.एस. वाणिज्य विभाग ने अपने प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर यह निश्चित किया है कि एक भारतीय कंपनी अमरीका के बाजारों में उपर्युक्त संयुक्त राज्य कानून में यथा परिभाषित उचित मूल्य से कम मूल्य पर लचीले रबड़ की टेप का निर्यात कर रही है।

(ख) संबंधित भारतीय कंपनी सरकार की उपर्युक्त सहायता से इस मामले में अपना बचाव कर रही है।

हथकरघा औद्योगिक परिसर बदरपुर घाट, असम का पुनरुद्धार

1542. **श्री नेपाल चन्द्र दास:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के बदरपुर घाट स्थित हथकरघा औद्योगिक परिसर विगत कई वर्षों से रुग्ण चल रहा है और धन की कमी के कारण राज्य सरकार द्वारा इसके पुनरुद्धार के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इसके पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता देने अथवा अधिग्रहण करने के लिए बात की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसकी रुग्णता के कारण कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि हथकरघा औद्योगिक परिसर बदरपुरघाट, असम में नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

वार्षिक योजना और वस्त्र उत्पादन

1543. **श्री अरविंद कांबले:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1998-99 के दौरान वस्त्र क्षेत्र हेतु विविध योजनाओं के लिए सरकार ने कुल कितना वार्षिक योजना परिव्यय स्वीकृत किया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अपेक्षित वस्त्र उत्पादन और निर्यात दर क्या है;

(ग) कुल परिव्यय में से महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कुल कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों में वस्त्र उत्पादन बढ़ाने हेतु लागू विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) नई योजनाएं लागू करके क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और क्या सफलताएं मिली हैं; और

(च) 1999-2000 हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) वर्ष 1998-99 में वस्त्र मंत्रालय के लिए वार्षिक योजना परिव्यय 240.88 करोड़ रुपये है।

(ख) वर्ष 1998-99 में फैब्रिकों का अप्रत्याशित उत्पादन 36910 मिलियन वर्ग मी. है और इसी अवधि के दौरान निर्यात के लक्ष्य 14275 मिलियन अमरीकी डालर निर्धारित किए गए हैं।

(ग) से (ङ) मंत्रालय की योजना स्कीम वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं और राज्य-वार आवंटन नहीं किये जाते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में क्रियान्वित की जा रही कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में निर्दिष्ट है।

(च) वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 1999-2000 की वार्षिक योजना के लिए बजटीय परिव्यय 257 करोड़ रु. निर्धारित किया गया है।

विवरण

योजनाओं के नाम	महाराष्ट्र	गुजरात
1	2	3
विद्युतकरघा		
(क) विद्युतकरघा सेवा केन्द्र	प्रचालन में	प्रचालन में
(ख) कम्प्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्र	-वही-	-वही-
(ग) विद्युतकरघा बुनकरों के लिए बीमा योजना	-वही-	-वही-
हथकरघा		
(क) प्रचार एवं प्रदर्शनी	शून्य	प्रचालन में
(ख) बचत निधि योजना	-वही-	-वही-
(ग) कार्यगृह-सह-ावास	-वही-	-वही-
(घ) परियोजना पैकेज	प्रचालन में	-वही-
(ङ) बाजार विकास सहायता	-वही-	-वही-

1		2	3
हस्तशिल्प			
(क)	प्रदर्शनी एवं प्रचार	प्रचालन में	प्रचालन में
(ख)	प्रशिक्षण	-वही-	-वही-
(ग)	सर्वेक्षण और अध्ययन	-वही-	शून्य
(घ)	इम्पोरियम का नवीकरण	शून्य	प्रचालन में
(ङ)	डिजाइन विकास	प्रचालन में	-वही-
(च)	बाजार विकास	-वही-	-वही-
रेशम उत्पादन			
(क)	राज्यों को विभिन्न प्रकार के शहतूती बैंकों में सुधार लाने के लिए उत्प्रेरक विकास सहायता	प्रचालन में	प्रचालन में
(ख)	ऑन-फार्म प्रशिक्षण देने तथा औजारों की आपूर्ति करने के लिए राज्यों को सहायता	-वही-	शून्य
(ग)	विस्तार और प्रचार सामग्री तैयार करने के लिए सहायता	-वही-	-वही-
(घ)	राज्यों को मास्टर रीलर सहायता	-वही-	-वही-
ऊन			
(क)	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	शून्य	प्रचालन में
(ख)	मशीन कतरन-सह-प्रशिक्षण परियोजना	-वही-	-वही-

[अनुवाद]

ऋण जमा अनुपात

1544. श्री चाडा सुरेश रेड्डी:
श्री अजय मुखोपाध्याय:
श्री राम पाल सिंह:
डा. अशोक पटेल:
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:
श्री पी.सी. थामस:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का ऋण जमा अनुपात संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में ऋण जमा अनुपात कितना है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों को इस संबंध में कोई निदेश जारी किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन निदेशों के उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य-वार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा (सीडी) अनुपात विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे अखिल भारत आधार पर अपने ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं अलग-अलग के संबंध में 60 प्रतिशत का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करें। कतिपय क्षेत्रों में ऋण का निम्न वितरण और उसके फलस्वरूप निम्न ऋण जमा अनुपात, आधारिक अवरोध, विभिन्न क्षेत्रों की ऋण खपाने की भिन्न क्षमता आदि जैसे विभिन्न पहलुओं के कारण हैं। इन क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह में बढ़ोत्तरी से संबंधित मामलों को जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी), राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) आदि जैसे विभिन्न मंचों में नियमित आधार पर चर्चा की जाती है।

विवरण

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात (ग्रामीण)

(प्रतिशत)

	मार्च 1996 ऋ.ज.अ.	मार्च 1997 ऋ.ज.अ.	मार्च 1998 ऋ.ज.अ.
	1	2	3
उत्तरी क्षेत्र	39.28	35.63	34.72
हरियाणा	44.59	40.43	39.50
हिमाचल प्रदेश	27.35	25.86	24.16

	1	2	3
जम्मू व कश्मीर	15.15	15.14	15.59
पंजाब	45.72	40.75	39.69
राजस्थान	48.44	45.72	45.27
चंडीगढ़	77.02	42.00	43.02
दिल्ली	24.07	19.15	16.95
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	45.92	43.96	41.94
अरुणाचल प्रदेश	10.47	10.80	13.27
असम	53.90	51.45	47.23
मणिपुर	123.76	138.62	126.29
मेघालय	26.77	25.71	27.30
मिजोरम	27.62	29.16	36.36
नागालैंड	34.24	46.09	40.86
त्रिपुरा	81.01	62.12	56.76

	1	2	3
पूर्वी क्षेत्र	40.76	36.40	32.49
बिहार	37.30	32.85	28.92
उड़ीसा	59.93	55.46	51.63
सिक्किम	19.93	18.52	19.72
पं. बंगाल	37.07	33.05	28.96
अंडमान व निको. द्वीप समूह	19.74	18.88	19.28
मध्य क्षेत्र	36.60	33.82	32.27
मध्य प्रदेश	50.91	48.15	47.79
उत्तर प्रदेश	32.74	29.92	27.39
पश्चिमी क्षेत्र	47.89	47.34	46.26
गोवा	16.60	15.53	14.58
गुजरात	44.03	40.79	40.40
महाराष्ट्र	62.89	65.92	64.56
दादरा व न. हवेली	20.71	18.55	21.38
दमन व दीव	17.09	12.57	9.19

	1	2	3
दक्षिणी क्षेत्र	79.38	75.96	74.09
आंध्र प्रदेश	87.37	88.25	83.72
कर्नाटक	73.42	66.24	68.58
केरल	54.57	56.87	57.39
तमिलनाडु	87.13	81.21	76.26
लक्षद्वीप	9.56	8.76	9.89
पांडिचेरी	45.42	43.16	39.41
अखिल भारत	47.66	44.64	42.43

[हिन्दी]

"बाल्को"

1545. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि. (बाल्को) द्वारा बाक्साइट की कुछ खानों के पट्टे को बढ़ाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन खानों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार का उनके पट्टे को कब तक बढ़ाने का विचार है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बालको) ने मध्य प्रदेश के हजारीदादर, जिला डिंडोरी में 987 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को आवेदन दिया था। तथापि, राज्य सरकार ने बालको का आवेदन 10.1.1997 को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि बालको ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा विधिवत स्वीकृत पर्यावरण प्रबंध योजना प्रस्तुत नहीं की है। बालको ने राज्य सरकार के दिनांक 10.1.1997 के आदेश के विरुद्ध केन्द्र सरकार के ट्रिब्यूनल में पुनरीक्षण याचिका दायर कर दी है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण

1546. **कर्नल सोनाराम चौधरी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की अनु. जाति/जनजाति के लोग केन्द्र सरकार की ऋण सुविधा के लाभों को प्राप्त कर सकें और इन ऋणों की सीमा क्या है;

(ख) गत वर्ष के दौरान राजस्थान में विशेषत: बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में विभिन्न योजनाओं के अधीन ऋण

का लाभ उठाने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभान्वितों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार को राजस्थान में अनुसूचित जातियों/जनजातियों को देर से ऋण देने की बैंक की युक्तियों की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) चालू वित्त वर्ष में राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) केन्द्र सरकार के विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सृजन की कई योजनाएं है जिसके अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा. ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये मंत्रालय विभिन्न प्रकार का आवश्यक निवेश करके योजनाएं संचालित करने के लिए उत्तरदायी है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रशिक्षण बाजार सहलग्नता और सब्सिडी शामिल है। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन ऋण से जुड़ी योजनाओं को ऋण संघटक प्रदान करें। कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी विवरण में दी गई है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मंजूर ऋणों की जिला-वार राशि को उनके द्वारा संकलित नहीं किया जा रहा है। तथापि, वर्ष 1997-98 के दौरान राजस्थान में विभिन्न योजनाओं के अधीन सहायता प्राप्त अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों की संख्या नीचे दी गई है:

(लाख रुपए)

योजना	संवितरण	
	खाता	राशि
मैला ढोने वालों की उन्मुक्ति तथा पुनर्वास योजना (एसएलआरएस)	1085	124.67
प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)	1089	471.36
विभेदी ब्याज दर (डीआरआई)	1023	43.03

इसके अतिरिक्त, वर्ष 1997-98 के दौरान राजस्थान में 29229 अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) के अंतर्गत सहायता दी गई थी।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राजस्थान में अ.जा./अ.ज.जा. को ऋण प्रदान करने में बैंक द्वारा विलम्ब किए जाने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तथापि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में आ रही समस्याओं पर जिला परामर्शदात्री समितियों (डीसीसी) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) आदि जैसे विभिन्न मंचों में विचार किया जाता है।

(ङ) विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत, बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने विभेदी ब्याज दर अग्रिमों का कम से कम 40 प्रतिशत अ.जा./अ.ज.जा. को मंजूर करें। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के लिए चालू वित्तीय वर्ष हेतु 14,000 लाख रु. का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एसएलआरएस के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सितम्बर, 1998 तक 162 मामलों में 20.11 लाख रु. की राशि मंजूर की गई थी और 92 मामलों में 10.25 लाख रु. की राशि राजस्थान में अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को संवितरित की गई थी। प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)

के अंतर्गत वर्ष 1998-99 के लिए राजस्थान के लिए 16300 मामलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों के लिए 22.5 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है।

विवरण

योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/ क्रियान्वयन एजेंसी
1	2	3
1.	**प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई):** इस योजना का उद्देश्य 18 से 35 वर्ष के आयु समूह वाले उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को व्यष्टि उद्योगों में रोजगार प्रदान करना है जिनकी पारिवारिक आय 24,000 रु. से अनधिक है और वे हिताधिकारी इस योजना के अंतर्गत सहायता के पात्र हैं जिनके माता-पिता की आय 24,000 रु. वार्षिक तक है और जो तीन वर्ष से अधिक तक इस क्षेत्र का निवासी रहा है। जबकि हिताधिकारियों से यह अपेक्षा होगी कि वे मार्जिन मनी के रूप में 5 प्रतिशत लाएं, सरकार 75,000 रु. अधिकतम के अध्यधीन परियोजना लागत के 15 प्रतिशत की दर से सब्सिडी देगी और 1 लाख रु. तक की परियोजना बैंक से वित्त पाने के लिए पात्र होगी। अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 22.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण इस योजना में दिया गया है।	लघु उद्योग और कृषि ग्रामीण उद्योग विभाग तथा उद्योग मंत्रालय
2.	**समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन लघु और सीमांतिक किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों आदि के परिवारों वाले लक्ष्य समूह की सहायता करना है जिनकी पारिवारिक आय 11,000 रु. वार्षिक से कम है। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी की वर्तमान पद्धति नीचे दी गई है।	कृषि मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्र और गरीबी उन्मूलन विभाग
3.	**मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए योजना (एसएलआरएस)** योजना का उद्देश्य मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों को उनके विद्यमान पुस्तैनी और मैला और गंदगी को हाथ से उठाने के कारोबार से मुक्ति और पुनर्वास करना और वैकल्पिक और सम्मानित रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी अधिकतम 10,000 रु. की शर्त के अधीन परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक है। योजना के अंतर्गत 50,000 रु. तक परियोजना लागत का वित्तपोषण किया जाएगा।	कल्याण मंत्रालय
4.	**विभेदक ब्याज दर योजना (डीआरआई)** योजना का उद्देश्य, उत्पादक और लाभप्रद कार्यकलापों में लगाने के लिए समाज के कमजोर वर्गों को 4.0 प्रतिशत वार्षिक रियायती ब्याज दर पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है जिससे कि वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। प्रति हिताधिकारी अधिकतम वित्तीय सहायता 5500 रु. निर्धारित की गई है। बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती हैं कि उनके डी आर आई अग्रिम का 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति को दें।	वाणिज्यिक बैंक

निप्पन डेनरो इस्पात लिमिटेड को खनन अधिकार

1547. **डा. सरोजा वी.:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निप्पन डेनरो इस्पात लिमिटेड ग्रुप को महाराष्ट्र में भद्रावती आयुध कारखाने के निकट खनन अधिकार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को खनन संबंधी अधिकार दिये जाने के संबंध में विसंगतियों का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) देश में कंपनी को किसी भी स्थान पर कोयले के खनन किए जाने का अधिकार संबद्ध राज्य सरकार द्वारा कोयला खनन पट्टा प्रदान किये जाने के माध्यम से दिया जाता है। खान और खनिज (विनियमन एवं विकास), अधिनियम (एम.एम.आर.डी. अधिनियम), 1957 की धारा 5 (1) के प्रावधानों के अनुसार संबद्ध राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन के बाद ही कोयला खनन पट्टा प्रदान कर सकती है। प्रस्तावित भद्रावती तापीय विद्युत परियोजना को विशिष्ट आधार पर कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में आर्डिनेन्स फैक्टरी के नजदीक चंदा में कोयला खनन हेतु मे. सेंट्रल इंडिया कोल कंपनी लि. (सी.आई.सी.सी.ओ.), जो मै. इस्पात इंडस्ट्रीज लि. (पूर्व में जिसे मै. निप्पन डेनरो लि. के नाम से जाना जाता था) द्वारा प्रवर्तित एक कंपनी है, को कोयला खनन पट्टा प्रदान करने के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव का एम.एम.आर.डी. अधिनियम, 1957 की धारा 5 (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने अब तक कोई पूर्वानुमोदन नहीं दिया है। अत: अब तक इस प्रयोजन से महाराष्ट्र सरकार द्वारा मै. सी.आई.सी.सी.ओ. को कोई कोयला खनन पट्टा प्रदान नहीं किया गया है और परिणामस्वरूप कंपनी को कोयला खनन का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

जम्मू-कश्मीर में कोयला क्षेत्र

1548. **श्री चमन लाल गुप्त:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू-कश्मीर में कोयला क्षेत्रों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को जम्मू-कश्मीर में कोयले के खनन संबंधी प्रबंधन कार्यों को कोल इंडिया लि. को सौंपने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) कोल इंडिया लि. द्वारा यह रिपोर्ट दी गई है कि छठे दशक में भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू और कश्मीर में कोयले के भंडारों का क्षेत्रीय अन्वेषण शुरू किया था। कोयला सीमों के अत्यधिक अस्त-व्यस्त होने, आनति और फूली हुई होने के कारण किसी परिमाण तक ठीक-ठीक भंडारों का मूल्यांकन संभव नहीं था। तथापि, जम्मू और कश्मीर सरकार के अनुरोध पर कोयला और लिग्नाइट पर उप-समूह की बैठक में जी.एस.आई., सी.एम.पी.डी.आई.एल. और जम्मू और कश्मीर खनिज के प्रतिनिधियों वाले एक समूह का गठन, पुन: अन्वेषण की संभावना के अध्ययन हेतु किया गया था। दिनांक 19.12.1998 को कलकत्ता में हुई कोयला और लिग्नाइट पर उप-समिति की बैठक के निर्णय के अनुसार जी.एस.आई., सी.एम.पी.डी.आई.एल. और एम.ई.सी.एल. के सदस्यों वाले एक विशेषज्ञ समूह ने खान क्रियाकलापों में वृद्धि के लिए भविष्य में अनुसंधान हेतु आवश्यकता और अवसर, का अध्ययन करने के लिए फरवरी, 1999 के प्रथम सप्ताह के दौरान मोहोगला कोलफील्ड, जम्मू का दौरा किया। इस विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के आधार पर उप-समिति भविष्य में की जाने वाली कार्यवाही की सिफारिश करेगी।

(ख) और (ग) सरकार ने जम्मू और कश्मीर खनिज के प्रबंधन को कोल इंडिया लि. को सौंपने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

आम का निर्यात

1549. **डा. सुगुण कुमारी चलामेला:**
श्री एम. राजैया:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी मौसम के दौरान आम के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित है;

(ख) क्या अपर्याप्त शीत-भंडारण के कारण यात्रा के समय आम खराब हो जाते हैं; और

(ग) आमों और जल्दी नष्ट होने वाले अन्य फलों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विदेशों की भांति एक ही कंटेनर में सारे सामान का निर्यात करने के लिए विशेष रेफ्रीजिरेटरों का प्रबंध करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) अगले मौसम के दौरान आमों के निर्यात के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) आमों सहित फलों के लिए लदान के दौरान नियंत्रित वातावरण की स्थितियों की आवश्यकता होती है जिससे कि उनकी संरक्षण अवधि बढ़ाई जा सके इस समय आमों के लिए तथा अन्य खराब होने वाले फलों के निर्यात के लिए ऐसे कंटेनरों का इस्तेमाल नहीं होता है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, एपीडा ने राज्य सरकारों के अभिकरणों तथा अग्रणी निर्यातकों के सहयोग से आम की निर्यात क्षमता वाली चुनिंदा किस्मों के लिए चुने हुए क्षेत्रों से नियंत्रित वातावरण कंटेनरों के जरिए परीक्षण के तौर पर आमों के पोत लदान के लिए प्रयोग शुरू किए हैं। इस प्रयोग की सफलता से इस उत्पाद की संरक्षण अवधि गुणवत्ता और इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में सहायता मिलने की आशा है जिससे आमों तथा अन्य फलों के निर्यात में वृद्धि हो सकेगी।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का वापिस लेना

1550. **श्री एस.एस. ओवेसी:**
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टाटा द्वारा घरेलू विमान सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को वापस लेने से विदेशी निवेश कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों से विदेशी निवेशकों ने कितने प्रस्ताव वापस ले लिए है;

(ग) क्या औद्योगिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) को समाप्त करने की मांग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) जी, नहीं। मैसर्स टाटा इंडस्ट्री लि. द्वारा घरेलू विमान सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को वापस लेने से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रभावित नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) औद्योगिक क्षेत्र से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

लघु उद्योगों में शुल्क मुक्त स्लैब

1551. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक: क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों में शुल्क मुक्त स्लैब का कारोबार पिछले 12 वर्षों से 30 लाख रुपये पर स्थिर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लघु उद्योगों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) जी, हाँ। लघु उद्योगों में शुल्क मुक्त स्लैब का कारोबार 1986 में 30 लाख रुपये निर्धारित हुआ था (दिनांक 1.3.1986 की अधिसूचना सं. 175/86-सी.ई. के तहत)। चूंकि इस सीमा के तहत अधिकांश लघु एकक आ गये थे और लघु उद्योगों की उचित आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी, इसलिए सीमा बढ़ाने हेतु 1998 तक कोई संशोधन नहीं किया गया था। वर्ष 1998-99 के बजट में इस सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया था।

(ग) सरकार लघु उद्योगों के हितों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार का लघु उद्योगों का तेजी तथा स्वस्थ विकास करना हमेशा लक्ष्य रहा है। मौजूदा नीति में अच्छे सुधार करने के अतिरिक्त लघु उद्योगों के हितों की सुरक्षा के लिए 1998-99 तक किये नये उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

1. देश में अब तक 46 एकीकृत अवस्थापनापरक विकास केन्द्र मंजूर किये गये हैं।

2. लघु औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों को सरकारी खर्च पर अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जाता है।

3. आई.एस.ओ. 9000 प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए लघु इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

4. लघु रोजगार उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार योजना के मानदंडों को शामिल किया गया है।

5. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की प्रौद्योगिकी विकास तथा आधुनिकीकरण कोष योजना के क्षेत्र को बढ़ाया गया है ताकि गैर-निर्यातक लघु उद्योगों/अनुषंगी एककों तथा लघु क्षेत्र से बाहर के लघु उद्योगों/अनुषंगी एककों को भी शामिल किया जा सके।

6. लघु उद्योग क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के लिए ऋण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे आदेश जारी किए है कि लघु क्षेत्र का सामान्य तौर पर दी गयी धनराशि में से संयंत्र व मशीनरी के रूप में 5 लाख रुपये तक के निवेश वाले एककों की 40% राशि; 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच निवेश वाले एककों के लिए 20%; और शेष 40% राशि ही अन्य एककों को दी जाए।

7. अति लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किये गये अतिरिक्त उपाय इस प्रकार हैं:

   - आई.आई.डी. योजना के तहत अति लघु इकाइयों के लिए सुविधाएं निर्धारित करना।
   - अति लघु एककों के लिए एन.एस.आई.सी. द्वारा सहायता निर्धारित करना।
   - अति लघु क्षेत्र के लिए ''सिडबी'' की पुनर्वित्तीयन योजना के तहत ऋण का निर्धारण करना।

8. बड़े एककों द्वारा लघु औद्योगिक एककों की देनदारी की समस्या का समाधान करने के लिए विलंबित भुगतान पर ब्याज अधिनियम को संशोधित किया गया।

9. केन्द्रीय बजट 1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित एककों द्वारा उत्पादित किसी अन्य विनिर्माता के ब्रांड नाम वाले माल पर भी लघु उद्योग के तहत मिलने वाली छूट दी गई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

1552. श्री नरेश पुगलीया:
डा. शकील अहमद:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्यावधि समीक्षा किए जाने हेतु हाल ही में दिल्ली में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संगोष्ठी में किन-किन विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया तथा इसमें की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या आर्थिक संकट पर निगरानी रखने हेतु कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) भारतीय अर्थव्यवस्था की मध्यावधिक समीक्षा के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में नई दिल्ली में कोई आधिकारिक सेमिनार आयोजित नहीं किया गया।

(ग) और (घ) जी, हां। बजट 1999-2000 में निश्चित कार्य-योजना दी गई है।

[हिन्दी]

ऋणों की वसूली

1553. श्री महेश कनोडिया:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण वापिस न करने वाले ग्राहकों के विरुद्ध बैंकों ने कोई कानूनी कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन बैंकों ने कितनी-कितनी राशि के लिए कानूनी कार्रवाई की है;

(ग) क्या इस कानूनी कार्रवाई के फलस्वरूप ऋणों की वसूली हुई है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक बैंक द्वारा उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि वसूल की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) बैंक अपनी ऋण वसूली नीति के अनुरूप अपनी ऋण वसूलियां करने के लिए चूककर्ताओं से लगातार सम्पर्क बनाए रखते हैं। सामान्यत: वसूली के लिए मुकदमे बाजी तभी की जाती है जब वसूली के बारे मे की गई अन्य कार्रवाईयां असफल हो जाती हैं।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) को 31.3.98 तक अंतरित मामलों की संख्या और उनमें सम्मिलित राशि की सूचना विवरण-I में दी गई है। इसी प्रकार कितने मामलों में 31.3.98 तक निर्णय हो पाया उनकी संख्या, उनसे वसूली गई राशि और लंबित मामलों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि की सूचना विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

ऋण वसूली अधिकरण—31.3.1998 की स्थिति के आंकड़े

क. 31.3.98 तक ऋण वसूली अधिकरण को अंतरित उपकर

(राशि करोड़ रुपए)

क्र.सं.	बैंक का नाम	संख्या	राशि
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद बैंक	499	514.43
2.	आंध्रा बैंक	388	211.55
3.	बैंक आफ बड़ौदा	922	580.89
4.	बैंक आफ इंडिया	802	741.88
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	153	82.5
6.	केनरा बैंक	1129	1104.79
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	716	674.7

1	2	3	4
8.	कार्पोरेशन बैंक	207	70.72
9.	देना बैंक	186	86.03
10.	इंडियन बैंक	1520	1803.79
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	414	397.77
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	316	137.02
13.	पंजाब नेशनल बैंक	1420	1350.49
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	446	384.46
15.	सिंडिकेट बैंक	677	240.32
16.	युनियन बैंक आफ इंडिया	424	266.95
17.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	519	457.82
18.	यूको बैंक	459	474.3
19.	विजया बैंक	326	257.79

विवरण II

ख. 31.3.98 तक घोषित उपकर और बकाया उपकर

क्र.सं.	बैंक का नाम	31.3.1998 तक घोषित मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	वसूल की गई राशि	31.3.98 से लबित मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	इलाहाबाद बैंक	97	9071	16.69	402	423.72
2.	आंध्रा बैंक	52	20.22	7.41	334	191.33
3.	बैंक आफ बड़ौदा	104	49.67	8.43	818	531.02
4.	बैंक आफ इंडिया	120	45.76	16.71	682	696.10
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	9	3.99	0.36	144	78.10
6.	केनरा बैंक	198	103.21	17.76	931	1001.58
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	76	23.1	7.4	640	651.6
8.	कार्पोरेशन बैंक	27	10.18	6.44	180	60.54
9.	देना बैंक	39	7.96	3.24	147	78.07
10.	इंडियन बैंक	184	85.67	8.54	1336	1718.12
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	51	14.08	7.27	363	363.69
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	35	13.72	7.73	281	123.3

1	2	3	4	5	6	7
13.	पंजाब नेशनल बैंक	133	102.33	13.96	1267	1248.10
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	79	36.74	13.45	367	348.72
15.	सिंडिकेट बैंक	93	37.47	2.69	584	202.85
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	76	27.99	4.77	348	238.96
17.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	78	50.04	2.81	441	407.78
18.	यूको बैंक	68	44.59	14.2	391	429.71
19.	विजया बैंक	52	33.4	1.64	270	224.39

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

1554. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अपने उत्पादों का निर्यात स्वयं करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यातित उत्पादों का ब्यौरा क्यां है तथा वे कितने मूल्य के हैं; और

(ग) इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन.एम.डी.सी.) एम.एम.टी.सी. लिमिटेड के माध्यम से लौह अयस्क का निर्यात करता है। मौजूदा आयात-निर्यात नीति के अनुसार 64% से अधिक लोहांश से युक्त लौह अयस्क के निर्यात हेतु एम.एम.टी.सी. लिमिटेड को माध्यमीकरण एजेन्सी के रूप में नामजद किया गया है।

(ख) उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान एम.एम.टी.सी. द्वारा निर्यात किए गए एन.एम.डी.सी. की बैलाडिला और दौणिमलै खानों के उत्पादों की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा (लाख टन)	अर्जित की गई विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपए)
1995-96	65.22	407.13
1996-97	63.94	445.60
1997-98 (अनंतिम)	70.30	520.33

(ग) लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा उठाए जा रहे कुछ कदम निम्नानुसार है:

(1) लौह अयस्क की निम्नलिखित श्रेणियों के निर्यात की सीमा 1.4.1998 से संशोधित करके बढ़ा दी गई है:

(मिलियन टन वार्षिक)

बैलाडिला डले	2.4 से 3.0
बैलाडिला चूरा	1.2 से 3.8
बेल्लारी हॉस्पेट चूरा	1.5 से 2.0

(2) लौह अयस्क की सभी श्रेणियों के लिए +10% की सह्य मात्रा की अनुमति दे दी गई है।

(3) 64% तक लौहांश युक्त लौह अयस्क के निर्यात हेतु माध्यमीकरण समाप्त करना।

(4) लौह अयस्क के निर्यात हेतु नए बाजारों में प्रवेश करना।

(5) लौह अयस्क के निर्यात हेतु दीर्घकालिक अनुबंध करना।

हीरा खनन में रायल्टी की पूर्व दर का पुनः लगाया जाना

1555. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हीरा खनन में दी गई रायल्टी 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने रायल्टी की पूर्व दर बनाए रखने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का पूर्व दर को पुनः लगाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उक्त रायल्टी कब तक पुनः लगाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) हीरे की रायल्टी दर सरकार की दिनांक 11.4.1997 की राजपत्र की अधिसूचना जी.एस.आर. संख्या 214(ई), जिसकी प्रति 8.5.1997 को सभा पटल पर रख दी गई है, द्वारा खदान मूल्य पर बिक्री कीमत का 20% से घटाकर यथामूल्य आधार पर बिक्री कीमत का 10% कर दी गई थी। इस प्रकार का संशोधन भारत सरकार द्वारा प्रमुख खनिजों (कोयला और लिग्नाइट को छोड़कर) पर रायल्टी के संशोधन के लिए वर्ष 1995 में गठित अध्ययन दल की सिफारिशों पर आधारित था।

2. उपरोक्त अध्ययन दल में, अन्य के साथ-साथ, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान की राज्य सरकारों के सचिव स्तरीय प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल थे। परिपाटी के अनुसार विभिन्न अवसरों पर रायल्टी की दरों में संशोधन करने हेतु गठित इस प्रकार के अध्ययन दल में राज्य सरकारों के बारी-बारी से प्रतिनिधि शामिल किये जाते हैं। 31.3.1989 को गठित पिछले अध्ययन दल में, जिसकी सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1992 में रायल्टी की दरों में संशोधन किया गया था, मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व खनिज संसाधन विभाग के सचिव ने अध्ययन दल के सदस्य के रूप में किया था।

3. वर्ष 1995 में गठित अध्ययन दल ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दने से पहले मध्य प्रदेश सरकार सहित राज्य सरकारों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया था। अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हीरे की रायल्टी दरों में कमी करने का निर्णय लिया कि हीरे का उत्पादन करने वाले अनेक प्रमुख देशों में हीरे की रायल्टी दर 10% या इससे कम है; मूल्य की दृष्टि से हीरे दूसरा सबसे बड़ा आयात किया जाने वाला खनिज है; देश में हीरा के नए स्रोतों का पता लगाने की तुरन्त आवश्यकता है; भारत में हीरे के संभावित संसाधनों का गवेषण, पूंजी और उपयुक्त उच्च प्रौद्योगिकी इंपुट प्रचुर मात्रा में न होने के कारण बहुत कम किया जाता है और रायल्टी की दर में कमी करने से बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश और नवीनतम प्रौद्योगिकी का आगमन बढ़ने की संभावना है।

4. मध्य प्रदेश सरकार ने अध्ययन दल के साथ विचार-विमर्श के दौरान विभिन्न मात्रा में खनिजों पर तत्कालीन मौजूदा रायल्टी दरों में बढ़ोत्तरी पर सहमति प्रकट की थी और अप्रैल, 1997 में रायल्टी दरों में संशोधन के पश्चात् हीरे की रायल्टी दरों में कमी करने के मामले को केन्द्र सरकार के साथ उठाया था, परन्तु उनके अनुरोध को स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

[अनुवाद]

विश्व बैंक ऋण के लिए शर्तें

1556. **श्री अनूप लाल यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में उसके द्वारा आगे दिये जाने वाले ऋणों की शर्तों में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक के ऋण, विदेशी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की तुलना में अधिक महंगे पड़ते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ब्याज की बढ़ी हुई दरों को देखते हुए विश्व बैंक से ऋण लेना रोकने का है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) जुलाई, 1998 से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जो कि विश्व बैंक की एक शाखा है, ऋणों के लिए निम्नलिखित प्रभार लगाए हैं:

(1) बैंक के खर्चों से ऊपर लगने वाली ब्याज दर 0.50 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.75 प्रतिशत कर दी गयी।

(2) ऋण राशि पर 1 प्रतिशत की "फ्रंट एंड फी"।

(3) वचनबद्धता प्रभार 0.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तनीय

यह संशोधन आई.डी.ए. से लिये गये ऋणों पर लागू नहीं होता और ये रियायती दर पर ही उपलब्ध होते रहेंगे।

(ग) जी, नहीं। विश्व के पूंजी बाजारों में बैंक की मजबूत स्थिति इसे कम खर्च पर निधियां प्राप्त करने की अनुमति देती है और इसके साथ ही बचतों को इसके कर्जदारों में संवितरित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, हमारी निधियों का अधिकांश भाग आईडीए की रियायती दरों पर प्राप्त किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कुटेश्वर इस्पात संयंत्र, जबलपुर

1557. **श्री रामानन्द सिंह:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कटनी जिला (पूर्व जबलपुर जिला) में स्थित कुटेश्वर इस्पात संयंत्र में 20 साल तक गांव गैरतलई और आसपास के क्षेत्रों के किसानों की भूमि पट्टे पर ली गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या इस्पात संयंत्र के प्रबंधकों ने किसानों को लिखित और मौखिक आश्वासन दिया था कि उनके परिवार के कम से कम एक बेरोजगार सदस्य को रोजगार दिया जायेगा और उक्त आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कंपनी किसानों की न तो भूमि खाली कर रही है और न तो आगे समझौता कर रही है और न ही पट्टे की बीस वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद क्षतिपूर्ति दे रही है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

ऊन की मिलों का पुनरुद्धार

1558. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धारीवाल (पंजाब) तथा कानपुर वूलेन मिल वी.आई.सी. की दो ऊन की मिलों के पुनरुद्धार के संबंध में ऊन अनुसंधान संघ द्वारा तैयार रिपोर्टें सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) वस्त्र अनुसंधान संघ (डब्ल्यू. आर. ए.) ने बी. आई. सी. ऊनी मिलों के पुनर्वासन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। डब्ल्यू. आर. ए. की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इन मिलों के लिए भावी रणनीति के संबंध में मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

कपास की खरीद हेतु बैंक सहायता

1559. **डा. रवि मल्लू:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक मिलों के लिए ऋणों के पुनर्निर्धारण और कपास की खरीद हेतु धनराशि सहित कुछ अल्पकालिक उपायों पर सहमत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने वस्त्र उद्योग की कितनी सहायता की है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ग) उद्योग के सम्मुख आ रही ऋण की समस्याओं के बारे में कुछ वस्त्र उद्योग संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे। मंत्रालय ने अनेक बैठकें आयोजित करने की पहल की, जिनमें वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक भी शामिल है, जिसमें उद्योग तथा संबंधित वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बैठक में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों से यह आग्रह किया गया था कि वस्त्र उद्योग की विद्यमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यथा आवश्यक ऋण देने के मानदण्डों में ढील दी जाए। राज्य मंत्री (राजस्व, बैंकिंग और बीमा) ने भी वस्त्र उद्योग की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए वस्त्र संघों के प्रतिनिधियों और बैंकों व वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि कपास की अधिप्राप्ति तथा ऋणों की अनुसूची पुनः बनाने सहित मुद्दों पर उपयुक्त विचार किया जाएगा। भारत सरकार ने हाल ही में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना नामक एक योजना का अनुमोदन किया है। इस योजना के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय, आई.डी.बी.आई, आई.एफ.सी.आई. तथा सिडबी (नोडिए अभिकरणों) से पात्र वस्त्र एककों से ऋणों पर 5% के ब्याज की प्रतिपूर्ति प्रदान करेगा, बशर्ते कि ऐसे एकक नोडिए अभिकरणों के मानदण्डों के अनुसार ऐसे ऋण प्राप्त करने के योग्य पाए जाएं। वस्त्र एकक मनोनीत वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित ऋणों पर 5% की लागू ब्याज दर पर प्रतिपूर्ति प्राप्त करेंगे। ऐसी प्रतिपूर्ति इन वित्तीय संस्थानों (आई.डी.बी.आई., आई.एफ.सी.आई. तथा सिडबी) द्वारा की जाएगी।

[हिन्दी]

इस्पात संयंत्रों के लिए कोयले की आवश्यकता

1560. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के समेकित इस्पात संयंत्र की कोकिंग कोल की आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या इस समय इन संयंत्रों द्वारा कोकिंग कोल की कमी का सामना किया जा रहा है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन संयंत्रों के लिए कोकिंग कोल आयात करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन देशों के नाम क्या हैं जहां से कोकिंग कोल का आयात किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) कोकिंग कोल के उत्पादन को बढ़ाने तथा आयात से बचने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) वर्ष 1998-99 के दौरान सरकारी क्षेत्र के एकीकृत इस्पात संयंत्रों की कोककर कोयले की आवश्यकता (हजार टन)

निम्नानुसार है:

संयंत्र	आयातित कोककर कोयला	स्वदेशी कोककर कोयला	योग
वी.एस.पी.	1742	384	2126
बी.एस.पी.	2475	2055	4530
डी.एस.पी.	840	1260	2100
आर.एस.पी.	740	1110	1850
बी.एस.एल.	1860	2090	3950
इस्को	100	1110	1210

इस्पात संयंत्रों द्वारा अपनी मात्रात्मक और गुणात्मक आवश्यकता तथा स्वदेशी स्रोतों से उपलब्धता के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए कोककर कोयले का आयात किया जाता है। इस समय यह आयात आस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैण्ड से किया जा रहा है।

(ङ) कोककर कोयले की स्वदेशी उपलब्धता में सुधार हेतु उठाए गए कदम निम्नानुसार है:

(1) मौजूदा खानों को पुन: संगठित करके और नई खानों का विकास करके कच्चे कोककर कोयले की उपलब्धता में वृद्धि करना।

(2) क्षमता उपयोग और साथ ही साथ धुले हुए कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मौजूदा कोककर कोयला धोवनशालाओं में संशोधन करना।

(3) उचित गुणवत्ता के लो वोलेटाइल मीडियम कोककर कोयले की आपूर्ति द्वारा धोवनशालाओं के लिए कच्चे कोयले की मात्रा में वृद्धि करना।

(4) केडला (सी सी एल) और मधुबंद (बी सी सी एल) में दो धोवनशालाएं चालू की गई हैं। ये धोवनशालाएं इस समय उपलब्ध कोककर कोयले से वांछित गुणवत्ता के धुले हुए कोयले का उत्पादन करेंगी।

[अनुवाद]

केरल में विदेशी शराब की खपत

1561. श्री ई. अहमदः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान आज तक में कुल कितनी धनराशि की विदेशी शराब तथा बीयर की खपत हुई है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान राज्य द्वारा शराब पर उत्पाद शुल्क के माध्यम से कितनी धनराशि अर्जित की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) महोदय, केन्द्रीय सरकार मानव खपत के लिए मादक शराब पर कोई उत्पाद

शुल्क नहीं लगाती। यह विषय-वस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 51 के तहत आती है। तथापि, सूचना, जैसाकि केरल राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई है, नीचे दी गई है:

	1997-98	1998-99 (जनवरी तक)
भारत में बनायी गयी विदेशी शराब की खपत	57.25 लाख पेटी (515.25 लाख लीटर)	52.61 लाख पेटी (473.49 लाख लीटर)
बीयर की खपत	27.93 लाख पेटी (217.85 लाख लीटर)	20.96 लाख पेटी (163.49 लाख लीटर)
राज्य उत्पाद शुल्क के द्वारा अर्जित राशि	207.99 करोड़ रुपए	196.24 करोड़ रुपए

[हिन्दी]

राजसहायता

1562. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
डा. सुशील इन्दौरा:
प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा:
डा. चिन्ता मोहन:
श्री पंकज चौधरी:
श्री विजय गोयल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा दी गई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष राजसहायता का मदवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान राजसहायता में लगातार वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने बजटीय घाटे को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न शीर्षों पर दी जाने वाली राजसहायता की राशि कम करने हेतु कोई उपाय किये हैं;

(घ) यदि हाँ, तो शीर्षवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राजसहायता कम करने का गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(च) क्या प्रधान मंत्री ने इस संबंध में राष्ट्रीय सहमति कायम करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की कोई बैठक बुलाई है; और

(छ) यदि हां, तो यह बैठक कब तक होने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ङ) वर्ष 1999-2000 के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल आर्थिक सहायता के रूप में 23838 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था की गई है। आर्थिक सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सरकार का प्रयास आर्थिक सहायता की प्रणाली को पारदर्शी बनाकर तथा जहाँ आवश्यक हो आर्थिक सहायता प्राप्त मदों के मूल्यों में परिवर्तन करके उसे युक्तिसंगत बनाना रहा है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की आवश्यकताओं तथा समाज के कमजोर वर्गों के हितों के संरक्षण की जरूरत में सामंजस्य रखने के लिए, सरकार ने "गरीबी रेखा से ऊपर" के वर्ग से संबंधित लाभानुभोगियों के लिए गेहूं और चावल पर आर्थिक सहायता की वृद्धि को रोकने का प्रयास किया है। आर्थिक सहायता के बेहतर लक्ष्य को प्राप्त करने के

परिणामस्वरूप चीनी पर आर्थिक सहायता को भी कम कर दिया गया है।

(च) और (छ) प्रधानमंत्री ने दिनांक 3 फरवरी, 1999 को लखनऊ में आयोजित प्रेस सम्मेलन में एक वक्तव्य में सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह किया कि सर्वसम्मति तैयार करने के उद्देश्य से वृहत्तर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वे आर्थिक सहायताओं की लाभप्रदत्ता पर विचार करें।

विवरण

सब्सिडी के ब्यौरे

(करोड़ रुपये)

	वास्तविक 1990-91	वास्तविक 1991-92	वास्तविक 1992-93	वास्तविक 1993-94	वास्तविक 1994-95	वास्तविक 1995-96	वास्तविक 1996-97	वास्तविक 1997-98	संशोधित 1998-99	बजट 1999-2000
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क. मुख्य आर्थिक सहायता	9581	9793	9414	10764	11527	12430	14041	18238	21063	22440
1. खाद्य	2450	2850	2800	5537	5100	5377	6066	7500	8700	8200
2. चीनी	–	–	–	–	–	–	–	400	400	360
3. स्वदेशी (यूरिया) उर्वरक	3730	3500	4800	3800	4075	4300	4743	6600	7360	8000
4. आयातित (यूरिया) उर्वरक	659	1300	996	762	1166	1935	1163	722	238	750
5. छोटे और सीमांत किसानों को उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता	–	385	–	–	–	–	–	–	–	–
6. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास	2742	1758	818	665	658	318	397	420	575	630
7. किसानों को रियायत सहित विनियंत्रित उर्वरकों की बिक्री	–	–	–	–	528	500	1672	2596	3790	4500

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ख. किसानों को ऋण राहत	1502	1425	1500	500	341	–	–	–	–	–
ग. अन्य आर्थिक सहायता	1075	1035	1081	1418	1064	942	2323	1249	3620	1398
8. रेलवे	283	312	353	412	420	388	468	526	618	710
9. मिल निर्मित कपड़ा	10	15	15	16	–	–	–	–	–	–
10. हथकरघा कपड़ा	185	187	161	174	148	126	89	64	42	40
11. चीनी, खाद्य तेलों आदि का आयात/निर्यात	–	–	–	–	–	100	–	20	105	50
12. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	379	316	113	113	76	34	1222	78	1436	73
13. उर्वरक संवर्धन के लिए सहायता	–	–	340	517	–	–	–	–	–	–
14. अन्य आर्थिक सहायता	218	205	99	186	420	294	544	561	1419	525
जोड़ आर्थिक सहायता	12158	12253	11995	12682	12932	13372	16364	19487	24683	23838

चाय का निर्यात

1563. श्री शान्तिलाल चपलोत: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ग) क्या चाय का निर्यात गिरावट का रुख दिखा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) भारत से पिछले तीन वर्षों में चाय निर्यात निम्न प्रकार रहा:

वर्ष	मात्रा (मि.कि.ग्रा.)	मूल्य (करोड़ रु. में)	मि. अमरीकी डालर
1995-96	167.47	1244.52	372.08
1996-97	169.04	1301.46	366.62
1997-98	211.76(+)	1953.91 (+)	525.74 (+)

(+) (अनुमानित)

(ग) और (घ) जी, नहीं। चाय के निर्यात में 1997-98 में मात्रा और मूल्य दोनों के रूप में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई।

[अनुवाद]

म्यांमार में व्यापार केन्द्र

1564. श्री के.ए. सांगतम: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) म्यांमार के साथ व्यापार हेतु सीमा पर कितने व्यापार केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या शेष नागालैंड व्यापार केन्द्रों के साथ उचित सड़क एवं संचार संपर्क स्थापित हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) वर्तमान में, मणिपुर में, मोरह स्थित निर्दिष्ट सीमा शुल्क चौकी के जरिए म्यामांर के साथ सीमा व्यापार किया जा रहा है।

(ख) से (घ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत म्यांमार के सामने के सीमावर्ती खंडों में राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा चुनी गई सड़कों के निर्माण के लिए नागालैंड को 100% अनुदान आधार पर विशेष केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। नागालैंड सरकार ने तीन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया है, जिससे म्यांमार के साथ सीमा व्यापार में सुविधा मिलेगी, इन सड़कों के नाम हैं: पंगशानकलक सड़क (2) लौंगवा-फुनिशिंग सड़क, और (3) पोकुनग्री-अवांखु सड़क।

टी.पी.सी. द्वारा निर्यात के लक्ष्य में संशोधन

1565. श्री एम. बागा रेड्डी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र संवर्धन परिषद् (टी.पी.सी.) निर्यात लक्ष्य में संशोधन करने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) क्या वस्त्र उद्योग ने इस संबंध में एक कार्यनीति तैयार करने का भी निर्णय लिया है;

(ग) वस्त्र निर्यातकों द्वारा बनाई गई प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन उपायों से सरकार द्वारा निर्धारित की गई 20% विकास-दर की प्राप्ति में किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (घ) वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषदों के परामर्श से वस्त्रों के यिर्नात के लक्ष्य वार्षिक रूप से निर्धारित किये जाते हैं। उद्योग निर्यात बढ़ाने और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। निर्यात संवर्द्धन

परिषदों के कार्य निष्पादन की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

वस्त्रों और परिधानों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए उठाये गये कदमों में क्रेता-विक्रेता बैटकों, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्कों पर, पूंजीगत माल के आयात का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष प्रबंध करना आदि शामिल हैं।

वित्तीय प्रणाली के लिए कार्य योजना

1566. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील: क्या वित्त मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भविष्य में वित्तीय प्रणाली की आधारित रूपरेखा तैयार करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा "विकास वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की भूमिका और कामकाज में एकरूपता लाने" (जनवरी, 1999) के संबंध में तैयार किए गए चर्चा पत्र में निम्नलिखित तर्ज पर भविष्य की वित्तीय प्रणाली की संरचना की परिकल्पना की गई है:

(1) बैंकों और विकास वित्त संस्थाओं (डी.एफ.आई.) दोनों द्वारा विविधीकृत सेवाओं की व्यवस्था हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक के उपयुक्त विनियम के अधीन रहते हुए एक क्रमिक और व्यवस्थित ढंग से जारी रहनी चाहिए।

(2) संस्थाओं के रूप में, अंततः केवल बैंक और पुनर्गठित गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनियां (एन.बी.एफ.सी.) होने चाहिए।

(3) विकास वित्त संस्थाओं की विशेष भूमिका को मान्यता दी गई है और उनके लिए एक पूर्णस्तरीय एन.बी.एफ.सी. या बैंक बनने के लिए एक संक्रमणकालीन रास्ते की परिकल्पना की गई है।

(4) चूंकि बैंक विशेष है, ऐसा कोई वित्तीय समूह जिसमें बैंक मौजूद हो, पर्यवेक्षण और विनियमन की समेकित नीति के अधीन होना चाहिए।

(5) वित्तीय मध्यवर्ती सेवाओं, विलयन के लिए आवश्यक लचीलापन, उभरती हुई स्थिति की जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्जन और विविधीकरण की व्यवस्था करने के लिए कम्पनी अधिनियम के अधीन निगमित स्वरूप के संगठन को तरजीह दी गई है।

(6) पर्यवेक्षकीय कार्यों को पुनर्वित्तीकरण संस्थाओं से असम्बद्ध किया जाना है और एक संगत पर्यवेक्षकीय ढांचे के अधीन लाया जाना है।

(7) वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं के संबंध में स्वामित्व की भूमिका भा.रि. बैंक से भारत सरकार को अन्तरित की जानी चाहिए ताकि भा.रि. बैंक अपने पर्यवेक्षकीय/विनियामक कार्यों पर ध्यान केन्द्रित कर सके।

(8) विभिन्न संस्थाओं के कामकाज में एकरूपता लाने का कार्य स्वयं संगठनों की पहल पर होना चाहिए जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक मार्गदर्शन और परामर्श के लिए उपलब्ध रहे।

(9) प्रत्येक संगठन से संबंधित विभिन्न कार्यक्षमता मुद्दों का निवारण बैंकों/डी.एफ.आई., जिन्हें आपस में विचार-विमर्श करने और तत्काल आवश्यक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, द्वारा अलग-अलग किया जाना है।

बैंक को होने वाले घाटे

1567. **श्री के.एस. राव:**
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1999 के "बिजनेस स्टैन्डर्ड" के "मार्क-टू-मार्केट लासेज ऑफ बैंक्स एट रूपीज 800 करोड़" शीर्षक से प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन घाटों को रोकने के लिए कोई कार्यविधि अपनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों को समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों में परिकल्पित समानुपात में चालू या स्थायी प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। "चालू" प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण ऐसे मूल्य निर्धारण की तारीख को उनकी बाजार की कीमत के आधार पर किया जाना होता है और जहां बाजार संविदा दरें उपलब्ध नहीं हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित परिपक्वता दर की तुलना में लाभ के आधार पर किया जाना होता है, और जबकि मूल्य में वृद्धि के लिए कोई ऋण नहीं लिया जाता है, मूल्यांकन में किसी प्रकार की कमी को पूरा करना होता है। इसलिए बाजार में "चालू" प्रतिभूतियां बेचने के लिए किये जाने वाले प्रावधानों में हो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में आनुमानिक हानि होती है। प्रतिभूतियों का अंतिम रूप से निपटान करते समय ही वास्तविक हानि, यदि कोई हो, को निर्धारित किया जा सकता है।

सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के उत्पादन में वृद्धि

1568. श्री अर्जुन सेठी: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिगा द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन तथा राजस्व प्राप्ति के रूप में कितना कारोबार किया गया;

(ख) क्या सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की वृद्धि दर में कमी आयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) गत तीन वर्षों (1995-96, 1996-97 और 1997-98) के दौरान उत्पादन और बिक्री के ब्यौरे नीचे दिए हुए हैं:

	1995-96	1996-97	1997-98
उत्पादन (लाख मी. टन)	19.56	17.20	9.85
बिक्री टर्न ओवर (करोड़ रुपये में)	436.86	405.11	236.92

(ख) और (ग) जो, हां। विद्युत की कमी, नगदी की समस्या, बाजार मन्दी की स्थिति इत्यादि के कारण उपयोगिता का कम होना जैसे विभिन्न कारणों की वजह से उत्पादन और बिक्री के संदर्भ में गत तीन वर्षों के दौरान सी.सी.आई. की वृद्धि में गिरावट आई है।

ब्रिटेन के साथ व्यापार संबंध

1569. श्री तथागत सत्पथी: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ब्रिटेन के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या 1999-2000 के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों का विस्तार करने के लिए किसी नए क्षेत्र का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (घ) सरकार का यह प्रयास रहता है कि ग्रेट ब्रिटेन समेत इसके सभी व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार संबंध सुधारे जाएं। व्यापारिक संबंधों को सुधारने के उपाय करना सरकार और निजी क्षेत्र के सतत कार्यकलाप हैं। इनमें शामिल हैं—नीतिगत मुद्दों का निराकरण करने के लिए सरकारी और व्यापारिक दोनों स्तरों पर व्यापारिक साझेदारों के साथ संबंध बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए सहायता देना, व्यापारिक शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान, बाजार सर्वेक्षण करना; वाणिज्यिक सूचना का प्रचार-प्रसार, वाणिज्यिक संगउनों इत्यादि को आवश्यक सुविधा प्रदान करना इत्यादि।

यूरोपीय संघ के चुनिन्दा देशों में स्थित भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की एक बैठक में लन्दन में मई, 1998 में आयोजित की गई थी। इस बैठक में यूरोपीय संघ के देशों के साथ बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार संबंधी विभिन्न मुद्दों का निदान किया गया था। ग्रेट ब्रिटेन समेत यूरोपीय संघ के देशों को भारत के निर्यात विस्तार के कुछ नए क्षेत्रों में शामिल हैं—प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इलैक्ट्रानिक साफ्टवेयर, आटो उपकरण, विशेषीकृत परिधान, भेषजीय/जड़ी बूटी उत्पाद और मूल्यवर्धित ग्रेनाइट।

[हिन्दी]

खान उद्योग का विकास

1570. **श्री ब्रजमोहन राम:** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में विशेषकर बिहार में खान उद्योग का विकास किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस क्षेत्र से राज्य-वार कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई; और

(ग) देश से गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए खनिजों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) भारत सरकार ने भारत में खनन क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 घोषित की जो बिहार सहित सभी राज्यों में समान रूप से लागू होती है। इसके पश्चात खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में जनवरी, 1994 में संशोधन किया गया। इसके अलावा, वर्ष 1996 में हवाई पूर्वेक्षण के क्षेत्र में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए कुछ शर्तों पर 10,000 वर्ग कि.मी. तक के बड़े क्षेत्रों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस देने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए। खनिज क्षेत्र में आटोमैटिक रूट के तहत 50% तक की विदेशी इक्विटी की अनुमति दी गई जो खान उद्योग के विकास में भी मदद कर सकती है। तथापि, स्वर्ण, चांदी, हीरा और कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थरों से संबंधित खनन परियोजनाओं के लिए आटोमैटिक रूट की व्यवस्था नहीं है और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा इनकी मंजूरी प्रत्येक मामले के आधार पर दी जाती है। सरकार ने ड्रिलिंग, शाफ्टिंग खानों के सुधार, सर्वेक्षण/मानचित्रण (स्वर्ण, चांदी और कीमती/अर्द्ध कीमती पत्थरों से संबंधित सेवाओं को छोड़कर) और आधार धातुओं और अलाय उत्पादों जैसी खनन से संबंधित प्रासंगिक सेवाओं के लिए 74% तक विदेशी इक्विटी हेतु स्वत: अनुमोदन रूट की मंजूरी दे दी है। खान मंत्रालय में तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में एक समिति भी फरवरी, 1997 में गठित की गई थी जिसे खनिजों के विनियमन और विकास के लिए मौजूदा कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी थी और उन्हें बदली नीतियों के अनुरूप बनाने के उपाय सुझाने थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

(ख) भारतीय खान ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए राज्य सरकारों को प्रमुख खनिजों पर मिलने वाली राज्य-वार रायल्टी समभूतियां नीचे दी गई हैं। वर्ष 1997-98 के आंकड़े अभी एकत्र किए जाने हैं।

वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान दी गई रायल्टी

(रु. हजार में)

राज्य	1995-96	1996-97
1	2	3
आंध्र प्रदेश	477,283	499.744
बिहार	257,843	234,263
गोवा	103,800	65,006
गुजरात	260,834	305,694

1	2	3
हरियाणा	9,785	69,378
जम्मू व कश्मीर	2,245	1,445
हिमाचल प्रदेश	93,502	130,206
कर्नाटक	405,548	371,055
केरल	14,652	17,542
मध्य प्रदेश	1078,277	1114,654
महाराष्ट्र	201,688	217,071
मणिपुर	38	102
मेघालय	6,925	6,975
उड़ीसा	673,495	583,174
राजस्थान	16,86,853	854,456
तमिलनाडु	218,728	210,610
उत्तर प्रदेश	42,607	28,240
पश्चिम बंगाल	1,766	2,959
असम	10,300	10,850
अखिल भारत	5546,169	4723,424

(ग) खनिज निर्यात का विवरण राज्यवार नहीं रखा जाता। तथापि, वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान खनिजों का कुल निर्यात क्रमश: 19,820 करोड़ रुपये, 18,956 करोड़ रुपये और 20,569 करोड़ रुपये रहा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए वेतनमान पैकेज

1571. **श्री रामशकल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमानों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने किन-किन विषयों की समीक्षा की है तथा रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने कोई अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (ग) जी, हां। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17(1) के अंतर्गत निर्धारित किये जाते हैं। सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने इस मामले में सरकार के पास सिफारिशें करने के लिए एक समिति (महालिक समिति) का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

(घ) जबकि महालिक समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों और वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों के बीच समतुल्यता को स्वीकार नहीं किया है तथापि, अपनी सिफारिशें करते हुए उन्होंने किन्हीं सापेक्षता को ध्यान में रखा है।

(ङ) यह मामला न्यायाधीन है और समिति की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सहायता

1572. **श्रीमती कमल रानी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा देश में विशेषत: उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं में सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सहायता के माध्यम से अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वदेशी मेले में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की भागीदारी

1573. **श्री नादेन्दला भास्कर राव:** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ल में आयोजित स्वदेशी मेले में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साथ ही इसके उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु कितने स्टाल लगाए गए;

(ग) इसके परिणामस्वरूप इसके प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया रही; और

(घ) मेले में भागीदारी से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को अपने विकास में कहां तक सहायता मिली है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने अपनी विभागीय इकाइयों तथा अपने सहायता प्राप्त संस्थानों सहित 25 जनवरी से 30 जनवरी, 1991 तक नई दिल्ली में आयोजित स्वदेशी मेले में भाग लिया। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को मुख्य प्रायोजक के रूप में मेले में 1000 वर्ग मीटर स्थान आबंटित किया गया था। खादी तथा

ग्रामोद्योग आयोग ने तथा इसके संस्थानों/विभागीय इकाइयों ने कुल 70 स्टाल लगाये।

(ग) और (घ) जैसा कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने सूचित किया है, अति विशिष्ट व्यक्तियों, विशिष्ट व्यक्तियों, प्रैस प्रतिनिधियों, विदेशी अतिथियों, स्कूली बच्चों तथा सरकारी कर्मचारियों सहित बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने मेला देखा। मेले के दौरान लगभग 10 लाख रु. की बिक्री हुई तथा लगभग 165 लोगों ने व्यापार संबंधी पूछ-ताछ की थी।

बंद पड़ी सीमेंट इकाईयां

1574. श्री किशन सिंह सांगवान:
श्री अमन कुमार नागरा:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार किन-किन सीमेंट इकाईयों को बन्द कर दिया गया है;

(ख) चरखी-दादरी सीमेंट फैक्टरी के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बंद पड़ी सीमेंट इकाईयों विशेषरूप से सूरजपुर (एसीसी), चरखी-दादरी तथा सीसीआई सीमेंट फैक्टरियों के कामगारों को पर्याप्त मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) विगत तीन वर्षों में हरियाणा में, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लि. के केवल एक एकक यानी भूपेन्द्र सीमेंट वर्क्स, सूरजपुर को बंद किया गया था।

(ख) चरखी-दादरी में स्थित भारतीय सीमेंट निगम एकक की आर्थिक अव्यवहार्यता के कारण इसके उत्पादन को निलंबित किया गया है। संपूर्ण भारतीय सीमेंट निगम का मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को भेजा गया है ताकि इसके विभिन्न एककों के पुनरुज्जीवन की व्यवहार्यता की जांच की जा सके।

(ग) से (ङ) श्रमिकों को दी जा रही प्रतिपूर्ति से संबंधित सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत गुजरात को अनुदान

1575. डा. वल्लभ भाई कथीरिया: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) के अंतर्गत गुजरात को जिले-वार आवंटित अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे अनुदानों से राज्य में लाभान्वित युवकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात को दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि करके योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत भारत सरकार विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को वास्तविक आवंटन करती है (जो कि सहायता दिए जाने वाले युवाओं की संख्या के रूप में होता है)। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र की सरकारें जिलेवार आवंटन लक्ष्य निर्धारित करती हैं। भारत सरकार राजसहायता, प्रशिक्षण, आकस्मिक व्यय आदि के लिए धन सहायता प्रदान करती है। राजसहायता की रकम भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित की जाती है जिसे कार्यान्वयन बैंकों के माध्यम से अनेकानेक लाभभोगियों को प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण, आकस्मिक व्यय आदि के लिए निर्धारित रकम को राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को जारी किया जाता है जो जिलेवार लक्ष्यों के आधार पर क्रमश: जिलेवार आवंटन करते हैं। फिर भी अभिज्ञात युवकों के लिए अधिकतम परियोजना सहायता बैंकों से ऋण के रूप में प्राप्त होती है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए बैंकों ने 30500 युवाओं को ऋण वितरित किये।

(ग) राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को धन का आवंटन राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को किये गये आवंटन लक्ष्यों से जुड़ा है। गुजरात को, प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत किया गया लक्ष्य-आवंटन, राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए अपनाए जा रहे लक्ष्यों के आवंटन से संबंधित मानदंडों के आधार पर है।

हीरे का खनन

1576. श्री अजीत जोगी: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन-किन खानों से हीरे निकाले जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में हीरों का कुल कितना उत्पादन किया गया;

(ग) क्या हीरों के खनन के लिए कोई नए स्थानों की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) खनन प्रयोजनों के लिए निजी पार्टियों को खान किन-किन शर्तों पर दी गई हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) देश की निम्नलिखित खान में हीरे का उत्पादन होने की सूचना मिली है:

राज्य/जिला	खान का नाम	खान मालिक का नाम
मध्य प्रदेश, पन्ना जिला	मझगावन	मैसर्स नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

मैसर्स नेशनल मिनरल डवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व वाली खान के अलावा, मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एल्युविमल तथा कोंग्लोमरेट तलहटियें में हीरे के विदोहन के लिए, लोगों को, वार्षिक आधार पर, 7.5 मी.×7.5 मी. क्षेत्र में उथले खनन हेतु भी लाइसेंस दे रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, देश में हीरे का उत्पादन नीचे दिया गया है:

मात्रा कैरेट में (मूल्य हजार रुपये में)

राज्य	1996-97		1997-98		1998-99*	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
मध्य प्रदेश	31836	220329	31018	171830	26683	141822

*अप्रैल से दिसंबर, 1998 की अवधि से संबधित है।

(ग) और (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्होंने आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में कुछ किम्बरलाइट चट्टानों (पाइपों) जो हीरे की स्रोत चट्टान है, की पुष्टि की है। कुछ चट्टानें डायमंडीफेरस हैं तथा गवेषण कार्य जारी है। ये हैं:

मध्य प्रदेश :

रायपुर जिले के बाहराहडीह-पायालीखंड क्षेत्र में पांच किम्बरलाइट पिण्ड खोजे गए। इनमें से बाहराडीह तथा दो पायालीखंड किम्बरलाइट पिण्ड हीरे वाले हैं जबकि जांगडा तथा कोडोमाली पिण्डों का अभी परीक्षण किया जाना है। बस्तर जिले में टोकापाल, डुगनपाल, बजरीपहाड़ तथा पाराकोट में चार किम्बरलाइट पिण्ड पाए गए। खनिज रसायन सूचक से पता चलता है कि ये किम्बरलाइट हीरा स्थायित्व क्षेत्र में से हैं। राष्ट्रीय हीरा परियोजना के तहत पन्ना हीरा क्षेत्र के कोंग्लोमेरेट के संसाधन तथा कृष्णा, गुन्टूर, कुड्डापाह एवं प्रकाशम जिले में कृष्णा ग्रेवल के संसाधन से उनकी संभावना का आकलन हुआ है। तथापि, हातुपुर तथा साहिदान कोंग्लोमेरेट खंडों के अलावा, कोंग्लोमेरेट तथा ग्रेवल में हीरे के भण्डार सामान्यतः बहुत कम हैं।

आंध्र प्रदेश:

वजराकरूर किम्बरलाइट क्षेत्र (वजराकरूर किम्बरलाइट क्षेत्र, वजराकरूर-लाटावरम-केन्द्रीय भाग, चिगिचेरला-दक्षिणी हिस्सा तथा कल्याण-दुर्ग क्षेत्र) में तेरह नये किम्बरलाइट पिण्ड खोजे गए जिनसे किम्बरलाइट की कुल संख्या 21 हो गई। इन 13 नये पिण्डों में से अभी तक सात को डायमंड-फेरस पाया गया है। इन किम्बरलाइट पिण्डों का संसाधन जारी है। किम्बरलाइट पाइप संख्या 7 से हीरे के अपेक्षाकृत समृद्ध भंडार का पता चला है। मद्दुर नारायणपेट फील्ड (जो कर्नाटक के गुलबर्ग जिले तक है) में अभी तक 30 किम्बरलाइट पिण्ड पाए गए हैं लेकिन अभी तक परीक्षण किये गये ग्यारह पिण्डों में से किसी भी पिण्ड में हीरा नहीं मिला है।

(ङ) खनिज रियायतें, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं। उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के परन्तुक के अनुसार इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी खनिज के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। हीरा, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज है तथा राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा देने से पहले केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई खनिज रियायत नियमावली, 1960 (एम.सी. नियमावली, 1960) में, अन्य बातों के साथ-साथ, खनन पट्टे देने के बारे में शर्तें दी गई हैं जिनका विस्तृत ब्यौरा खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 27 तथा खनन पट्टा दस्तावेज (खनिज रियायत नियमावली, 1960 में संलग्न फार्म 'के') में दिया गया है।

हीरे के खनन के लिए किसी निजी पार्टी को कोई पट्टा नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

व्यापार समझौते

1577. श्री थावर चन्द गहलोत: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों का ब्यौरा क्या है जिनके साथ सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) उन मदों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में उक्त समझौते किये गये हैं; और

(ग) इन व्यापार-समझौतों के क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित देशों के साथ व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए गए:

मंगोलिया	16/9/96
बुल्गारिया गणराज्य	4/12/96
त्रिनिदाद व टोबैगो	24/1/97
इथोपिया	6/3/97
नेपाल	6/12/96
वियतनाम समाजवादी गणराज्य	8/3/97
सिशेल्स	18/9/98
श्रीलंका	28/12/98
आस्ट्रिया	12/2/99

(ख) और (ग) व्यापार करारों में विशिष्ट मदों का उल्लेख नहीं है। सहयोग के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया जाता है जब द्विपक्षीय आधार पर संयुक्त व्यापार समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। व्यापार करार व्यापारियों तथा सहकारी अधिकारियों के लिए ऐसे दिशानिर्देश तथा एक बहुमूल्य ढांचा प्रदान करते हैं जिससे कि वे परस्पर लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश को बढ़ाने हेतु सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विचारों का आदान-प्रदान कर सकें।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नीति

1578. श्री टी. आर. बालू:
श्री समर चौधरी:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1997 में घोषित पृथक पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति में अधिकांश रियायतों को अस्वीकृत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितनी रियायतों को अस्वीकृत किया गया है;

(ग) क्या सरकार का पूर्वोत्तर राज्यों हेतु एक वैकल्पिक नीति का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने ऐसी किसी रियायत को अस्वीकृत नहीं किया है जो नई औद्योगिक नीति के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए घोषित किये गये हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध

1579. श्री पी. शंकरन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आई.सी.आई.सी.आई. और इसकी नियंत्रित कम्पनियों द्वारा संस्था-वार कितने प्रतिबन्ध लगाए गए;

(ख) इन संस्थाओं की फिर से भुगतान की बारम्बारता क्या है एवं कितनी संस्थाओं ने चूक की है;

(ग) क्या आई.सी.आई.सी.आई. भारतीय रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार धनराशि को ब्याज सहित वसूलने में विफल रहा; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन ऋणों को वसूलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) आई सी आई सी आई लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान आई सी आई सी आई और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा मंजूर धनराशि निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आईसीआईसीआई	आईसीआईसीआई बैंक	कुल
1995-96	14595	989	15584
1996-97	14084	1004	15088
1997-98	25532	1620	27152

आई सी आई सी आई ने यह भी बताया है कि इन मंजूरियों की वापसी अदायगी की बारम्बारता अलग-अलग सुविधा के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है और पिछले तीन वर्षों में चूक के मामलों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	आईसीआईसीआई*	आईसीआईसीआई बैंक	कुल
1995-96	1215	-	1215
1996-97	1294	5	1299
1997-98	1586	16	1602

*अनुप्रयोज्य आस्तियों सहित

(ग) और (घ) आई सी आई सी आई द्वारा ऋण समझौतों के अनुसार चूक की राशियां वसूल करने के लिए आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए वित्तपोषण

1580. प्रो. पी.जे. कुरियन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक और "इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेन्स कम्पनी ने देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु एक प्रक्रिया तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 400 करोड़ रु. की आंरभिक राशि के साथ पांच वर्षों के लिए किसी मसझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या "इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेन्स कम्पनी" ने यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारतीय यूनिट ट्रस्ट सहित और संस्थाओं और बैंकों के साथ ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इससे देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किस सीमा तक सुधार होने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) भारतीय स्टेट बैंक और अवसंरचना विकास वित्त निगम लि. (आईडीएफसी) ने आधारभूत क्षेत्र को वित्तपोषित करने में आई रुकावटों को दूर करने के लिए "टेक आउट फाइनेंस" नामक व्यवस्था शुरू की है।

(ख) और (ग) आई डी एफ सी ने सूचित किया है कि टेक आउट फाइनेंसिंग संरचना के अंतर्गत परियोजनाओं में भागीदारी के लिए आई डी एफ सी और एस बी आई के बीच 400 करोड़ रुपए की प्रारम्भिक राशि के साथ हस्ताक्षर हुए हैं। इस सीमा में आपसी सहमति से पुनरीक्षा और संशोधन किया जा सकता है। इस समझौते के अंतर्गत, एस बी आई, आई डी एफ सी से इस आश्वासन के साथ परियोजना को प्रारम्भिक रूप में उधार देगा कि एस बी आई का बकाया ऋण सहमत अवधि के अन्त में आई डी एफ सी द्वारा ग्रहण किया जाएगा।

(घ) और (ङ) आई डी एफ सी ने सूचित किया है कि उससे कुछ वाणिज्यिक बैंकों ने पूछताछ की है परन्तु अब तक किसी वाणिज्यिक बैंक अथवा संस्था के साथ किसी भी समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(च) सामान्यत: बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए की अपेक्षा इस ढांचे के अंतर्गत ऐसी किसी सुविधा का लाभ मूलभूत परियोजनाओं को समर्थ बनाएगा कि वे दीर्घकालिक निधियां प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, वर्तमान में जो चल रहा है उसकी अपेक्षा, वाणिज्यिक बैंक आधारिक निधियों को बड़ी मात्रा में निधियां उपलब्ध करा सकते हैं।

क्रेडिट कार्डधारक

1581. **श्री के.सी. कोंडय्या:**
श्री सुनील खां:
श्री विकास चौधरी:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री अजय मुखोपाध्याय:
श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्रेडिट कार्डधारकों की कुल संख्या कितनी है और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंक-वार, राज्य-वार क्रेडिट कार्डधारकों को दी गई कितनी धनराशि की वापस अदायगी नहीं हुई है;

(ख) उधार राशि की गैर-अदायगी की अवधि के अनुसार इन क्रेडिट कार्डधारकों का क्या वर्गीकरण है; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए बैंकों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 30.9.1998 को क्रेडिट कार्ड धारकों की कुल संख्या 7,44,324 थी और दिनांक 30.9.1998 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड धारकों को दी गई 16,323.07 लाख रु. की वापसी अदायगी नहीं हुई है। बैंक वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से राज्य-वार सूचना के ब्यौरे प्राप्त नहीं होते हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 30.9.1998 को क्रेडिट कार्ड देयों की गैर-अदायगी की अवधि के अनुसार इन क्रेडिट कार्ड धारकों का वर्गीकरण निम्नलिखित था:

	कार्डधारकों की संख्या	धनराशि लाख रु. में
6 महीने से कम	28,349	2508.79
6 महीने से अधिक और एक वर्ष तक	18,837	2454.88
एक वर्ष से अधिक	49,707	11359.40
	96,893	16323.07

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि वसूल करने के लिए बैंक सामान्यत: निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं:

(1) कार्डधारकों को उनकी देय राशियों के बारे में फोन/पत्रों द्वारा अनुस्मारक जारी किये जाते हैं।

(2) कार्ड धारकों से सम्पर्क करने के लिए कुछ बैंकों द्वारा विपणन प्रबंधक/वसूली एजेन्ट नियुक्त किये गये हैं।

(3) कार्डधारकों को उनके दायित्वों तथा सचेत-सूची (हॉट लिस्टिंग) में शामिल करने, कानूनी कार्रवाई आदि जैसे परिणामों के बारे में सूचित करते हुए पत्र जारी किए जाते हैं।

(4) लगातार चूक करने के मामले में कार्डों को सचेत-सूची (हाट लिस्ट) में डाल दिया जाता है, कानूनी नोटिस जारी किये जाते हैं, चूक करने वालों के नियोजकों की मध्यस्थता की मांग की जाती है।

(5) यदि कानूनी नोटिस का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता तो संक्षिप्त वाद दायर किये जाते हैं।

(6) न्यायालय से आदेश प्राप्त करने के बाद चल-सम्पत्ति को जब्त करने के वारंट जारी किये जाते हैं।

(7) समझौता वार्ता द्वारा देयराशि वसूल करने के लिए वसूली कैम्प आयोजित किए जाते हैं।

विवरण

(राशि लाख रुपए में)

	बैंक का नाम	30.9.98 की स्थिति के अनुसार कार्डधारकों की सं.	वापसी अदायगी न की गई राशि (30.9.98 की स्थिति)					
			छः माह से कम		छः माह से अधिक		एक वर्ष से अधिक	
			कार्डधारक	राशि	कार्डधारक	राशि	कार्डधारक	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद बैंक	20010	267	38.53	153	21.26	1034	136.02
2.	बैंक आफ बड़ौदा	160703	8644	630.00	1382	208	6010	1342.00
3.	बैंक आफ महाराष्ट्र	15070	265	22.38	55	5.62	35	9.30
4.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	111201	दर्शाया नहीं गया क्योंकि 6 माह से कम अवधि के देयों को एन पी ए नहीं माना जाता		2868	163.00	10338	2226.00
5.	देना बैंक	16707	198	24.64	10	1.38	136	20.00
6.	इंडियन ओवरसीज बैंक	17247	14	2.70	10	2.17	69	21.16
7.	आंध्रा बैंक	86035	–	–	5173	988.57	12309	3815.76

1		2	3	4	5	6	7	8
8.	बैंक आफ इंडिया	111028	5631	722.00	6882	699.00	14240	2255.00
9.	केनरा बैंक	158764	11301	893.00	1989	308.00	3695	950.00
10.	कार्पोरेशन बैंक	3630	63	7.78	12	1.68	38	28.32
11.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	41	1	0.06	8	3.11	32	21.90
		(ओबीसी ने सिटिबैंक के साथ 3298 को-ब्रांडिड क्रेडिट कार्ड जारी किये हैं, आंकड़े नहीं लिए जाने का कारण सिटिबैंक का कारोबार जोखिम और दायित्व होना है)						
12.	सिंडिकेट बैंक	1150	9	0.27	10	0.04	46	20.83
13.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	2855	9	0.47	2	0.31	82	16.19
14.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	8364	141	13.82	39	9.60	126	62.13
15.	विजया बैंक	31331	1806	153.14	244	43.14	1389	398.88
			(बैंक ने 7 माह से कम अवधि की स्थिति दर्शायी है)					
16.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	188 चूककर्ता	(बैंक ने सित. 1995 से क्रेडिट कार्ड परिचालन बन्द कर दिया है)				128	35.91
	योग	744324	28349	2508.79	18837	2454.88	49707	11359.40

[हिन्दी]

''फेरा'' और ''कोफेपोसा'' के मामले

1582. श्री हरि केवल प्रसाद: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में कितने व्यक्तियों के खिलाफ ''फैरा'' और ''कोफेपोसा'' के अंतर्गत हिरासत में लिए जाने के आदेश पारित किए गए हैं;

(ख) तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने व्यक्तियों के खिलाफ हिरासत आदेश वापिस ले लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है जिन्होंने हिरासत में लिए जाने संबंधी आदेश वापिस लिए थे;

(च) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है;

(छ) हिरासत में लिए जाने संबंधी आदेशों के कितने मामले लंबित हैं; और

(ज) तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

बाघों की अस्थियों की तस्करी/निर्यात

1583. **श्री अमन कुमार नागरा:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान्य अस्थियों की आड़ में बाघों की अस्थियों की तस्करी/निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पकड़े गए मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसी तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

साफ्टवेयर का निर्यात

1584. **प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान साफ्टवेयर के निर्यात में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो 1997 की तुलना में 1998 के दौरान कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार ने 1997 और 1998 के दौरान साफ्टवेयर अथवा सहायक सामग्री का भी आयात किया है; और

(घ) यदि हां, तो 1997 और 1998 के दौरान अलग-अलग कितने मूल्य का आयात किया गया और साफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन घोषित किये गये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 के दौरान किए गए निर्यातों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मिलियन अमरीकी डालर)

	अप्रैल-दिसम्बर 1997	अप्रैल-दिसम्बर 1998	%वृद्धि
कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं सेवाएं	1208	2048	69.55

(स्रोत: इलैक्ट्रानिक एवं कंप्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद्)

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार और उद्योग दोनों के द्वारा साफ्टवेयर वाले देश में कुल वास्तविक आयात का मूल्य निम्नानुसार है:

(मिलियन अमरीकी डालर)

	अप्रैल-नवम्बर 1997	अप्रैल-नवम्बर 1998	
कम्प्यूटर साफ्टवेयर	108.40	43.89	-59.51

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस)

साफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा घोषित विभिन्न प्रोत्साहनों में शामिल हैं: आयकर से छूट, शून्य शुल्क दर पर आयात, ए डी आर/जी डी आर संबद्ध स्टाक विकल्प योजना, विशेष आयात लाइसेंस, कम्प्यूटर प्रणाली के लिए हनास सीमा में वृद्धि और ई पी सी जी योजना के तहत साफ्टवेयर के विकास के लिए पूंजीगत उपकरणों के आयात का उदारीकरण।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा भारत से आयात करने पर प्रतिबंध

1585. **श्री एन.जे. राठवा: क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत से कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) पाकिस्तान भारत के प्रति एक भेदमूलक और प्रतिबंधात्मक आयात नीति व्यवस्था का अनुसरण कर रहा है जिसके अधीन इस देश से केवल 594 मदों को उनके निजी क्षेत्र द्वारा आयात करने की स्वीकृति दी गई है। इनमें शामिल हैं ताजा सब्जी, दालें, काफी, चाय, मसाला, तिलहन, खाद्य वनस्पति तेल, खाद्य सोयाबीन, अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन, भेषज, कच्चा माल, टायर एवं ट्यूब, काटन एवं काटन यार्न, कच्चा और प्रसंस्कृत जूट, धातु अपशिष्ट/रद्दी धातु, धातु और इसके उत्पाद, इंजीनियरिंग और मशीनरी मदों इत्यादि जैसी मदें।

(ग) सरकार ने समय-समय पर पाकिस्तान सरकार के समक्ष इस मामले को उठाया है। तथापि, उनके भारत के प्रति प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रणाली अभी भी लागू है।

परिवहन राजसहायता

1586. **श्री था. चौबा सिंह: क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिवहन राजसहायता और विशेषरूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा जिन उत्पादों पर राजसहायता दिए जाने की मांग की गई है, पर संगत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के बीच कोई समानता है;

(ख) जिन उत्पादों पर राजसहायता की मांग की गई है उनकी मात्रा पर केन्द्रीय करों के वास्तविक भुगतान के संदर्भ में दावों की सत्यता की जांच करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(ग) झूठे दावों को रोकने के लिए दावों की प्रमाणिकता की जांच के लिए बनाए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (ग) निर्दिष्ट रेलवे/पत्तनों से औद्योगिक इकाई के स्थल तक और वहां से निर्दिष्ट रेलवे स्टेशनों/पत्तनों तक कच्ची सामग्री और तैयार माल की ढुलाई पर किये जाने वाले परिवहन व्यय के संबंध में उद्यमी को राजसहायता की अनुमति दी जाती है। राज्य स्तरीय समिति द्वारा दावे की मात्रा की पात्रता निर्धारित करने के लिए इस योजना में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं अन्य करों आदि जैसे केन्द्रीय राजस्व के किसी भाग का संयोजन करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

परिवहन राजसहायता का कार्यान्वयन राज्य सरकारों की एजेन्सियों के जरिए किया जाता है। इस योजना में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन एक समिति का गठन करेंगे जिसमें उद्योग निदेशक, प्रत्येक राज्य उद्योग विभाग और राज्य वित्त विभाग आदि का एक-एक प्रतिनिधि और उद्योग मंत्रालय का एक नामित सदस्य होगा। सभी दावा करने वाली इकाइयों को आयातित कच्ची सामग्रियों और ऐसे क्षेत्रों से निर्यातित तैयार माल के प्रमाण के साथ उद्योग निदेशक को अपने दावे पेश करने होंगे। इस प्रयोजन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति सभी दावों की जांच करेगी और राज्य सरकारें, राज्य स्तरीय समिति की विनिर्दिष्ट सिफारिश पर पात्र इकाइयों को राजसहायता का आवंटन करेंगी और बाद में इसकी प्रतिपूर्ति का दावा केन्द्रीय सरकार से किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार का कार्य राज्य सरकार द्वारा आबंटित राजसहायता की प्रतिपूर्ति तक ही सीमित है।

परिवहन राजसहायता के गलत प्रयोग को रोकने के लिए इस योजना के अंतर्गत पर्याप्त उपबंध हैं। इस योजना के उपबंधों के होते हुए भी, भारत सरकार, राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को परिवहन राजसहायता के किसी दावे को स्वीकार न करने अथवा उसे अस्वीकृत करने का पूरा स्वविवेकाधीन अधिकार प्राप्त है यदि उद्यमियों द्वारा उसे गलत बयानी अथवा गलत तथ्यों के आधार पर किया गया हो।

कर्नाटक में कॉयर बोर्डों के प्रशिक्षण केन्द्र

1587. **श्री ए. सिदराजू:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में कॉयर बोर्ड के कितने प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) इनमें प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और वर्ष 1999-2000 के दौरान कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कामराज नगर में कोई कॉयर बोर्ड प्रशिक्षण केन्द्र है; और

(घ) यदि नहीं, तो उस स्थल पर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) कयर बोर्ड कर्नाटक राज्य में अर्सीकेड़े में स्थित क्षेत्रीय कयर प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है। इसके अतिरिक्त, मोटराईज्ड रैटों पर महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए आठ इलाकों में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किये गये हैं।

(ख) कर्नाटक में वर्ष 1998 में कुल 147 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है और वर्ष 1999-2000 में 400 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किये जाने की संभावना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बीमा और बैंक कर्मचारियों के वेतन में संशोधन

1588. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बीमा और बैंक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन का मामला लंबे समय से लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी प्रत्येक मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (घ) वेतन में संशोधन हेतु कर्मचारी संघों तथा बीमा क्षेत्र में बीमा कम्पनियों के प्रबंधकों के बीच तथा बैंक के कर्मचारी संघों और बैंकिंग क्षेत्र में भारतीय बैंक संघों के बीच बातचीत प्रगति पर है।

ये प्रस्ताव सरकार के समक्ष तभी रखे जाएंगे जब इन पर अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा।

सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं में भर्ती

1589. **प्रो. जोगेन्द्र कवाडे:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाएं जैसे-भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय ऋण और निवेश निगम लिमिटेड, अधिकारी संवर्ग में प्रबंध प्रशिक्षुओं की भर्ती राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर करने के बजाय कुछ संस्थानों से सीधे कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्री (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) जी, हां। स्वायत्तता के मानदंडों को पूरा करने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंक तथा आई डी बी आई, आई एफ सी आई, आई सी आई सी आई जैसी वित्तीय संस्थाएं ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थानों से कैम्पस भर्ती के माध्यम से कार्यपालक संवर्ग के विशिष्टीकरण के लिए प्रबंधन प्रशिक्षु (मैनेजमेंट ट्रेनी) की भर्ती करती रही हैं। कैम्पस भर्ती वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों ही क्षेत्र में अपनाई गई एक सामान्य प्रक्रिया है। चयन आमतौर पर चयन समिति द्वारा आयोजित साक्षात्कार की प्रणाली के माध्यम से गुणावगुण के आधार पर किया जाता है। लाभप्रदत्ता आदि जैसे स्वायत्ता मानदंडों को पूरा करने वाले सरकारी क्षेत्र के बैंक मान्यता प्राप्त प्रबंधन और अन्य व्यावसायिक संस्थानों से कैम्पस भर्ती के माध्यम

से प्रत्यक्ष भर्ती के लिए निर्धारित परिवीक्षा अधिकारियों की रिक्तियों के 30 प्रतिशत तक भरने के लिए प्राधिकृत है। ऐसी भर्ती के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्पष्ट एवं पारदर्शी है और इससे संबंधित नीति का बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेघालय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम

1590. **श्री पी.आर. किन्डिया: क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग कार्यक्रम का लाभ समाज के कमजोर वर्गों, आदिवासी और ग्रामीण शिल्पियों को प्राप्त हो रहा है;

(ख) मेघालय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं के अंतर्गत ऐसी कितनी परियोजनां चल रही हैं तथा पिछले दो वर्ष के दौरान कितनी सहायता दी गई; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मधुमक्खी पालन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम की क्या स्थिति है और इस योजना के अंतर्गत मेघालय के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी, हां।

(ख) मेघालय राज्य में सीमान्त धन योजना के अंतर्गत 99.65 लाख रुपये की राशि की 34 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि में से 29.9 लाख रुपये की सीमान्त धन की राशि संवितति कर दी गई है। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने सीमान्त धन योजना के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को 25 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने की अनुमति दी है। मेघालय राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने बैंक परिसंघ साख के अंतर्गत वर्ष 1995-96 में 148.08 लाख रुपये और वर्ष 1996-97 में 338.85 लाख रुपये संवितरित किये हैं।

(ग) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए 74 संस्थाओं का अभिज्ञान किया गया है। मेघालय राज्य में मधुमक्खी पालन के अंतर्गत कोई भी प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त संस्था नहीं है। विगत तीन वर्षों में मेघालय राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के पक्ष में आबंटित निधियों का वर्ष-वार विवरण निम्न प्रकार से है:

(लाख रुपये में)

वर्ष	सीमान्त धन	ऋण		कुल योग
		सी.ई.	डब्ल्यू.सी.	
1996-97	6.08	7.23	11.17	24.48
1997-98	3.97	6.79	1.81	12.57
1998-99	3.97	6.79	1.81	12.57

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, बिहार को पुनः चालू करना

1591. **श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, बिहार को पुनः चालू करने के लिए कोई एकमुश्त कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) और (ख) जी, हाँ। बी. आई. एफ. आर. ने 26.8.1996 को एक पुनरुद्धार योजना की स्वीकृति की है। योजना की मुख्य-मुख्य बातों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बी.आई.एफ.आर. ने एच.ई.सी. के लिए 26.8.1996 को एक पुनरुद्धार योजना को स्वीकृत किया। पुनरुद्धार योजना भारत सरकार से निम्नलिखित सहायता और छूट को परिकल्पित करती है:

1. 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार 99.41 करोड़ रुपये के सकल योजना ऋण को समान इक्विटी में बदलना।

2. 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार 18.60 करोड़ रुपये की सकल काउन्टर गारंटी को त्यागना।

3. 83 करोड़ रुपये की इक्विटी को चरणबद्ध रूप में मुहैया कराना और पूँजीगत व्यय को पूरा करना।

4. नगद घाटे, दबाव डाल रहे ऋण दाताओं का भुगतान करने, सांविधिक देयताओं का भुगतान करने की जरूरत को पूरा करने के लिए चरणबद्ध रूप में 105.61 करोड़ रुपये मुहैया कराना।

5. 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार 272 करोड़ रुपये के योजना ऋण और गैर-योजना ऋण के ब्याज को त्यागना।

6. 168.50 करोड़ रुपये के गैर-योजना ऋण को 7 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त मानना और उस अवधि के दौरान कोई पुनर्भुगतान न करना।

7. वी.आर.एस. के लिए 20.50 करोड़ रुपये के गैर-योजना ऋण को एन.आर.एफ. से वित्त पोषित अनुदान समझना।

8. सन् 2000 तक 63.92 करोड़ रुपये की सोवियत देनदारी को पूरा करने के लिए ब्याज रहित ऋण के रूप में 63.92 करोड़ रुपये मुहैया कराना और उस अवधि के दौरान कोइं पुनर्भुगतान न करना।

9. बिना किसी प्रकार की गारंटी फीस/कमीशन लिए बिना बैंक से कार्यशील पूँजी की सुविधा के लिए गारंटी देना।

10. विपणन प्रयासों और प्रि-टेंडर टाई-अप और कार्मिकों की आवश्यक श्रेणियों की भर्ती के लिए परामर्शदाताओं/संपर्क एजेंटों की नियुक्ति के संबंध में संचालनात्मक स्वायत्ता मुहैया कराना।

2. कम्पनी को उपरोक्त राहत और छूट का बड़ा भाग पहले ही मुहैया करा दिया गया है। पुनरुद्धार योजना इस समय कार्यान्वयनाधीन है।

औद्योगिक क्षेत्र में निवेश

1592. श्री रामेश्वर पाटीदार:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री राजो सिंह:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में औद्योगिक क्षेत्र में किया गया निवेश संतुलित/समान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) असमानता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या औद्योगिक विकास और निवेश की दृष्टि से मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार सर्वाधिक पिछड़े राज्य हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इन राज्यों में औद्योगिक विकास का संवर्द्धन करने तथा निवेश बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए कि किसी निजी उद्यमी द्वारा निवेश हेतु स्थापना-स्थल का चयन किया जाना, कच्चे माल की उपलब्धता, पत्तन तक पहुँच, किसी राज्य के निवेश माहौल के संबंध में अनुभव, आदि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है, अतः विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश में कुछ विसंगति का होना निश्चित है। अगस्त 1991 से दिसंबर, 1998 तक की अवधि के लिए राज्यवार औद्योगिक निवेश प्रस्तावों को (जो कि दायर किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन और जारी किए गए आशय-पत्रों पर आधारित है) दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1998 तक की अवधि के दौरान प्रस्तावित औद्योगिक निवेश (विवरण में दिए अनुसार) की दृष्टि से मध्य प्रदेश 7वें, बिहार 18वें और उड़ीसा 20वें स्थान पर है, जिनका देश में कुल प्रस्तावित निवेश में 5.51%, 0.89% और 0.71% हिस्सा है।

(च) देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार जून, 1988 से विकास केन्द्र योजना चलाती रही है, जिसके अधीन 71 विकास केन्द्रों का प्रस्ताव किया गया है, जिन्हें उद्योगों को आकृष्ट करने के लिए बिजली, पानी, दूरसंचार और बैंकिंग जैसी मूल अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। आबंटित तथा अनुमोदित विकास केन्द्रों की संख्या बिहार राज्य में छह, मध्य प्रदेश में छह और उड़ीसा राज्य में चार हैं।

इसी प्रकार, पहाड़ी, दूरवर्ती तथा अगम्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए परिवहन राजसहायता योजना 1971 को चालू कर दी गयी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र के विकास हेतु एक नयी औद्योगिक नीति भी घोषित की गयी है। इन योजनाओं का उद्देश्य संतुलित औद्योगिक विकास करना है।

विवरण

औद्योगिक निवेश प्रस्ताव (राज्यवार)
अगस्त, 1991–दिसम्बर, 1998

राज्य/संघ	कुल प्रस्ताव		औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम)						आशय-पत्र (एलओआई)					
शासित क्षेत्र	आईईएम+ एलओआई	प्रतिशत	प्रस्तुत ज्ञापनों की संख्या	प्रतिशत	प्रस्तावित निवेश करोड़ रु.)	प्रतिशत	प्रस्तावित रोजगार (संख्या)	प्रतिशत	जारी पत्रों की संख्या	प्रतिशत	प्रस्ता. निवेश (करोड़ रु.)	प्रतिशत	प्रस्ता. रोजगार (संख्या)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
महाराष्ट्र	7219	18.81	6733	19.15	124539	19.06	1178176	19.39	486	15.04	12156	11.71	119999	15.86
गुजरात	5350	13.94	4952	14.09	121313	18.57	817689	13.46	398	12.31	20073	19.33	59868	7.91
उत्तर प्रदेश	3821	9.95	3478	9.89	61326	9.39	583025	9.59	343	10.61	9828	9.46	100802	13.32
तमिलनाडु	3732	9.72	3171	9.02	44487	6.81	515192	8.48	561	17.36	10386	10.00	111539	14.74
आंध्र प्रदेश	2622	6.83	2277	6.48	53375	8.17	389343	6.41	345	10.67	9852	9.49	70493	9.32
हरियाणा	2405	6.27	2227	6.34	23047	3.53	344821	5.67	178	5.51	4045	3.90	51575	6.28
मध्य प्रदेश	2114	5.51	1976	5.62	52361	8.01	427062	7.02	138	4.27	3601	3.47	32063	4.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
राजस्थान	1895	4.94	1808	5.14	28261	4.32	345109	5.68	87	2.69	1592	1.53	14766	1.95
पंजाब	1840	4.79	1704	4.85	21111	3.23	421792	6.94	136	4.21	4446	4.28	43989	5.81
पश्चिम बंगाल	1541	4.01	1466	4.17	21062	3.22	241046	3.97	75	2.32	3929	3.78	18042	2.38
कर्नाटक	1442	3.76	1249	3.55	32912	5.04	205300	3.38	193	5.97	9248	8.91	64796	8.57
दादर नगर हवेली	1071	2.79	1053	3.00	14607	2.24	119919	1.97	18	0.56	132	0.13	2450	0.32
दमन और दीव	508	1.32	491	1.40	3216	0.49	36912	0.61	17	0.53	66	0.06	3307	0.44
दिल्ली	466	1.21	449	1.28	6379	0.98	46331	0.76	17	0.53	30	0.03	1337	0.18
केरल	423	1.10	369	1.05	5758	0.88	60880	1.00	54	1.67	2513	2.42	13447	1.78
हिमाचल प्रदेश	379	0.99	347	0.99	7649	1.17	81101	1.33	32	0.99	476	0.46	6140	0.81
पांडिचेरी	367	0.96	351	1.00	4117	0.63	35541	0.58	16	0.50	1253	1.21	2868	0.38
बिहार	343	0.89	302	0.86	7058	1.08	49560	0.82	41	1.27	1806	1.74	15695	2.07
गोवा	329	0.86	297	0.84	4478	0.69	31825	0.52	32	0.99	151	0.15	3271	0.43
उड़ीसा	273	0.71	241	0.69	10989	1.68	91603	1.51	32	0.99	5438	5.24	11602	1.53
असम	89	0.23	78	0.22	2913	0.45	12478	0.21	11	0.34	2430	2.34	4278	0.57
जम्मू और कश्मीर	70	0.18	66	0.19	437	0.07	29823	0.49	4	0.12	66	0.06	1705	0.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
चंडीगढ़	25	0.07	24	0.07	234	0.04	4766	0.08	1	0.03	0	0.00	9	0.00
मेघालय	14	0.04	14	0.04	254	0.04	1503	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
सिक्किम	10	0.03	9	0.03	25	0.00	780	0.01	1	0.03	5	0.00	204	0.03
अंडमान और निकोबार	9	0.02	9	0.03	332	0.05	2610	0.04	0	0.00	0	0.00	0	0.00
अरुणाचल प्रदेश	6	0.02	2	0.01	38	0.01	172	0.00	4	0.12	1	0.00	522	0.07
नागालैंड	6	0.02	5	0.01	158	0.02	972	0.02	1	0.03	0	0.00	0	0.00
त्रिपुरा	4	0.01	4	0.01	1040	0.16	1347	0.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00
लक्षद्वीप	1	0.00	1	0.00	4	0.00	278	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
एक से अधिक राज्य	11	0.03	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	0.34	323	0.31	1766	0.23
योग:	38385	100.00	35153	100.00	653480	100.00	6076976	100.00	3232	100.00	103846	100.00	756535	100.00

आईईएम : लाइसेंसमुक्त क्षेत्र के अधीन मदों के लिए दायर औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन।

एलओआई : लाइसेंसीकृत क्षेत्र के अधीन मदों के लिए जारी आशय-पत्र।

1 करोड़ : 10 मिलियन।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लि. के दोषी पाए गए अधिकारी

1593. श्री छत्रपाल सिंह: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. के 6 अधिकारी 1995 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा की गई जांच में दोषी पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) वर्ष 1995 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी, जिसमें कोल इंडिया लि. के छह अधिकारियों को दोषी ठहराया गया हो।

(ख) और (ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

बकाया आयकर

1594. श्री मोहन सिंह:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री दत्ता मेघे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन दस व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन पर आयकर की सबसे अधिक राशि बकाया है;

(ख) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन पर पिछले दो वर्षों से दस लाख रुपए या दस लाख रुपए से अधिक बकाया है;

(ग) क्या भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर आय कर की बहुत अधिक राशि बकाया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं और यह राशि कब से बकाया है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं और सरकार का इसकी वसूली कैसे करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) दिनांक 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम दस व्यक्तियों, जिनके विरुद्ध आयकर की सर्वाधिक धनराशि बकाया है, के नाम निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कर निर्धारिती का नाम	प्रस्थिति	बकाया धनराशि (रु. करोड़ में)
1.	हर्षद एस. मेहता	व्यष्टि	5428.72
2.	हितेन पी. दलाल	व्यष्टि	1404.15
3.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	कंपनी	1189.14
4.	भूपेन्द्र सी. दलाल	व्यष्टि	744.70
5.	अश्विन एस. मेहता	व्यष्टि	627.43
6.	एस. रामास्वामी	व्यष्टि	564.40
7.	ज्योति एच. मेहता	व्यष्टि	558.63
8.	ए.डी. नरोत्तम	व्यष्टि	547.84
9.	जी टी सी इन्डस्ट्रीज लि.	कम्पनी	343.83
10.	इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कार्पो. लि.	कम्पनी	316.59

(ख) दिनांक 31.3.97 की स्थिति के अनुसार 12616 व्यक्तियों की तुलना में दिनांक 31.3.98 की स्थिति के अनुसार 14444 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके विरुद्ध 10 लाख रु. और उससे अधिक राशि बकाया है। ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा, आंकड़ों के वृहत स्वरूप और इनके संकलन के लिए अपेक्षित समय और श्रम जो कि वांछित उद्देश्य के अनुरूप नहीं हो सकता है, को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

डी.ई.पी.बी. योजना का समाप्त किया जाना

1595. **श्री यू.वी. कृष्णमराजु:**
श्री जयराम आई.एम. शेट्टी:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ड्यूटी एनटाइटलमेण्ट पासबुक योजना (डी.ई.पी.बी.) के दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए इसे समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यातकों ने इसको समाप्त किये जाने से पहले ऐसी ही अन्य योजना को लागू करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (घ) शुल्क हकदारी पासबुक योजना को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जोखिमपूर्ण स्थानों के तीर्थयात्रियों के लिए बीमा सुरक्षा

1596. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव ऐसे तीर्थयात्रियों के लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करने की योजना आरम्भ करने का है, जो जोखिमपूर्ण स्थानों व रास्तों से गुजरते हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) ऐसे लोगों के लिए कोई विशिष्ट बीमा कवर प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है जो खतरनाक स्थानों अथवा खतरनाक मार्गों से गुजरते हुए तीर्थयात्रा करते हैं। भारतीय साधारण बीमा निगम की चार अनुषंगी कम्पनियों ने पहले ही व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसियां जारी कर रखी हैं जिनमें यात्रा के दौरान दुर्घटनाओं तथा बीमारियों को शामिल किया गया हैं। यह कवर यात्रा की तारीख से लेकर वास्तविक रूप से लौटने तक 24 घंटों के आधार पर जारी रहता है। तीर्थयात्री ऐसी पालिसियों को तीर्थयात्रा के दौरान भी प्राप्त कर सकते हैं।

यूरोपीय और अमरीकी बाजारों को निर्यात

1597. **श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय और अमरीकी बाजारों में भारत में बनाए गए सामान की खपत चीन में बने सामान से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय सामान की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1998 के दौरान यू.एस.ए. और यूरोपीय संघ को किए गए भारत और चीन के निर्यात के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

	भारतीय निर्यात	चीन के निर्यात
यू एस ए को (जनवरी-दिसम्बर, 98 के दौरान)	8.225 बिलियन अमरीकी डालर	71.156 बिलियन अमरीकी डालर
यूरोपीय संघ को (जनवरी-जुलाई, 98 के दौरान)	6.01 बिलियन ई सी यू	23.52 बिलियन ई सी यू

इन बाजारों में भारत की तुलना में चीन की स्थिति निर्यात योग्य माल, कीमतों, गुणवत्ता की दृष्टि से तथा उत्पादन के आर्थिक स्तर के मामले में बेहतर स्थिति रही है।

(ग) निर्यात के प्रयोजनार्थ माल की गुणवत्ता को बनाए रखने और इसके उन्नयन को हमेशा से ही उच्च प्राथमिकता दी गई है। एक्जिम नीति में, पूंजीगत सामान, प्रौद्योगिकी पैकेजिंग, लेबलिंग इत्यादि के संदर्भ में गुणवत्ता उन्नयन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, आई.एस.ओ. का दर्जा प्राप्त करने वाले विनिर्माताओं को विशेष हकदारी की अनुमति दी गई है। इस संबंध में किए गए अन्य उपायों में शामिल हैं: उद्योगकर्मियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, गुणवत्ता प्रबंधन के बारे में विनिर्माताओं और निर्यातकों को शिक्षित करने हेतु सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन, हमारे निर्यात बाजारों की गुणवत्ता पहलुओं से संबंधित सूचनाओं का प्रसारण, निर्यात हित की विशिष्ट विनिर्मित मदों की गुणवत्ता जांच, गुणवत्ता प्रणाली इत्यादि के उन्नयन में निजी विनिर्माता एककों को सहायता देना। सरकार ने गुणवत्ता प्रमाणन के कार्य में तेजी लाने के लिए 21 निजी जांच अभिकरणों को और 8 सरकारी जांच-अभिकरणों को भी मान्यता दी है। निर्यात कार्गो के धूम्रीकरण के लिए भी 15 अभिकरणों को मान्यता प्रदान की गई है।

एक रुपए के सिक्के पर "ओम" अंकित करना

1598. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997 के दौरान विशेषरूप से एक रुपए के सिक्कों के पीछे की साइड वर्ष को दर्शाने वाले चित्र के नीचे "ओम" अंकित किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसे अंकित करने का क्या महत्व है;

(ग) क्या सरकार का विचार सिक्कों से इस चिन्ह को हटाने और ऐसे सभी सिक्कों को वापस लेने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (घ) सरकार ने "ओम" अंकन से कोई सिक्का जारी नहीं किया है और इसलिए ऐसे सिक्कों को वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, विश्व भर की टकसालें अपने बनाए गए सिक्कों पर अपनी टकसाल के प्रतीक को अंकित करती हैं। मैक्सिको से 1997 में आयात किए गए एक रुपये के सिक्कों पर मैक्सिकन टकसाल का प्रतीक अंकित था, जो कि 'M̊' है।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र के लिए नई बीमा योजना

1599. श्री राजवीर सिंह: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1997-98 के दौरान नई बीमा योजनाओं से कितने हथकरघा बुनकरों को लाभ पहुंचा है;

(ख) क्या इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सर्वेक्षण-कार्य चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो योजना के अंन्र्गत कितने बुनकरों को लाभ पहुंचने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (काशीराम राणा): (क) 1997-98 के दौरान बीमा स्कीम के अंतर्गत 60,453 बुनकर लाभान्वित हुए। राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि अधिक से अधिक बुनकरों के लाभ हेतु उनको शामिल करना सुनिश्चित करें।

(ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् (एन.सी.ए.ई.आर.) नई दिल्ली द्वारा एक हथकरघा गणना करवाई है। कार्य प्रगति पर है।

(ग) राज्य सरकारें बुनकरों की आवश्यकताओं तथा स्कीम के दिशा-निर्देश के अनुसार इस स्कीम का कार्यान्वयन करती हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समस्याएं

1600. श्री वारकला राधाकृष्णन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल मिनरल्स एण्ड मेटल्स लिमिटेड और ट्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स लि. के समक्ष आ रही समस्याओं की जांच हेतु केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के इन प्रतिष्ठित उद्यमों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 1999-2000 का केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने से पहले टाइटेनियम-डाई-आक्साइड पर 45% (40% मूल+5% विशेष वृद्धि) सीमा शुल्क लगा था, जो कि सामान्यतया रसायनों पर लागू 35% की उच्चतम शुल्क दर से अधिक था। इस बजट में सीमा शुल्क की उच्चतम दर को 45% से 40% पर लाकर कम करते हुए राज्य सरकार के अनुरोध के मुताबिक इस उत्पाद पर शुल्क बढ़ाकर 50% कर पाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। उच्चतम दर में कमी के साथ-साथ, 4% विशेष अतिरिक्त शुल्क और 18% काउन्टर वेलिंग शुल्क के अलावा टाइटेनियम-डाई-ऑक्साइड पर दिनांक 28.2.99 से 40% शुल्क लगा है।

[हिन्दी]

विशेष मामले के रूप में शहरों का उन्नयन

1601. **श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और अन्य राज्यों के कुछ शहरों का विशेष मामले के रूप में विचार कर उन्नयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार उन्नयन किए गए शहरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) शहरों का उन्नयन करने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया क्या है;

(घ) उन्नयन के बाद इन शहरों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं क्या हैं; और

(ङ) वर्ष 1999 के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों के उन्नयन किए जाने वाले शहरों के नाम क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (घ) मकान किराए भत्ते और/अथवा नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के प्रयोजन से विशेष मामले के रूप में विचार कर निम्नलिखित शहरों का उन्नयन किया गया है;

(1) केवल मकान किराए भत्ते के प्रयोजन के लिए

ए-1 श्रेणी : कलकत्ता (पश्चिम बंगाल), चेन्नई (तमिलनाडु), नवा मुम्बई (महाराष्ट्र)।

बी-2 श्रेणी : शिलांग (मेघालय)।

सी श्रेणी : (1) सम्पूर्ण गोवा राज्य, (2) संघ शासित क्षेत्र दमन एवं दीव, (3) आलवेय (केरल), (4) पथरातू (बिहार), (5) वाधवन एवं पाटन (गुजरात), (6) कोन्नूर (तमिलनाडु), (7) बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) तथा कुछ अन्य पर्वतीय स्थान।

(2) केवल नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के लिए:

बी-2 श्रेणी जाम नगर (गुजरात) तथा राऊरकेला (बिहार)।

(3) मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिपूर्ति भत्ता दोनों के प्रयोजन के लिए

ए-1 श्रेणी : हिंडन एयर फोर्स स्टेशन (उत्तर प्रदेश) तथा गुड़गांव (हरियाणा)।

बी-2 श्रेणी : जम्मू एवं श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)।

मकान किराया भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की हकदारियों के निर्धारण के लिए किसी शहर अथवा नगर के उन्नयन हेतु अपनाए गए कुछ मानदण्ड, उन राज्यों का सापेक्षिक महंगा होना, बहुत अधिक किराया होना, आवास की उपलब्धता, पूर्ववर्ती साम्यताओं को बनाए रखना आदि तथा जम्मू के मामले में बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आगमन है।

(ङ) वर्ष 1999 के दौरान किसी अन्य शहर अथवा नगर के उन्नयन का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

वियतनाम के साथ व्यापार समझौता

1602. **श्री माधवराव पाटील:**
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:
श्री विठ्ठल तुपे:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और वियतनाम द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को नई गति देने और 120 मिलियन डालर के वर्तमान व्यापार परिमाण को बढ़ाने हेतु अपनी निर्यात सामग्री में विविधता लाने के लिए सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों ने 1999-2000 के दौरान कृषि सहयोग की कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग की नई दिल्ली में दिनांक 1 फरवरी, 1999 को हुई नवें सत्र की बैठक के दौरान दोनों अपनी-अपनी निर्यात वस्तुओं में विविधता लाने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के प्रयासों को तेज करने पर सहमत हो गए हैं।

(ख) से (घ) भारत और वियतनाम ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा संबंधी मौजूदा समझौता ज्ञापन, जिस पर दोनों सरकारों ने दिनांक 31.10.1992 को हस्ताक्षर किए थे, के अधीन 1 फरवरी, 1999 को नई दिल्ली में वर्ष 1999 और 2000 के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक कार्ययोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। कार्ययोजना में दोनों देशों के बीच वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के अध्ययन दलों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है। भारतीय वैज्ञानिकों के वियतनाम अध्ययन दौरों के लिए निम्नलिखित मदों को विनिर्दिष्ट किया गया है, मिश्रित कॉटन उत्पादन, प्रौद्योगिकी मिश्रित चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी, गन्ने का सूक्ष्म प्रजनन, चावल आधारित फसल प्रणाली के अधीन जल प्रबंधन अध्ययन, बकरी उत्पादन, डेयरी उत्पादन/प्रबंधन, सुअर प्रबंधन एवं बीमारी, फसल पश्चात् एवं फार्म यंत्रीकरण और फल एवं सब्जी उत्पादन। वियतनामी वैज्ञानिकों के भारत में अध्ययन दौरों/प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित मदों को विनिर्दिष्ट किया गया है: कृषि/पशुविज्ञान में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रम, मवेशी, बकरी और भैंस में गर्भ का अन्तरण, मक्का उत्पादन प्रौद्योगिकी, मिश्रित कॉटन उत्पादन, मिश्रित चावल बीज उत्पादन, गन्ने का सूक्ष्म प्रजनन, फल/सब्जी अनुसंधान, बकरी उत्पादन और कृषि प्रणाली।

कार्य योजना में दोनों देशों के बीच निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग/संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग की व्यवस्था है:

1. विभिन्न कृषि आर्थिक प्रणाली के अधीन मिश्रित चावल का विकास और परीक्षण।
2. पहाड़ी और पहाड़ी पर्यावरण प्रणालो के अधीन मोटे खाद्यान्न का विकास और परीक्षण।
3. मिश्रित कॉटन/कॉटन किस्मों का मूल्यांकन।
4. मांस उत्पादन के लिए बकरी प्रबंधन की संभाव्यता पर अध्ययन।
5. बकरी, मवेशी और भैंसों में वीर्य प्रक्रिया और गर्भ अन्तरण पर खोजी अध्ययन।
6. फल एवं सब्जी उत्पादन संबंधी अध्ययन।

कार्य योजना में जर्म प्लाज्म और साहित्य के निम्नलिखित आदान-प्रदान के लिए भी प्रावधान है:

वियतनाम से भारत को-

- चावल, काटन, ईख, मक्का और मोटे खाद्यान्न के जर्म प्लाज्म का आदान-प्रदान।
- फल और सब्जी, मीठा आलू, कसावा, संतरा, सिटरस, निम्बू, नारियल, डायोस्कोरिया की सामग्री का आदान-प्रदान
- बकरियाँ

भारत से वियतनाम को-

मिश्रित कॉटनं, मोटा खाद्यान्न, मक्का, सब्जियाँ, आम, मनलरिया, पपीता, अन्नानास, कटहल, टमाटर, एग प्लान्ट, मिर्च इत्यादि।

"ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि." की कोनेक्स परियोजना का कार्य-निष्पादन

1603. श्री महबूब जहेदी: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1993 में पूरा करने हेतु पोलैंड के साथ एक समझौते के तहत पश्चिम बंगाल में रानीगंज के सतग्राम स्थित

कोनेक्स परियोजना ''ईस्टर्न कोलफील्डस लि.'' द्वारा शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या 125 करोड़ रु. निवेश के बावजूद भी परियोजना द्वारा लक्षित उत्पादन नहीं किया जा सका;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या 10 लाख रु. लागत वाले प्रति चाक शील्ड के 72 चाक शील्ड खली धूप और वर्षा में होने के कारण बर्बाद हो गए;

(ङ) क्या 80 लाख रुपए की लागत से बने ''ट्रीप्लर कार शेड'' का उपयोग नहीं किया गया; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा सार्वजनिक धन के इस तरह से बर्बादी के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (घ) पोलैंड के साथ किए गए करार में ई.को.लि. की सतग्राम परियोजना का निष्पादन नहीं किया गया है। तथापि, सतग्राम में दो सैफ्टों को धंसाने और उससे संबंधित कार्य के लिए विश्वव्यापी निविदा के माध्यम से पोलैंड की एक कंपनी, अर्थात् मै. ओवरसीज माइन कन्सट्रक्शन कंपनी (कॉपेक्स, पोलिश पब्लिक इंटरप्राइज) को एक अनुबंध प्रदान किया गया है। कोल इंडिया लि. द्वारा यह सूचित किया गया कि नवम्बर, 1998 तक 137.04 करोड़ रु. के निवेश किए जाने के बाद भी परियोजना अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी है। इसका मुख्य कारण कोपेक्स नियोजित संविदा श्रमिकों द्वारा ई.को.लि. में रोजगार हेतु आंदोलन किया जाना तथा खनन हेतु भूमि का अधिग्रहण न होना है। यह मामला पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया लेकिन अभी तक समस्या नहीं सुलझी है। भू-स्वामी को.इं.लि. के विहित मानदंडों से अधिक लाभों की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों के प्रतिरोध के कारण ऊपरी सीम में से पानी निकाले जाने का कार्य बंद कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप लांगवाल उपकरण अभिवर्द्धन के बाद लांगवाल पैनल में नहीं लगाए जा सके तथा इसे सतह पर रखा गया है।

(ङ) कोल इंडिया लि. ने उल्लेख किया है कि वर्तमान में उपर्युक्त कारणों से कार सर्किट का उपयोग नहीं किया जा रहा है। भूमि समस्या के हल के बाद खान को पूरी तरह से सज्जित करने के साथ ही इसका उपयोग किया जायेगा।

(च) इस परियोजना के चालू करने में हुई देरी, ई.को.लि. प्रबंधन की ओर से किसी चूक के कारण नहीं हुई है, अपितु संविदाकर्ता के मजदूरों द्वारा किए जा रहे लंबी अवधि के आंदोलन और ग्रामीणों द्वारा असहयोग इसके कारण हैं। सरकार और ई.को.लि. द्वारा इन समस्याओं के निपटाए जाने तथा परियोजना के चालू किए जाने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

कपास की गांठों का उत्पादन एवं आयात

1604. श्री सुनील खां: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान कपास की कितनी गांठों का आयात हुआ है;

(ख) देश में इसी दौरान कपास का कितना उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान कपास का कम उत्पादन हुआ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में कपास उगाने वालों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) देश में आयात की गई कपास की गांठों की कुल संख्या तथा कपास का कुल उत्पादन पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार है:

	उत्पादन	आयात
	(प्रत्येक 170 कि.ग्रा. के लाख गांठ में)	
1995-96	169.20	0.50
1996-97	177.90	0.30
1997-98*	158.00	4.00

(*कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा 18.2.1999 को आयोजित अपनी बैठक में यथा अनुमानित)

(ग) और (घ) वर्ष 1997-98 के दौरान उत्पादन में गिरावट रुक-रुक कर भारी वर्षा होने, अमेरिकी बॉलवर्म के कीटों का आक्रमण तथा पत्ती कर्ल कीटाणु के आक्रमण के कारण हुआ था।

(ङ) न्यूनतम समर्थन कीमत (एम एस पी) की घोषणा करने के अलावा, देश में कपास उपजकर्त्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए, एक केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजना अर्थात् गहन कपास विकास कार्यक्रम 11 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ योजना की प्रमुख विशेषताओं में किसानों को प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण, समेकित कीट प्रबंधन दृष्टिकोण, नयी किस्मों को लोकप्रिय बनाना, जल बचत युक्तियों द्वारा सिंचाई के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना, ब्रीडर बीजों का उत्पादन तथा प्रमाणीकृत बीजों का वितरण शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने अनुसंधान, किसानों को प्रौद्योगिकी की जानकारी देने, विपणन अध्ययनसंरचना में सुधार तथा गिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरी के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से कपास विकास पर एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है।

नेशनल स्टाक एक्सचेंज द्वारा निवेशकों से प्राप्त शिकायतें

1605. **श्री विठ्ठल तुपे:**
श्री मदन पाटील:
श्री अभय सिंह एस. भोंसले:
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:
श्री माधवराव पाटील:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एन.एस.ई.) को निवेशकों से कुछ कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और ये शिकायतें किस प्रकार की हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) जी, हाँ।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज लि. (एन.एस.ई.आई.एल.) को अप्रैल, 1997-मार्च, 1998 के दौरान 578 शिकायतें और अप्रैल, 1998-फरवरी, 1999 के दौरान 494 शिकायतें प्राप्त हुई। ये शिकायतें ऋणपत्रों के अंतरण/आवंटन/रूपान्तरण के बाद प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने, लाभांश ब्याज, मोचन मूल्य प्राप्त न होने; शेयरों के गलत अंतरण; पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन आदि से संबंधित थी।

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज लि. के कार्य-निष्पादन को निरन्तर मॉनीटर करता है।

मालदीव को गेहूँ उत्पादों का निर्यात

1606. **श्री सुरेश वरपुडकर:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध में छूट देते हुए वर्ष 1998-99 के दौरान मालदीव को 20,000 टन गेहूँ उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान खाद्य पदार्थों की कमी की जानकारी है जिसके कारण सरकार को आस्ट्रेलिया से गेहूँ आयात करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार किन राज्यों से गेहूं के निर्यात हेतु अनुमति देने के लिए विवश है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मालदीव भारत से गेहूँ उत्पादों का परम्परागत आयातक है और उसकी छोटी सी मांग/जरूरत है, मालदीव को 20,000 मी. टन गेहूँ उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

गरीब लोगों को ऋण

1607. **श्री राजो सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक बिहार के ग्रामीण इलाकों में विशेषतः शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय और जमुई जिलों के पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों के उन लोगों को बैंक ऋण प्रदान नहीं कर रहे हैं जिनके मिट्टी के घर ढह चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में बैंक द्वारा कितने लोगों को ऋण प्रदान किया गया और ऋण धनराशि की क्या सीमा थी?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं, जो केन्द्रीय सरकार के विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा संचालित हैं, के लिए बैंक ऋण प्रदान करते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को, जिनके मिट्टी के घर ढह गए हैं, प्रदान किए गए ऋणों के बारे में अलग से कोई सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) बिहार में प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के विगत तीन वर्षों के बकाया ऋणों के बारे में सूचना इस प्रकार है:

को समाप्त वर्ष	प्राथमिकता क्षेत्र के कुल अग्रिम	
	खातों की संख्या	बकाया राशि लाख रु. में
मार्च, 1995	2753527	258953
मार्च, 1996	2529095	277256
मार्च, 1997	2433796	299588

(आर बी आई के पास उपलब्ध अद्यतन आंकड़े)

[अनुवाद]

विशेष धुंआरहित ईंधन

1608. श्रीमती शीला गौतम: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सेंट्रल माइन प्लानिंग डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड, (सी.एम.पी.डी.आई.एल.), रांची ने धूम्र प्रदूषण, उकताहट/स्वास्थ्य संबंधी खतरे को समाप्त/कम करने हेतु विशेष धुंआरहित ईंधन तैयार करने के लिए धुंए वाले कोयले के विकल्प के रूप में एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) "कोल इंडिया लि." के प्रयोजन के अधीन राज्य-वार किन-किन स्थानों पर विशेष धुंआरहित ईंधन इकाइयां स्थापित और चालू की गई हैं;

(घ) अनंतिम लागत और क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विशेष धुंआरहित ईंधन की और अधिक नई इकाइयां स्थापित करने हेतु "कोल इंडिया लि." का राज्यवार प्रस्तावित आकलन क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) जी, हां। घरेलू उपयोग और कुछ उप-उत्पादों के लिए धुंआरहित कोक के उत्पादन हेतु आकारीकृत कोयले को छिछली गहराई के आंतरिक तापन बक-यंत्र में अवाष्पीकृत किया जाता है।

(ग) 64 चालू एस.एस.एफ. संयंत्रों की एक राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) 100 टन प्रतिदिन की क्षमता वाले एस.एस.एफ. संयंत्र की कुल लागत 100 लाख रु. है, जिनमें से संयंत्र और मशीनरी की लागत लगभग 60 लाख रु. है।

(ङ) कोल इंडिया लि. द्वारा यह सूचित किया गया है कि को.इं.लि. की एस.एस.एफ. संयंत्रों की स्थापना की कोई योजना नहीं है। संयंत्रों की स्थापना निजी उद्यमियों के अंतर्गत हैं, जिसके लिए केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान और को.इं.लि. परियोजना रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी, जानकारी और सभी प्रकार की आवश्यक सहायता प्रदान करेंगी।

विवरण

चालू एस.एस.एफ. संयंत्रों के नाम

क्र.सं.	एस.एस.एफ. यूनिट का नाम	स्थान	राज्य
1	2	3	4
1.	अमन कोक प्लांट प्रा. लि.	औरंगाबाद	बिहार
2.	अरविंद फ्यूल प्रा. लि.	वाराणसी	यू.पी.
3.	आर्या कोक उद्योग	हजारीबाग	बिहार
4.	अशोक स्मोकलेस कोल इंड. प्रा.लि.	भाभूआ	बिहार
5.	अवध फ्यूल्स प्रा. लि.	फैजाबाद	यू.पी.
6.	ए.एस. फ्यूल्स प्रा. लि.	मिर्जापुर	यू.पी.
7.	बाबूल स्मोकलेस फ्यूल इंड. प्रा.लि.	मधुबनी	बिहार
8.	बाहूबल टेक्नो इंजीनियर्स प्रा. लि.	गाजियाबाद	यू.पी.
9.	वैद्यनाथ कै. एण्ड कार. कं. प्रा.लि.	पलामू	बिहार
10.	बालाजी फ्यूल्स प्रा. लि.	पलामू	बिहार
11.	बेसिक फ्यूल्स प्रा.लि.	गिरीडीह	बिहार
12.	देशलहारा कोक इंड प्रा.लि.	देवास	म.प्र.
13.	धर कोल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	धर	म.प्र.
14.	डोलिया कोक इंड. प्रा.लि.	वाराणसी	यू.पी.

1	2	3	4
15.	ईस्टर्न फ्लेम्स प्रा.लि.	कानपुर (देहात)	यू.पी.
16.	फ्रेटको मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.	वाराणसी	यू.पी.
17.	गंगा फ्यूल्स प्रा.लि.	वाराणसी	यू.पी.
18.	गौतम कोल वर्कर्स प्रा.लि.	रांची	बिहार
19.	गया कोक कं. प्रा. लि.	गया	बिहार
20.	ग्वालियर स्मोकलेस फ्यूल्स प्रा.लि.	फरीदाबाद	हरियाणा
21.	इंडो यूनिक फ्लेम प्रा.लि.	नागपुर	महाराष्ट्र
22.	इंटरलिंग कोल प्रा.लि.	भाभूआ	बिहार
23.	जय दुर्गा इंडस्ट्रीज	वाराणसी	यू.पी.
24.	ककन एसएसएफ प्रा.लि.	मौजपुर	बिहार
25.	कल्याण कोक डिपो प्रा.लि.	मिर्जापुर	यू.पी.
26.	माँ बिंध्यावासिनी एस.एफ.एस. प्रा.लि.	जौनपुर	यू.पी.
27.	माँ छिनमसटिका कोक इंड. प्रा.लि.	हजारीबाग	बिहार
28.	माँ शारदा कोक मैन्यू. कं. प्रा.लि.	पन्ना	मध्य प्रदेश
29.	मगध स्मोक कोकिंग कोल इंड. प्रा.लि.	औरंगाबाद	बिहार
30.	महारानी फ्यूल्स प्रा.लि.	मुजफ्फरपुर	बिहार

1	2	3	4
31.	मिथला कोल इंड. प्रा.लि.	मुजफ्फरपुर	बिहार
32.	नमन स्मोकलेस फ्यूल्स इंड. प्रा.लि.	पटना	बिहार
33.	निरधूम ईंधन	रोहतास	बिहार
34.	पंडित फ्यूल्स प्रा.लि.	कानपुर (देहात)	यू.पी.
35.	पार्वती फ्यूल्स प्रा.लि.	जौनपुर	यू.पी.
36.	पवन वायरस प्रा.लि.	पन्ना	म.प्र.
37.	प्रीति फ्यूल्स एण्ड फ्लेम्स प्रा.लि.	बिलासपुर	म.प्र.
38.	पुष्पांजलि कोल एण्ड कोक प्रा.लि.	औरंगाबाद	बिहार
39.	आर.के. कोल सेल्स प्रा.लि.	मुरादाबाद	यू.पी.
40.	आर.एस. कोक इंड. प्रा.लि.	हजारीबाग	बिहार
41.	राधे मिनरल्स प्रा.लि.	नागपुर	महाराष्ट्र
42.	रेवा फ्यूल्स	रेवा	म.प्र.
43.	रूंगटा फ्यूल्स प्रा.लि.	वाराणसी	उ.प्र.
44.	एस.डी. कोक इंड. प्रा.लि.	हजारीबाग	बिहार
45.	स्वर्णरेखा कोक्स एण्ड कोल्स प्रा.लि.	मधुबनी	बिहार
46.	स्वास्तिक स्मोकलेस कोक कं. प्रा.लि.	औरंगाबाद	बिहार

1	2	3	4
47.	शादी फ्यूल्स प्रा.लि.	वाराणसी	यू.पी.
48.	शानू कोल प्रा.लि.	बेतुल	म.प्र.
49.	शिव डोमेस्टिक कोल इंड.	पटना	बिहार
50.	श्री कोल इंड. प्रा.लि.	रायसेन	म.प्र.
51.	श्री मारुति एस.एस.एफ. इंड. प्रा.लि.	धनबाद	बिहार
52.	श्री राम फ्यूल प्रा.लि.	वाराणसी	यू.पी.
53.	सोहना कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.	गुड़गांव	हरियाणा
54.	सोलर कार्बन्स प्रा.लि.	नागपुर	महाराष्ट्र
55.	सोलर स्मोकलेस फ्यूल प्रा.लि.	देहरी-ऑन-सोन	बिहार
56.	शुभमरेखा कोल काम्पलेक्स प्रा.लि.	इलाहाबाद	यू.पी.
57.	सुपर कोक इंड. (50 टीपीडी)	हजारीबाग	बिहार
58.	सुशीला कैमि. प्रा.लि.	वाराणसी	यू.पी.
59.	स्वास्तिक सीमेंट प्रोडक्ट्स प्रा.लि.	वाराणसी	यू.पी.
60.	वंदना प्रा.लि.	अकोला	महाराष्ट्र
61.	विद्युम फ्यूल इंड. प्रा.लि.	इलाहाबाद	यू.पी.
62.	डॉमको स्मोकलेस फ्यूल प्रा.लि.	औरंगाबाद	बिहार
63.	श्री फ्यूल्स प्रा.लि.	कूनीगल	कर्नाटक
64.	श्री राम फ्लेम्स प्रा.लि.	नागपुर	महाराष्ट्र

सुपर कोक इंडस्ट्रीज – 50 टी.पी.डी. श्री फ्यूल्स प्रा.लि. – 150 टी.पी.डी. तथा इंडो यूनिक्यू फ्लेम प्रा.लि. – 200 टी.पी.डी. को छोड़कर बाकी सभी संयंत्र 100 टी.पी.डी. क्षमता के हैं।

हथकरघा और हस्तशिल्प विकास

1609. श्री मोइनुल हसन अहमद: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम की गत तीन वर्षों के दौरान क्या उपलब्धि रही है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): विभिन्न राज्यों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

त्रिकोणीय व्यापार संगठन

1610. श्री कृष्ण लाल शर्मा: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश सरकार ने भारत, बांग्लादेश और थाइलैंड को मिला कर एक त्रिकोणीय व्यापार संगठन बनाये जाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, बंगलादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाइलैण्ड के बीच एक उपक्षेत्रीय आर्थिक समूह (बीआईएमएसटी-ईसी) की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

हिन्दी सलाहकार समिति

1611. श्री मोती लाल वोरा: क्या **इस्पात और खान मंत्री** 3 दिसम्बर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 859 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस्पात और खान विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति के कब तक गठन हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) इस्पात विभाग और खान विभाग की हिन्दी सलाहकार समितियों के गठन संबंधी संकल्प-प्रारूप राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जा चुके हैं। राजभाषा विभाग से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् समितियों का गठन किया जाएगा।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उड़ीसा में एल्यूमिनियम परियोजना

1612. श्री रंजीब बिस्वाल: क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उड़ीसा में कोरापुट जिले में प्रस्तावित उत्कल एल्यूमिनियम परियोजना हेतु कुल कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ख) क्या उन व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया है, जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लघु उद्योग नीति

1613. श्रीमती जयंती पटनायक: क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के लिए आरक्षित नए उत्पादों के निर्माण संबंधी नीति में संशोधन किया है;

(ख) क्या लघु क्षेत्र उद्योग के लिए आरक्षित नए उत्पादों के निर्माण हेतु नीति को पुनः उदारीकृत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो संशोधित नीति में समाविष्ट संशोधन क्या हैं;

(घ) क्या प्रदूषण के पक्ष पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) 6 अगस्त, 1991 को यथा घोषित लघु उद्योग नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षण सूची का समीक्षा कार्य एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए एक आरक्षण सांविधिक परामर्शदायी समिति है। आज की तारीख तक लघु क्षेत्र में विनिर्माण के लिए 812 मदें आरक्षित हैं। आरक्षित लघु उद्योग की मदों के विनिर्माण कार्य में लगी विदेशी बड़ी कंपनियों को अपने उत्पादन का कम से कम 50% भाग निर्यात करना होता है।

(घ) और (ङ) प्रदूषण के पहलू पर विचार इस बात पर ध्यान दिये बिना ही किया जाता है कि चाहे वह लघु उद्योग है अथवा नहीं है। तथापि, लघु एककों के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पाने के पद्धति को सरल बना दिया है जिसमें केवल 17 अत्यधिक प्रदूषित उद्योगों को छोड़कर, मात्र आवेदन-पत्र की पावती को ही एन.ओ.सी. मान लिया जाता है।

इसके अतिरिक्त ऐसे उद्योगों के मामलों में जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण प्रक्रियाएं संस्थापित की हैं, भले ही वे लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग हों, उन उद्योगों को संपोषणीय औद्योगिक विकास के व्यापक हित में 50% की अनिवार्य निर्यात बाध्यता के बिना ऐसे प्रक्रियाओं से प्राप्त रसायनों की अनुमति प्रदान की जाती है।

फटे-पुराने नोट

1614. श्री टी. गोविन्दन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक रु., दो रु., पांच रु. और दस रु. वाले फटे-पुराने नोटों को लेने के लिए बैंकों को निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने जनता से फटे-पुराने नोटों को लेने से इंकार कर दिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं के साथ-साथ कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंकों को भी अपने ग्राहकों तथा आम जनता से 1 रु., 2 रु., 5 रु., तथा 10 रु. मूल्य वर्गों के नोटों सहित सभी प्रकार के मैले/कटे-फटे नोटों को स्वीकार करने और बदलने के लिए प्राधिकृत किया है। ये भारतीय रिजर्व बैंक (नोट वापसी) नियम के अंतर्गत देय हैं।

(ख) जब कभी किसी बैंक द्वारा मैले/फटे, कटे-फटे नोटों को स्वीकार करने से मना करने संबंधी कोई शिकायत अथवा संदर्भ प्राप्त होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मामले की शीघ्र जांच की जाती है और इसे तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित बैंक के मुख्य कार्यालय अथवा नियंत्रक कार्यालय के साथ उठाया जाता है।

सोने और रत्नों का आयात

1615. श्री अजय मुखोपाध्याय: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने सोने और रत्नों का आयात किया गया तथा उनका डालर/रुपया में क्या मूल्य था; और

(ख) इसी दौरान कितने रत्न एवं आभूषणों का निर्यात हुआ तथा इनका डालर/रुपया में क्या मूल्य था?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री* (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान आयातित सोने के मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य करोड़ रुपयों में
1995-96	245.22	12231
1996-97	338.191	17146
1997-98	635.786	27633

गत तीन वर्षों के दौरान आयातित रत्नों (मोती, बेशकीमती और अर्द्ध-बेशकीमती रत्न) के मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	मूल्य करोड़ रुपयों में
1995-96	7044.67
1996-97	10383.60
1997-98	11680.38

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातित रत्नों और आभूषणों के मूल्य का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	मूल्य करोड़ रुपयों में
1995-96	17644.22
1996-97	16872.10
1997-98	19013.55

जमा वापसी पर कर छूट

1616. **श्री वैको:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जमा की एक बार की वापसी को कर मुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा ा है और इसके कब तक लागू हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र में जमा की निकासी निःशुल्क हो सकती है;

(घ) यदि नहीं, तो इसकी पुनर्वापसी कैसे होगी;

(ङ) दोनों योजनाओं के लाभार्थियों की अधिकतम संख्या कितनी है;

(च) क्या अवकाश प्राप्त बचत खाताधारियों को राष्ट्रीय बचत योजना 1987 के कोष की निःशुल्क आहरण की अनुमति दी गई; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) और (ख) यह स्पष्ट नहीं है कि ये जमाराशियां कौन सी हैं।

(ग) जी, हां। राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (आठवां निर्गम) के चुकता मूल्य के भुगतान पर किसी कर की कटौती नहीं की जाती है। प्राप्त ब्याज वार्षिक संग्रहण आधार पर कर योग्य होता है परन्तु इसे आयकर की धारा 80ठ के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के तहत छूट प्राप्त है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी दो योजनाओं का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों के लिए ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

ऋण वसूली संबंधी न्यायाधिकरण

1617. **श्री ए. वेंकटेश नायक:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बम्बई, स्थित ऋण वसूली न्यायाधिकरण के अपीलीय प्राधिकरण में कर्नाटक से कितनी अपीलें दर्ज की गईं;

(ख) क्या सरकार का कर्नाटक के बैंकों और लेनदारों की सुविधा के लिए उक्त अपीलीय प्राधिकरण की बंगलौर में मासिक बैठक कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) वर्ष 1996, 1997 और 1998 (नवम्बर, 1998 तक) के दौरान ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कर्नाटक राज्य से संबंधित 50 मामले अधिकरण में दर्ज किए गए थे।

(ख) और (ग) बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंधों के अधीन अपीलीय अधिकरण को सुनवाई करने के स्थान सहित अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार है। इसलिए, अपीलीय अधिकरण बेंगलूर सहित देश में कहीं भी अपनी सुनवाई करने में सक्षम है।

विज़ाग इस्पात संयंत्र की लाभ/हानि

1618. श्री गिरिधर गमांग: क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विजाग इस्पात संयंत्र गत तीन वर्षों से हानि उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हानि के क्या कारण हैं तथा उसे अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं;

(ग) परियोजना संबंधी योजना में यथा अभिकल्पित इस्पात उत्पादों के निर्यात के लिए क्या आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं;

(घ) इस्पात संयंत्र द्वारा घरेलू और निर्यात की मांगों को पूरा करने के लिए कौन-कौन सी निर्माण इकाइयां स्थापित की गई हैं; और

(ङ) यदि विशेषज्ञ तथा निर्यात समितियों द्वारा कोई समीक्षा की गई हो तो उसके अनुसार इस्पात संयंत्र की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की क्या संभावना है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय इस्पात निगम लि./विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को हुए लाभ और हानि का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	लाभ(+)/हानि(-) (करोड़ रुपये)
1995-96	(-)204.27
1996-97 (अप्रैल, 96-सितंबर, 97)	(-)452.20
1997-98 (अक्तूबर, 97-मार्च, 98)	(+)29.53*

*1997-98 (छ: माह की अवधि) के दौरान सरकार से ऋण को अधिमान पूंजी में परिवर्तित करने पर सरकार के बकाया ब्याज के पुनर्लेखन के कारण नाममात्र का लाभ।

ये हानि मुख्यत: पूंजी संबंधी उच्च शुल्कों अर्थात ब्याज और मूल्य ह्रास और दूसरी ओर मंदीयुक्त बाजार परिस्थितियों के कारण हुई है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनने में सहायता करने के उद्देश्य से सरकार ने मई, 1998 में राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. के वित्तीय पुनर्गठन को अनुमोदित कर दिया और आर आई एन एल को एक विस्तृत पुनरुद्धार योजना तैयार करने का निर्देश दिया।

कंपनी की दीर्घकालिक व्यवहार्यता हेतु समग्र नीति का अध्ययन करने और विस्तृत पुनरुद्धार योजना तैयार करने के लिए कंपनी ने एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित परामर्शदाता को नियुक्त किया था। परामर्शदाता ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। और संयंत्र के पुनरुद्धार के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव पर अन्तर मंत्रालय स्तर पर विचार किया जा रहा है।

(ग) इस्पात उत्पादों के निर्यात हेतु ऐसी कोई पृथक अवसंरचनात्मक सुविधाएं सृजित नहीं की गई हैं।

(घ) घरेलू और निर्यात संबंधी मांग की पूर्ति हेतु इस्पात संयंत्र द्वारा कोई फैब्रीकेशन इकाई स्थापित नहीं की गई है।

(ङ) जैसा उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर में बताया गया है, एक विस्तृत प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सब्जियों का निर्यात

1619. श्री सुशील चन्द्र वर्मा: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सब्जियों के निर्यात और आयात के संबंध में सरकार की क्या नीति है; और

(ख) निर्यात की जा रही सब्जियों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) कृषि उत्पादों एवं फार्म वस्तुओं के निर्यात की अनुमति देने से संबंधित सरकार की नीति का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत की खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखना, फार्म आय को अधिकतम बनाना और विदेशी मुद्रा का अर्जन करना है। कृषि उत्पादों के निर्यात निष्पादन की समीक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है, कृषि निर्यातों को उत्तरोत्तर व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से उसमें तदनुसार नीति संबंधी परिवर्तन किये जाते हैं। सरकार की

आयात नीति मुख्यत: स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और उचित कीमतों पर खाद्य मदों के संसाधकों/विनिर्माताओं को निविष्टियां मुहैया कराने पर आधारित हैं।

प्याज को छोड़कर सभी सब्जियों को मुक्त रूप से निर्यात करने की अनुमति है। प्याज के निर्यात का सरणीयन भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन परिसंघ लि., नेफेड और महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के जरिये किया जाता है। बंगलौर रोज प्याज, कृष्णा पुरम प्याज और प्याज की विभिन्न किस्मों के 3000 मी. टन की मात्रा का निर्यात सरकार से सरकार आधार पर नेफेड के जरिए श्रीलंका को किए जाने की अनुमति दी गई है। प्याज के 25,000 मी. टन की मात्रा का निर्यात प्रतिमाह महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के जरिए तीन महीने के लिए किये जाने की अनुमति दी गई है।

सब्जियों के आयात की अनुमति जो उपभोक्ता मदों के वर्गीकरण के तहत आता है, किसी लाइसेंस अथवा इस बारे में जारी की गई सार्वजनिक सूचना के अनुसार ही दी जाती है अन्यथा इसकी अनुमति नहीं है। तथापि, सार्क देशों से कतिपय फलों एवं सब्जियों का आयात इस शर्त पर किये जाने की अनुमति है कि ये मदें नई प्राथमिक हालत में हैं और सूचीबद्ध सार्क देशों के मूल की है, जिन्हें नोटिस में सूचीबद्ध किया गया है। तथापि, ये आयात सामान्य स्वीकार्य आयात शुल्क के अधीन हैं।

(ख) देश से निर्यातित सब्जियों में शामिल हैं—प्याज, आलू, ओक्रा, टमाटर, मशरूम, खीरा, ककड़ी, कैप्सीकम, हरी मिर्च, मटर।

[अनुवाद]

"कॉयर जिपो टेक्सटाइल्स"

1620. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कॉयर जिपो टेक्सटाइल्स के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने कॉयर जिपो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ङ) कयर जियो-वस्त्रों सहित कयर उत्पादों के उत्पादन और विपणन के संवर्द्धन हेतु सरकार से कुछ सहायता प्राप्त योजनाएं हैं। सरकार की ओर से कयर बोर्ड द्वारा ये योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। कयर जियो वस्त्रों के उत्पादन तथा विपणन के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिसमें भारत तथा विदेशों में भी भूमि कटाव नियंत्रण कार्यक्रमों में प्रयोग की व्यापक सम्भावनाएं हैं तथा इस क्षेत्र में पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों पर समग्र रूप से बल देने पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

तांबे के कारखाने

1621. **श्री पुन्नू लाल मोहले:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन स्थानों के राज्यवार नाम क्या हैं जिनमें तांबा आधारित उद्योग स्थापित किए गए हैं और उनका क्षेत्रफल कितना है;

(ख) उन उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने खानों से निकाले गए कच्चे माल की ढुलाई के लिए कोई व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

आकस्मिक निधि

1622. **श्री संदीपान थोरात:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र/राज्य सरकार की गारन्टियों से उत्पन्न देयताओं को समायोजित करने वाली परियोजनाओं हेतु आकस्मिक निधि का गठन करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जैसा कि योजना आयोग ने सुझाया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) सरकारी गारन्टी लागू करने से उत्पन्न दावों के शीघ्र निपटारे के लिए गारन्टी शोधन निधि के गठन का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजनार्थ निधि की संचित धनराशि (कार्पस) के लिए आरम्भिक अंशदान के रूप में वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमानों में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

आई.टी.आई. संस्थानों को आयकर में छूट

1623. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गैर-सरकारी आई.टी.आई. संस्थानों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु निवेश करने के लिए आयकर से छूट देने के संबंध में राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सरकार की आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1ए के प्रावधानों के संशोधन की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 80क के प्रावधानों के अंतर्गत गैर-सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना के लिए किये गये निवेश को आयकर से छूट प्रदान करने के लिए श्री वाई.के. अलघ, पूर्व राज्य मंत्री द्वारा अग्रेषित अपर सचिव, गुजरात सरकार से संदर्भ प्राप्त हुआ है।

(ग) सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है। धारा 80 झक के अंतर्गत प्रावधानों का आशय सड़कों, राजमार्गों, बंदरगाहों आदि, विद्युत, दूरसंचार तथा औद्योगिक पार्कों जैसी मूलभूत अवसंरचना के विकास के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों को प्रदान करने से है।

(घ) 80झक के उपबंधों को दो धाराओं नामशः धारा 80झक और धारा 80झख में संशोधित करने का प्रस्ताव वित्त विधेयक, 1999 में निहित है। तथापि, उपर्युक्त (ख) में संदर्भित गुजरात सरकार के विशिष्ट सुझाव के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) तथा (घ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

''ड्यूटी ड्रा बैक'' दावे

1624. श्री उल्हास वासुदेव पाटील:
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्व विभाग प्रत्येक वित्त वर्ष के अंतिम तीन-चार महीनों में निर्यातकों के ''ड्यूटी ड्रा बैक'' दावों को निपटाने में सक्रिय नहीं रहता है;

(ख) क्या उस वर्ष विशेष में राजस्व घाटे के अन्तर को पूरा करने के लिए यह कदम उठाया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन ''ड्यूटी ड्रा बैक'' दावों को नये वित्त वर्ष में ले जाने का है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वित्त वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ''ड्यूटी ड्रा बैक'' दावों की कुल कितनी राशि आगे ले जाई गई; और

(ङ) निर्यात पर इसका क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) जी, नहीं। प्रति अदायगी संबंधी दावों का निपटान करने हेतु धीरे-धीरे कार्यवाही करने के लिए राजस्व विभाग ने कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

(ग) से (ङ) शुल्क वापसी संबंधी ऐसे पूर्ण दावे, जो सीमा शुल्क गृहों में प्राप्त होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है तथा सीमा शुल्क अधिनियम के उपबंधों तथा प्रति अदायगी नियमावली के अनुसार दो महीनों के अन्दर प्रति अदायगी स्वीकृत की जाती है। यदि पूर्ण प्रति अदायगी दावा दायर करने के दो महीनों के भीतर, दावे का निपटारा नहीं किया जाता है, तब सरकार को दो माह से अधिक की अवधि के लिए दावाकर्ता को ब्याज देना होता है। वह अवधि जिस अवधि के बाद सरकार को ब्याज देना पड़ता है, उसे हाल ही में पूर्ववर्ती तीन माह की अवधि से घटा कर दो माह कर दिया गया है ताकि प्रति अदायगी संबंधी दावों को शीघ्रता से निपटाया जा सके।

सब्जियों का निर्यात

1625. **श्री आर.एस. गवई:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में सब्जियों के निर्यात से कितनी वार्षिक आय हुई;

(ख) क्या सरकार ने सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) गत तीन वर्षों के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात से वार्षिक आय निम्नानुसार रही है:

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु. में)
1995-96	301.19
1996-97	341.16
1997-98	319.45

(ख) से (घ) सरकार सब्जियों के साथ-साथ बागवानी उत्पादों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय शुरू कर रही है। उनमें शामिल हैं:

(1) ऊष्णकटिबंधीय तापमान और शुष्क क्षेत्र के फलों के समेकित विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौध-शालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करने, प्रदर्शनों और प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्म पक्कवन/क्योरिंग चैम्बर और गुणात्मकता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ ऋणों का प्रावधान;

(3) विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, पूर्व प्रशीतन/शीतागार सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैंडलिंग प्रणालियों (चैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(4) निर्यात एककों में नवीनतम आईएसओ 9000/एचएसीसीपी प्रणालियों को अपनाने सहित उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(5) चुनिन्दा ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी;

(6) विदेशी बाजारों में उत्पादों, विशेषकर आमों की ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की संस्थापना जो कि नष्ट होने वाले उत्पादों की संरक्षण अवधि को बढ़ाने के लिए परिवहन में नियंत्रित/नवीकृत वायुमंडलीय प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक तकनीक के उपयोग हेतु अनुसंधान प्रयास चल रहे हैं।

(7) क्रेता-विक्रेता बैठकों, और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सह-भागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(8) ताजे फलों और सब्जियों जैसे नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और भण्डारों की स्थापना करना;

(9) निर्यात उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि के लिए किसानों को प्रशिक्षण सहित व्यापार और उद्योग को तकनीकी परामर्शी सेवा और दूसरी सहायता सेवाएँ मुहैया कराना।

चालू सिंचाई परियोजनाएं

1626. श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री विठ्ठल तुपे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने देश में कतिपय चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण संस्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए उक्त बैंक द्वारा परियोजनावार और राज्यवार संस्वीकृत किये गये ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाबार्ड के पास सिंचाई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कुछेक प्रस्ताव लंबित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित पड़े हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) जी, हां। मूलभूत ग्रामीण विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों की कुछ चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ऋण देता रहा है। राज्यवार व परियोजनावार स्वीकृतियों का ब्यौरा विवरण-I से विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) और (घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि सिंचाई क्षेत्र में कुल 178.63 करोड़ रुपए की राशियों के प्रस्ताव विचाराधीन हैं और यदि उपयुक्त व अर्थक्षम हुआ तो स्वीकृति देने पर विचार किया जाएगा।

विवरण I

वर्ष 1995-96 के दौरान ग्रामीण आधारभूत विकास निधि-I के तहत मंजूर चालू सिंचाई परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	संख्या	मंजूर	संवितरित
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	67	21990.41	18374.46
2.	बिहार	783	2618.13	–
3.	गोवा	1	684.95	684.95
4.	गुजरात	43	13411.40	12516.26

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	3	1827.71	1373.88
6.	हिमाचल प्रदेश	70	1356.21	1351.96
7.	जम्मू एवं कश्मीर	12	621.79	603.85
8.	कर्नाटक	90	14345.14	12078.57
9.	केरल	96	9470.91	6730.19
10.	मध्य प्रदेश	163	19963.28	14991.52
11.	महाराष्ट्र	105	17374.00	14865.58
12.	मणिपुर	63	174.86	23.74
13.	मिजोरम	21	238.19	201.94
14.	नागालैण्ड	18	137.98	134.87
15.	उड़ीसा	2539	13424.82	11584.73
16.	राजस्थान	36	11836.15	9815.47
17.	त्रिपुरा	36	182.37	31.71
18.	उत्तर प्रदेश	27	28478.89	25452.29
19.	पश्चिम बंगाल	16	8892.70	6351.00
	योग	4189	167029.89	137166.97

विवरण II

वर्ष 1996-97 के दौरान ग्रामीण आधारभूत विकास निधि-II के तहत मंजूर चालू सिंचाई परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

		योग		
क्र.सं.	राज्य	संख्या	मंजूर	संवितरित
1.	आंध्र प्रदेश	12	6390.26	1892.75
2.	गुजरात	9	3106.40	1285.03
3.	हरियाणा	2	3492.47	2135.89
4.	हिमाचल प्रदेश	43	1870.77	1190.94
5.	कर्नाटक	4	5113.84	2190.38
6.	केरल	16	3384.01	555.91
7.	मध्य प्रदेश	64	20403.19	7960.14
8.	महाराष्ट्र	104	22514.90	15302.59
9.	उड़ीसा	1	2090.00	2071.86
10.	राजस्थान	14	3158.86	2204.06
11.	उत्तर प्रदेश	3	6058.65	2076.60
12.	पश्चिम बंगाल	23	121.27	12.13
	योग	295	77704.06	36878.28

विवरण III

वर्ष 1997-98 के दौरान ग्रामीण विकास निधि-III के तहत मंजूर चालू सिंचाई परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे दर्शानेवाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	योग		
		संख्या	मंजूर	संवितरित
1.	आंध्र प्रदेश	2	163.67	94.00
2.	बिहार	53	915.37	-
3.	गुजरात	5	7107.67	4054.26
4.	हरियाणा	1	1091.77	405.73
5.	हिमाचल प्रदेश	7	164.45	92.65
6.	जम्मू एवं कश्मीर	92	733.01	146.60
7.	कर्नाटक	1	625.10	79.95
8.	केरल	2	42.98	-
9.	मध्य प्रदेश	73	10175.73	1630.95
10.	उड़ीसा	18	8110.79	780.13
11.	राजस्थान	30	7126.40	2128.10
12.	उत्तर प्रदेश	8	14450.25	299.48
	योग	292	50715.09	9711.85

विवरण IV

वर्ष 1998-99 के दौरान ग्रामीण विकास निधि-IV के तहत मंजूर चालू सिंचाई परियोजना के राज्य-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

		योग		
क्र.सं.	राज्य	संख्या	मंजूर	संवितरित
1.	आंध्र प्रदेश	2	3173.46	
2.	बिहार	1	443.16	
3.	गोवा	1	185.00	
4.	गुजरात	3	5027.40	
5.	हिमाचल प्रदेश	2	24.33	2.43
6.	जम्मू व कश्मीर	4	1404.31	
7.	कर्नाटक	9	548.39	
8.	मध्य प्रदेश	65	8817.12	
9.	महाराष्ट्र	13	10047.53	
10.	उड़ीसा	5	5067.36	
11.	राजस्थान	11	9967.56	
	योग	116	44705.64	2.43

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का पुनर्गठन

1627. श्री बसुदेव आचार्य: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के पुनर्गठन का प्रस्ताव आई.सी.आई.सी.आई. के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या आई.सी.आई.सी.आई. ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स के प्रबंधन ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) कोल इंडिया लि. ने एक व्यापक अध्ययन प्रारंभ करने तथा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ई.को.लि.) के पुनरुद्धार हेतु उपायों की सिफारिश के लिए आई.सी.आई.सी.आई. को नियोजित किया था।

(ख) आई.सी.आई.सी.आई. ने एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ग) आई.सी.आई.सी.आई. ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया है कि ई.को.लि. द्वारा प्रचलित विभिन्न खानों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

समूह-1	लाभकारी खानें
समूह-2	संभावित लाभ वाले क्षेत्र
समूह-3	उच्च क्षमता वाली लांगवाल खानें
समूह-4	कठिन कार्य स्थितियों सहित हानि वाली खानें

समूह-4 खानों के लिए आई.सी.आई.सी.आई. ने कोई व्यवहार्य हल नहीं सुझाया है और उन खानों को बंद करने की सिफारिश की है। कंपनी के 6 क्षेत्रों में अवस्थित ई.को.लि. की 64 खानों, जो समूह-4 के अंतर्गत आती हैं, के बारे में आई.सी.आई.सी.आई. की रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है।

(घ) और (ङ) दिनांक 22.10.1998 को ई.को.लि. के निदेशक बोर्ड की हुई बैठक में 64 खानों को बंद किए जाने का संकल्प पारित किया गया था। काफी समय से गंभीर वित्तीय समस्याओं से जूझ रही कंपनी के संदर्भ में ई.को.लि. बोर्ड द्वारा यह संकल्प पारित किया गया था। तथापि, ई.को.लि. प्रबंधन द्वारा कामगारों की छंटनी किये जाने के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत निर्धारित कदम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि ई.को.लि. की वित्तीय समस्याओं के स्वीकार्य हल प्राप्त करने के प्रयास के उद्देश्य से मजदूर संघों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। ई.को.लि. में सुधार लाने के संबंध में एक नए पैकेज का प्रस्ताव किया गया है, जो मजदूर संघों के विचाराधीन है।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबधी संयुक्त उद्यम

1628. श्री बसुदेव आचार्य:
श्री सुनील खां:
श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ:
श्री विकास चौधरी:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक हस्तांतरण सहित देश में कुल कितने संयुक्त उद्यम कार्यरत हैं;

(ख) विदेशी कंपनियों के इसी या इसी से संबंधित क्षेत्र में पहले से संयुक्त उद्यम होने के बावजूद कुल ऐसे कितने उद्यमों ने स्वत: इसमें प्रवेश किया है; और

(ग) ऐसे उद्यमों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की धनराशि कितनी है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) जनवरी, 1991 से 31 दिसम्बर, 1998 तक, कुल 181391.55 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित विदेशी वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग वाले 14551 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। दिनांक 14.1.99 की प्रेस विज्ञप्ति के साथ पठित दिनांक 14 दिसम्बर, 98 के प्रेस नोट संख्या 18(1998 की श्रृंखला) के अनुसार भारत में पूर्व अथवा विद्यमान संयुक्त उद्यम के साथ विदेशी वित्तीय/तकनीकी सहयोगकर्ता को उसी अथवा संबद्ध गतिविधि में नये उद्यमों (आंशिक रूप से अथवा पूर्ण स्वामित्व वाले) के संवर्धन के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग हेतु अभिगम नहीं कर सकता है जिसमें कि उन्हीं सहयोगकर्त्ताओं सहित विद्यमान/पूर्व उद्यम अन्तर्ग्रस्त हैं अथवा अन्तर्ग्रस्त रह चुके हैं। उपर्युक्त प्रेस नोट के जारी किये जाने के पश्चात ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है।

बी.सी.सी.एल. द्वारा रेल वैगनों का उपयोग

1629. **प्रो. रीता वर्मा:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 1997 से जनवरी, 1999 के दौरान भारत कोकिंग कोल लि. द्वारा कोयले की ढुलाई हेतु मांगी गई रेल वैगनों की औसत संख्या क्या है;

(ख इस अवधि के दौरान बी.सी.सी.एल. द्वारा कितने रेल वैगनों का वास्तविक रूप से उपयोग किया गया;

(ग) इस अवधि के दौरान बी.सी.सी.एल. द्वारा रेल वैगनों का उपयोग नहीं किये जाने के कारण औसतन प्रतिदिन कितने विलंब शुल्क का भुगतान किया गया है;

(घ) आवश्यकता के अनुसार मांगे गए रेल वैगनों का उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) उन रेल वैगनों का ब्यौरा क्या है जिनका उपयोग नहीं किया जा सका और जिन्हें रेलवे को वापस कर दिया गया; और

(च) निर्धारित अवधि के पश्चात् भी रेल साइडिंग पर कितनी अवधि तक रेल वैगनों को रखा गया तथा इस प्रकार रखे गए रेल वैगनों का साइडिंग-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) भा.को.को.लि. ने 3/97 से लेकर 1/99 तक की अवधि के दौरान औसतन प्रतिदिन 3875 चार पहियों वाले वैगनों की प्रतिदिन के हिसाब से मांग की;

(ख) रेलवे ने औसतन प्रतिदिन 2651 चार पहियों वाले वैगनों की आपूर्ति की और कुछ खराब/अनुपयुक्त वैगनों को छोड़कर सभी वैगनों का पूरी तरह से उपयोग किया गया।

(ग) मार्च, 1997 से मार्च, 1998 तक के दौरान वैगनों को रोकने के कारण अदा किया गया विलंब-शुल्क लगभग 2.06 लाख रु., प्रतिदिन था। अप्रैल, 1998 से जनवर, 1999 तक की अवधि के विलंब-शुल्क का रेलवे के साथ निपटारा नहीं किया गया है।

(घ) वैगनों को रोकने के कारणों में निम्न शामिल हैं:

(1) अतिरिक्त समय घंटों में ऐसे कार्य स्थलों पर जहां महिला श्रमिकों द्वारा रात्रि में लदान संभव नहीं है, आच्छादित वैगनों की आपूर्ति।

(2) खानों/सी.एच.पी./फीडर ब्रेकरों और वाशरियों में बिजली चला जाना।

(3) सी.एच.पी./फीडर ब्रेकर का खराब होना।

(4) विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किए गए हड़ताल/बंद के आह्वान।

(5) स्थानीय मजदूर संबंधी आकस्मिक समस्या।

(ङ) भा.को.को.लि. द्वारा उपयोग में न लाई जा रही किसी भी वैगन को लौटाया नहीं गया। कुछ खराब/अनुपयुक्त वैगनों, जिनमें भा.को.को.लि. लदान नहीं कर सका, रेलवे द्वारा खाली निकाले गये थे। ऐसी वैगनों का प्रतिशत नगण्य है और कोयला कंपनी द्वारा खाली निकाले गए वैगनों का रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(च) वैगनों को साइडिंग-वार रोके जाने का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत कोकिंग कोल. लि.

मार्च, 1997 से जनवरी, 1999 की अवधि के दौरान साइडिंग-वार वैगनों को रोके जाने की सूची

(आंकड़े एफडब्लूडब्लूएस/दिन में)

कोलियरी/ साईडिंग	मार्च 97 से मार्च 98	अप्रैल 98	मई 98	जून 98	जुलाई 98	अगस्त 98	सितम्बर 98	अक्तूबर 98	नवम्बर 98	दिसम्बर 98	जनवरी 99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अमलाबाद-बीआरसी	4	12	0	2	2	0	0	0	6	0	0
भवरा-बीआरसी	16	6	5	12	4	19	31	6	0	4	0
भवरा-एच/सी	2	1	0	0	0	1	3	0	0	0	3
सुदामडीह-वा. डब्लूसी	43	73	61	39	89	75	106	61	63	14	19
सुदामडीह-वा. मिड.	20	2	17	34	6	37	15	19	29	14	9
भवरा-4-एनसी	10	0	0	12	0	0	0	9	3	2	6
एनएलओसीपी-एनसी	13	0	16	0	0	5	0	51	29	13	29
दामागोरिया-एनसी	12	0	3	0	0	0	0	7	4	5	0
पाथ.-वाश-डब्लूसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पाथ.-वाश-मिड.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बरोरा-वा. डब्लूसी	42	41	71	67	65	79	101	121	77	38	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बरोरा-मिड.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
भोजूडीह-वा-डब्लूसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भोजूडीह-वा-एमसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दुग्दा-वा.-डब्लूसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दुग्दा-वा.-मिड.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	45
मधुबंद-डब्लूसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मधुबंद-एमसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुस्टोरे-बीआरसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दामागोरिया-डीएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बल्ली-जेबी-2-बीआरसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोपा केबी-11-बीआरसी	0	14	11	9	21	16	4	10	14	0	2
बूरागढ़-डी/एफ	4	19	31	12	28	45	35	25	21	2	0
बूरागढ़-बीआरसी	7	0	0	2	0	2	4	8	13	0	2
कुस्टोरे-एनसी	10	0	0	2	14	14	5	70	39	14	75
ई-भुगतडीह-पीईबी	7	2	7	2	2	9	4	1	1	2	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ई.एन.ए.-पीईएच	3	1	3	1	1	4	2	1	0	1	1
लिबर्टी-एनसी	11	5	13	16	5	19	18	55	32	38	26
घानूडीह-एनसी	14	5	14	21	0	16	28	48	34	13	3
जीओसीपी-एनसी	23	22	9	42	0	19	63	108	70	70	6
जीओसीपी-डब्लूएफ	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जीनागोरा-एनसी	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16
एस.टिस (जे.जे.बी.9)एनसी	20	62	84	46	0	13	39	37	24	9	25
एन.टिस (जे.जी.बी.6)एनसी	17	5	5	10	0	23	14	65	14	9	0
जेएस/एन टिस-एचसी	11	0	1	0	0	0	4	5	8	0	0
लोडना-4-एचसी	4	2	10	0	4	4	6	8	1	2	2
लोडना-वा-डब्लूसी	14	5	0	3	0	0	0	2	2	0	0
लोडना-वा.-मिड.	4	0	4	2	0	4	0	0	2	0	2
बगडिगी-पीईएच	8	11	8	5	0	0	0	0	1	2	3
बरारी-डब्लूएल-पीईएच	9	6	16	10	1	1	0	0	2	1	4
निचितपुर-एचसी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
निचितपुर-एनसी	21	53	66	22	6	19	30	25	47	52	16
जोगटा/एम.यू.डी.-डी.जी.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कनकनी/डीबीसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लोयाबाद-एच/सी	3	0	0	0	0	8	12	14	6	4	7
कनकनी-बीआरसी	12	18	37	11	9	4	11	16	7	7	6
एस. बंसजोरा-एनसी	29	68	26	19	4	9	11	51	57	42	46
तेतमारी (जी.आर.आर.)एनसी	24	9	5	14	0	21	0	23	15	0	0
केकेडीएस 3-एनसी	15	10	0	0	3	0	10	5	5	5	9
बास (के.डी.एस,-2)डी.जी.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
धनसर सी.एच.पी.एन.सी.	32	10	20	33	23	13	47	33	14	9	32
ई-बास/गांड-एनसी	16	0	7	8	0	8	19	9	5	0	0
बल्ली-जेबी-2-डी/एफ	49	68	61	67	95	108	92	89	87	80	33
बलिहारी-एसएलवी	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एस. गोव/एन. टेट-डब्ल्यू.एफ.	0	0	0	0	4	7	0	0	0	0	0
जामुनी-डीआई-डब्ल्यूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
के. चेटूडीह-बी.आर.सी.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
मधुबन-डी.एफ.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एनएलओसीपी-डब्ल्यू.एफ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महेशपुर-पीईएच	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
फुलारीटांड-एनसी	28	24	93	14	0	0	0	0	0	0	0
दामोड़ा बीजेआईएनसी	11	0	28	24	5	5	0	0	0	5	9
फूल/मूराडीह-डब्ल्यूसी	0	0	2	0	0	0	0	0	6	12	16
मुरईडी/बारो-एनसी	21	5	5	10	0	5	19	28	0	0	17
केजीएच/एनयूडीडी-1 एनसी	19	0	18	0	0	0	19	12	26	51	51
जमूनी डी-1-डी.जी.	12	0	2	0	0	0	13	1	3	0	0
बेनेडी केकेसीएल-एन.सी.	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बेनेडी केकेसीएम.एन.सी.	50	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
महुदा-बा.-डब्लूसी	14	0	7	23	0	6	0	10	0	3	6
महुदा-वा.-मिड	7	0	1	12	0	3	1	3	0	2	3
मूनीडीह-डब्लूसी	21	15	0	19	42	75	63	49	53	42	47
मूनीडीह-मिड	5	15	13	5	14	19	10	19	0	9	0
महेशपुर-डी.जी.	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
एस.गोव/एनटीईटी.डी.जी.	1	5	1	0	0	5	0	0	0	0	4
जोगीडी/बी.एल. 4-एन.सी.	18	27	16	15	14	8	15	10	27	42	26
गोविंदपुर-एनसी	8	0	0	0	0	0	5	9	5	0	0
डब्लू कटरास-एनसी	5	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0
अंगरपथरा-एनसी	15	79	58	25	5	4	44	76	72	47	39
रामकनाली-एनसी	2	17	32	10	0	0	7	10	17	19	0
डब्लू.मूडीडीह-एनसी	7	23	32	7	5	0	20	23	13	38	32

[हिन्दी]

भारत और त्रिनिदाद समझौता

1630. डा. अशोक पटेल:
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:
श्री चेतन चौहान:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दोहरे कराधान से बचने और आयकर वंचन को रोकने हेतु भारत और त्रिनिदाद और टोबेगो के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) समझौता कब से लागू किया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) जी, हां। भारत और त्रिनिदाद तथा टोबेगो के बीच अभिसमय पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ख) त्रिनिदाद और टोबेगो के साथ हस्ताक्षरित दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय में प्रमुख रूप से व्यवस्था की गई है:

(1) ब्याज, रायल्टी तथा तकनीकी सेवा भुगतानों के लिए फीस के संबंध में घरेलू दरों के सापेक्ष कर को रोकने की निम्न दरें (अर्थात् आयकर अधिनियम, 1961 में दिए गए 20% के यथा विपरीत 10%)

(2) दूसरे देश में भुगतान किये गये करों के लिए क्रेडिट देकर दोहरे कर के प्रभाव से बचा जाएगा;

(3) प्रत्येक देश करों की वसूली के लिए दूसरे देश को सहायता प्रदान करेगा;

(4) कर जांच के अंतर्गत मामलों के संबंध में दो देशों के बीच सूचना का आदान-प्रदान;

(ग) अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के फलस्वरूप एवं "एन्ट्री इंटू फोर्स" से संबंधित अनुच्छेद 29 के अनुसार संविदाकारी राज्य अपने-अपने कानूनों द्वारा अपेक्षित प्रक्रियाओं की समाप्ति के बारे में एक दूसरे को लिखित रूप में अधिसूचित करेंगे। यह अभिसमय उपर्युक्त परवर्ती अधिसूचनाओं की प्राप्ति के 30 दिन के उपरान्त प्रवृत्त हो जायेगा।

[अनुवाद]

औद्योगिक क्षेत्र में मन्दी

1631. श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन माह से उद्योग को जबरदस्त मन्दी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में कितनी मन्दी आई तथा पिछली तीन तिमाहियों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक क्षेत्र में मन्दी आने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) अप्रैल-दिसम्बर 1997 में 6.7% की तुलना में औद्योगिक विकास दर चालू वित्तीय वर्ष 1998-99 में अप्रैल-दिसम्बर की अवधि के लिए 3.5% रही है। पिछले तीन महीनों के दौरान आईआईपी में माह-वार समग्र रूप में विकास दर निम्न प्रकार रही है:

माह	विकास (%)
अक्तूबर, 98	0.8
नवम्बर, 98	3.8
दिसम्बर, 98	3.2

नवीनतम तथा पिछली तीन तिमाहियों की औद्योगिक विकास दर को नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष 1998	खनन एवं खदान	विनिर्माण	विद्युत	समग्र
जनवरी-मार्च	7.2	5.9	8.3	6.2
अप्रैल-जून	-0.3	4.3	10.2	4.4
जुलाई-सितम्बर	-0.5	3.9	4.6	3.5
अक्तूबर-दिसम्बर	-2.5	2.9	5.0	2.6

निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि चालू वर्ष 1998-99 (अप्रैल-दिसम्बर) के नौ महीनों की अवधि के दौरान कम कार्य निष्पादन कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। धातु उत्पाद तथा कल पुर्जे, मशीन एवं उपकरण को छोड़कर (22.9%), परिवहन उपकरण तथा कल पुर्जे (20.8%), कागज तथा कागज उत्पाद (16.0%), ब्रेवरीज, तम्बाकू तथा संबंधित उत्पाद (13.8%) तथा रबड़, प्लास्टिक, पेट्रोलियम तथा कोयला उत्पाद (10.6%) जैसे क्षेत्रों द्वारा स्पष्ट रूप से उच्च विकास दर दर्शायी गयी है। विद्युत, खाद्य उत्पाद, मूल रसायन तथा रसायन उत्पादों, चमड़ा तथा फर उत्पाद, गैर-धात्विक खनिज उत्पाद तथा ऊन, रेशम तथा हाथ से बने फाइवर टैक्सटाइल में भी सकारात्मक विकास दर दर्ज की गई है। सूती वस्त्र (-9.9%), जूट तथा अन्य वैजीटेवल फाइवर टैक्सटाइल (-5.4%) उत्पाद (-3.3%), वस्त्र उत्पाद (-3.1%) तथा मूल धातु तथा मिश्रित धातु उद्योग (-3.0%) के संबंध में उत्पादन नकारात्मक रहा है।

विश्व व्यापार में समग्र मंदी तथा निवेश क्रियाकलापों में गिरावट आ जाने के कारण निर्यात विकास दर में कमी जैसे घटकों के कारण औद्योगिक विकास दर धीमी रही है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश क्षेत्रों में घरेलू मांग मंदी रही है।

सीमाशुल्क की छलपूर्ण वापसी

1632. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमाशुल्क की वापसी सुविधा में ऐसी धोखाधड़ी सामने आई है जहां इसे वास्तविक निर्यात किए बिना ही वापिस कर दिया गया हो;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने मामले सामने आए हैं साथ ही इसका पूर्ण ब्यौरा क्या है और इन मामलों में क्या-क्या कार्य विधियां अपनाई गई हैं;

(ग) इन धोखाधड़ियों में कितना धन फंसा और इन घोटालों/धोखाधड़ियों में कितने लोग शामिल पाए गए; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा धोखाधड़ी-वार क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) जी हाँ। पिछले तीन वर्षों के दौरान 13 मामले प्रकाश में आए हैं जहां किसी वास्तविक निर्यात के लिए बिना सीमाशुल्क प्रतिअदायगी का लाभ उठाया गया है। इन मामलों में से 12 मामलों में अपनाई गई सामान्य कार्य प्रणाली में, दावेदारों द्वारा जाली दस्तावेजों तथा लदान बिलों का भरा जाना शामिल है, जिसमें लदान बिलों पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट भी जाली थी। एक मामले में कार्य प्रणाली में प्रति अदायगी प्राप्त करने के लिए सीमा-शुल्क अधिकारियों को आबंटित कम्प्यूटर पासवर्ड का उपयोग करके सीमाशुल्क ईडीआई/कम्प्यूटर प्रणाली जिसमें जांच रिपोर्ट शामिल है, में जाली प्रविष्टियां करना शामिल है।

(ग) और (घ) इन 13 मामलों में प्रतिअदायगी की कुल राशि 59.24 करोड़ रुपये अंतर्ग्रस्त है।

एक मामले में, न्यायनिर्णयन कार्रवाई पूरी हो गई है और जुलाई, 1995 से अक्तूबर, 1997 की अवधि के दौरान मुम्बई हवाई कारगो काम्पलेक्स से जाली निर्यात हेतु जालसाजी से दावा की गई 49.60 करोड़ रुपये की प्रतिअदायगी की राशि को दावेदार से वसूल करने हेतु की गई मांग की पुष्टि की गई है। इस मामले में, शामिल मुख्य व्यक्ति, जिसने जालसाजी को स्वीकार किया है, को अक्तूबर, 1997 में गिरफ्तार किया गया था और उसके उपरान्त कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के अंतर्गत हवालात में रखा गया था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इस मामले की और आगे जांच की जा रही है। वसूली कार्रवाई भी चल रही है और 4.72 करोड़ रुपये पहले ही वसूल किये जा चुके हैं।

अगस्त, 1998 से दिसम्बर, 1998 की अवधि के दौरान, दिल्ली हवाई कारगो काम्पलेक्स से जाली निर्यात के अन्य दो मामलों में 5.40 करोड़ रुपये की जाली प्रतिअदायगी का दावा शामिल है, छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और दावेदार के बैंक खाते से 1.83 करोड़ रुपये की राशि वसूल/अवरुद्ध की गई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 1.90 करोड़ रुपये की प्रतिअदायगी राशि के एक मामले में, इस समय राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा जांच का कार्य प्रगति पर है और न्हावा शेवा पत्तन पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 9 मामलों का पता लगाया है जिसमें 2.34 करोड़ रुपये को प्रतिअदायगी राशि अंतर्ग्रस्त है।

जालसाजी के ऐसे मामलों को रोकने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) संस्वीकृति से पूर्व प्रतिअदायगी दावे और प्रतिअदायगी के संवितरण की जांच हेतु सख्त विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया में शामिल हैं, वास्तविक निर्यात के विवरण से सभी प्रतिअदायगी दावों को मिलाना तथा प्रतिअदायगी दावों की बाद में लेखा परीक्षा के लिए एक नई प्रक्रिया जहां प्रतिअदायगी के संवितरण की मैनुअल प्रणाली तथा ईडीआई/कम्प्यूटरीकृत प्रणाली दोनों में प्रतिअदायगी की राशि एक लाख रुपये से अधिक है।

(2) सीमाशुल्क की सभी क्षेत्रीय संरचनाओं को आसूचना बढ़ाने तथा ऐसी जालसाजियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी स्तरों पर बेहतर निगरानी रखने हेतु संपर्क किया गया है।

सिक्कों का आयात

1633. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा:
श्री मोहन रावले:
श्री पंकज चौधरी:
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:
श्री रामपाल सिंह:
श्री नृपेन गोस्वामी:
श्री सुशील चन्द्र वर्मा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में छोटे सिक्कों की हो रही कमी को पूरा करने के लिए एक रु., दो रु. और पांच रु. के मूल्य के छोटे सिक्कों का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन देशों से तथा किन-किन मूल्यों के सिक्कों का आयात करने का विचार है;

(घ) इन सिक्कों का आयात कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इन सिक्कों के आयात से मुद्रा के परिचालन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि विश्वव्यापी निविदा के आधार पर इन सिक्कों के 1000 मिलियन अदद (1 रु. = 300 मिलियन अदद, 2 रु. = 300 मिलियन अदद और 5 रु. = 400 मिलियन अदद) का आयात किया जाए।

(ग) उन देशों के नाम जहां से सिक्कों का आयात किया जाना है, निविदा को अंतिम रूप दे दिये जाने के बाद ही ज्ञात हो सकेंगे।

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान।

(ङ) आयातित सिक्कों से करेंसी नोटों पर दबाव हल्का होने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

जापानी कंपनियों द्वारा निवेश

1634. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:
श्री आनन्द रत्न मौर्य:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापानी कंपनियों ने कुछ नए प्रस्तावों के संबंध में हमारे देश में निवेश के बारे में अपनी इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) जी, हां। अगस्त, 1991 से 31.12.98 तक की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के जापान से प्राप्त 960 प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं, जिनमें 7449.94 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परिकल्पना है। ऐसे प्रस्तावों के विवरण, जैसे, विदेशी सहयोगकर्त्ता और उसके देश का नाम, इक्विटी का प्रतिशत, विनिर्माण की मद/कार्यकलाप और परियोजना-स्थल, मासिक आधार पर औद्योगिक सहायता सचिवालय के न्यूजलैटर में प्रकाशित किये जाते हैं जिसका, संसदीय लाइब्रेरी सहित विस्तृत रूप से परिचालन किया जाता है।

आज की तिथि के अनुसार जापान से प्राप्त दो प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

[अनुवाद]

औद्योगिक पार्क

1635. श्री नृपेन गोस्वामी: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित किए गए औद्योगिक पार्कों तथा प्रत्येक औद्योगिक पार्क को दी गई सहायता का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे कितने पार्कों का निर्माण किया गया है तथा 1999-2000 के दौरान और कितने पार्कों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्षेत्र में ने पार्कों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उत्तर-पूर्वी राज्यों में तीन निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्कों (ईपीआईपी) की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई है। ईपीआईपी के ब्यौरे और इन पार्कों को सरकार द्वारा दी गई केन्द्रीय अनुदान राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) मणिपुर में वर्ष 1998-99 में एफईपीआईपी स्थापित करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में ईपीआईपी की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। इस योजना के अधीन क्षेत्रवार कोई बजटीय आबंटन नहीं किया गया है। उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित सभी चालू पार्कों और नए ईपीआईपी के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1999-2000 के बजट अनुमान में 20 करोड़ रु. की राशि का प्रावधान किया गया है।

विवरण

उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्वीकृत निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्कों (ईपीआईपी) और जारी किए गए केन्द्रीय अनुदान के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य सरकार का नाम	ईपीआईपी का स्थान	जारी केन्द्रीय अनुदान
1.	असम	अमीन गाँव, गुवाहाटी के समीप जिला-कामरूप	10 करोड़ रुपए
2.	मेघालय	बर्नी हाट, जिला-रिमोई	7.50 करोड़ रुपए
3.	मणिपुर	खुनुटा, चिंगाजिंग जिला-थोबल	राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण कोई केन्द्रीय अनुदान जारी नहीं किया गया है।

उड़ीसा में कोयले की खानें

1636. **श्री भर्तृहरि मेहताब:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में चालू कोयला खानों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रारंभिक निवेश करने के बाद राज्य में कितनी कोयला खानों को बंद कर दिया गया;

(ग) क्या सरकार ने उड़ीसा में पाई गई कोयला सामग्री का विविध उपयोग करने और उनमें से उप-उत्पादों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) क्या कच्ची कोयला सामग्री पर आधारित कोई उप-उत्पाद उद्योग स्थापित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) उड़ीसा में सभी 21 कोलियरियां कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) की एक अनुषंगी कंपनी, महानदी कोलफील्ड्स लि. द्वारा प्रचालित की जा रही हैं। मे.को.लि. द्वारा उड़ीसा में प्रचालित की जा रही कोलयरियों के नाम, स्थल और उनकी किस्म के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं:

संख्या	नाम/स्थल	किस्म
1	2	3
1.	तालचेर कोलियरी, पो.आ. डेरा कोलियरी, जिला अंगुल	भूमिगत
2.	देअलबेरा कोलियरी, पो.आ. देअलबेरा, जिला अंगुल	भूमिगत
3.	नदिरा कोलियरी, पो.आ. नंदिरा, जिला अंगुल	भूमिगत
4.	हंदीदुआ कोलियरी, पो.आ. तालचेर (हंदीदुआ), जिला अंगुल	भूमिगत
5.	लिंगराज कोलियरी, पो.आ. देअलबेरा, जिला अंगुल	ओपनकास्ट
6.	बालदा कोलियरी, पो.आ. बालदा, जिला अंगुल	ओपनकास्ट
7.	जगन्नाथ कोलियरी, पो.आ. बालदा, जिला अंगुल	ओपनकास्ट
8.	अनंता कोलियरी, पो.आ. डेरा कोलियरी, जिला अंगुल	ओपनकास्ट
9.	भरतपुर कोलियरी, पो.आ. बालदा, जिला अंगुल	ओपनकास्ट
10.	कलिंगा कोलियरी, पो.आ. डेरा कोलियरी, जिला अंगुल	ओपनकास्ट

1	2	3
11.	ओरिएंट नं. 1 और 2, पो.आ. बृजराजनगर, जिला झरसुग्दा	भूमिगत
12.	ओरिएंट नं. 3, पो.आ. बृजराजनगर, जिला झरसुग्दा	भूमिगत
13.	ओरियंट नं. 4, पो.आ. बृजराजनगर, जिला झरसुग्दा	भूमिगत
14.	हिमगिर रामपुर कोलियरी, पो.आ. रामपुर कोलियरी, जिला झरसुग्दा	भूमिगत
15.	हिमगिर बूंडिया इन्क्लाइन कोलियरी, पो.आ. रामपुर कोलियरी, जिला झरसुग्दा	भूमिगत
16.	बेलपहाड़, पो.आ. बंधबहल, वाया वेलपहाड़ जिला झरसुग्दा	ओपनकास्ट
17.	लाजकुरा, पो.आ. बृजराजनगर, जिला झरसुग्दा	ओपनकास्ट
18.	लिलारी पो.आ. जाराबगा, वाया बेलपहाड़, जिला झरसुग्दा	ओपनकास्ट
19.	समलेश्वरी, पो.आ. वृजराजनगर, जिला झरसुग्दा	ओपनकास्ट
20.	लखनपुर, पो.आ. बंधबहल, वाया बेलपहाड़, जिला झरसुग्दा	ओपनकास्ट
21.	बसुंधरा (टिकिलपारा), पो.आ. बलिंगाख, जिला सुंदरगढ़	ओपनकास्ट

(ख) को.इं.लि. अथवा म.को.लि. द्वारा प्रारंभ में निवेश किये जाने के बाद उड़ीसा में किसी भी कोलियरी को बंद नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) कोयला मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद ने तलचर कोयले से कोक के उत्पादन पर 1994 में एक अध्ययन किया है और कोयले से कोक के उत्पादन के लिए एक कोक ओवन संयंत्र की स्थापना राउरकेला इस्पात संयंत्र के अंतर्गत की गई है।

[हिन्दी]

कच्चे माल की लागत में तीव्र वृद्धि

1637. डा. चिन्ता मोहन: क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात के उत्पादन के लिए कच्चे माल, प्रयुक्त ईंधन की लागत तथा परिवहन लागत में 1992-93 से 1997-98 के बीच तीव्र वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल, ईंधन और परिवहन लागतों में अलग-अलग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कामगारों की मजदूरी भी बढ़ाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त शीर्षों में अनुमानित कितनी वृद्धि हुई और उसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में कुल कितनी वृद्धि हुई?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) 1992-93 से 1997-98 तक की अवधि के दौरान इस्पात-उत्पादन में प्रयोग होने वाली प्रमुख कच्ची सामग्रियों की लागत में काफी वृद्धि हुई। विभिन्न लागतों में वास्तविक वृद्धि और उत्पादन लागतों पर उनके अनुवर्ती प्रभाव विभिन्न घटकों, जैसे कच्चे माल के स्रोतों का नजदीकी स्थान पर होना, उत्पादन की मात्रा, उत्पादन-मिश्र आदि पर निर्भर करते हुए अलग-अलग संयंत्र में अलग-अलग होता है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर.आई.एन.एल.) और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को), जैसे मुख्य उत्पादकों के लिए प्रमुख कच्ची सामग्रियों, विद्युत, ढुलाई और मजदूरी की लागत में वृद्धि निम्न प्रकार रही है:

मद	1992-93 और 1997-98 के दौरान % वृद्धि		
	सेल	आर.आई.एन.एल.	टिस्को
स्वदेशी कोयला	74	54	-
आयातित कोयला	26	29	44
लौह अयस्क	38	66	-
खरीदी गई बिजली	74	-	67
ढुलाई	62	97	41
मजदूरी	86	176	97

सेल की विक्रेय इस्पात की उत्पादन लागत (नियत प्रभारों सहित) में अनुवर्ती वृद्धि 23% और टिस्को के लिए 26% रही है।

आर.आई.एन.एल. के मामले में द्रव्य इस्पात के निर्माण कार्य की प्रति टन लागत जो 1993-94 में 5291 रुपए थी, 1997-98 में बढ़कर 5767 रुपए हो गई। यह वृद्धि लगभग 9% है।

[अनुवाद]

राज्यों में वित्तीय संकट

1638. श्री तारिक अनवर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों की वित्तीय स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्यों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) संविधान के अंतर्गत राज्य स्वायत्त हैं और राज्य का वित्तीय प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है जिसके लिए वे अपनी विधायिकाओं अथवा यदि राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन है तो, संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। चालू वर्ष में कुछ राज्य सरकारें आवधिक अर्थोपाय समस्याओं से जूझ रही हैं। राज्य सरकारों के रोकड़ शेष और अधिनिकासी (ऑवरड्रावल) की स्थिति, यदि कोई है, तो वह दिन-प्रति-दिन और राज्य-दर-राज्य भिन्न हो सकती है। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को निधियों के निर्गमन का पुनर्निर्धारण किया है तथा वर्ष के दौरान उनकी प्राप्तियों और संवितरण में व्याप्त अस्थाई विसंगति से निजात दिलाने के लिए राज्यों को अर्थोपाय अग्रिम भी जारी किए हैं।

जीवन बीमा निगम से न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का पृथक होना

1639. **श्री कमलनाथ:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड जो साधारण बीमा निगम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है, ने निजी क्षेत्र की संभावित प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए अपनी पितृ-संस्था से पृथक होने के लिए खासी पैरवी की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) यह सूचित किया गया है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी द्वारा मूल संगठन से पृथक होने के लिए कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया है यद्यपि उनके अधिकारी संघों ने विभिन्न मंचों के माध्यम से पृथक होने की वकालत की है।

रबर की कीमतें

1640. **श्री पी.सी. थामस:**
श्री एस. अजय कुमार:

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक रबर की खरीद हेतु कदम उठाए हैं ताकि घरेलू बाजार में कीमत में वृद्धि हो;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा में रबर खरीदा गया है;

(ग) क्या रबर के "बेंचमार्क" मूल्य में वृद्धि किए जाने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) जी हां, अब तक एस.टी.सी. ने 9310 मी. टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद की है। यह पहले खरीदे गए 9596 मी. टन प्राकृतिक रबड़ के अतिरिक्त है।

(ग) और (घ) सरकार को रबड़ की बैंचमार्क कीमत में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि वर्तमान बैंचमार्क कीमत अभी हाल ही में सितंबर, 1998 को वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर वेतन तथा मजदूरी रबड़ की खेती में लगने वाली उर्वरकों की लागत, स्प्रे करने वाली सामग्री आदि को ध्यान में रखने के बाद उनके द्वारा किये गये क्षेत्रीय अध्ययनों के आधार पर निर्धारित की गई थी, इसलिए इसमें तत्काल और वृद्धि करना जरूरी नहीं है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के हिस्से की बिक्री

1641. **श्री वी.वी. राघवन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट का आई.टी.सी. में अपने हिस्से को बी.ए.टी., ब्रिटेन को बेचने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के अनुसार, आई.टी.सी. में भारतीय यूनिट ट्रस्ट के हिस्से को खरीदने के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट को बी.ए.टी. इन्डस्ट्रीज, यू.के. से न तो कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और न ही भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने बी.ए.टी. को आई.टी.सी. के शेयर बेचने के लिए किसी तरह कोई कदम उठाया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए शिकायत पैनल बनाना

1642. डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति देसाई के नेतृत्व में विधि आयोग ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए शिकायत पैनल बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें अब तक ऐसे शिकायत पैनल बना दिए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जहां ऐसे शिकायत पैनल नहीं बनाए गए हैं वहां वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हो रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जहां ऐसे पैनल अब तक नहीं बनाए गए हैं वहां ऐसे पैनल बनाए जाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) जी, हाँ। न्यायमूर्ति डी.ए. देसाई की अध्यक्षता में विधि आयोग ने "सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अभियोजना नीति तथा रणनीतियां" से संबंधित 126वीं रिपोर्ट 12 मई, 1998 को प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें यह अनुशंसा की गई थी कि सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम द्वारा शिकायत कक्ष स्थापित किया जाए।

(ख) अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं रिपोर्ट के पैरा 8.11 में दी गई है, जिसका सारांश विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) इस अनुशंसा की जांच की गई थी। यह निर्णय लिया गया था कि विधि आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में शिकायत कक्ष स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संबंध में 1985 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कर्मचारियों और अधिकारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त तंत्र पहले ही विद्यमान है।

विवरण

न्यायमूर्ति डी ए देसाई की अध्यक्षता में विधि आयोग द्वारा "सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अभियोजन नीति तथा रणनीतियां" के संबंध में की गई अनुशंसाओं की मुख्य विशेषताएं

8.11 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम तथा इसके कर्मचारियों के मध्य विवादों पर विचार करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रम एक शिकायत कक्ष स्थापित करेंगे, जिसमें प्रबंधन तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनकी संख्या प्रत्येक पक्ष की ओर से तीन से अधिक नहीं होगी तथा इस कक्ष की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, जिसने उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा औद्योगिक न्यायालय/न्यायाधिकरण के रूप में कार्य किया है। प्रत्येक कर्मचारी से संबंधित प्रत्येक विवाद, यदि आवश्यक हो तो स्थायी आदेशों अथवा सेवा नियमावली में संशोधन करके शिकायत कक्ष के सामने लाया जाए। शिकायत कक्ष का निर्णय बाध्यकारी होगा। यदि विवाद में एक से अधिक कर्मचारी शामिल हैं, परन्तु सभी कर्मचारी शामिल नहीं हैं, तो यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी। वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध मुद्दों से संबंधित विवाद भी इस कक्ष के सामने लाए जाए। लम्बे समय से पदोन्नति प्रबंधन का कार्य नहीं रहा है। इसलिए, शिकायत कक्ष इस मामले पर विचार करने के लिए सक्षम होगा। सर्वप्रथम प्रबंधन द्वारा पदोन्नति पर विचार किया जाए, परन्तु पदोन्नति प्रदान करने अथवा इससे इनकार करने के बारे में उत्पन्न विवाद शिकायत कक्ष के सामने लाया जाए। शिकायत कक्ष का निर्णय बाध्यकारी होगा तथा इस व्यवस्था और इसके प्रभावशाली ढंग से लागू करने के बावजूद, यदि कोई व्यक्ति मामला न्यायालय में ले जाता है, तो न्यायालय विवाद पर विचार करने से इनकार कर दें।

बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड को पुन: आरंभ करना

1643. श्रीमती गीता मुखर्जी:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) सरकार ने कंपनी के पुनरुद्धार के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा परिचालित की गई मसौदा पुनरुद्धार योजना के संबंध में सकारात्मक रुख अपनाया है।

(ख) जैसा कि बी.आई.एफ.आर. ने परिचालित किया है, योजना की लागत 151.04 करोड़ रुपये है जिसमें से 132.51 करोड़ रुपये सरकार द्वारा मुहैया कराये जाने हैं जिसमें अजैव्य इकाइयों के फालतू कर्मचारियों/कामगारों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए 34 करोड़ रुपये शामिल हैं। भारत सरकार से अन्य राहत और छूटें जिसमें 46.65 करोड़ रुपये के योजना ऋण को इक्विटी में बदलना, 89.07 करोड़ रुपये के गैर-योजना ऋण को शून्य दर डिबेंचर में बदलना और भारत सरकार के 329.64 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज को माफ करना शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ राहत और छूटें बैंकों, वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकारों इत्यादि द्वारा दी जानी हैं।

सेल्यूलर फोनों की तस्करी

1644. श्री के.पी. मोहन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी मात्रा में सेल्यूलर फोन की तस्करी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान एवं आज की तिथि तक सीमा-शुल्क अधिकारियों ने कितने सेल्यूलर फोन जब्त किए; और

(ग) सेल्यूलर फोनों की तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) प्राप्त आसूचना/रिपोर्टों से देश में सेल्यूलर फोनों की तस्करी की प्रवृत्ति में वृद्धि होने का अवश्य पता चलता है।

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गए फोनों की कुल संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	पकड़े गए सेल्यूलर फोनों की संख्या	पकड़े गए सेल्यूलर फोनों का मूल्य (लाख रुपये में)
1996-97	329	100.48
1997-98	1839	439.62
1998-99 (आज तक)*	4300	608.31

*आंकड़े अनंतिम हैं।

(ग) राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय सेल्यूलर फोनों सहित सभी प्रकार के निषिद्ध माल की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं।

[हिन्दी]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निवेशकों को पुनर्भुगतान किया जाना

1645. श्री भेरूलाल मीणा:
डा. सरोजा वी.:
श्री काल्लप्पा अवाडे:
श्री मोहन सिंह:
श्री ब्रज मोहन राम:
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:
कर्नल सोनाराम चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जेवीजी कम्पनी समूह, कूबेर फाइनेंस और अन्य प्लांटेशन कम्पनियों जैसी विभिन्न गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा निवेशकों की राशि का पुनर्भुगतान किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) निवेशकों को उनकी धनराशि किस प्रकार से वापिस मिलने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) वर्ष 1997 में यथा संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, उन मामलों में कम्पनी विधि बोर्ड (सीएलबी) को अधिनिर्णय की शक्तियां प्रदान करता है जहां जमाराशियों के संबंध में मूलधन या ब्याज या दोनों की वापसी अदायगी में गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियां चूक करती हैं। परेशान जमाकर्ता से शिकायत प्राप्त होने पर कंपनी विधि बोर्ड निर्धारित अवधि के भीतर चूककर्ता गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी को भुगतान किये जाने के संबंध में उचित आदेश जारी करता है। तथापि, ऐसे मामलों में जहां पर बड़े पैमाने पर चूकें हुई हैं तथा कंपनी की अर्थक्षमता/शोधक्षमता संदिग्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक उच्च न्यायालय के माध्यम से चूककर्ता कम्पनी के परिसमापन की प्रक्रिया शुरू करता है।

जेवीजी समूह में 4 वित्तीय कंपनियां, अर्थात जेवीजी फाइनेंस लि., जेवीजी लीजिंग लि., जेवीजी सिक्यूरिटीज लि., और जेवीजी होल्डिंग्स लि. हैं। इस समूह की कम्पनियों के विरुद्ध बड़ी संख्या में शिकायतों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जेवीजी फाइनेंस लि., जेवीजी लीजिंग लि., जेवीजी सिक्यूरिटीज लि. के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में समापन आवेदन दायर किया है। माननीय उच्च न्यायालग में सरकारी परिसमापन को अनंतिम परिसमापक के रूप में नियुक्त किया। शिकायतकर्ताओं को समय-समय पर यह सलाह दी गई है कि वे अपने दावे अनंतिम परिसमापक के पास दायर करें।

जहां तक कुबेर फाइनेंस लि. का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस कम्पनी को सितम्बर, 1992 में जमाराशियां स्वीकार करने से रोक दिया गया था और उसके बाद से यह कम्पनी केवल अपनी देयराशियों को वसूली और जमाकर्ताओं की देनदारियों की वापसी अदायगी का कार्य कर रही है। यह सूचित किया गया है कि कम्पनी ने अपने जमाकर्ताओं की सभी प्रकार की देय राशियों का पूरी तरह से भुगतान कर दिया है।

कुबेर समूह में कुछ अन्य गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियां नामत: कुबेर ऑटो जनरल फाइनेंस एण्ड लीजिंग लि. और कुबेर म्युचुअल बेनिफिट्स लि. (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 के अधीन एक अधिसूचित निधि कम्पनी) है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया है जिसके द्वारा जनहित याचिका में वर्णित कुबेर म्युचुअल बेनिफिट्स लि. सहित सभी कम्पनियों को मामले के निपटाए जाने तक अपनी आस्तियों और सम्पत्तियों को अंतरित करने से रोक दिया गया है।

चूंकि जेवीजी समूह की कम्पनियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले ही समापन याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आने वाले समय में निवेशकों का अपने धन के लिए दावा निर्धारण के लिए सरकारी परिसमापक के क्षेत्राधिकार में आयेगा। अन्य कम्पनियों के संबंध में निवेशकर्ताओं को अपनी शिकायत कम्पनी विधि बोर्ड के संबंधित पीठ के पास दर्ज करानी चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार से संबंधित गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय आता है।

[अनुवाद]

वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम

1646. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कई देशों द्वारा सामना किये जा रहे वित्तीय संकट की रोकथाम हेतु वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम का पर्यवेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लाभांश

1647. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में कार्यरत शीर्ष बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा दर्शाए लाभांश में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्ष के दौरान अपने पूंजी निवेश के आधार पर इन विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा दर्शाए गए लाभांश की दर क्या है; और

(ग) भारतीय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तुलना में इन विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का औसत लाभ कितना कम या अधिक है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

''मल्टीफाइबर'' समझौता

1648. श्री के. येरननायडू: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सन 2004 तक ''मल्टीफाइबर'' समझौते को समाप्त किये जाने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) वस्त्र पर अनावश्यक नियंत्रण हटाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) बहु-फाइबर व्यवस्था (एम एफ ए) को वस्त्र और क्लोदिंग संबंधी करार (एटीसी) के अंतिम निर्णय द्वारा 1 जनवरी, 1995 से पहले ही प्रतिस्थापित कर दिया गया है जिसमें उरुग्वे दौर की वार्ताओं के परिणामों को मूर्त रूप दिया गया है। ए टी सी के उपबंधों के अनुसार गेट, 1994 में एकीकृत न किये गये उत्पादों को निम्नानुसार समाप्त किया जाना निर्धारित है:

(1) 1-1-1995 को वर्ष 1990 के आयात की कुल मात्रा के 16% से अनाधिक

(2) 1-1-1998 को वर्ष 1990 के आयात की कुल मात्रा के 17% से अनधिक

(3) 1-1-2002 को वर्ष 1990 के आयात की कुल मात्रा के 18% से अनाधिक

(4) 1-1-2005 को शेष मात्रा।

(ख) भारत वस्त्रों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को और उदार बनाने के लिए अन्य विकासशील देशों के समन्वय से प्रयास कर रहा है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश राज्य कपड़ा निगम

1649. श्री दादा बाबूराव परांजपे:
श्री चन्द्रशेखर साहू:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य कपड़ा निगम और मध्य प्रदेश एपेक्स वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी को बिहार को आपूर्ति करने हेतु धोती/साड़ियां तैयार करने का क्रयादेश दिया है;

(ख) इस क्रयादेश की धनराशि कितनी है और आपूर्ति की गई धोतियों/साड़ियों की धनराशि कितनी है तथा कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या तैयार की गई साड़ी/धोतियों का लाट मध्य प्रदेश राज्य कपड़ा निगम, मध्य प्रदेश एपेक्स वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी तथा राज्य की अन्य सहकारी संस्थाओं के पास पड़ा है; और

(घ) बिहार को कपड़ों की आपूर्ति न करने के क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) हथकरघा निगमों और शीर्ष समितियों के संघ (आकाश) ने मैसर्स मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम (एम.पी.एस.टी.सी.) भोपाल तथा मध्य प्रदेश राज्य बुनकर सहकारिता संघ लि. (एम.पी.एस.डब्ल्यू.सी.एफ.) को बिहार राज्य को धोतियों/साड़ियों की आपूर्ति करने का क्रयादेश दिया था न कि केन्द्र सरकार को।

(ख) एम.पी.एस.टी.सी. तथा एम.पी.एस.डब्ल्यू.सी.एफ. क्रमशः को धोतियों/साड़ियों की आपूर्ति के लिए 186.50 लाख रुपये तथा 160 लाख रुपये मूल्य के क्रयादेश दिये थे जिसमें से उन्होंने 29.45 लाख रुपये तथा 12.64 लाख रुपये मूल्य की वस्तुओं की आपूर्ति की थी। एम.पी.एस.टी.सी. तथा एम.पी.एस.डब्ल्यू.सी.एफ. ने बैंक प्रतिभूति रुपये क्रमशः के अग्रिम का भुगतान किया गया है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एम.पी.एस.टी.सी. भोपाल तथा प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों क्रमशः के पास 42.84 लाख रुपये की तथा 6.37 लाख रुपये की इन धोतियों/साड़ियों का भण्डारण पड़ा है।

(घ) बिहार सरकार द्वारा ठेके को रद्द करने के कारण आपूर्ति को रोक दिया गया है। अतः आगे आपूर्ति करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

आयकर विभाग में लम्बित पड़े पत्र

1650. श्री जयराम आई.एम. शेट्टी:
श्री यू.वी. कृष्णमराजू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जनवरी, 1999 के "द स्टेट्समैन" में "लैटर्स पाइलिंग अप इन आई.टी. डिपार्टमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या आयकर विभाग समय से पत्र भेजने में असफल रहा है, जिससे करोड़ों रुपये की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (ग) वापसी जारी करने में भ्रष्टाचार के साथ-साथ विलम्ब दोनों को कम करने के प्रयास के रूप में सरकार ने सभी वापसियों को केवल पंजीकृत डाक द्वारा जारी करने का एक सुविचारित निर्णय लिया था। क्षेत्रीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अनुदेश जारी किये गये हैं कि ऐसी वापसियां उनके निर्धारण के 15 दिन के अन्दर पंजीकृत डाक द्वारा जारी कर दी जाएं। जैसी कि आशा थी कि डाक लागत के कारण बजट आबंटन की अतिरिक्त आवश्यकता होगी, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से इस संबंध में उनकी अतिरिक्त आवश्यकता को भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। इस समय डाक से पत्र भेजने के लिए अतिरिक्त निधि के लिए किसी भी कार्यालय से कोई भी अनुरोध लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

अवैध/अनधिकृत कोयला-खनन और परिवहन

1651. **श्री अनंत कुमार हेगड़े:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने, विभिन्न कोयला क्षेत्रों में अनधिकृत/अवैध कोयला-खनन और उसके परिवहन के मामलों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसमें दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है, साथ ही कोयले के ऐसे अवैध/अनधिकृत खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए क्या निरोधात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) से (ग) कंपनियों के सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए छापों तथा राज्य सरकारों की कानून और व्यवस्था एजेंसियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से मारे गए छापों के परिणामस्वरूप कोयले के अवैध खनन तथा इस अवैध खनिज कोयले के गुप्त रूप से एवं चोरी-चोरी परिवहन के छुटपुट मामले कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) की अनुषंगी कम्पनियों के नोटिस में आए हैं। इस प्रकार के अवैध क्रियाकलापों अथवा दंडनीय अपराधों को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) खुफिया रिपोर्टों को एकत्र किया जाना;

(2) को.इं.लि. की अनुषंगी कंपनियों के सुरक्षा बलों एवं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा अवैध खनन किये जा रहे स्थलों पर अचानक छापे मारे जाना तथा चौबीस घंटे गश्त लगाया जाना;

(3) कब्जे में लिए गए अवैध रूप से खनित कोयले का परिवहन करने वाले ट्रकों को काली-सूची में लिखा जाना।

(4) अवैध खनन स्थलों को भरा जाना तथा समतल करना।

(5) को.इं.लि. की अनुषंगी कंपनियों के पट्टाधारी क्षेत्रों के भीतर अथवा बाहर के अवैध खनन मामलों की सूचना जिला अधिकारियों को दिया जाना;

(6) अवैध रूप से खनिज कोयले तथा अवैध खनन के उपकरणों/कोयला परिवहन के साधनों को स्थानीय पुलिस स्टेशन में सौंपा जाना तथा राज्य पुलिस प्राधिकरणों द्वारा इस प्रकार के दंडनीय अपराधों के मामलों में कार्रवाही किये जाने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना; तथा

(7) इस प्रकार के दंडनीय अपराधों पर नियंत्रण रखने में जिला तथा राज्य प्राधिकरणों की सहायता तथा सहयोग लिए जाने हेतु उनके साथ निरन्तर निकट सम्पर्क बनाए रखना।

आयात शुल्क मुक्त वस्तुओं की सूची

1652. **श्री के.पी. मुनूसामी:**
श्री नादेन्दला भास्कर राव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात शुल्क मुक्त वस्तुओं की सूची में काट-छांट करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसके परिणामस्वरूप कुछ वस्तुओं विशेषतः डेरी वस्तुओं के मूल्य बढ़ाये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो मूल्य नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) इस वर्ष के बजट में, सरकार ने बहुत सी मदों पर मूल्यानुसार 5% की दर से न्यूनतम आयात शुल्क लगाया है। यह घरेलू उद्योग को कुछ हद तक संरक्षण देने के उद्देश्य से किया गया है। उन प्रमुख मदों में जिन पर 5% की दर से न्यूनतम शुल्क लगाया गया है, एन-पैराफीन/लैब के विनिर्माण के लिए नाप्था, मिट्टी का तेल, क्रूड अथवा अशोधित सल्फर, फास्फोरिक एसिड, अमोनिया, उर्वरक, ग्लेज्ड अखबारी कागज, विनिर्दिष्ट काश्त और काश्त से बनी वस्तुएं, कच्चा कपास और कच्चा जूट, क्रूड पेट्रोलियम, शोधक कारखाने और उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना के लिए आयातित विनिर्दिष्ट माल शामिल हैं।

(ग) और (घ) चूंकि, किसी भी डेरी मद पर 5% की दर से न्यूनतम आयात शुल्क नहीं लगाया गया है और इसीलिए उनका मूल्य बढ़ाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष के लिए सहायता

1653. **श्री ए.सी. जोस:** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता के लिए विभिन्न राज्यों से अब तक कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार इसकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एन.आर.एफ.) से सहायता के लिए विभिन्न राज्यों से 28 प्रस्ताव हुए हैं। तथापि राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता इस समय केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के लिए तथा संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को परामर्श देने, पुनः प्रशिक्षण तथा पुनः नियुक्ति के लिए उपलब्ध है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण

1654. **श्री बालासहिब विखे पाटील:** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण को पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए कोई वित्तीय पुनःसंरचना योजना सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजी गई है जैसाकि इसकी खबर 1 फरवरी, 1999 को ''द टाइम्स आफ इंडिया'' में प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह निष्कर्ष निकाला है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को अपने प्रचालनों में सुधार करने तथा प्रतिलाभ बढ़ाने के लिए निरर्थक अथवा गैर-महत्वपूर्ण परिसम्पत्तियों का पुनर्गठन/स्वत्व हरण, असम्बद्ध/गैर-महत्वपूर्ण प्रचालनों और घाटे वाली इकाइयों आदि का स्वत्व हरण जैसे व्यापारिक समाधानों की दीर्घकालिक नीति पर विचार करना चाहिए।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) की वित्तीय पुनर्गठन संबंधी सिफारिशों के आधार पर सेल ने अपने वित्तीय पुनर्गठन हेतु सरकार से संपर्क किया है, जिसमें मुख्यतः इस्पात

विकास निधि ऋण/भारत सरकार के ऋण पर अचल परिसम्पत्तियों का ब्याज पूंजी में लगाने तक अपलेखन, सेल द्वारा इस्को को दिये गये ऋणों और अग्रिम को बट्टे खाते में डालने को राहत की परिकल्पना की गई है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

1655. **श्री सतनाम सिंह कैंथ:** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान माह-वार और राज्य-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितनी राशि के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया और वास्तव में कितने फलीभूत हुए;

(ख) क्या इस तरह से फलीभूत प्रस्तावों का अनुपात बहुत कम और निराशाजनक रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) किन-किन क्षेत्रों में इन प्रस्तावों को क्रियान्वित नहीं किया गया तथा इससे कौन-कौन से राज्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) और (ख) महोदय अन्तर्वाह सहित अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की माह-वार राशि के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण पत्र तथा राज्य-वार अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दर्शाने वाला ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और II में दिया गया है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वास्तविक अंतर्वाह के राज्य-वार ब्यौरे केन्द्रीयकृत रूप में नहीं रखे जाते हैं। जनवरी, 1998 से दिसम्बर, 1998 तक 30013.50 करोड़ रुपये की राशि का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदित किया गया है। उसी अवधि के दौरान अन्तर्वाह के रूप में (अधिग्रहण आदि के विपरीत अन्तर्वाह सहित) 13320.36 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये हैं। समग्र वसूली दर (1991 से अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रतिशतता के रूप में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्वाह लगभग 29% रही है।

(ग) से (ङ) अन्तर्वाह तथा अनुमोदनों के बीच अन्तराल अनुमोदित परियोजनाओं की विभिन्न परिपक्वता अवधि के कारण है। अन्तर्वाह की वसूली में विलम्ब बड़ी परियोजनाओं जैसे विद्युत, दूर संचार, अवसंरचना आदि में अधिक है, जिनमें परिपक्वता अवधि लम्बी है तथा परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार निधियों का अन्तर्वाह चरणों में होता है।

विद्यमान नीति के अंतर्गत उद्देश्यों को वास्तविक निवेश में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना तथा सविधायें उपलब्ध कराना राज्यों का प्राथमिक दायित्व है। केन्द्रीय सरकार का मुख्यतया संबंध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी समग्र नीति से है तथा इसके द्वारा एक आकर्षित तथा पारदर्शी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व्यवस्था प्रस्तुत की गई है।

विवरण I

वर्ष	महीना	मामलों की संख्या	इक्विटी (करोड़ रु.)	अन्तर्प्रवाह (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5
1998	1	151	5621.64	858.37
1998	2	65	1785.57	716.68
1998	3	83	780.40	982.25

1	2	3	4	5
1998	4	121	1489.79	1061.93
1998	5	100	2215.13	848.36
1998	6	113	6053.94	1588.97
1998	7	116	1250.25	434.79
1998	8	71	3733.55	513.84
1998	9	112	1068.65	561.42
1998	10	57	454.93	269.00
1998	11	101	5359.79	376.81
1998	12	101	999.87	637.99
		1191	30813.50*	8850.40**

टिप्पणी: * अधिग्रहण के प्रति विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन शामिल हैं।

** अधिग्रहण तथा जी डी आर के प्रति अन्तर्प्रवाह को छोड़कर क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े वर्ष-वार हैं न कि महीने-वार।

विवरण II

(जनवरी, 1998 से दिसम्बर, 1998) के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोग तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्ताव के राज्य-वार आंकड़े

राज्य	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित वि.प्र.नि. की राशि (करोड़ रु. में)	जोड़ की प्रतिशत
	कुल	तकनीकी	वित्त		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	86	21	65	2336.80	7.58
बिहार	14	9	5	44.65	0.14
गुजरात	93	49	44	3348.71	10.87
हरियाणा	82	41	41	225.37	0.73
हिमाचल प्रदेश	2	1	1	0.33	0.00
कर्नाटक	129	31	98	5026.85	16.31
केरल	17	4	13	58.52	0.19
मध्य प्रदेश	18	5	13	660.18	2.14
महाराष्ट्र	314	122	192	3063.05	9.94
मेघालय	2	0	2	44.46	0.14
उड़ीसा	10	2	8	330.54	1.07

1	2	3	4	5	6
पंजाब	14	4	10	101.59	0.33
राजस्थान	15	7	8	65.14	0.21
तमिलनाडु	196	73	123	3081.17	10.00
त्रिपुरा	1	1	0	0.00	10.00
उत्तर प्रदेश	78	31	47	247.21	0.80
पश्चिम बंगाल	58	25	33	1205.40	3.91
अंडमान और निकोबार	2	0	2	12.80	0.04
चंडीगढ़	4	0	4	65.48	0.21
दादरा और नगर हवेली	7	4	3	8.22	0.03
दिल्ली	121	22	99	1091.08	3.54
गोवा	23	7	16	114.62	0.37
पांडिचेरी	10	5	5	38.91	0.13
दमन और दीव	6	0	6	5.85	0.02
अन्य	484	131	353	9636.57	31.27
योग	1786	595	1191	30813.50	

[हिन्दी]

इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर स्कीम में शिथिलन

1656. श्री सी.डी. गामीत:
श्री ए.सी. जोस:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर स्कीम के नाम से जाने जाने वाले ऑन-लाइन गार्मेंट एक्सपोर्ट कोटा ट्रांसफर सिस्टम में शिथिलीकरण की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारी विश्वव्यापी मंदी के बावजूद वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1998 के दौरान भारत का वस्त्र निर्यात बढ़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग को पुनर्जीवित करने और वस्त्र क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या शुरुआती कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) अपैरेल निर्यात संवर्द्धन परिषद् (ए ई पी सी) ने हाल ही में 18.2.1999 से 18.4.1999 तक 60 दिनों की अवधि के लिए बिना किसी प्रतिबंध के पारस्परिक अंतरण करने की अनुमति देने की इलेक्ट्रोनिक अंतरण योजना (इ टी एस) में ढील देने की घोषणा की है। ऐसे पारस्परिक अंतरण ए ई पी सी के क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रदर्शन मशीनों में वेब साइट पर प्रदर्शित होंगे।

(ग) और (घ) वर्ष 1998 के दौरान भारत के परिधान निर्यात में वर्ष 1997 के दौरान हुए निर्यात की तुलना में डालर के रूप में लगभग 3.8% की वृद्धि दर्शायी है।

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

1. आधुनिकीकरण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन को प्रोत्साहन देने के लिए वस्त्र एवं पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू करना ताकि उनकी अर्थक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके।
2. नई वस्त्र नीति की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना करना।
3. 1-40 काउंटों के लिए निर्धारित मात्रा संबंधी उच्चतम सीमा के भीतर वर्ष 1999 के लिए काउंट संबंधी किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के बिना यार्न के निर्यात के लिए सूती यार्न के ऐसे निर्माता निर्यातोन्मुख एककों को रिआयतें देना काउंट प्रतिबंधों के अधीन इनका उत्पादन करते हैं।
4. उत्पादकता बढ़ाने, अनुसंधान, विपणन एवं फसल पश्चात क्रियाकलापों में सुधार लाने की दृष्टि से कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करना; तथा
5. वस्त्र क्षेत्र में आसूचना प्रौद्योगिकी को शामिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कार्यबल की स्थापना करना आदि।

औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची

1657. श्री मित्रसेन यादव:
श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन:
श्री अजीत जोगी:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची क्या है;

(ख) क्या 1998 में लागू की गयी उदारीकरण नीति के कारण पिछड़े राज्यों के औद्योगिकीकरण में रुकावट आयी है;

(ग) क्या औद्योगिक पूंजी अधिकांशत: विकसित राज्यों में निवेश की जा रही है;

(घ) क्या सरकार राज्यों के पिछड़े जिलों में उद्योग लगाने को बढ़ावा देने के लिए "पूंजी" लागत अनुदान योजना को पुन: लागू करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा;

(च) संतुलित औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार का केन्द्रीय पूंजी लागत अनुदान के पुराने लंबित मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश को धनराशि मुहैया कराने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर रियायतें प्रदान किये जाने हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा दिनांक 7.10.1997 की अधिसूचना संख्या 714(ई) के द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े 123 जिलों की सूची को अधिसूचित किया गया है। 53 जिलों को श्रेणी ''क'' के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों (जिनमें शून्य उद्योग-जिले भी शामिल हैं) तथा 70 जिलों को श्रेणी ''ख'' के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख), (ग) और (च) जी, नहीं। मौजूदा उदारीकृत युग में उद्यमी अपनी वाणिज्यिक धारणाओं के अनुरूप निवेश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास में केन्द्र सरकार की भूमिका समर्थनकारी की है। पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक प्रोत्साहन/रियायतें प्रदान की गयी हैं, जिनमें से ये महत्वपूर्ण हैं—विकास केन्द्र योजना, परिवहन राजसहायता योजना और एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना।

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के अधीन द्विस्तरीय राजकोषीय लाभ की दृष्टि से औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को श्रेणी ''क'' और श्रेणी ''ख'' के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

श्रेणी ''क'' जिलों के मामले में उपक्रमों को पांच वर्ष के लिए शत-प्रतिशत आयकर छूट प्रदान की जाती है और 31.3.2000 से पूर्व विनिर्माण अथवा उत्पादन आरंभ करने वाले उपक्रमों को 25 प्रतिशत छूट (कंपनियों के मामले में 30%) प्रदान की जाती है। अधिसूचित श्रेणी ''ख'' के जिलों के मामले में करावकाश का लाभ सिर्फ 3 वर्ष की अवधि के लिए ही है, जबकि लाभों का दूसरा स्तर समान है दिसम्बर, 1957 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनन्य रूप से केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना को पुनर्जीवित किया गया है ताकि उस क्षेत्र में उद्योगों को आकर्षित किया जा सके।

(घ), (ङ) और (छ) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। पहले की केन्द्रीय निवेश राजसहागता योजना संवितरण/प्रतिपूर्ति आधार पर कार्य करती थी। योजना के उपबंधों के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार को लंबित मामलों के निपटान हेतु अग्रिम निधियां उपलब्ध कराने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 7.10.97 की अधिसूचना सं. 714 (ई) द्वारा यथा अधिसूचित, देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची

श्रेणी ''क''

बिहार

गोडडा

गुमला

अरारिया

माधेपुरा

दुमका

खगरिया

किशनगंज

पलामू

मधुबनी

जहानाबाद

सहरसा

नवादा

सीतामढ़ी

साहबगंज

औरंगाबाद

पूर्वी-चंपारन

पूर्णिया

सिवान

वैशाली

लोहार-दग्गा

गुजरात

डांग

केरल

इड्डुकी

वयनाड

मध्य प्रदेश

मंडला

पन्ना

बस्तर

सरगुजा

छतरपुर

महाराष्ट्र

गढ़चिरोली

उड़ीसा

फुलबनी

कालाहांडो

राजस्थान

जालौर

बाड़मेर

जैसलमेर

चुरू

बांसवाड़ा

उत्तर प्रदेश

सिद्धार्थनगर

बहराइच

प्रतापगढ़

महाराजगंज

बांदा

बस्ती

चमोली

उत्तरकाशी

अलमोड़ा

पिथौरागढ़

टिहरी-गढ़वाल

पश्चिम बंगाल

मालदा

पश्चिमी-दिनाजपुर

मुर्शिदाबाद

कूचबिहार

बांकुड़ा

जलपाईगुड़ी

श्रेणी "ख"

आंध्र प्रदेश

श्रीकाकुलम

महबूब नगर

बिहार

कटियार

भागलपुर

गोपालगंज

दरभंगा

पश्चिम-चंपारन

सरन

भोजपुर

समस्तीपुर

देवगढ़

नालंदा

गया

मुजफ्फरपुर

रोहतास

गुजरात

बनासकांठा

[illegible]

कर्नाटक

बिदर

मध्य प्रदेश

सियोनी

टीकमगढ़

शिवपुरी

बालाघाट

झाबुआ

सिद्धी

विदिशा

रायगढ़

मुरैना

बेतुल

राजगढ़

राजनंदगांव

सागर

महाराष्ट्र

बीड़

उड़ीसा

बोलनगीर

मयूरभंज

बालसोर

गंजम

राजस्थान

डुंगरपुर

धौलपुर

सवाई-माधोपुर

टोंक

नागपुर

सीकर

झालावाड़

उत्तर प्रदेश

मऊ

हरदोई

ललितपुर

हमीरपुर

बदायुं

फतेहपुर

आजमगढ़

एटा

बाराबंकी

इटावा

देवरिया

गाजीपुर

बलिया

जौनपुर

सीतापुर

जालौन

उन्नाव

फैजाबाद

कानपुर-देहात

मैनपुरी

गोंडा

फरुखाबाद

सुल्तानपुर

मिर्जापुर

पश्चिम बंगाल

पुरुलिया

मिदनापुर

बीरभूम

[अनुवाद]

चाय बागानों का पुनरुद्धार

1658. श्री नेपाल चन्द्र दास: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में बरक घाटी स्थित गूमभीरा, चारागूटा तथा चेंग क्रूरी जैसे अनेक चाय बागान विद्रोह सहित अनेक कारणों से रुग्ण हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इन चाय बागानों के पुनरुद्धार हेतु सहायता के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) चाय बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 29 चाय के कमजोर बागान तथा गुम्भीरा, चारगूट तथा चेंग कूरी को चाय संपदाओं सहित चाय के एक बंद बाग असम में बाराक घाटी में अवस्थित हैं। इन बागों की समस्याएं मुख्य रूप से मालिकाना विवाद, प्रबंधकीय त्रुटि, वित्तीय कुप्रबंधन, लम्बी मुकदमें बाजी आदि है। अधिकांश कमजोर बागों को नए प्रबंधकों ने पुनरुज्जीवित कर दिया है। तथापि, बहुत समय से बुआई वाले क्षेत्र की देख-भाल न करने के कारण कुछेक पुनरुज्जीवित बागान अब भी कम उत्पादकता तथा लेखों का अनुपयुक्त रख-रखाव के कारण बीमार प्रतीत होते हैं।

(ख) और (ग) इन चाय की संपदाओं को पुनरुज्जीवित करने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

जम्मू और कश्मीर के रेशम उद्योग

1659. श्री चमन लाल गुप्त: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर सरकार से राज्य में परंपरागत रेशम उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कोई आग्रह प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) जी हाँ, जम्मू व कश्मीर के फिलेचर्स को उन्नत बनाने के लिए परियोजना रिपोर्ट को अद्यतन बनाने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, जम्मू व कश्मीर सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने परियोजना रिपोर्ट के अद्यतन के लिए परामर्शदाता मैसर्स टेकसोक को भुगतान करने के लिए 10.00 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं। इसके अतिरिक्त जम्मू व कश्मीर राज्य में 730.00 लाख रुपये की लागत के केन्द्रीय रेशम बोर्ड के उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में क्रियान्वयन हेतु लघु परियोजनाएं भेजी हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने इन लघु परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुमोदन कर दिया है जिससे केन्द्रीय रेशम बोर्ड का अंशदान 311.00 लाख रुपये है।

क्रियान्वयन के लिए स्वीकृत की गई उपर्युक्त लघु परियोजनाओं से जम्मू एवं कश्मीर में रेशम उत्पादन उद्योग के सामने पेश आ रही निम्नलिखित चार प्रमुख समस्याओं का निवारण होगा:

1. पर्याप्त शहतूती पत्तनों की अनुपलब्धता
2. प्रशिक्षण तथा प्रारम्भिक औजारों की कमी
3. रेशमकीट पालन सदनों के निर्माण हेतु सहायता
4. विपणन एवं रीलिंग मूलभूत सुविधाओं की कमी।

रेशम उत्पादन उद्योग के सामने पेश आ रही बीज आपूर्ति की समस्या के संबंध में केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने अपने बीज उत्पादन केन्द्रों से रेशमकीट की पर्याप्त आपूर्ति करने का आश्वासन दिया है।

आयकर विवरणी की जांच प्रणाली

1660. डा. विजय सोनकर शास्त्री: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर विवरणी की जांच करने हेतु क्या प्रणाली अपनायी गयी है;

(ख) आयकर अधिकारियों द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग किये जाने संबंधी कितने मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (ग) आयकर अधिनियम के अंतर्गत दायर आय की विवरणियों की जांच धारा 143 के उपबंधों द्वारा विनियमित की जाती है। सभी विवरणियों की प्रथम दृष्टया समायोजन के लिए प्रारंभिक जांच की जाती है तथा धारा 143 की उपधारा (1) के अनुसार सूचना जारी की जाती है। इसके अलावा उपधारा (2) के अधीन विस्तृत संवीक्षा हेतु कुछ विवरणियों को लिया जाता है और उपधारा (3) के अधीन ऐसे मामलों में कर निर्धारण पूरा किया जाता है। संवीक्षा हेतु ऐसे

मामले को उठाया जाना कानून की दृष्टि से अपेक्षित है जहां कर निर्धारण अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और उचित समझता है कि कर-निर्धारिती ने किसी भी प्रकार से आय को कम नहीं आंका है अथवा अत्यधिक हानि की संगणना नहीं की है अथवा किसी तरीके से कर का कम भुगतान नहीं किया है। तथापि, पूरे देश में समान रूप से संवीक्षा के लिए मामलों के चयन को विनियमित करने के लिए बोर्ड ने वास्तविक और विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं। कानून अथवा तथ्य की किसी त्रुटि जिससे किसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई गलत अथवा गैर-कानूनी कार्य किया जाता है, को धारा 154 के अधीन त्रुटि सुधार के जरिए ठीक किया जाता है अथवा आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष एक अपील दायर करके ठीक किया जाता है। किसी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 143(2) को लागू करने के दुरुपयोग का कोई आरोप आत्मपरक प्रकृति का होता है तथा संबंधित मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। तथापि, पर्यवेक्षी अधिकारियों को प्राधिकार के किसी संभव दुरुपयोग की रोकथाम का अधिकार दिया गया है। बोर्ड के पास इस प्रकार के कोई अखिल भारतीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

हस्तशिल्प नीति

1661. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाक: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हस्तशिल्प नीति को पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई हस्तशिल्प नीति की घोषणा कब तक होने की संभावना है।

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ग) सरकार देश में हस्तशिल्प के विकास एवं संवर्धन हेतु कई स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। वर्ष 1996 के दौरान, नवीं पंचवर्षीय योजना के उप-समूह ने स्कीमों की समीक्षा की है। इसकी संस्तुतियों के आधार पर कुछ मौजूदा स्कीमें संशोधित की गई हैं और नई स्कीमों, जैसे प्रशिक्षकों एवं सिद्धहस्त शिल्पियों के लिए प्रशिक्षण, नेशनल कोपरेटिव यूनियन आफ इंडिया (एन सी यू आई) के माध्यम से हस्तशिल्प सहकारिता के लिए सदस्य-शिक्षा कार्यक्रम, शहरी हाटों की स्थापना, हस्तशिल्प सामान्य सुविधा केन्द्रों की शुरुआत की गई है।

महाराष्ट्र के कपास उत्पादक

1662. **श्री मोहन रावले: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के कपास उत्पादक को इस वर्ष उनकी फसलों को हुई क्षति के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य के कुछ कपास उत्पादकों ने उनकी फसलों को अत्यधिक क्षति पहुंचने के बाद नवम्बर, 1998 के अंतिम सप्ताह में आत्महत्याएं की;

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा कपास एकाधिकार प्रापण योजना के अंतर्गत घोषित कपास खरीद मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप करने और महाराष्ट्र सरकार को खरीद मूल्य में संशोधन करने की सलाह देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

लघु उद्योग विभाग का पुनर्गठन

1663. **श्री रवि सीताराम नायक: क्या उद्योग मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लघु उद्योगों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए लघु उद्योग विभाग के पुनर्गठन हेतु अनेक उपायों तथा नीतिगत पहलुओं पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) चालू वर्ष तथा नौवीं योजना अवधि के दौरान लघु उद्योगों के कार्यनिष्पादन को तेज करने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कुछ वर्षों से लघु उद्योग बजट आवंटनों से प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) इस समय लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार देश में लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए सतत् आधार पर उपाय करती रही है। नौवीं योजना के दौरान, ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र को इसके विकास और रोजगार की सुविधा के लिए प्रोत्साहन व सहायता उपलब्ध कराकर उच्च प्राथमिकता दी गयी है। पर्याप्त क्रैडिट प्रदान करने तथा लघु औद्योगिक एककों को इसकी डिलीवरी की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किये गये हैं। वर्ष 1999-2000 के बजट में लघु औद्योगिक एककों हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की मिश्रित (कंपोजिट) ऋण सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। 5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले लघु औद्योगिक एककों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की गणना वार्षिक कारोबार के 20% की दर पर की जायेगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को तदर्थ सीमाएं मंजूर करने, आवेदन-पत्रों को सरल बनाने, ऋण की आवश्यकता का निर्धारण करने हेतु अपने स्वयं के मानदण्ड निर्धारित करने तथा और अधिक लघु उद्योग शाखाएं खोलने के लिए शाखा प्रबंधकों को अधिक अधिकारों का प्रत्यायोजन करने की सलाह दी गयी है। सरकार का पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए लघु औद्योगिक एककों की असमर्थता का ध्यान रखने हेतु लघु क्षेत्र के लिए एक नयी ऋण बीमा योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है। लघु औद्योगिक एककों को 1994 में आरंभ की गयी एकीकृत अवसंरचना विकास योजना के माध्यम से एकीकृत रूप से अवसंरचना सहायता भी उपलब्ध करायी जा रही है। लघु औद्योगिक एककों की सहायता के लिए किए गए अन्य उपायों में आधुनिकीकरण तथा गुणवत्ता उन्नयन के लिए तथा आई.एस.ओ.-9000 प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु अधिक प्रौद्योगिकी सहायता शामिल है।

(घ) और (ङ) यद्यपि बजट संबंधी बाधाएं हैं, फिर भी बजट आवंटन करते समय लघु क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। तथापि अधिक आबंटनों से लघु क्षेत्र के लिए किये जा रहे संवर्धनात्मक प्रयासों के वास्ते बेहतर सहायता प्रदान करने में मदद मिलती है।

रायल्टी का भुगतान

1664. श्री नरेश पुगलीया: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लि. अपनी कंपनियों के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों को रायल्टी का भुगतान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान कंपनीवार रायल्टी के रूप में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या कोल क्षेत्र से संबंधित संसद सदस्य लगातार मांग करते रहे हैं कि कोल इंडिया लि. द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को रायल्टी के रूप में दी गई राशि का कम से कम 50 प्रतिशत भाग केवल संबंधित कोयला क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध कराया जाए;

(घ) क्या सरकार यह शर्त लगाने के लिए सहमत हो गई है कि कोल क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में रायल्टी के रूप में ली गई राशि का उपयोग किया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो संबंधित राज्य सरकारों को इस दिशा में क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं/किये जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) रायल्टी अनुषंगी कोयला कंपनी द्वारा दी जाती है।

(ख) वर्ष 1997-98 और 1998-99 (दिसम्बर, 1998 तक) के दौरान अदा की गई रायल्टी का कंपनी-वार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

कोयला कंपनी	1997-98	1998-99 (दिसम्बर, 98 तक) (अनंतिम)
1	2	3
ईकोलि	81.07	47.11
भाकोकोलि	308.70	180.21
सेकोलि	288.11	144.84

1	2	3
मकोलि	237.42	160.85
नाकोलि	314.35	199.12
साईकोलि	402.45	311.93
वकोलि	253.97	173.37
नाईको	6.13	3.93
जोड़	1892.20	1221.36

(ग) से (ङ) कोयले पर रायल्टी राज्य सरकार के राजस्व के स्रोत हैं। रायल्टी से प्राप्त राशि को राज्य सरकार की संचित निधि में जमा किया जाता है और ऐसी निधि से संबंधित विनियोजन को राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है। अत: प्रभावित क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कोयले पर रायल्टी की प्राप्ति राशि में से व्यय की जाने वाली राशि का निर्धारण राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल द्वारा लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। खान और खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 में पट्टेदार द्वारा पट्टाधारी को रायल्टी के भुगतान किये जाने का प्रावधान है। लेकिन उसमें रायल्टी की प्राप्ति राशि की उपयोगिता के विहित तरीके निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। अत: केन्द्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं है।

[हिन्दी]

कोयले पर रायल्टी की दरें

1665. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन:
श्री अजीत जोगी:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों, विशेषकर मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने केन्द्र सरकार से कोयले पर रायल्टी की दरों में वृद्धि करने का पुन: अनुरोध किया है क्योंकि 1994 से दरें नहीं बढ़ाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) रायल्टी दरें कब तक बढ़ायी जाएंगी; और

(च) 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रत्येक राज्य को कोयले पर कितनी रायल्टी दी गई?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) कोयले पर रायल्टी की दरों के संशोधन हेतु राज्य सरकारों से प्राप्त अभ्यावेदनों का राज्यवार सारांश नीचे दिया गया है:

राज्य	कोयले पर मांगी गई रायल्टी की दरें
बिहार	अ-कोककर कोयले और कोककर कोयले हेतु पिट मुहाने की कीमत का क्रमश: 45% और 55%
मध्य प्रदेश	कोककर कोयले और अ-कोककर कोयले की ए बी और सी ग्रेडों पर आधार कीमतों का 25% और अकोककर कोयले की डी, ई, एफ और जी श्रेणियों पर आधार कीमतों का 20%
महाराष्ट्र	कोयले की विभिन्न श्रेणियों पर आधार कीमतों का 30%
असम	कोयले की विभिन्न श्रेणियों का आधार कीमतों का 20%-25%
उत्तर प्रदेश	कोयले की विभिन्न श्रेणियों पर विक्रय कीमतों का 15%-20%
उड़ीसा	राज्य सरकार ने कोयला रायल्टी की निम्नलिखित दरों की मांग की हैं:

अकोककर कोयले की श्रेणियां	आधार कीमत के प्रतिशत रूप में रायल्टी की दरें
ए और बी	15%
डी और ई	16%
एफ और जी	25%

पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने कोयले पर किसी विशेष दर रायल्टी की मांग नहीं की है। राज्य सरकार ने उल्लेख किया है कि पश्चिम बंगाल को अन्य कोयला उत्पादक राज्यों के बराबर कोयला रायल्टी दरों की अनुमति दी जाए और पश्चिम बंगाल की सरकार को इस आधार पर कि राज्य सरकार कोयले पर भी उपकर एकत्रित करती है, कोयला रायल्टी की संशोधित दरों से वंचित न रखा जाए। पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त कोयला उत्पादक राज्यों के उपकर अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार के उपकर अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन हैं। इसलिए जब तक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त हो, तब तक राज्य सरकार के अनुरोध पर कोई निर्णय लेना संभव नहीं है।

पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि कोयले पर रायल्टी की वर्तमान दरें उपयुक्त हैं और रायल्टी दरों में कोई वृद्धि कोयला कीमतों में अवांछित बढ़त की ओर अग्रसर होगी।

मेघालय की सरकार ने सुझाव दिया है कि प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने हेतु कोयला रायल्टी दरें टनों के आधार पर निर्धारित की जाएं, चूंकि राज्य में कोयला खनन अधिकतर स्थानीय कोयला खनिकों द्वारा किया जाता है, जो सभी निजी पार्टियां हैं।

(ग) से (ङ) भारत में कोयले पर मौजूदा औसत रायल्टी दर विश्व के उच्चतम दरों में से एक है। वर्तमान वर्षों में आयातित कोयले की खपत में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यद्यपि, आयातित कोयले की लागत की तुलना में भारतीय कोयले की उत्पादन लागत कम है, उच्च भाड़ा प्रभारों और उच्च रायल्टी की लेवी ने देश के अंदर घरेलू कोयले की प्रतिस्पर्द्धा को कम कर दिया है। आयातित कोयले के बारे में भी यही स्थिति है। कोयला रायल्टी की मौजूदा दरों में कोई और वृद्धि करने के विषय में निर्णय करते समय यह परिदृश्य ध्यान में रखा जाएगा।

(च) 1996-97 और 1997-98 के दौरान कोल इंडिया लि. की अनुषंगी कंपनियों द्वारा विभिन्न कोयला उत्पादक राज्यों को अदा की गई कोयले की रायल्टी की राशियां निम्नलिखित के अनुसार हैं:

राज्य	1996-97	1997-98
पश्चिम बंगाल	10.87	12.64
बिहार	682.77	665.24
उड़ीसा	185.33	237.42
महाराष्ट्र	200.29	204.79
मध्य प्रदेश	684.14	663.63
उत्तर प्रदेश	121.41	102.35
असम	9.92	6.13
जोड़	1894.73	1892.20

[अनुवाद]

विनिवेश कोष

1666. डा. रवि मल्लू:
श्रीमती गीता मुखर्जी:
श्री एस. सुधाकर रेड्डी:
श्री वी.वी. राघवन:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री के.एस. राव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के विनिवेश हेतु क्या कुल लक्ष्य निर्धारित हैं तथा इसे प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के विनिवेश से अब तक इकाई-वार कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ग) उक्त राशि अब तक किस प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की गई है;

(घ) क्या विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत बंद किये जाने वाले सरकारी उपक्रमों के संबंध में कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना और मुआवजा नीति बनाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(च) अब तक कितने कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया गया है और सन् 2000 तक कितने कर्मचारियों को कार्यमुक्त किए जाने की संभावना है;

(छ) क्या सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के अतिरिक्त कर्मचारियों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) 1998-99 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के जरिए 5000 करोड़ रुपए की राशि की वसूली का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से लगभग 1200 करोड़ रु. की राशि की वसूली कॉनकॉर, गेल और वी.एस.एन.एल. में सरकार द्वारा धारित इक्विटी के विनिवेश के जरिए पहले ही की जा चुकी है। 5000 करोड़ रु. का लक्ष्य मार्च, 1999 के अंत तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) विनिवेश से वसूल की गई राशि भारत की समेकित निधि में जमा की गई है।

(घ) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	निम्न अवधि के दौरान वसूल की गई राशि (करोड़ रुपये में)		
		1991-92	1992-93 से 1997-98	1998-99 (20.2.99 तक)
1	2	3	4	5
1.	एंड्रू यूल	-	0.00	-
2.	भारत अर्थमूवर्स लि.	-	48.27	-
3.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लि.	-	47.17	-
4.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	-	309.55	-
5.	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.	-	331.18	-

1	2	3	4	5
6.	बोंगाईगांव रिफाइनरीज लि.	–	45.40	–
7.	सी.एम.सी. लि.	–	0.00	–
8.	कोचीन रिफाइनरीज लि.	–	0.00	–
9.	कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	–	113.83	221.65
10.	ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	–	0.00	–
11.	इंजीनियर्स इंडिया लि.	–	67.53	–
12.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लि.	–	1.30	–
13.	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	–	194.12	181.77
14.	एच.एम.टी. लि.	–	23.38	–
15.	हिन्दुस्तान केबल्स लि.	–	0.00	–
16.	हिन्दुस्तान कोपर लि.	–	8.07	–
17.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	–	0.00	–
18.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.	–	894.96	–
19.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि.	–	0.00	–
20.	हिन्दुस्तान जिंक लि.		81.55	–

1	2	3	4	5
21.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.	–	1033.65	–
22.	इंडियन पैट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लि.	–	0.00	–
23.	इरकॉन इन्टरनेशनल लि.	–	0.00	–
24.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि.	–	15.63	–
25.	इंडिया टूरिज्म एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन	–	51.99	–
26.	कुद्रेमुख ऑयरन एण्ड ओर कम्पनी लि.	–	11.40	–
27.	मद्रास रिफाइनरीज लि.	–	0.00	–
28.	महानगर टेलीफोन निगम लि.	–	2360.46	–
29.	मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन लि.	–	0.00	–
30.	नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लि.	–	244.30	–
31.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	–	1.00	–
32.	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	–	17.88	–
33.	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	–	70.43	–
34.	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन	–	1056.67	–
35.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	–	30.36	–

1	2	3	4	5
36.	शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	–	28.08	–
37.	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन	–	2.25	–
38.	स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि.	–	736.06	–
39.	विदेश संचार निगम लि.	–	379.00	785.00**
	कुल जोड़	3038.00*	8205.47	1188.00

*चूंकि 1991-92 में शेयर बंडलों में बेचे गए थे, इसलिए सरकारी क्षेत्र के उद्यम-वार वसूल की गई राशि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

-1991-92 से वसूल की गई कुल राशि 12,431.89 करोड़ रु. है।

**लगभग।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. में विकास कार्य

1667. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के अधिकार क्षेत्र में विशेषकर बोकारो और करगली क्षेत्रों में किन-किन स्थानों पर सिविल विभाग द्वारा सड़कों, मकानों का निर्माण और रख-रखाव संबंधी कार्य कराया गया है;

(ख) क्या "सेंट्रल कोलफील्ड्स लि." के अधिकार क्षेत्र में किए जा रहे विकास और अनुरक्षण कार्य में कोई रुकावट है;

(ग) यदि हां, तो "सी सी एल" के अधीन क्षेत्रों में विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या "सी सी एल" के अधीन बेरपो सेंट्रल कालोनी हेतु सिविल और "ई एण्ड एम" विभाग का 1995-96 और 1996-97 के दौरान 1 करोड़ 70 लाख रु. की राशि आवंटित की गई;

(ङ) यदि हां, तो क्या आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग किया गया; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. के अंतर्गत बोकारो और कारगली क्षेत्रों में किए गए सड़कों, मकानों के निर्माण और रख-रखाव कार्य से संबद्ध कार्य का विवरण निम्नलिखित के अनुसार हैं:

वर्ष	सड़क	भवन	रख-रखाव	सीसीडीए द्वारा निर्मित सड़क
1995-96	बोकारो कोलियरी	केबीएस जीएम यूनिट	बी एण्ड के एरिया के अंतर्गत सभी इकाइयां	गोमिया से भंडारडीह
1996-97	जीएम यूनिट	जीएम यूनिट	-वही-	-वही-
1997-98	जीएम यूनिट बोकारो कोलियरी	जीएम यूनिट	-वही-	-वही-

(ख) और (ग) जैसाकि कोल इंडिया लि. द्वारा सूचित किया गया है, सेकोलि में विकास कार्य, कारपोरेट जेसीसी की प्राथमिकता और सिफारिशों और अनुमोदित/स्वीकृत बजट के अंदर व्यवस्थाबद्ध तरीके में किया जा रहा है।

सेकोलि में पिछले तीन वर्षों के दौरान मरम्मत और रख-रखाव, भवनों, सड़कों और पुलियों के निर्माण पर हुए व्यय का विवरण निम्नलिखित के अनुसार है:

(करोड़ रु. में)

	95-96	96-97	97-98
मरम्मत और रख-रखाव	13.73	11.97	19.24
भवनों का निर्माण	13.15	6.65	6.07
सड़कों और पुलियों का निर्माण	1.51	2.20	1.58

(घ) और (ङ) धोरी क्षेत्र में पड़ने वाली बरमो सेंट्रल कालोनी लागत केन्द्र नहीं है। इस प्रकार, सिविल और ई एण्ड एम रख-रखाव के संदर्भ के अंतर्गत इस विशेष कालोनी के लिए कोई अलग राजस्व बजट तैयार नहीं किया गया है। चूंकि, कालोनी में विभिन्न इकाइयों के कर्मचारी रहते हैं, टाउनशिप के रख-रखाव में हुआ खर्च आपस में बांटा गया है। यह क्षेत्र की और विभिन्न इकाइयों/लागत केन्द्रों के बजटगत संसाधनों से नहीं है। 1995-96 और 1996-97 के दौरान बरमो सेंट्रल कालोनी के संबंध में किये गये सिविल और ई एण्ड एम रख-रखाव कार्यों हेतु किया गया खर्च निम्नलिखित के अनुसार है:

(लाख रुपये में)

मद	95-96	96-97	कुल
सिविल रख-रखाव	26.09	73.32	99.41
ई एण्ड एम रख-रखाव	23.43	27.47	50.90
जोड़	49.52	100.79	150.31

(च) उपर्युक्त (घ) और (ङ) में दिए गए उत्तर के दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

बिक्री कर समिति

1668. श्री ई. अहमदः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों के सेल्स टैक्स वार (बिक्री कर विवाद) मूल्य वर्धित कर (वी.ए.टी.) और पिछड़े इलाकों को प्रोत्साहन देने के संबंध में जांच करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो बिक्री कर आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को समाप्त करने, वी.ए.टी. को आरम्भ करने की समय सारणी और केन्द्रीय बिक्री कर को कम करने के लिए समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (ग) महोदय, समिति की बैठक 10.1.99 को हुई जिसमें इसने निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किया:

(1) ऐसी विधियों, जैसाकि मुख्यमंत्रियों द्वारा सहमति होती है, के माध्यम से शीघ्र सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य बिक्री कर की न्यूनतम दरें कार्यान्वित की जाएं।

(2) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त सचिवों की बैठक बुलायी जाए ताकि बिक्री कर से संबंधित प्रोत्साहनों को समाप्त करने/चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के संबंध में एक-समान दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके।

(3) सभी मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलायी जाए ताकि केन्द्रीय बिक्री कर से संबंधित सिफारिशों को कार्यान्वित करने की कार्यनीति पर चर्चा की जा सके।

(4) राज्य प्रारंभिक कदम जैसे कम्प्यूटरीकरण, प्रशिक्षण कार्यक्रम और मूल्य वर्धित कर (वी.ए.टी.) के संबंध में लोक जागरूकता उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

वस्त्र निर्यात

1669. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक-वर्ष वस्त्र-निर्यात से अर्जित आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश के कुल निर्यात-आय में इसका वर्षवार प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या वस्त्र क्षेत्र के निर्यात का प्रतिशत धीरे-धीरे कम हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) वस्त्र निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वस्त्र के निर्यात तथा देश के कुल निर्यात में इसका प्रतिशत हिस्से का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	मिलियन अमरीकी डालर में मूल्य	कुल निर्यात में प्रतिशत हिस्सा
1995-96	10,685.07	33.6%
1996-97	11,839.13	35.8%
1997-98	12,389.91 (अनंतिम)	36.5%

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वस्त्र के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार अनेक कदम उठा रही है जिसमें निर्यातकों को क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रिआयती शुल्क पर पूंजीगत मामलों के आयात को समर्थ बनाना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के लिए विशेष व्यवस्था करना शामिल हैं।

[अनुवाद]

"हेमको ग्रुप ऑफ कम्पनीज" मुम्बई

1670. श्री के.एस. राव:
श्री जंगबहादुर सिंह पटेल:
श्री डी.एस. अहिरे:
श्री माधवराव पाटील:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18.1.99 के "दैनिक जागरण" में "विदेशी साखपत्र" के जरिये 950 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का भण्डाफोड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या "हेमको ग्रुप आफ कम्पनीज, मुम्बई ने राजकोष से 950 करोड़ रु. की धोखाधड़ी की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके पूर्ण तथ्य क्या हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान हैमको ग्रुप ऑफ कम्पनीज, मुम्बई ने माल के तदनुरूपी आयात किए बिना साख पत्रों द्वारा 644 करोड़ रु. की विदेशी मुद्रा भेजी थी। सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 73(3) के अंतर्गत संबंधित बैंकों को निर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार उक्त ग्रुप कम्पनियों के खातों और उन खातों में पड़े किसी शेष के लिए रखे गए धारणाधिकार से बाहर भेजी जाने वाली राशियों सहित किसी भी निकासी को प्रतिबंधित किया गया है। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि उक्त कम्पनियों को आगे कोई साख पत्र जारी न करें और/अथवा पहले से ही जारी किये गये साख-पत्र के संबंध में सम्पुष्टि प्राप्त करें।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

1671. श्रीमती कमल रानी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कुल उद्यमियों में से राज्य-वार विशेषरूप से उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज तक ऋण उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यह इस प्रयोजनार्थ निर्धारित लक्ष्य से कितना कम है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री एम.आर. जनार्दनन): (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अधीन अ.जा./अ.ज.जा. हिताधिकारियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संवितरणों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) 22.5% के निर्धारित आरक्षण की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल संवितरणों के प्रतिशत के रूप में इन वर्गों के तहत संवितरित मामलों की संख्या निम्नलिखित थी:

वर्ष	अखिल भारत अ.जा./अ.ज.जा.	उत्तर प्रदेश अ.जा./अ.ज.जा.
1995-96	15.2%	16.5%
1996-97	12.7%	11.2%
1997-98	13.6%	15.3%

उपलब्धियों में गिरावट के लिए जिन कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, वे यह हैं कि सरकारी एजेंसियों को इन वर्गों के व्यक्तियों से पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए थे/प्रायोजित नहीं किये गये थे और साथ ही यह कि इन वर्गों के व्यक्तियों ने स्व-रोजगार उद्यमों के स्थान पर निर्धारित आय वाली सरकारी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी प्राप्त करने में प्राथमिकता दर्शाई थी।

विवरण

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हिताधिकारियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अ.जा./अ.ज.जा. को संवितरित ऋण (सं.)		
	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	3048	1737	2636
अरुणाचल प्रदेश	48	267	18
असम	1304	1212	322
बिहार	2095	1506	1523

1	2	3	4
गोवा	19	05	09
गुजरात	1132	1027	2010
हरियाणा	581	491	369
हिमाचल प्रदेश	370	243	235
जम्मू एवं कश्मीर	54	74	160
कर्नाटक	1647	1450	1503
केरल	1230	1228	1019
मध्य प्रदेश	3232	2827	1909
महाराष्ट्र	4605	3887	3134
मणिपुर	184	257	10
मेघालय	174	329	30
मिजोरम	106	197	–
नागालैंड	172	189	45
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	253	86	59

1	2	3	4
उड़ीसा	853	504	193
पंजाब	1626	965	986
राजस्थान	1086	817	1077
सिक्किम	22	88	10
तमिलनाडु	1800	1084	1552
त्रिपुरा	150	312	26
उत्तर प्रदेश	3341	2766	3891
पश्चिम बंगाल	1056	734	390
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	10	38	08
चंडीगढ़	15	06	09
दादरा एवं नगर हवेली	79	35	20
दमन एवं दीव	06	–	05
लक्षद्वीप	35	36	40
पांडिचेरी	37	24	18

[हिन्दी]

घाटे में चल रहे निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र

1672. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील:** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र के कतिपय प्रमुख इस्पात संयंत्र घाटे में चल रहे हैं तथा उनके उत्पादन में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन इस्पात संयंत्रों को कुल कितनी हानि हुई है;

(घ) इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस्पात संयंत्रों की आधुनिकीकरण योजना के शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वयन किये जाने हेतु क्या प्रभावशाली कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आने वाले वर्षों में इन इस्पात संयंत्रों द्वारा अपने कार्य-निष्पादन में सुधार लाया जा सके?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1997-98 के दौरान निजी क्षेत्र के प्रमुख उत्पादकों का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपए)

कंपनी का नाम	लाभ(+)/हानि(-)
मैसर्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लि.	(+) 322.08
मैसर्स एस्सार स्टील लि.	(+) 24.70
मैसर्स लायड्स स्टील इंडस्ट्रीज लि.	(-) 58.81
मैसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	(+) 55.17
मैसर्स जिन्दल स्ट्रिप्स लि.	(+) 73.31

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र के प्रमुख इस्पात उत्पादकों के औसत उत्पादन में गिरावट नहीं बताई गई है। फिर भी वित्तीय निष्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की आशा है।

(ग) और (घ) आठवीं योजनावधि के दौरान उपर्युक्त में से किसी को भी हानि नहीं हुई है।

(ङ) स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार परिस्थितियों को देखते हुए औद्योगिक नीति निजी इस्पात संयंत्रों को आधुनिकीकरण सहित कार्य-कलापों में लगे रहने और सुधारात्मक उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

[अनुवाद]

नेहरू रोजगार योजना

1673. **श्री नादेन्दला भास्कर राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष नेहरू रोजगार योजना के लिए ''स्कीम आफ अरबन माइक्रो इन्टरप्राइजेज'' (एस यू एम ई) के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से कितने लाभग्राहियों को सहायता दी गई;

(ख) कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं और उनके लंबित पड़े होने के क्या कारण हैं;

(ग) ऋण मंजूर करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(घ) सरकार लंबित आवेदन-पत्रों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) शहरी व्यष्टि उद्यम योजना (एस यू एम ई) अक्तूबर, 1989 में शुरू की गई थी और 1 दिसम्बर, 1997 से इसके स्थान पर स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर एम) लाई गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के तहत बैंकों के जरिए सहायता प्राप्त लाभग्राहियों की

कुल संख्या निम्नलिखित है:

(राशि लाख रु. में)

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्र	मंजूर ऋण		संवितरित ऋण	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1995-96	241542	127035	10514.71	102672	7895.06
1996-97	213249	112480	10771.97	85290	7823.30
1997-98	136676	70799	7912.73	57333	5740.61

(ख) से (घ) बैंकों से कहा गया है कि वर्ष के अंत में लंबित आवेदन-पत्रों पर आगामी वर्ष में विचार करें। इसी तरह, मंजूर किये गये, परन्तु संवितरण स्तर पर लंबित मामले भी व्यपगत नहीं होंगे और आगामी वर्ष में संवितरण के लिए उन पर विचार किया जाएगा जिन आवेदनकर्ताओं की वार्षिक पारिवारिक आय 11850 रु. से अधिक न हो और वे उस क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्षों से रह रहे हों वे योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। इस योजना के तहत कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा या शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है।

साधारण बीमा निगम को घाटा

1674. **श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साधारण बीमा निगम की कम्पनियों को बीमा कार्यों में भारी नुकसान होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (ग) भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि तीसरे पक्ष के मोटर बीमा पोर्टफोलियो में बीमा उद्योग को बीमा कार्यों में भारी हामीदारी नुकसान हुआ है। टैरिफ सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार उपचारात्मक उपाय के रूप में 15 फरवरी, 1998 से मोटर संबंधी तृतीय पक्षीय प्रीमियम की दरों को संशोधित किया गया है।

खनन क्षेत्रों में निवेश के संबंध में नीतियाँ

1675. **श्री अजीत जोगी:** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खनन क्षेत्र में निवेश किये जाने हेतु पारदर्शी नीतियां बनाने और अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी और भारतीय निजी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने देश के खनन क्षेत्र में रुचि दिखाई है;

(ग) क्या सरकार ने खनन क्षेत्र में निजी भागीदारी के लिए कोई मानक और शर्तें लगाई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) आर्थिक उदारीकरण नीति के अनुरूप घोषित राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 ने खनिज क्षेत्र को स्वदेशी एवं विदेशी,

दोनों, निजी उपक्रमों के लिए पूर्णतया खोल दिया तथा इसमें उच्च मूल्य एवं दुर्लभ खनिजों के गवेषण और खनन में विदेशी प्रौद्योगिकी के समावेश और विदेशी सहभागिता का प्रावधान है। भारतीय कंपनियों द्वारा संवर्धित खनन के संयुक्त उद्यमों में विदेशी इक्विटी निवेश को भी प्रोत्साहित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में यथा-परिभाषित कोई भी कंपनी या भारतीय नागरिक खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार सर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने के पश्चात् खनिज भण्डारों का गवेषण और विदोहन करने के लिए स्वतंत्र है। विदेशी निवेश के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने सितम्बर, 1992 से फरवरी, 1999 तक की अवधि के दौरान खनन क्षेत्र में विदेशी निवेश के 51 आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन आवेदनों में सम्मिलित निवेश की राशि 3158 करोड़ रु. बनती है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी के अलावा कम से कम 9 विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, उनकी अलग-अलग भारतीय सहायक कंपनियों अथवा भारत के सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ सहयोग के माध्यम से स्वर्ण, चांदी, आधारधातुओं, निकिल, कैडमियम जैसे उच्च मूल्य के खनिजों के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों के बृहत् क्षेत्रों के लिए 44 पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान किये गये हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 भारतीय कंपनियों द्वारा संवर्धित खनन के संयुक्त उद्यमों में विदेशी इक्विटी निवेश को प्रोत्साहित करती है। बृहत् क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश अक्टूबर, 1996 में जारी किए गए, जो एकल पूर्वेक्षण लाइसेंस हेतु 5000 वर्ग कि.मी. तक के क्षेत्र के लिए तथा समूचे देश में एकल कंपनी हेतु 10,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने की अनुमति देते हैं लेकिन यह अनुमति त्यागने की स्कीम के अधीन होगी ताकि लाइसेंस धारक के पास तीसरे वर्ष के अंत में 25 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र रह जाए। भारत सरकार द्वारा 17 जनवरी, 1997 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वर्ण, चांदी, हीरा और बहुमूल्य पत्थरों को छोड़कर, खनन क्षेत्र में 50% तक की विदेशी इक्विटी भागीदारी स्वतः होगी। इन खनिजों के लिए मंजूरी, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा, मामला-दर-मामला आधार पर दी जाएगी। सरकार ने खनन की प्रासंगिक सेवाओं यथा-वेधन, शाफ्टिंग, खानों का उद्धार, सर्वेक्षण/मानचित्रण (स्वर्ण, चांदी और कीमती/अर्द्ध-कीमती पत्थरों से संबंधित सेवाओं को छोड़कर) और आधारभूत धातुओं एवं अलॉय उद्योगों के लिए 74% तक की विदेशी इक्विटी सहभागिता हेतु स्वतः अनुमोदन रूट की भी अनुमति दे दी है।

लघु उद्योगों को ऋण

1676. **श्री टी.आर. बालू:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋणों की अनुपलब्धता से पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योगों को पुनः स्थापित करने के लिए और उन्हें अधिक ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र को बकाया ऋण 38,109 करोड़ रुपए था जब कि मार्च, 1997 की स्थिति के अनुसार यह 31,542 करोड़ रुपए था। लघु उद्योग को बकाया ऋण में पिछले वर्ष के 2060 करोड़ रुपये की तुलना में 6,567 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रवाह में और सुधार करने के लिए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ घोषणा की है कि सिडबी द्वारा समिश्र ऋण की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाएगा और वार्षिक कारोबार के 20% के आधार पर कार्यशील पूंजी सीमा की गणना के लिए कुल कारोबार की सीमा को 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।

दिल्ली से निर्यात

1677. **श्री विजय गोयल:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से किए गए निर्यात के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ख) सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली स्थित निर्यातकों के लिए आधारभूत संरचना की कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) केन्द्रीय सरकार के पास विदेशी मुद्रा आय संबंधी आंकड़े सम्पूर्ण देश के रूप में हैं, इस प्रकार के आंकड़े राज्य या संघ राज्य क्षेत्र-वार नहीं रखे जाते हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार निर्यातों के लिए अवस्थापना संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए निरंतर उपाय कर रही है। तुगलकाबाद तथा पटपड़गंज स्थित दो इन्लैंड कंटेनर डिपो दिल्ली में काम कर रहे हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर लोनी में आईसीडी की हाल में ही मंजूरी मिली है। हवाई मार्ग द्वारा वस्तुओं के निर्यात/आयात को संचालित करने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन पर एयर कार्गो काम्पलैक्स कार्य कर रहा है। खराब होने वाले उत्पादों के निर्यात सामान की अलग से हैंडलिंग तथा भंडारण के लिए सुविधाओं की स्थापना इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई पत्तन पर स्थापित की गई है। भारतीय हवाई पत्तन प्राधिकरण ने सैटेलाइट एयर फ्रेट सिटी की स्थापना के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर भूमि अभिज्ञात की है। इसके अतिरिक्त, आईजीआई हवाई पत्तन दिल्ली सहित विभिन्न हवाई पत्तनों से निर्यात और आयात के लिए कुछेक क्रियाविधियों में सुधार निर्यात संवर्धन बोर्डों के दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं।

आंध्र प्रदेश में हथकरघा क्षेत्र को और अधिक केन्द्रीय सहायता

1678. प्रो. पी.जे. कुरियन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हथकरघा क्षेत्र को दी जाने वाली बजटीय सहायता में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से हथकरघा वस्तुओं की बिक्री में सुधार लाने के लिए तत्काल और समयबद्ध उपाय शुरू करने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या इस संबंध में गठित मीरा सेठ समिति ने समस्त बुनकरों को विकास कार्यक्रम की परिधि में लाए जाने की सिफारिश की थी: और

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें कहां तक लागू की गई हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ग) जी, हां। यद्यपि, हथकरघा क्षेत्र को बजटीय सहायता में वृद्धि योजना आयोग की सिफारिशों तथा स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

(घ) मीरा सेठ समिति की मुख्य सिफारिशें तथा उनका कार्यान्वयन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

हथकरघा उद्योग पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की मुख्य सिफारिशें तथा उन पर कृत कार्रवाई

1. सभी प्रमुख हथकरघा बाहुल्य राज्यों में पृथक हथकरघा विभाग स्थापित किए जाएं। राज्य हथकरघा निगमों और शीर्ष समितियों को उपर्युक्त पुनः स्थापना सहायता प्रदान करके पुनर्जीवित किया जाये।

   राज्य सरकारों को अलग विभाग स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया है जहाँ यह अभी स्थापित नहीं किये गये हैं।

2. सहकारी क्षेत्र से बाहर के बुनकरों को क्रेडिट सुविधा देने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपए की राशि का एक राष्ट्रीय हथकरघा क्रेडिट फंड स्थापित किया जाये।

   बुनकरों की समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने हेतु कृषि वित्त निगम को एक अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है।

3. नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट लिमिट के संबंध में गारंटी देने के प्रावधानों पर छूट देने के लिए नाबार्ड विचार करें। बैंकों के हितों के संरक्षण के लिए "लोस गारंटी स्कीम" आरंभ की जाये। धागे के व्यापार के लिए क्रेडिट भी 9.50% ब्याज दर पर पुनर्वित्त किया जाये।

   नाबार्ड हथकरघा बुनकरों की मांग और अतिरिक्त साख (क्रेडिट) सीमा के लिए कार्यशील पूंजी हेतु बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड ने अच्छे कार्यशील बैंकों और समितियों के संबंध में राज्य सरकार गारंटी की आवश्यकता के बिना अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों की निश्चित श्रेणियों को क्रेडिट लिमिट की स्वीकृति के लिए नीति में एक मुख्य परिवर्तन किया है। हथकरघा बुनकरों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता

के लिए वाणिज्यिक बैंकों को भी पुनर्वित्त प्रदान किया गया है। पुनर्वित्त पर ब्याज दर में कमी की गई है। विपणन कार्यकलापों तथा सूत व्यवसाय के लिए भी ब्याज दर में कमी की गई है।

4. सभी राज्य सरकारें हैंक यार्न और हथकरघा उत्पादों को सभी करों से मुक्त रखें जिनमें बिक्रीकर, प्रवेश कर और चुंगी शामिल है।

5. केन्द्र/राज्य सरकारों अथवा उसके अभिकरणों द्वारा कम्पलैक्स स्थापित किए जायें जिनमें ग्राम, उपखंड, जिला और शहरी स्तर पर हथकरघा हाट और स्थाई स्थल की स्थापना शामिल हैं।

जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, कानपुर, मुम्बई, इंदौर, कोचीन, कलकत्ता और कोलामे में विपणन काम्पलैक्सों की स्थापना की गई।

6. निर्यात्य उत्पादों के विकास के लिए एक व्यापक परियोजना विकसित की जाये। हथकरघा निर्यात के लिए योजना के अंतर्गत 1998-99 के दौरान 500 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया था।

7. एक विपत्ति राहत योजना आरंभ की जाये ताकि राज्य सरकारों की विभिन्न वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत हथकरघों और उनके उपकरणों की खरीद, हैंक यार्न सब्सिडी योजना के अंतर्गत हैंक यार्न की खरीद पर सब्सिडी, क्रेडिट उपलब्ध करवाने, उत्पादन को पुनः खरीदने हेतु सहायता दी जा सके।

नई बीमा योजना लागू की गई है जिसमें प्राकृतिक आपदा सहायता के साथ दुर्घटना मृत्यु, बाढ़ के कारण निवास इकाईयों का नुकसान एवं हानि, आग तथा भूकम्प आदि शामिल है।

8. कल्याणकारी योजनाओं में केवल बुनकरों को ही नहीं अपितु सभी हथकरघा कार्मिकों को शामिल किया जाये। हथकरघों की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सहकारी और गैर-सहकारी दोनों ही क्षेत्रों में हथकरघा कार्मिकों की कवरेज को बढ़ाया जाये।

कल्याण योजना की श्रेणी के अंतर्गत नई बीमा योजना में सभी प्रकार के हथकरघा बुनकरों को शामिल किया गया है। इसमें सहकारी क्षेत्र तथा बाहरी क्षेत्र दोनों के बुनकर शामिल होंगे।

9. हथकरघा क्षेत्र की वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत यथापेक्षित अतिरिक्त वित्तीय निवेश देकर उत्तर पूर्वी राज्यों के समूचे विकास के लिए विशेष बल दिया जाये।

उत्तर पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों को कुल राशि का 10% से अधिक जारी किया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों को विभिन्न वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत विशेष प्रबंध किया जा रहा है।

इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड

1679. श्री के.सी. कोंडय्या: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सोप्स एण्ड डिटरजेंट्स लिमिटेड ने विदेशी बाजारों में भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड (आई.बी.ई.एफ.) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) जी, हाँ। कर्नाटक सोप्स एण्ड डिटर्जेंट लि. ने अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुकूल मैसूर सैण्डलसोप की पैकिंग और प्रस्तुतीकरण में सुधार लाने, प्रभावी बिक्री संवर्धन करने और "मेड इन इंडिया" उद्देश्य पर विशेष जोर देते हुए व्यापार प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये के सुलभ ऋण की मांग की है।

(ग) मैसर्स कर्नाटक सोप्स एण्ड डिटर्जेंट लि. से अनुरोध किया गया है कि वह अपने प्रस्ताव को अपेक्षित विस्तृत ब्यौरे के साथ आईबीईएफ को विचारार्थ भेज दें।

[हिन्दी]

वी.आर.एस. पर व्यय की गई राशि

1680. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उनके मंत्रालय द्वारा केन्द्र सरकार से "स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना" के अंतर्गत प्राप्त की गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त अवधि के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कितने कर्मचारियों ने सेवानिवृत्त होना चाहा है;

(ग) क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए दी गई राशि को अन्य शीर्षों पर व्यय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो स्वैच्छिक सेवा योजना के लिए कितनी राशि दी गई है और अन्य शीर्षों पर कितनी राशि खर्च की गई तथा इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

आर्थिक संकट के लिए नया मंच

1681. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान आर्थिक मंच पर आर्थिक संकट को रोकने हेतु नया मंच बनाने का है जिसकी बैठक फरवरी, 1999 में हुई है;

(ख) क्या इसने वित्तीय प्रारूप को पूर्णतः बदल दिया है;

(ग) यदि हां, तो कौन-से अन्य विषय मंच में उठाये गये; और

(घ) किस सीमा तक भारत के दृष्टिकोणों की प्रशंसा की गई है और उन्हें स्वीकृत किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (घ) दिनांक 31 जनवरी, 1999 को डावोस में हुई विश्व आर्थिक मंच की बैठक के दौरान नई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना के एक भाग के रूप में एक ऐसी नियम आधारित व्यवस्था के सृजन का प्रस्ताव किया गया था जो औद्योगिक और विकासशील देशों, दोनों को ही उचित वातावरण मुहैया कराएगी।

चालू वर्ष के विचार-विमर्श के लिए मुख्य विषय भूमंडलीकरण से संबंधित था। विश्व आर्थिक मंच की बैठक वर्तमान सामाजिक हित के विषयों पर वित्त, व्यवसाय और अर्थतंत्र से संबद्ध विश्व के नेताओं के बीच अनौपचारिक विचार-विमर्श के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। ये विचार-विमर्श बिना किसी दवाब में सम्पन्न होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण को काफी सराहा गया है।

वित्तीय संस्थाओं का पुनर्गठन

1682. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय संस्थाओं जैसे-यू.टी.आई., एल.आई.सी., आई.डी.बी.आई., आई.सी.आई.सी.आई. इत्यादि के कार्यों को प्रबंधन योग्य तथा उचित ध्यान देकर इन्हें और अधिक कुशल बनाने के लिए इनका पुनर्गठन किये जाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो संस्थान-वार किये जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) नियुक्त विशेषज्ञ समिति, इनके द्वारा दी गई सिफारिशों तथा इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वित्तीय संस्थाओं के प्रस्तावित पुनर्गठन के संबंध में वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (घ) बदलते वाणिज्यिक माहौल में वित्तीय संस्थाओं की पुनर्संरचना निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। वित्तीय प्रणालियों से संबंधित समिति (नरसिंह समिति) ने अन्य बातों के अलावा वित्तीय संस्थाओं के कतिपय संगठनात्मक और संस्थागत पहलुओं की भी जांच की थी जैसे कि वित्तीय संस्थाओं का कार्पोरेटीकरण, उन्हें प्रचालन संबंधी स्वतंत्रता और आंतरिक स्वायत्तता प्रदान करना तथा प्रतिस्पर्धी माहौल सृजित करना, सावधि वित्त साधन मुहैया कराने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहन, वित्तीय संस्थाओं को प्रमुख कार्यपूंजी मुहैया कराने की अनुमति देना, बाजार से प्रतिस्पर्धी शर्तों पर संसाधन प्राप्त करना आदि तथा इस संबंध में सिफारिशें की थीं। सरकार वित्तीय संस्थाओं की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से नरसिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर समय-समय पर उपयुक्त विधायी और प्रशासनिक उपाय करती रही है।

तितलियों का निर्यात

1683. **श्री अमन कुमार नागरा:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तितलियों का खुलेआम निर्यात किया जा रहा है क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई कानून नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दुर्लभ तितलियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) वर्तमान एक्जिम नीति के अनुसार, देश से किए जाने वाले तितलियों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तितलियों के निर्यात से संबंधित आंकड़े, उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) तितलियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

हथकरघा उद्योग को सूत उपलब्ध कराना

1684. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हथकरघा उद्योग को कता हुआ सूत उपलब्ध कराने के लिए कताई मिलों को नए निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कताई मिलों द्वारा हथकरघा मिलों को कुल सूत उत्पादन का कितना प्रतिशत अनिवार्यत: उपलब्ध कराया जाता है;

(ग) सरकार द्वारा हाल ही में नए निर्देश जारी किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सूत के कम उत्पादन के बावजूद हथकरघा उद्योग की आवश्यकता पूरी होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ङ) हथकरघा उद्योग को कताई यार्न की उपलब्धता के संबंध में पहले ही पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के कारण अभी हाल में कताई मिलों को कोई नये निर्देश नहीं दिये गये हैं तथा न तो हैंक यार्न की कमी और न ही असामान्य कीमत वृद्धि की कोई सूचना प्राप्त हुई है।

[अनुवाद]

राऊरकेला इस्पात संयंत्र

1685. श्री तथागत सत्पथी:
डा. उल्हास वासुदेव पाटील:
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे:

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राऊरकेला इस्पात संयंत्र परियोजना के आधुनिकीकरण संबंधी कार्य में निर्धारित लागत से अधिक लागत आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या स्थिति थी;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मूल्यह्रास लागत और परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए खर्च की गई राशि पर लगे ब्याज को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संयंत्र में उत्पादन की अपेक्षा आधुनिकीकरण पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) और (ख) जी, हाँ। निर्धारित लागत से अधिक हुई लागत

का विवरण निम्नानुसार है:

अनुमोदित लागत	:	3954 करोड़ रुपए (आधार 1992 की प्रथम तिमाही)
प्रत्याशित लागत	:	5112 करोड़ रुपए (आधार 1997 की चौथी तिमाही)
निर्धारित लागत से अधिक लागत		1158 करोड़ रुपए

(ग) और (घ) जी, नहीं। फिर भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्तीय पुनर्गठन के संबंध में की गई सिफारिशों के आधार पर सेल ने वित्तीय पुनर्गठन हेतु सरकार से अनुरोध किया है। इस वित्तीय पुनर्गठन में मूलत: इस्पात विकास निधि (एस डी एफ) ऋण/पूंजीकृत ब्याज की सीमा तक अचल संपत्तियों के अपलेखन, सेल द्वारा इस्को को दिए गए ऋण और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालने के संबंध में भारत सरकार के ऋण से राहत की बात कही गई है।

(ङ) और (च) प्रबंधन द्वारा आधुनिकीकरण के कार्य और साथ ही साथ उत्पादन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। तप्त पत्ती मिल की एक पुनर्तापन भट्टी (पुनर्तापन भट्टी संख्या-5), जिसके आधुनिकीकरण का कार्य मार्च, 2000 तक पूरा होने की संभावना है, को छोड़कर आधुनिकीकरण का कार्य अगस्त, 1998 में पूरा कर लिया गया है। आधुनिक बनाई गई सुविधाओं की मुख्य विशेषताओं का विवरण और पिछले तीन वर्षों के दौरान संयंत्र का उत्पादन निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राउरकेला इस्पात संयंत्र में आधुनिकीकृत सुविधाओं की मुख्य-मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा

चरण-1

- केन्द्रीकृत कच्चा माल सम्भाल प्रणाली
- कोयला औसतनकरण तथा अन्य कोयला सम्भाल सुविधाएं
- धमन भट्टियों में स्टाक हाऊसों की सिन्टर स्क्रीनिंग एवं कन्वेयराइजेशन
- 180 टन प्रतिदिन क्षमता की एयर सैपरेशन यूनिट
- धमन भट्टी संख्या-4 के लिए कास्ट हाउस स्लैग ग्रेनुलेशन सुविधा।
- डोलोमाइट ब्रिक संयंत्र का संशोधन
- इस्पात गलन शाला-1 में एल.डी. कन्वर्टर सं. 4 और 5 में कम्बाइंड ब्लोविंग सुविधाएं
- विद्युत वितरण सुविधाओं की वृद्धि

चरण-2

- केन्द्रीयकृत कच्चा माल संभाल प्रणाली में बेस ब्लैन्डिंग सुविधाएं
- कोल चार्ज सुविधाओं की आंशिक ब्रिक्वेटिंग की स्थापना
- नये सिंटर संयंत्र में एक 192 एम2 सिंटर मशीन की स्थापना
- नये सिंटर से, और तक, कन्वेयर
- नई बेसिक आक्सीजन फर्नेश (बी.ओ.एफ.) शॉप में दो 150 टन के एल.डी. कन्वर्टरों की स्थापना
- नई बी.ओ.एफ. शॉप में दो सिंगल स्ट्रैण्ड स्लैब कास्टरों की स्थापना
- तीन 40 टन कन्वर्टरों तथा चार 80 टन की खुले मुंह की भट्टियों को हटाना तथा विद्यमान इस्पात गलनशाला में एक सिंगल स्ट्रैण्ड स्लैब कास्टर की स्थापना
- प्लेट मिल तथा तप्त पत्ती मिल का संशोधन
- चार 250 टन प्रतिदिन क्षमता के नए कैल्सीनिंग संयंत्र की स्थापना

- एक 180 टन प्रतिदिन क्षमता की एयर सैपरेशन ईकाई की स्थापना

- एक 60 टन प्रतिदिन क्षमता का नया मीडियम प्रैशर वॉयलर की स्थापना

- सतना चूना पत्थर खान में साइजिंग संयंत्र

- प्लेट मिल में एक पुनर्तापन भट्टी तथा तप्त पत्ती मिल में दो पुरानी पुनर्तापन भट्टियों के स्थान पर अधिक क्षमता की तप्त पत्ती मिल में दो पुनर्तापन भट्टियों की स्थापना।

राऊरकेला इस्पात संयंत्र में विक्रेय इस्पात का उत्पादन

वर्ष	1995-96	1996-97	1997-98
हजार टन	1148	1180	1181

भारत-म्यांमार व्यापार

1686. श्री एन.जे. राठवा: क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-म्यांमार व्यापार-संधि की शर्तें क्या-क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मोर्च स्थित विपणन केन्द्र म्यांमार की सीमा स्थित नैमफालौंग और तामू में स्थानान्तरित कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) भारत और म्यांमार ने 27.5.1970 को एक द्विपक्षीय व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अधिकारों की समानता तथा एक दूसरे को परम मित्र राष्ट्र का व्यवहार प्रदान करने के सिद्धांत के आधार पर परस्पर लाभ के लिए दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को विकसित करने तथा सुदृढ़ करने पर सहमति हुई थी। भारत और म्यांमार ने 21-1-94 को सीमावर्ती व्यापार करार पर भी हस्ताक्षर किए थे। इस करार की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

(1) सीमावर्ती व्यापार मणिपुर में मोरेह स्थान से और तत्संबंधी म्यांमार में तामू तथा इसी प्रकार मिजोरम में चम्पई और तत्संबंधी म्यांमार में रिह के स्थान से तथा ऐसे अन्य स्थानों से भी किया जाएगा जैसाकि आपसी सहमति से अधिसूचित किया जाएगा। यह व्यापार दोनों में से किसी भी देश में लागू कानूनों, विनियमनों तथा क्रियाविधियों के अनुसार निर्दिष्ट सीमाशुल्क चौकियों के माध्यम से किया जायेगा।

(2) भारत-म्यांमार सीमा के दोनों ओर सीमा के साथ-साथ रहने वाले लोगों द्वारा स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं का आदान-प्रदान वस्तु व्यापार पद्धति सहित प्रचलित पारम्परिक परिपाटी के अनुसार जारी रहेगा।

(3) यह व्यापार मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में अथवा अन्य ऐसी मुद्राओं में किया जाएगा जैसा भी दोनों देशों द्वारा परस्पर रूप से सहमति होगी जिसमें प्रति-व्यापार व्यवस्था भी शामिल है।

(4) सीमावर्ती व्यापार करार के उद्देश्यों तथा उपबंधों का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दोनों ओर से आवधिक समीक्षा की जाएगी।

मोरेह स्थान से सीमावर्ती व्यापार 12-4-95 से शुरू किया गया था जबकि अन्य स्थानों से सीमावर्ती व्यापार अभी शुरू नहीं हुआ है। म्यांमार ने नवम्बर, 1997 में निर्णय लिया है कि सीमा से सामान्य यू.एस. डालर में किया जाना चाहिए और भारत से आयात करने से पूर्व म्यांमार व्यापार भारत से आयात के अनुरूप म्यांमार का निर्यात यू.एस. डालर में ही होना चाहिए।

(ख) मोरेह का कोई भी विपणन केन्द्र म्यांमार की ओर स्थानांतरित नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उद्यमों में सतर्कता संबंधी नियम

1687. **श्री रामकृष्ण बाबा पाटील: क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी उद्यमों के लिए सतर्कता के संबंध में नए नियम बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सतर्कता मामलों को शासित करने वाले दिशानिर्देशों तथा नियमावली की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है। हाल ही में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक सतर्कता ढांचे की अनुशंसा की गई है, जिसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार उपयुक्त संशोधन करके अपनाया जाएगा।

विभिन्न वाहनों का उत्पादन/विक्रय

1688. **श्री गुरूदास कामत:**
श्री समर चौधरी:

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान पैसेंजर कारों, ट्रकों, दुपहिया, तिपहिया वाहनों आदि का कुल उत्पादन एवं विक्रय क्या था?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): पिछले 3 वर्षों के दौरान विभिन्न आटोमोटिव वाहनों का कुल उत्पादन तथा बिक्री निम्नानुसार थी:

(लाख में)

	1995-96		1996-97		1997-98	
	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री	उत्पादन	बिक्री
वाणिज्यिक वाहन	217437	215638	240551	235512	160998	156559
कार	348240	345340	411145	411305	407453	416408
बहु उपयोगी वाहन	106251	104260	134583	134641	134613	133712
दुपहिया	2656017	2658288	2979227	2963489	3072667	3044074
तिपहिया	176413	177055	221619	220436	234867	233733

फलों और सब्जियों का निर्यात

1689. **श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया: क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से विशेषकर गुजरात से फलों और सब्जियों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि तथा कितनी मात्रा के फल तथा सब्जियों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार ने इसे चालू वर्ष के दौरान फलों तथा सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कतिपय प्रोत्साहनों की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) देश से फलों और सब्जियों का निर्यात किया जाता है। तथापि, राज्यवार आधार पर निर्यात ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए फलों और सब्जियों की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं:

	ताजी सब्जियाँ		ताजे फल	
वर्ष	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (करोड़ रु. में)	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1995-96	434401	301.19	109704	229.96
1996-97	498863	341.16	217753	241.17
1997-98	उपलब्ध नहीं	319.45	उपलब्ध नहीं	268.98

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता/एपीडा)

(ग) और (घ) सरकार ने फलों और सब्जियों जैसे बागवानी उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं और सहायता देती रही है, जो चालू वर्ष के दौरान भी चालू है।

इन उपायों में शामिल हैं:

(1) उष्ण कटिबंधीय तापमान और शुष्क क्षेत्र के फलों के समेकित विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौध-शालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करने, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) श्रेणीकरण/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्म पक्कवन/क्योरिंग चैम्बर और गुणात्मकता परीक्षण उपकरणों की स्थापना के लिए सुलभ ऋणों का प्रावधान;

(3) विशिष्टीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद, पूर्व प्रशीतन/शीतागार सुविधाओं की स्थापना, एकीकृत फसलोत्तर हैंडलिंग प्रणालियों (चैक हाउसेज) जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उत्पादकों/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना;

(4) निर्यात एककों में नवीनतम आईएसओ 9000/एचएसीसीपी अपनाने सहित उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(5) चुनिन्दा ताजी सब्जियों और फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी;

(6) विदेशी बाजारों में उत्पादों, विशेषकर आमों की ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की संस्थापना जो कि नष्ट होने वाले उत्पादों को संरक्षण अवधि को बढ़ाने के लिए परिवहन में नियंत्रित/नवीकृत वायुमंडलीय प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक तकनीक के उपयोग हेतु अनुसंधान प्रयास चल रहे हैं।

(7) क्रेता-विक्रेता बैठकों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सह-भागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(8) ताजे फलों और सब्जियों जैसे नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और भण्डारों की स्थापना करना;

(9) निर्यात उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण; पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि के लिए किसानों को प्रशिक्षण सहित व्यापार और उद्योग को तकनीकी परामर्शी सेवा और दूसरी सहायता सेवाएं मुहैया कराना।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शीर्ष रिक्त पद

1690. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1998 तक की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों की संख्या और इनके नाम क्या हैं जिनमें अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद रिक्त पड़े हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखबीर सिंह बादल): (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा प्रबंध निदेशकों के 26 पद रिक्त थे। इन रिक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा प्रबंध निदेशक के पदों पर भर्ती करने की निर्धारित प्रक्रिया है, जिसके अनुसार लोक उद्यम चयन मण्डल द्वारा चयन किया जाएगा तथा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियुक्तियां की जाएंगी। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण

31.12.1998 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के जिन उपक्रमों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा प्रबंध निदेशकों के पद रिक्त थे, उनके नाम

	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	रिक्ति की तारीख
	1	2
1.	प्रबंध निदेशक, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड	02.06.1997
2.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	01.12.1997
3.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड	25.11.1998
4.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ऑयल इंडिया लिमिटेड	01.02.1998
5.	प्रबंध निदेशक, इंडियन मेडीसिन फार्मास्युटिकल्स कारपो. लिमिटेड	–
6.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड	15.12.1998

	1	2
7.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपो. लिमिटेड	01.10.1998
8.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, विदेश संचार निगम लिमिटेड	01.07.1998
9.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	01.10.1997
10.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इलेक्ट्रोनिक्स कारपो. ऑफ इंडिया लिमिटेड	16.10.1998
11.	प्रबंध निदेशक, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपो. लिमिटेड	31.08.1995
12.	प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कारपो. लिमिटेड	16.12.1997
13.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	04.05.1998
14.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेटेका (गुजरात) लिमिटेड	01.05.1998
15.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लिमिटेड	27.01.1998
16.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेटेका (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड	17.03.1998
17.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लिमिटेड	31.03.1998
18.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय कपास निगम लिमिटेड	01.11.1998
19.	प्रबंध निदेशक, स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	31.05.1997
20.	प्रबंध निदेशक, मणिपुर स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	01.10.1997
21.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टायर कारपो. ऑफ इंडिया लिमिटेड	21.08.1995

1		2
22.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लिमिटेड	01.07.1998
23.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, लगन जूट मशीनरी कारपो. लिमिटेड	22.12.1997
24.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड	08.10.1998
25.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	01.04.1998
26.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	05.07.1998

[अनुवाद]

ओरिएण्टल बीमा कम्पनी के अधिकारियों द्वारा विमान यात्रा

1691. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ओरिएण्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक, ए.जी.एम., प्रबंधक, उप-प्रबंधक में से प्रत्येक द्वारा भारत तथा विदेशों में की गई विमान यात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक दौरे पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) प्रत्येक दौरे का प्रयोजन क्या था?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर. जनार्दनन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का पुनरुद्धार

1692. **श्री तपन सिकदर:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कोल इंडिया लि. की अनुषंगी कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को भेजने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के पुनरुद्धार हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. को विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अत्यधिक उपकर लगाए जाने के कारण हुए अत्यधिक घाटे के कारणों की जांच की है;

(घ) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए उपकर को अत्यधिक युक्तिसंगत बनाए जाने को ध्यान में रखते हुए खानों की अर्थक्षमता निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा शून्य उपकर पैकेज को कार्यान्वित किये जाने के रास्ते में क्या बाधाएं आ रही हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी तौर पर औद्योगिक कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा रुग्ण औद्योगिक कंपनी को बी आई एफ आर को संदर्भगत करना अपेक्षित होता है, यदि उनके मत से कंपनी के निवल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष के अंत में नकारात्मक हो।

(ख) ई.को.लि. प्रारंभ से ही अपने अधिकांश वित्तीय वर्षों में हानि उठा रही है। काफी समय से भारत सरकार और कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.), ई.को.लि. को निम्न सहायता प्रदान कर रही है:

(1) 3265 करोड़ रु. की राशि से कोयला कीमत विनियमन लेखा से अंशदान।

(2) 1309 करोड़ रु. की राशि के ब्याज और दंडात्मक ब्याज का अधित्याग।

(3) 1179 करोड़ रु. की राशि का 1997-98 में ऋण की इक्विटी में परिवर्तन।

(4) 259 करोड़ रु. की राशि के गैर-योजनागत ऋण के पुनर्भुगतान एवं ब्याज भुगतान पर तीन वर्षों का अधिस्थगन काल।

(5) 1997-98 के अंत तक 2800 करोड़ रु. की राशि का भारत सरकार और को.इं.लि. द्वारा निवेश।

पुनरुद्धार पैकेज तैयार करने के प्रयास में ई.को.लि. द्वारा अध्ययन किया गया है। वर्ष 1997 में तैयार किये गये पिछले पुनरुद्धार पैकेज अपेक्षित परिणाम नहीं दिए, जोकि मुख्यत: अधिशेष श्रमशक्ति के कारण है। इस कंपनी के पुनरुद्धार के प्रयोजन से वर्तमान में प्रबंधन ने कई वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किए हैं, जोकि मजदूर संघों के विचार-विमर्श के अंतर्गत हैं। अब तक किसी भी पैकेज पर सहमति नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) जैसाकि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट किया गया है, ई.को.लि. की स्थिति के बारे में कई बार अध्ययन किये गये हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोयले पर लगाए गए उपकर ने, कोयला कीमतों में वृद्धि करने के लिए कंपनी के लचीलेपन को कम कर दिया है। हाल ही में, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने उपकरों के औसत विस्तार क्षेत्र को ई.को.लि. को औसत आधार कीमत के 47% से 25% तक कम कर दिया है। उपकर में हुई अत्यधिक कमी निश्चित रूप से कंपनी को उपभोक्ता से थोड़ी अधिक कीमत वसूल करने में समर्थ बनाएगी। तथापि, केवल इसी उपाय से एक लाभकारी पुनर्वास पैकेज तैयार नही किये जा सकेंगे। एक लाभकारी दीर्घावधि स्वरूप के पैकेज को तैयार करने के लिए ई.को.लि. के उत्पादन एवं उत्पादकता की तुलना में अधिक श्रमशक्ति की मौलिक समस्या पर विचार करना होगा। ऐसे एक पैकेज के अवयवों को निर्धारित किया जा सकता है। तथापि, मजदूर संघ ऐसे किसी पैकेज को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, जिसमें ई.को.लि. की श्रमशक्ति को घटाने का प्रस्ताव, चाहे वह स्वेच्छानिवृत्ति अथवा 55 वर्षों से ऊपर की उम्र के कर्मचारियों के एक समय की सेवानिवृत्ति से संबंधित ही क्यों न हों, अंतरग्रस्त हों।

त्रिपुरा को विदेशी सहायता

1693. श्री समर चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने कृषि, सड़क, शिक्षा और जल-संसाधनों से संबंधित परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता पाने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) अभी तक त्रिपुरा में विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता के रूप में परियोजना-वार कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है। प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 1997-98 के लेखापरीक्षित लेखाओं सहित उनका वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण, आदि

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इंटरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2462/99]

(3) (एक) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 के अंतर्गत कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2463/99]

(5) (एक) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अंतर्गत कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) कयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 1997-98 के लेखापरीक्षित लेखों की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2464/99]

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2465/99]

(9) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2466/99]

(11) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंसन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2467/99]

तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1997-98 के लेखापरीक्षित लेखाओं सहित वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण, आदि

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2468/99]

कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के लेखापरीक्षित लेखाओं सहित उसका वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, आदि

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) कॉटन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉटन टैक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2469/99]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा 7 के अंतर्गत अधिसूचनाओं की प्रतियां, आदि

[हिन्दी]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 11(अ) जो 4 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित अधिसूचना में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि पात्र यात्रियों और अभिहित एजेंसियों द्वारा आयातित सोने पर मूल सीमा शुल्क की दर बढ़ाई जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 18(अ) जो 6 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 12/97-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 31(अ) जो 14 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जून, 1998 की अधिसूचना संख्या 23/98-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि आयातित सफेद क्रिस्टल चीनी और कच्ची चीनी सहित शोधित चीनी पर मूल सीमा शुल्क को मूल्यानुसार 5% से बढ़ा कर मूल्यानुसार 20% किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 59(अ) जो 1 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा

1 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या 12/97-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2470/99]

(2) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 44(अ) जो 22 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आर्थो क्लोरो बैंजालडिहाइड पर अंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है जब उसका अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दरों पर चीन जनवादी गणराज्य से भारत में आयात किया जाए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 45(अ) जो 22 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 24 नवम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या 95/98-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 53(अ) जो 29 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय लोवस टैटिन पर अंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है जब उसका अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दरों पर चीन जनवादी गणराज्य से भारत में आयात किया जाए तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 54(अ) जो 29 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 24 नवम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या 93/98-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 60(अ) जो 2 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दरों पर फ्रांस में उद्‌भूत अथवा उससे आयातित पी टर्ट बुटाइल कैटिकाल पर अनंतिम आधार पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 64(अ) जो 5 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय थियोफाइलीन और कैफीन पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है जब वह चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत हुआ हो अथवा वहां से आयात किया गया हो और इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दरों पर उसका भारत में आयात किया गया हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 65(अ) जो 5 फरवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20 अक्तूबर, 1995 की अधिसूचना संख्या 152/95-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 709(अ) जो 27 नवम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एचआर कायलों, स्ट्रिपों, शीटों और प्लेटों (बॉयलर क्वालिटी प्लेटों सहित) पर अंतिम रूप से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2471/99]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (26वां संशोधन) नियम, 1998 का जो 16 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1079(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2472/99]

(4) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 405(अ) जो 18 जुलाई, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय किसी टूर आपरेटर द्वारा 31 मार्च, 2000 तक उपलब्ध कराये गये टूर के संबंध में किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर योग्य सेवाओं को सम्पूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करना है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2473/99]

(5) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिक्का-निर्माण (मानक वजन और गुणवत्ता

के अंतर की सीमा से युक्त) एक सौ रुपये का सिक्का (जिसमें 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल और 5 प्रतिशत जिंक सम्मिलित है) पचास रुपये, दस रुपये और दो रुपये के सिक्के (जिनमें 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल है) जिन्हें "देशबन्धु चितरंजनदास" नियम, 1998 की स्मृति में निर्मित किया गया है और जो 11 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 73(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2474/99]

नेपा लिमिटेड, ईस्ट निमार के वर्ष 1997-98 के लेखापरीक्षित लेखाओं सहित उसका वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण, आदि

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): श्री सुखबीर सिंह बादल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेपा लिमिटेड, ईस्ट निमार के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेपा लिमिटेड, ईस्ट निमार का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2475/99]

अपराह्न 12.01 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

स्क्वाड्रन लीडर कमल चौधरी (होशियारपुर): महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति का "आयुध कारखाने" विषयक छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

शहरी और ग्रामीण विकास संबधी स्थायी समिति

सोलहवें से उन्नीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): मैं, शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग, (शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय) की अनुदान मांगों (1997-98) के संबंध में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) की अनुदान मांगों (1997-98) के संबंध में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

(3) ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) की अनुदान मांगों (1996-97) के संबंध में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के पांचवें प्रतिवेदन

में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(4) ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग (ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय) की अनुदान मांगों (1997-98) के संबंध में शहरी और ग्रामीण विकास संबधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन

अपराह्न 12.03 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 8 मार्च, 1999 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

2. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1999 पर विचार और पारित करना।

3. राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा।

4. वर्ष 1999-2000 के बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा।

5. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान:

   (क) वर्ष 1999-2000 के लिए लेखानुदानों की मांगें (रेल)

   (ख) वर्ष 1998-99 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

   (ग) वर्ष 1996-97 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)

6. पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1999 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा राज्य सभा द्वारा यथा पारित पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार और पारित करना।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय चर्चा हेतु सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

1. कानपुर स्थित ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के अंतर्गत आने वाली सूती मिलों कानपुर टैक्सटाइल, एलगिन मिल नं. 1 तथा एलगिन मिल नं. 2 को बन्द करने के आदेश को निरस्त करना एवं इन मिलों के भविष्य पर निर्णय भी एन.टी.सी. मिलों के साथ लिया जाना।

2. उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एवं औद्योगिक नगर कानपुर जिसकी जनसंख्या 40 लाख है, को हवाई सेवा उपलब्ध कराकर यहां के औद्योगिक स्वरूप को बचाने की महती आवश्यकता।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में जोड़ा जाए:

1. बिहार राज्य के वनांचल क्षेत्र में स्थित दामोदर नदी में चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन द्वारा प्रदूषण पदार्थ का उत्सर्जन रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए।

2. बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में प्रस्तावित नवीनगर थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की सूची में शामिल किया जाए:

(1) जूट उद्योग और जूट लेमिनेटिंग उद्योग को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उर्वरक उद्योग

द्वारा 50 प्रतिशत जूट पैकेजिंग के प्रयोग को अस्वीकार करने तथा जूट पैकेजिंग मैटेरियल्स (पैकेजिंग वस्तु में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 को कार्यान्वित न किए जाने के कारण इन उद्योगों में लगे हजारों कर्मचारियों को अपनी नौकरी खोने का डर बना हुआ है।

(2) भारत सरकार मुद्रणालय, सांतरागाची, हावड़ा को गम्भीर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रेस और प्रिंटिंग इकाइयों तथा फार्म्स इकाई का कर्मचारी संघ के साथ परामर्श करके तुरंत आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय को एक व्यापक आधुनिकीकरण योजना तैयार करनी चाहिए और इसे लागू करने के लिए सदन में चर्चा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल करने की अनुमति प्रदान करें:

1. भारतीय उर्वरक निगम लि. के गोरखपुर यूनिट की स्थापना सन् 1969 में हुई थी। यह उर्वरक कारखाना पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए वरदान था, परन्तु उक्त कारखाना एक साधारण दुर्घटना के कारण 1990 में बन्द कर दिया गया था। अत: जनहित में सरकार उक्त बन्द पड़े कारखाने को कृषक भारती कोआपरेटिव लि. द्वारा पुन: चलवाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उर्वरक संयंत्र में कार्यरत कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण संयंत्र के बन्द होने के बाद से नहीं हुआ है। अत: अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की तरह कार्यरत सभी कर्मियों को नया वेतनमान दिया जाए।

2. उर्वरक संयंत्र में पहले से कार्यरत कर्मियों का समायोजन कृभको द्वारा किया जाए।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नांकित विषय सम्मिलित किए जाएं:

1. उत्तरांचल राज्य के गठन हेतु इसी सत्र में "उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक" को अतिशीघ्र पारित किये जाने की आवश्यकता।

2. रक्षा मंत्रालय के अधीन सीमा सड़क संगठन में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों तथा दूरसंचार विभाग के अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारियों (ई.डी.) की सेवाओं का नियमितीकरण किये जाने की आवश्यकता।

श्री रामानन्द सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में कृपया निम्न विषय जोड़ने की कृपा करें:

"केन्द्रीय वन अधिनियम, 1980 के प्रभाव से मध्य प्रदेश की 300 (तीन सौ) से अधिक लंबित सिंचाई योजनाओं को भारत सरकार वन व पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति प्रदान कराने बाबत चर्चा।"

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए:

उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है। पुरातन काल से यह देश का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं धार्मिक केन्द्र रहा है। हर 6 वर्ष पर अर्धकुम्भ एवं 12 वर्ष पर कुम्भ का महान पर्व विश्वभर से तीर्थयात्रियों को इलाहाबाद आने के लिए आकर्षित करता है। इलाहाबाद विश्व विद्यालय आज भी पूर्व का ऑक्सफोर्ड माना जाता है। जहां देश-विदेश के मेधावी छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। कार्पेट इंडस्ट्री का भी यह क्षेत्र है, जो विदेशी मुद्रा अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसके कारण बहुत से विदेशियों को इलाहाबाद आना पड़ता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज तक इलाहाबाद नागर विमानन के नक्शे पर नहीं आ पाया है। पूर्व में इलाहाबाद में इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया एवं वायुदूत की सुविधाएं उपलब्ध थीं, जो अब समाप्त कर दी गई हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि इलाहाबाद को नागर विमानन के नक्शे पर लाए जाने के संबंध में शीघ्र घोषणा की जाए।

[अनुवाद]

प्रो. सैफुद्दीन सोज (बारामूला): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए:

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान है जिस पर केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि मरीजों के उपचार के लिए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें तथा संकाय की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी सरकार से बख्शी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा है। सरकार को बख्शी समिति की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। यह जितनी जल्दी लागू हो जाएं, अच्छा है।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषय को जोड़ा जाए:

भारत सरकार के पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एल.पी.जी. गैस कनेक्शन की पैन्डेंसी को खत्म करने का निर्णय स्वागत योग्य है, परन्तु यह सुविधा सभी गैस एजेन्सियों से न होकर केवल उनको जिनकी मासिक सप्लाई 15,000 सिलैंडर से कम है जिससे उपभोक्ताओं को दूर-दूर तक गैस कनैक्शन लेने जाना पड़ रहा है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सभी एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर्स को गैस कनैक्शन देने की इजाजत दी जाए जिससे उपभोक्ता जहां से चाहे ले सकें और उनको परेशानी न झेलनी पड़े।

आपराह्न 12.10 बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1996-97

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं 1996-97 के बजट (रेल) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2476/99]

अपराह्न $12.10^1/_2$ बजे

अनुदानों की अनुपूरक मांगें रेल, 1998-99

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): महोदय, मैं वर्ष 1998-99 के बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2477/99]

अपराह्न 12.11 बजे

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): मैं प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सरदार सरजीत सिंह बरनाला: मैं विधेयक वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

मैं विधेयक भी पुर:स्थापित करता हूँ।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी को पहले सभा की अनुमति मांगनी चाहिए थी। सभा की अनुमति मिलने के बाद ही वे अपना विधेयक पुर:स्थापित कर सकते हैं। उन्हें यह नहीं मान लेना चाहिए कि अनुमति दी जा चुकी है। इसलिए उन्हें सभा की अनुमति लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 12.12 बजे

[अनुवाद]

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

"कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 12.13 बजे

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संसद सदस्य, वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 12.14 बजे

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में विवरण

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): महोदय, आपकी अनुमति से, मैं संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा तुरंत विधान बनाये जाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2478/99]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा में 'शून्य काल' शुरू होगा।

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली): महोदय मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूँ जिसका अगर संतोषजनक ढंग से समाधान नहीं किया गया तो यह सरकार की प्रतिष्ठा तथा विश्व में इस देश की छवि को धूमिल कर देगा।

महोदय, वित्त मंत्री के सलाहकार को 3 फरवरी को बरखास्त करने की बात कही गई है जबकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उन्होंने 27 जनवरी को ही त्याग पत्र दे दिया था।

उनको बरखास्त किये या उनका त्यागपत्र मांगे जाने का आज तक रहस्य ही बना हुआ है। उन पर लगाए गए आरोप निस्संदेह गंभीर हैं जो विभिन्न पत्रिकाओं और अखबारों में छप चुके हैं। नीति निर्णयों, कार्यक्रमों, तथा सरकारी निर्णयों से उनका सरोकार था।

उन्होंने पहली बार कारणों का खुलासा जो हाल ही में विभिन्न पत्रिकाओं जैसे 'दि एशियन एज', और 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में छपे थे। उन्होंने वस्तुत: प्रधानमंत्री पर एक षडयंत्र रचने और हिन्दुजा के लिए दलाली करने का आरोप लगाया। उन्होंने आडवाणी तक पर 'एस्सार' के लिए लाबी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि श्री प्रमोद महाजन मित्तल का पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री आधारहीन बातें कर रहे हैं और बेकार की बातों में उलझे हुए हैं। उन्होंने प्रधान मंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारियों और प्रधान मंत्री के रिश्तेदारों को भी इसमें घसीटा है और उनके आचरण पर गम्भीर आरोप लगाए हैं।

वित्त मंत्री के कक्ष में वित्तीय संस्थाओं के साथ ऐसी विख्यापित बैठक के मामले में इस सज्जन ने यह आरोप लगाया था कि 'एस्सार' प्रमुख, शशी रुइया को वहां बुलाया गया था। वे वहां बैठे हुए थे और श्री सिन्हा हाँ में हां मिला रहे थे।

उन्होंने यह भी कहा है कि एक उच्च आधार मूल्य निर्धारित किया गया था जिसके नीचे इस्पात उद्योग को कायम रखने के लिए इस्पात के लिए मुक्त आयात की अनुमति नहीं दी गई थी। यह उससे अधिक था जिस पर पहले हुई अंतर-मंत्रिमंडलीय बैठक में सहमति हुई थी। उनके इस दोषारोपण में संभवत: वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय तथा इनसे संबंधित मंत्री शामिल हैं। प्रयोक्ताओं के अनुसार, यह राशि 5,000 करोड़ रुपये की है।

'दि इंडियन एक्सप्रेस' ने यह लिखा है कि जब उन्होंने वित्त मंत्री और इस्पात मंत्री से संपर्क किया था तो बार-बार फोन करने पर भी उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। अखबार के अधिकारियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने इस्पात मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार ही किया है।

महोदय, इंडियन टोबाको कम्पनी में यू.टी.आई. की कुछ शेयर-धारिताओं को ब्रिटिश अमेरिकन टोबाको, कम्पनी, जिसे 'बी.ए.टी.' भी कहा जाता है, को बेचा जाना था। 'बी.ए.टी.' ने 800 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से कीमत देने की पेशकश की जबकि इस सलाहकार ने यह सलाह दी कि 2,500 रुपये प्रति शेयर की दर से शेयरों को बेचा जाए। इस आधार पर जब उन्होंने वित्त मंत्री को एक नोट भेजा तो वित्त मंत्री ने उन्हें इस मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया जब वह यू.टी.आई. के प्रमुख से मिले तो बाद में फिर से उन्हें बुलाया गया और उनके साथ चर्चा की गई। इन सबके बावजूद, जब वित्त मंत्री ने उन्हें इस मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया तो उन्होंने (वित्त मंत्री) उनसे कहा कि इस मामले में बड़े बड़े लोग शामिल है अत: इसे इतने अधिक मूल्य पर बेचना संभव नहीं है और ऐसा लगता है कि उन्होंने इस नोट को अलग रखने के लिए उनसे कहा।

सलाहकार ने यहां तक कहा है कि उस शाम को ही उन्हें इस मुद्दे पर चुप रहने का प्रस्ताव मिला।

महोदय, अब उसके अलावा, इस अधिकारी ने यह कहा है कि 300 करोड़ रुपये की राशि *...(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूडी, ए.वी.एस.एम. (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदय, अभी कई सदस्य हैं जिन्हें अपने अपने मुद्दे उठाने हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी अपने विषय उठाना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): 5000 करोड़ रुपये का घोटाला है, उसको नहीं सुनना चाहते *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. शिवशंकर: महोदय, मैं जल्दी ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज इस सूची में हमारे पास 30 सदस्यों के नाम हैं।

...(व्यवधान)

श्री पी. शिवशंकर: महोदय, यदि मुझे बीच में टोका नहीं गया तो मैं मुश्किल से आधा मिनट लूंगा।

महोदय इस अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस्पात के आयात पर रुइया को 300 करोड़ रु. के आयात शुल्क की छूट दिये जाने की मांग की गई थी।

मेरा यह कहना है कि सलाहकार द्वारा दिये गये कारणों से सरकार, इसके मंत्रियों और अधिकारियों की निष्ठा के बारे में कई प्रश्न खड़े हो गए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन है कि सत्यनिष्ठा और राष्ट्रीय चरित्र के हित में यह उचित होगा कि एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए ताकि इस मामले की गहराई से जांच की जा सके और सच्चाई सामने आ सके और लोगों को पता चले कि यह सरकार किस प्रकार काम कर रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, यह आरोप इतने गम्भीर स्वरूप का है ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देने को तैयार हूं ...*(व्यवधान)* मैं जवाब देना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया पहले वित्त मंत्री को उत्तर देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए। पहले वित्त मंत्री को उत्तर देने दीजिए। उसके पश्चात् मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया सभा में नियमों का पालन कीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: पहले वित्त मंत्री महोदय हमारी बात सुने और उसके पश्चात् वह उसका जवाब दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, यह ठीक नहीं है। जब अध्यक्ष खड़े हों तो आपको अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। पहले वित्त मंत्री को स्पष्ट करने दीजिए अब मंत्री जी बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: इन्हें पहले हमारी बात सुननी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझने का प्रयास कीजिए कि माननीय सदस्य श्री शिव शंकर, जो इस सभा में कांग्रेस दल के उपनेता हैं, ने इस मामले को उठाया है। पहले वित्त मंत्री को उत्तर देने दीजिए। उसने बाद में आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमारी बात सुनने के पश्चात् उन्हें जवाब देना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वित्त मंत्री के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बाद में बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बाद में बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने मंत्री महोदय को बोलने को कहा है। आप कृपया बाद में बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मंत्री महोदय को पहले बोलने दीजिए।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): अध्यक्ष महोदय, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप माननीय सदस्य श्री शिव शंकर द्वारा उठाए गए मामले को किस प्रकार निपटाने का निर्णय करते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: आपको पहले हमारी बात सुननी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष जी, हम लोगों की बात पहले सुनिए। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, कृपया बैठ जाइए।

श्री यशवन्त सिन्हाः अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता हैं कि आप माननीय सदस्य श्री शिव शंकर द्वारा उठाए गए मामले पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और इसे किस रूप में लेते हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियनः आप हमें बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी के उत्तर के पश्चात् मैं सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री यशवन्त सिन्हाः जो कुछ श्री शिव शंकर जी ने कहा है उसे मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। श्री शिव शंकर ने मेरे पूर्व सलाहकार श्री मोहन गुरुस्वामी द्वारा विभिन्न संचार माध्यम के जरिए लिखे अथवा कहे गए कई मुद्दों की व्याख्या की है। क्योंकि आज सभा में यह मामला बहुत वरिष्ठ और प्रतिष्ठित माननीय सदस्य श्री शिव शंकर द्वारा उठाया गया है, इसलिए मैंने उचित समझा कि मुझे इन मुद्दों का जवाब देना चाहिए और मेरी इस मामले के बारे में क्या राय है, सभा को मालूम होना चाहिए। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह कुछ क्षणों के लिए मेरी बात सुने और उसके बाद निर्णय करे। मैं हर प्रकार से जैसा आप चाहते हैं जवाब देने को तैयार हूं। मैं इस मामले पर सभी सदस्यों की बात सुनने को तैयार हूं। यदि आप इस पर चर्चा चाहते हैं तो हम चर्चा करने के लिए भी तैयार हूं क्योंकि जैसाकि मैंने कहा है मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री अजीत जोगी, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री यशवन्त सिन्हाः अध्यक्ष महोदय, श्री शिव शंकर ने श्री गुरुस्वामी का मंत्रालय के एक अधिकारी ने रूप में उल्लेख किया है। वह मंत्रालय के अधिकारी नहीं है। वह किसी निर्मित संवर्ग से सम्बद्ध नहीं है। उन्हें वित्त मंत्री के परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। कृपया मुझे इसे स्पष्ट करने दीजिए। वह व्यय विभाग में वित्त मंत्री के सलाहकार थे। अब मैं श्री शिव शंकर द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देता हूं जहां तक मुझे याद है मैं यहां इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार होकर नहीं आया हूं। लेकिन मुझे आपको यह बताने दीजिए। महोदय श्री गुरुस्वामी द्वारा उठाए गए मुद्दों को तिरस्कारपूर्वक छोड़ देना चाहिए। कैसे? आज इस सभा में एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर मैंने दिया, जो अतारांकित होने के कारण श्री शिवशंकर और अन्य माननीय सदस्यों के ध्यान में नहीं आया है। यह प्रश्न बीएटी–आईटीसी शेयर हस्तांतरण के संबंध में था और प्रश्न का उत्तर यह है कि यूटीआई को इस संबंध में ब्रिटिश अमरीकन तम्बाकू कम्पनी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और यू टी आई द्वारा 'बेट' को शेयरों के हस्तांतरण के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। यह रिकार्ड में है क्योंकि मैंने अतारांकित प्रश्न का जवाब दिया है। ...*(व्यवधान)* अब यह सत्य है।

मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं यहां दिए गए प्रत्येक सुझाव का जवाब दूंगा। यह बात पूरी तरह से बेबुनियाद है कि यू.टी.आई. 'बेट' को शेयरों का हस्तांतरण करना चाहती है तथा आई.टी.सी. में अनुचित ढंग से 'बेट' के प्रभुत्व को बढ़ाना चाहती है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। कोई प्रस्ताव नहीं है। यह मेरे पूर्व सलाहकार की कल्पना का परिणाम है। ...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगीः क्या यह आपका आशय है?

श्री यशवन्त सिन्हाः यह मेरा आशय है। यह इसलिए है क्योंकि श्री शिव शंकर ने श्री मोहन गुरुस्वामी के एक तरफा बयान को सुना है। और अब यह मेरा कर्त्तव्य बनता है कि मैं प्रश्न पुछूं। ...*(व्यवधान)* श्री शिवशंकर जी मैंने आपकी बात धैर्यपूर्वक सुनी है। कृपया दो मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दे। मंत्री जी को अपना उत्तर पूरा करने दें।

श्री पी. शिवशंकरः किंतु आपको अपने ही मामले में निर्णयकर्ता नहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* आप अपने मामले में निर्णयकर्ता नहीं हो सकते ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी को उत्तर देने दो।

श्री यशवन्त सिन्हाः महोदय मैं सादर निवेदन करता हूं कि जब श्री शिवशंकर बोल रहे थे तो हमने बाधा नहीं डाली थी।

हमने उन्हें उनकी बात कहने दी थी। मैं सरकार में मंत्री हूँ। यह मेरे पूर्व सलाहकार या परामर्शदाता से संबंधित है और क्या मुझे इस सभा में अपने विचार रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए? यदि सभा का यही मूड है तो मैं बैठ जाऊंगा; मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। किंतु यह अवश्य कहूँगा कि चाहे यह (बीएटी) के मामले में आईसीसी के संलिप्त होने का मामला है, फिर भी

यह विभिन्न इस्पात उत्पादों के न्यूनतम निर्धारित मूल्य का प्रश्न है जिनका निर्धारण विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा किया गया है।

प्रश्न यह है कि क्या मेरुदंड है या नहीं। श्री मोहन गुरुस्वामी के अनुसार जब मैंने उन्हें नियुक्त किया था केवल तब मेरा मेरुदंड सीधा था, शेष समय मेरा मेरुदंड झुका था।

मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो मैंने कभी नहीं कही। मैं इसे बड़े दु:ख के साथ कह रहा हूँ। वे कहते हैं कि श्री मोहन गुरुस्वामी के अनुसार वे अपना त्यागपत्र देने वाले थे और 27 जनवरी को मुझे भेजने वाले थे। मैं 27 जनवरी को दिल्ली में था, 28 जनवरी को मैं दिल्ली में था और 29 जनवरी को भी मैं दिल्ली में ही था। 29 जनवरी की रात या 30 जनवरी की सुबह मैं एक दिन की यात्रा पर डावोस गया था। मैं 30 जनवरी की सुबह रवाना हुआ था। उन सभी दिनों यह प्रसिद्ध त्यागपत्र मेरे पास नहीं पहुंचा। उसे मुझे नहीं दिया गया।

31 जनवरी की सुबह को श्री मोहन गुरुस्वामी विदेश संचार निगम लिमिटेड की प्रदर्शनी के लिए स्वयं विदेश गए जिसके लिए सरकार ने उन्हें पहले अनुमति दी।

सरल सा प्रश्न है कि जब श्री गुरुस्वामी एक कर्त्तव्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति है और यदि श्री मोहन गुरुस्वामी ने 27 जनवरी को अपना त्यागपत्र मुझे भेज दिया था तो वे 31 जनवरी को सरकारी कार्य के लिए विदेश क्यों गये? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं जो बात कह रहा हूँ वह यह है: ...*(व्यवधान)* मुझे बोलने दें ...*(व्यवधान)*

जिस जंजाल के बारे में श्री शिवशंकर ने कहा और जिस घोटाले के बारे में श्री अजित जोगी बात कर रहे हैं, उनका उल्लेख करते हुए मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ इसमें एक बर्खास्त व्यक्ति की हताशा के सिवाय कुछ नहीं है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: "सांच को आंच नहीं?" ...*(व्यवधान)* आप जांच कराइये। ...*(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: सांच को आंच कुछ नहीं है। ...*(व्यवधान)* रघुवंश जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आज इस सदन में खड़े होकर पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि अगर मोहन गुरुस्वामी द्वारा लगाये गये चार्ज का एक अंश भी मेरे खिलाफ या सरकार के खिलाफ साबित होता है तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, श्री लालू प्रसाद।

...*(व्यवधान)*

श्री एच.डी. देवेगौड़ा (हसन): मान्यता प्राप्त विपक्षी दल के उप नेता श्री शिव शंकर द्वारा उठाए गए मुद्दे में मैं कुछ बातें और जोड़ना चाहता हूँ।

जब आपने माननीय वित्त मंत्री को हस्तक्षेप करने और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देने की अनुमति दी तो मैं उनके उत्तर को बड़े गौर से सुन रहा था। उन्होंने उन सभी आरोपों का पूर्ण खंडन किया है जो समाचार पत्रों में छपे हैं। हम सरकारी फाइलों से संबंधित अभिलेख या दस्तावेज प्राप्त नहीं कर सके हैं। अत: हमें पत्रिकाओं में छपी रिपोर्टों या अन्य समाचार माध्यमों से प्राप्त रिपोर्टों पर ही निर्भर रहना पड़ा है।

मुझे केवल एक प्रश्न पूछना है। इस्पात का न्यूनतम निर्धारित मूल्य क्या है?

उनके अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय ने न्यूनतम निर्धारित मूल्य 245 रुपये नियत किया है। उस समय बाजार में एच आर कोपूल स्टील 190 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से उपलब्ध था। तब कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए इसे पलट कर 302 डालर प्रति मीट्रिक टन किया गया? क्या यह सत्य नहीं है? उन्हें सभी रिकार्ड सभा पटल पर रखने चाहिए या सभा में इसके बारे में सुविस्तृत चर्चा के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। मैं इस समय संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग नहीं कर रहा हूँ। पहले इस सभा में चर्चा हो, सरकार भी उत्तर दे। फिर यदि वह सभा महसूस करती है कि इस घोटाले के लिए संयुक्त संसदीय समिति की आवश्यकता है तो हम इसके लिए कह सकते हैं। उनका कहना है कि इस मामले में 5000 करोड़ रुपये की राशि संलिप्त है। मैं बढ़-चढ़कर छपी रिपोर्टों के आधार पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, किंतु मेरा कहना है कि दो-ढाई महीने में लगभग 1000 करोड़ रुपये का चूना लगा है। मैं नहीं जानता कि क्या कहा जाए। क्या इसे घोटाला कहा जाए या कुछ पैसे का चूना लगाया गया कहा जाए, यह अत्यंत गंभीर मामला है। मैं माननीय मंत्री की बात का विरोध नहीं कर रहा हूँ। किंतु इस पर सभा में विस्तार से चर्चा

हो। कृपया इसके लिए समय आबंटित करें। यह जनता का पैसा है। यह किसी का निजी पैसा नहीं है जो उसे बहाया जाए। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। इस पर चर्चा हो। जैसा कि कांग्रेस पार्टी के उपनेता ने अनुरोध किया है कि सदन के नेता के साथ परामर्श कर समय आबंटित किया जाए। इस पर विस्तार से चर्चा हो, उसके बाद यदि उत्तर संतोषजनक न हो और यदि सभा चाहती हो तो उस मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराई जाए।

श्री यशवन्त सिन्हा: चूँकि एक बहुत वरिष्ठ सदस्य, एक पूर्व प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है अतः मैंने इसका उत्तर देना उचित समझा है। मैं इस बात का उल्लेख इस सभा में नहीं करना चाहता था किंतु श्री देवगौड़ा ने मुझे एक पत्र लिखा था। वे मेरे ध्यान में उन बातों को लाए जिनका उन्हें विश्वास था कि हो रही है और मैंने उनके पत्र का तुरन्त उत्तर दिया है और जो कुछ सरकार ने किया था उसको परिप्रेक्ष्य में रखते हुए उत्तर दिया।

मेरे सहयोगी माननीय इस्पात और खान मंत्री मेरे बगल में बैठे हैं। यह सर्वविदित है कि भारतीय इस्पात उद्योग को इस्पात व अन्य वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। यह भी सर्वविदित है इस्पात के मूल्यों में गिरावट के कारण हमने इसका आयात करना शुरू किया *...(व्यवधान)* मुझे इस बात को स्पष्ट करने दें। मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ। मैं इस मामले की किसी से भी जांच कराने के लिए तैयार हूँ।

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा): मैंने नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव दिया है। *...(व्यवधान)*

श्री यशवन्त सिन्हा: मुझे यह बात स्पष्ट करने दें कि जो मुद्दा श्री देवगौड़ा ने उठाया है उसका कोई आधार नहीं है। *...(व्यवधान)* मुझे अपनी बात कहने दें क्योंकि एक प्रश्न उठाया गया है। इस बात को सारी दुनिया सुन रही है। क्या मुझे अपनी बात नहीं कहनी चाहिए? क्या मीडिया में कल यह समाचार आना चाहिए कि श्री देवगौड़ा ने कहा है कि हजारों करोड़ रुपये का चूना लगाया गया है। उन्होंने मुझसे एक विशेष प्रश्न पूछा है और मुझे उसका उत्तर देने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुझे हर प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं किसी भी सदस्य को नहीं रोक रहा हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि यदि वे समझते हैं कि यह काफी गंभीर विषय है तो कृपया चर्चा के लिए समय निर्धारित करें क्योंकि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: *चूँकि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है अतः* हम चर्चा करने के लिए समय निर्धारित करेंगे।

श्री यशवन्त सिन्हा: जहां तक श्री देवगौड़ा द्वारा उठाए गए इस मुद्दे का संबंध है मूल्य वृद्धि मंत्री द्वारा नहीं की गई है जैसा श्री मोहन गुरुस्वामी ने कहा है। इस्पात और खान मंत्री और मेरी एक बैठक हुई थी। हमने इस न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर चर्चा नहीं की है बाद में इस्पात मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय ने विदेश व्यापार महानिदेशालय के साथ इस मामले को उठाया जिसकी अधिकारिता में यह मामला था और उन्होंने मूल्य निर्धारित किए। श्री मोहन गुरुस्वामी क्या कहते हैं? श्री मोहन गुरुस्वामी कहते हैं कि वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री और इस्पात व खान मंत्री को उत्तर देना चाहिए।

मूल्यों के निर्धारण में हमने कुछ नहीं किया है। इस्पात मंत्रालय द्वारा वाणिज्य मंत्रालय को की गई सिफारिश के आधार पर उन्होंने मूल्य निर्धारित किए हैं। इसमें छिपाने के लिए कुछ नहीं है।

महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि इसका निर्णय आप ही करे कि इस मामले में क्या कार्यवाही होनी चाहिए। इसके बारे में भी श्री शिवशंकर द्वारा उल्लेख किया गया है और उनका साथ श्री देवगौड़ा ने दिया था। सभा की इस मामले पर प्रतिक्रिया देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका निर्णय आप करें कि इसके बारे में क्या कार्यवाही होनी चाहिए। मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से कहता हूं कि हम हर बात के लिए तैयार है*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण कार्यमंत्रणा समिति में करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री कमलनाथ: महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आज 2.30 बजे है।

श्री कमलनाथ: महोदय, वह ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप इसका उचित रूप से निर्णय करें *...(व्यवधान)* वे सभा में चर्चा की बात कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, आपने एक परम्परा स्थापित की है कि जिन लोगों ने सूचनाएं दी है कि उन्हें बोलने की अनुमति

दी जाएगी। यह परम्परा आपने स्थापित की है। अब आप इसका उल्लंघन क्यों करते हैं? यह आपकी बनाई परम्परा है। आपने एक **परम्परा स्थापित की है कि जिन लोगों ने सूचनाएं दी हैं उन सभी को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कृपया अन्य लोगों को भी अपनी बात कहने की अनुमति दें। यह आपकी बनाई परम्परा है** ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. कुरियन यह किसी की परम्परा नहीं है। **यह सभा की परम्परा है।**

इस मामले पर चर्चा करने के लिए सरकार भी सहमत है। हम चर्चा के लिए समय का नियतन आज की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में करेंगे।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदय, शिवशंकर साहब इस हाउस के पुराने और सीनियर मेम्बर हैं। वह हल्की-फुल्की बात को नहीं उठा सकते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ: महोदय मैं बोलना चाहता हूँ ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप वाद-विवाद में भाग ले सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: आप इस मामले को अगर डिसकस कराएंगे तो छींटाकशी होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री लालू प्रसाद आप दूसरे मुद्दे पर बोलें। इस मुद्दे पर चर्चा समाप्त हो गयी है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: आप पूरे मामले को जे.पी.सी. में भेजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ...*(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि इस मामले को जे.पी.सी. में भेजा जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री लालू प्रसाद उस मुद्दे पर चर्चा समाप्त हो गयी है। अब दूसरी मद पर चर्चा होगी।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया) (उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी और विपक्ष के नेता का चर्चा के लिए सहमत होने के बाद इस मुद्दे पर आगे वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है। मेरे विचार से हमें चर्चा की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्री एच. डी. देवगौड़ा: मैं श्री चन्द्रशेखर से पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने यह नहीं कहा कि वित्त मंत्री ने दर निर्धारित की है मैंने केवल यह कहा कि निर्धारित दर ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमें विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री एच.डी. देवगौड़ा: मैं कोई आधारहीन बात नहीं कहना चाहता। जो कुछ उन्होंने कहा वह यह है कि इस्पात मंत्रालय द्वारा सिफारिश की गई थी और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा स्वीकार की गई थी। यही उन्होंने कहा था।

अध्यक्ष महोदय: श्री देवगौड़ा, आप इन सब बातों पर वाद-विवाद में चर्चा कर सकते हैं।

श्री एच.डी. देवगौड़ा: मेरा मत केवल यह है कि ...*(व्यवधान)* वाणिज्य मंत्रालय द्वारा

अध्यक्ष महोदय: श्री देवगौड़ा, आप इन सब बातों पर वाद-विवाद में चर्चा कर सकते हैं। अब मैं श्री के. येरननायडू को बुलाता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। इस मामले की जे.पी.सी. से जांच करानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने जब आपका नाम पुकारा, आपने एक अन्य मुद्दा उठा दिया। मैं आपको श्री येरननायडू के बाद बोलने की अनुमति दूँगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री के. येरननायडू का नाम पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

श्री अब्दुल हमीद (धूबरी): महोदय, मैं असम में हुई हत्याओं का मामला उठाना चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सबको अवसर दूँगा।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आंध्र प्रदेश के मछुआरा समुदाय से संबंधित मामले को आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। आंध्र प्रदेश में मछुआरा समुदाय से संबंधित 16 लाख से अधिक लोग हैं। इस देश में आंध्र प्रदेश को छोड़कर सब जगह मछुआरे अनुसूचित जनजाति की सूची में हैं। आंध्र-प्रदेश विधान सभा ने सर्वसम्मति से तीन बार निर्णय लिया और केन्द्र सरकार से मछुआरों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश की। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति की सूची में हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में नहीं हैं।

वे आंध्र प्रदेश में आन्दोलन कर रहे हैं। चूँकि यह मामला केन्द्र सरकार से संबंध रखता है, इसलिए मेरे तेलुगु देशम पार्टी और आंध्र प्रदेश के सभी संसद सदस्यों की ओर से मेरा अनुरोध है कि इस मद्दे को तत्काल उठाया जाना चाहिए ताकि आंध्र प्रदेश के मछुआरा समुदाय के साथ सामाजिक न्याय किया जा सके।

अपराह्न 12.44 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

इस मुद्दे पर आंध्र प्रदेश में पहले ही आन्दोलन आरम्भ हो चुका है। आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मेरा विनम्र निवेदन यह है कि उन्हें आंध्र प्रदेश में भी मछुआरों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए ताकि उनके साथ सामाजिक न्याय किया जा सके। ...*(व्यवधान)*

श्री अब्दुल हमीद: महोदय, असम में आठ लोगों की हत्या कर दी गई है, पाँच लोग लापता हैं और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह एक गंभीर मामला है, लेकिन असम सरकार अल्पसंख्यकों का संरक्षण करने में पूर्णतः असफल रही है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: उपाध्यक्ष जी, यह अन्याय हो रहा है। मंत्री जी जवाब दें।

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। पहले श्री हमीद को पूरा कर लेने दीजिए।

डा. शकील अहमद (मधुबनी): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस मैटर है, 8 लोग मारे गये हैं। मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी अफेअर्स यहां बैठे हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल हमीद: महोदय, असम के निचले हिस्से में अल्पसंख्यकों की हत्या रोजाना की घटना है। असम सरकार पूर्णतः असफल हो गई है और केन्द्र सरकार ने बोडो उग्रवादियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है। असम का निचला हिस्सा बहुत संवेदनशील है और यहाँ रोजाना हत्या और अपहरण की घटनाएं हो रही हैं जिनका निशाना अल्पसंख्यक बन गए हैं। लेकिन माननीय गृहमंत्री ने कोई कार्यवाही नहीं की है। जब बिहार में इस तरह की घटनाएं हुईं, तो केन्द्रीय मंत्रियों ने बिहार का दौरा किया था। लेकिन असम में, जहां अल्पसंख्यकों को योजनाबद्ध तरीके से मारा जा रहा है, किसी केन्द्रीय मंत्री ने अब तक उस स्थान का दौरा नहीं किया है। यह क्या है? यह केवल कानून तथा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह एक गंभीर मामला है। हत्याओं की घटनाएँ होना रोजाना की बात हो गई है लेकिन केन्द्र सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। यह एक गंभीर मामला है। जब बिहार में कुछ हुआ, तो केन्द्रीय मंत्रियों को दौरे के लिए भेजा गया, लेकिन असम के मामले में किसी को नहीं भेजा गया ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): सरकार को इस संबंध में वक्तव्य देने दीजिए. ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, मैंने विपक्ष के माननीय नेता को बोलने का अवसर दिया है।

श्री शरद पवार (बारामती): असम के एक माननीय सदस्य द्वारा एक गंभीर मामला उठाया गया है। अल्पसंख्यकों, दलितों और जनजातीय लोगों पर हमले हो रहे हैं। मेरे विचार में यह एक सही समय है कि सभा में कुछ निश्चित वक्तव्य दिया जा सकता है। सभा के लिए इस बात को जानना उचित है कि वहाँ वास्तव में क्या हुआ था और वास्तव में सरकार क्या करना चाहेगी ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): महोदय, वह नहीं चाहते हैं कि मैं उत्तर दूं। मैं पता लगवाना चाहता हूँ लेकिन वह नहीं सुन रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः श्री बनातवाला, वह कुछ प्रतिक्रिया जाहिर करना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ। क्या आप बैठेंगे? क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? क्या आप नहीं चाहते कि वह अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः इस तरह की कोई बात कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जाएगी।

...*(व्यवधान)**

श्री पी.आर. कुमारमंगलमः महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। विपक्ष के नेता तथा अन्य सदस्य उस बात को सभा के ध्यान में लाये हैं जिसे वह बहुत गंभीर स्थिति समझते हैं। मैं इस बात को माननीय गृह मंत्री के ध्यान में लाऊँगा। मुझे विश्वास है कि फिर मैं सभा में वापस आऊँगा ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा): यह सही नहीं है। यदि आपको याद हो, तो पिछली बार पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति के संबंध में चर्चा की गई थी।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में धारा 356 लागू हुये 15 दिन हो गये हैं। धारा 356 के मामले में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलटः यदि आपको याद हो, इस सभा में पूरा एक दिन चर्चा हुई थी। हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा की थी और गृह-मंत्री ने यह कहा था कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एक संसदीय समिति भेजेंगे। उन्होंने ऐसा पिछले सत्र में कहा था लेकिन अभी तक उन्होंने कोई समिति नहीं भेजी है।

उपाध्यक्ष महोदयः विपक्ष के नेता, श्री राजेश पायलट यह बात सरकार के ध्यान में लाये हैं।

श्री राजेश पायलटः यह बात इस मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाने के संबंध में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदयः आप पूरे पूर्वोत्तर के संबंध में बात कर रहे है। यह पूरे पूर्वोत्तर के संबंध में नहीं है। पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले एक माननीय सदस्य ने पहले ही इस बात का उल्लेख किया है और सरकार ने इसे नोट किया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसादः उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में धारा 356 लगाने के विषय पर दो दिन लोक सभा में चर्चा हुई। चर्चा के बाद ये इस प्रस्ताव को राज्य सभा में नहीं ले जा रहे हैं जहां इनका हारना निश्चित है। कल भी हम लोगों ने इस बारे में सवाल उठाया था। हमको शंका है कि ये आर.एस.एस. के शासन को वहां बिहार में बरकरार रखना चाहते हैं। हमने इस सवाल को बार-बार उठाया कि हम सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। अभी तक केन्द्रीय मंत्रियों के जो बयान आ रहे हैं, वे परस्पर-विरोधी बयान आ रहे हैं। अलाई कुछ बोलता है, भाई कुछ बोलता है। कोई सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करता है। ये सारी मान्यताओं को और भारत के संविधान को, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को रौंदना चाहते हैं। आज स्पीकर साहब ने प्रश्नकाल में कहा कि हम मंत्री से पूछेंगे और उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री को हम प्रताड़ित करेंगे कि किस तारीख को राज्य सभा में लाना चाहते हैं। राज्य सभा नहीं चल रही है। सारे देश में और चारों तरफ असमंजस की स्थिति है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्यों कतरा रही है, सरकार क्यों भाग रही है। गवर्नर ने ऐडमिट किया है कि हम आर.एस.एस. के हैं। क्या आर.एस.एस. के शासन को वहां लगाना चाहते हैं, व्यवस्था को डिस्ट्राय करना चाहते हैं? महोदय, रोज वहां मार-काट चल रही है। सी.पी.आई. के नेताओं की समस्तीपुर में हत्या की गई। चारों तरफ सैकड़ों लोग मारे गए। तीन-तीन नरसंहार हुए। दबे-कुचले और पिछड़े लोगों को ऊंची जाति के लोग मार रहे हैं। चारों तरफ यह स्थिति पैदा की है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि यह राज्य सभा में कब लाना चाहते हैं? अगर नहीं लाना चाहते तो क्यों नहीं लाना चाहते हैं? क्या कारण है, कौन सा दबाव है जो नहीं लाना चाहते हैं? ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): **यह ऊंची जाति नीची जाति क्या होता है?** ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ जी, आप शांति से बैठिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: शकुनी जी, आप क्यों हमारी तरफ से ही बोल रहे हैं? मुझे बोलने दीजिए। हमारी बात भी नहीं मानेंगे क्या? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साधारणत: हमारे नियमों के अनुसार जो मामले दूसरी सभा में विचार के लिए जाते हैं, उन पर इस सभा में चर्चा नहीं की जानी चाहिए। तथापि ...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, मंत्री महोदय का तर्क गलत है। यह केवल दूसरी सभा का मामला नहीं है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: महोदय, यह हस्तक्षेप करने का तरीका नहीं है। इनमें इतना भी शिष्टाचार नहीं है कि वह मुझसे पूछे कि मैं उनसे सहमत होऊँगा अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. कुरियन, मंत्री महोदय सहमत नहीं है।

प्रो. पी.जे. कुरियन: वह सहमत है और बैठ गए हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: उन्होंने मुझसे सहमत होने का अनुरोध ही नहीं किया है। इस सभा में क्या हो रहा है?

प्रो. पी.जे. कुरियन: चूँकि मंत्री महोदय बैठ गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि वह मान गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. कुरियन, मैंने आपको बता दिया था कि वह सहमत नहीं थे।

प्रो. पी.जे. कुरियन: यदि वह मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं बैठ जाऊँगा।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: यदि मैं कहूँ ...*(व्यवधान)* महोदय, आपकी अनुमति से, चूँकि मेरे मित्र कुछ कहना चाहते हैं, मैंने उनसे केवल इतना पूछने का अनुरोध किया था कि क्या आप सहमत हैं—केवल एक शब्द? यह प्रक्रिया है। मैं केवल इस प्रक्रिया का पालन करना चाहता हूँ। आप मुझसे सहमति लेने के लिए क्यों नहीं पूछते हैं? ...*(व्यवधान)* **मैं अब सहमत हूँ** ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री फातमी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री ई. अहमद, यह क्या है? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, वह मान गए हैं। शून्य-काल समाप्त होने वाला है। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि यह एक मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस संसदीय प्रक्रिया के अनुसार चलना चाहिए। यह संसदीय प्रक्रिया नहीं है, जब मंत्री जी बात कर रहे हैं, तो यह बीच में क्यों बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वीरेन्द्र सिंह, क्या आप बैठेंगे? मैं बोल रहा हूँ।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: **श्री त्रिपाठी जी, यह सब क्या है? कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूँ। हाउस में यह क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इस सभा के कुछ अपने नियम हैं। वे प्रो. पी.जे. कुरियन की बात मान गये हैं जैसे ही वे कुछ कहते हैं, आप उन्हें**

तंग करना शुरु कर देते हैं। मुझे बताइए, मैं इस सभा को कैसे संचालित करूं।

...(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन: उपाध्यक्ष महोदय, सरकार यह कहने की कोशिश कर रही है मानों हम राज्य सभा की कार्यसूची को उठाने की कोशिश कर रहे हों। *...(व्यवधान)* कल भी इस सभा में ऐसा ही तर्क दिया गया था। मेरा विनम्र निवेदन है कि यह राज्य सभा का प्रश्न नहीं है बल्कि यह सरकार के संवैधानिक दायित्व निभाने से संबंधित प्रश्न है। अगर सरकार संवैधानिक दायित्व निभाने में असमर्थ है तो इस सभा को यह अधिकार है कि वह प्रश्न पूछे और स्पष्टीकरण मांगे। इसलिए सरकार को इसे यह कहकर नहीं छोड़ना चाहिए कि 'यह राज्य सभा का मामला है।' *...(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): संवैधानिक दायित्व क्या है? आप कृपया स्पष्ट करें। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको जी कृपया जल्दी करें। हमारे पास समय नहीं है। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

...(व्यवधान)

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने अच्छे मित्र, विपक्ष के मुख्य सचेतक का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने यह कहा कि इसका दूसरे सदन में उठाई जा रही कार्यसूची से कुछ लेना देना नहीं है बल्कि यह एक सांवैधानिक मर्यादा की बात है। वे मानते हैं कि इस समय संविधान का उल्लंघन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यह आवश्यक है कि मैं अनुच्छेद 365 को उनके ध्यान में लाऊं। अगर उनकी अनुमति हो तो मैं उनको यह पढ़कर सुनाऊं क्योंकि अगर यदि वे तकनीकी दृष्टि से बात करना चाहते हैं, तो हमें यह भी पता चलना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): आप अनुच्छेद 356 पढ़ना चाहते हैं या अनुच्छेद 365?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: यह अनुच्छेद 365 है। जोगी जी, मैं जानता हूँ कि इन मामलों में आप काफी होशियार हैं। *...(व्यवधान)*

महोदय, मैं, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम सभी एक हैं क्योंकि हम एक ही सदन के सदस्य हैं। हम एक दूसरे से अनुमति ले सकते हैं, दे सकते हैं तथा इस सभा की कार्यवाही बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं। हम सभी मित्र हैं। जब हम केन्द्रीय कक्ष में होते हैं तो हम सबसे अच्छे मित्र होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: हमें यहां भी मित्र बनकर रहना चाहिए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: हां, यहां मित्र क्यों नहीं बन सकते?

महोदय, अनुच्छेद 365 में कहा गया है *...(व्यवधान)* मुझे खेद है कि यह अनुच्छेद 356 है।

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): अब आप कह रहे हैं कि आप अनुच्छेद 356 को उद्धृत कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: जी हाँ। मुझे खेद है। मैं शुद्धि के अध्यधीन हूँ। *...(व्यवधान)* अनुच्छेद 356(3) बहुत स्पष्ट है। इसमें निश्चित रूप से यह कहा गया है:

> "इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी सिवाय वहाँ जहाँ पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहेगी।" मैं दुहराता हूँ .....प्रवर्तन में नहीं रहेगी बशर्ते कि दो मास की समाप्ति पर, इस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसे अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है।"

अपराह्न 1.00 बजे

इस अनुच्छेद के पहले भाग में कहा गया है "इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।" संविधान की यह आवश्यकता पूरी की जा चुकी है।

फिर इसमें कहा गया है कि वह दो माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले इसे संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है।

यह बहुत स्पष्ट अनुच्छेद है। संविधान के इस उपबंध से कोई समस्या नहीं है।

12 फरवरी को राष्ट्रपति ने उद्घोषणा जारी की थी। 12 फरवरी से दो महीने की अवधि हो गई है। मैं समझता है कि हम सभी तारीखें गिन सकते हैं। आज 5 मार्च है। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण): हम यह समझ चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि अगर आपमें से कोई मुझे रोकना चाहता है तो कृपया मुझे कहें, मैं बैठ जाऊंगा। परन्तु जब मैं बोल रहा होऊँ तो मुझे पूछे बिना यह न करें।

उपाध्यक्ष महोदय: आप नहीं चाहते कि जब हस्तक्षेप किया जाये तो मेरी मदद ली जाये।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: बात यह है कि जब आप मुझे बोलने के लिए कहते हैं तो मुझे बोलने के लिए दिया गया अवसर मेरा विशेषाधिकार हो जाता है। मुझे यह अधिकार दिया जाना चाहिए। इसे छीना नहीं जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: जी हाँ, अधिकार आपके पास रहेगा। कोई इसे नहीं ले सकता है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: संवैधानिक दृष्टि से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। मैं यही बताना चाहता हूँ। परन्तु तथ्य यह है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम संविधान के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। मैं इस सभा, विशेषकर अपने वरिष्ठ नेता श्री लालू प्रसाद जी को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करेगी या संविधान के उपबंधों के विरुद्ध नहीं जाएगी। हम भी राजनैतिक गरिमा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। मैंने यह तथ्य उच्च सदन को बता दिया है। मुझे इसका जिक्र करना पड़ रहा है क्योंकि इस मामले को निपटाया जाना क्योंकि 8 तारीख को चाहिए। सरकार के निर्णय की घोषणा की जाएगी और उस तारीख पर हम यह घोषणा करेंगे कि हम यह कब इसे लाएंगे या हम क्या कदम उठाएंगे और मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूँ कि हम किसी भी हालत में इसके खिलाफ नहीं जाएंगे चाहे यह राजनैतिक गरिमा की बात हो। विपक्ष ने इस सदन में इसे बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वे उन संकल्पों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें हम अनुमोदन के लिए लाते हैं तथा वे इस बारे में भी काफी स्पष्ट हैं कि उन्होंने यह क्यों किया था। उनके विचार से वे इसके परिणामों से चिन्तित नहीं है। परन्तु यह सुसंगत नहीं है। संगत बात यह है कि क्या इस सदन के किसी भी सदस्य के लिए यह महसूस करना आवश्यक नहीं है कि वह किसी तरह से असुरक्षित है कि हम न तो राजनैतिक गरिमा और न ही संवैधानिक उपबंध का ही अनुपालन करेंगे। वास्तव में, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि हमें इसे प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है। राज्य सभा तारीख जानना चाहती है। हमने कहा कि हम इसकी घोषणा 8 तारीख को करेंगे और वही होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम अगला मुद्दा उठाएंगे।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जो बोल रहे हैं, इनको पढ़ने के लिए ...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): उपाध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय कह रहे हैं वह तो मामले को टालने का प्रयास है। इसीलिए जो राज्य सभा की बी.ए.सी. की मीटिंग हुई उसमें भी इन्होंने वही कोशिश की। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.04 बजे

इस समय श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी जी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया सभी सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

अपराह्न 1.04$^{1}/_{2}$ बजे

इस समय श्री सुरेंन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. कवाडे, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी, एवीएसएम: उपाध्यक्ष महोदय, बिहार पर मतदान के समय जो बोगस वोटिंग हुई थी। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सभा की बी.ए.सी. ने भी इसे टालने की कोशिश की है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब यह सभा अपराह्न 2.05 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न दो बजकर पाँच मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.11 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजकर ग्यारह मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री कोनिजेटी रोसैया (नरसारावपेट): महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। एक समय जब सदन में देश के विभिन्न भागों में दलितों पर होने वाली ज्वलंत समस्या पर चर्चा हो रही है वहीं ऐसी ही घटना आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में गुराजाला गांव में 2 मार्च, 1999 को हुई थी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: 'शून्य काल' समाप्त हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। ...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव (मछलीपटनम): यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

श्री कोनिजेटी रोसैया: यह घटना आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में गुराजाला गांव में 2 मार्च, 1999 को हुई थी जिसमे पांच व्यक्तियों को गंभीर चोट और तीन अन्य व्यक्तियों को भी चोट आई थी। अम्बापुरम गाँव के रहने वाले ये दलित तेलुगू देशम पार्टी के कार्यकर्ताओं के राजनैतिक घृणा के शिकार थे ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): हम यह स्वीकार नहीं करते। यह सच नहीं है। माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कोनजेटी रोसैया: यह कोई वक्तव्य नहीं है। यह एक अखबारी रिपोर्ट है। वे इसे इन्कार कैसे कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू: माननीय गृह मंत्री ने आंध्र प्रदेश राज्य की यह कहकर प्रशंसा की है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी है। माननीय गृह मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था और पूरा सदन यह जानता है। यह एक तथ्य है।...*(व्यवधान)*

श्री कोनिजेटी रोसैया: दलितों पर हो रहे इन सभी अत्याचारों के लिए आपकी पार्टी जिम्मेवार है। यह एक अखबार में छपी रिपोर्ट है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रोसैया जी, आपकी बात पर मंत्री जी गौर कर चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री कोनिजेटी रोसैया: मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अखबारों में छपी रिपोर्ट को देखिए।

श्री के. येरननायडू: हमने इसका कई बार विरोध किया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। आपने जो कुछ कहा है उस पर मंत्री जी गौर कर चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री कोनिजेटी रौसैया: पहले, 30 दिसम्बर, 1998 को अम्बापुरम के बृजनवाड़ा पर हमला किया गया था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री कोनिजेटी रोसैया: यद्यपि पुलिस ने मामला दर्ज किया था फिर भी 2 फरवरी, 1999 तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री रोसैया जी कृपया बैठ जाइए।

श्री के. येरननायडू: आपको हमें संरक्षण देना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब मद संख्या 12, श्री जेठमलानी

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप यह कह चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): महोदय, मैं अत्यन्त गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री कुरियन, मैंने मंत्री महोदय को पहले ही बुला लिया है

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैंने मंत्री जी को बुलाया है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर): दिल्ली के अंदर मैडिकल कॉलेज के दलित विद्यार्थियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जोगेन्द्र जी, आप बैठिए। सोमवार को बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

प्रो. पी.जे. कुरियन: महोदय, यह ऐसा मामला है जिसे कल तक स्थगित नहीं किया जा सकता है। महोदय, दिल्ली में, आर.के. पुरम के निकट जड़ेदा गाँव नामक एक गाँव है इसे सेना द्वारा ढहाया जा रहा है। ढहने का काम चालू है और 65 झुग्गियों को पहले ही हटाया जा चुका है। जाहिर है कि भूमि के लिए विवाद है। गांव के लोग पिछले 40 वर्षों में वहां पर रह रहे हैं। ...*(व्यवधान)* उनके राशन कार्ड भी बने हुए हैं। मैं तो सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि इस कार्यवाही को रोकने के लिए कुछ किया जाए। चूंकि रक्षा मंत्री यहां उपस्थित नहीं है उन्हें यहाँ आने दीजिए और स्थानीय विधायकों और लोगों को उनसे निवेदन करने दीजिए। उनकी बात सुनने के पश्चात् सरकार अंतिम निर्णय ले सकती है। लेकिन अभी इसे रोका जाए क्योंकि गांव के लोग (ग्रामीण) रो रहे हैं और उनमें से कई बाहर आ गए हैं सम्बद्ध विधायक मुझसे मिले थे और वे लोग भी वहां उपस्थित थे। वे चाहते थे कि मैं यह मामला यहां उठाऊं। मैं संसदीय कार्य मंत्री अथवा शहरी विकास कार्य मंत्री जो यहां उपस्थित है से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें और इन गरीब लोगों को बचाने के लिए कुछ करें।

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): महोदय, मैं समझता हूं कि संबंधित विधायक ने पहले ही अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिया है और आज सुबह ही वे प्रधानमंत्री से भी मिले हैं। मैं रक्षा मंत्री को अपने मित्र और सदन की टिप्पणियों से अवगत करा दूँगा।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.19 बजे

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन विधेयक

[अनुवाद]

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): महोदय, मैं नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 का निरसन करने वाले विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, इसे वापस लेने की विपक्ष को औपचारिक सूचना दी गई है।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन ने सूचना दी है लेकिन वह यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री राम जेठमलानी: महोदय, यह विधेयक वापस लिया जा रहा है क्योंकि यह विधेयक स्थायी समिति को भेजा गया था और समिति ने एक मत प्रतिवेदन दिया है जिसे हमने अत्यन्त आदर सहित स्वीकार कर लिया है। यह विधेयक संशोधित किया गया है और संशोधित विधेयक आज की कार्यसूची के मद संख्या 14 के रूप में दिया गया है। अत: पुराने विधेयक को वापस लिया जा रहा है।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का निरसन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम जेठमलानी: मैं विधेयक वापस लेता हूँ।

सभापति महोदय: अब मद संख्या 14 लेते हैं।

श्री राम जेठमलानी: महोदय, मैं नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम 1976 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम जेठमलानी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.22 बजे

कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

कम्पनी संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सदन कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन और कम्पनी (संशोधन) विधेयक संबंधी मद संख्या 19 और 20 पर विचार करेगा।

श्री राधाकृष्णन – अनुपस्थित।

मंत्री महोदय।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई): महोदय, पिछले सत्र में मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर पहले ही दे दिये थे। लेकिन मैं इस विधेयक पर संक्षिप्त टिप्पणी करूंगा और उसके पश्चात् विधेयक को खण्डवार विचार और पारित करने के लिए लिया जाएगा।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, मद संख्या 19 का क्या हुआ?

डा. एम. तम्बी दुरई: महोदय, इसे पिछले सत्र में ही खण्डवार विचार के लिए लिया जा चुका था ...*(व्यवधान)*

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): महोदय आपकी अनुमति से मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा। मद संख्या 19 और 20

[श्री पी.आर. कुमारमंगलम]

पिछले सत्र के दौरान आए थे लेकिन गणपूर्ति के अभाव में हम इसे पूरा नहीं कर पाए थे। *यह खण्डवार विचार किये जाने की प्रक्रिया में था। पिछला सत्र 1998 में था और अब 1999 है अत:* इसमें तिथियों में संशोधन के औपचारिक संशोधन है जिन्हें किया जाना होगा। वह इतना करना है। यह अब खण्डवार विचार की प्रक्रिया में है। यदि मंत्री महोदय औपचारिक संशोधन के बारे में कुछ लाना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं और हम प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। हम इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं।

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर): नहीं महोदय, यह एक नया अध्यादेश है और हमें इस पर आपत्ति करने का पूरा अधिकार है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें इस अध्यादेश पर आपत्ति करने का पूरा अधिकार है और वह एक अलग कहानी है। लेकिन मद संख्या 20 अध्यादेश का विकल्प नहीं है बल्कि अपने आप में एक विधेयक है। पिछली बार जो हुआ था वह सदन में गणपूर्ति के अभाव के कारण हुआ था हम मतदान प्रक्रिया पूरी नहीं करा पाए थे। और चूंकि वह सत्र का अंतिम दिन था यह निर्णय लिया गया था कि हम इसे अगले सत्र में पूरा करा सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री वी.वी. राघवन: प्रत्येक सदस्य को इसका विरोध करने का अधिकार है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: यदि वे चाहते हैं तो मद संख्या 19 को लिया जा सकता है लेकिन साधारणतया मद संख्या 19 और 20 को एक साथ लिया जाता है।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी (मदुरै): सांविधिक संकल्पों का निरनुमोदन अन्य मदों के साथ लेने की प्रथा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री वी.वी. राघवन।

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 1999 को प्रख्यापित कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत खेद है कि सरकार इस माननीय सदन की खिल्ली उड़ा रही है। *एक अध्यादेश को कितनी बार पुन: प्रख्यापित किया जा सकता है? यदि सरकार इस विधेयक* को पिछली बार पारित करना चाहती तो वे सत्र की अवधि को कुछ दिनों के लिए बढ़ा सकती थी और इस विधेयक को अच्छी प्रकार से पारित करा सकती थी।

इस सदन के स्थगित होने के पश्चात् कुछ नए खण्डों सहित एक अध्यादेश पुन: प्रख्यापित कर दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी की निगमित घरानों और एकाधिपत्य वाले घरानों द्वारा शेयरों को खरीदने और बेचने को प्रोत्साहन देने की उत्सुकता को भली भांति समझ सकता हूं। माननीय मंत्री जी ने उसके बारे में कहा था। लेकिन अध्यादेश को प्रख्यापित करने की क्या आवश्यकता थी?

वक्तव्य में कहा गया है और मैं उद्धृत करता हूं:

"निगमित क्षेत्र कठिन समय से गुजर रहा है। पूंजी बाजार में निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से पूंजी बाजार के मनोबल को बढ़ाने के प्रयासों की अविलम्ब आवश्यकता है। नए निवेशों में धनराशि की धीमी गति को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था में भी अन्त:-निगमित निवेशों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित बल प्रदान करने की आवश्यकता है।"

क्या अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए यह आवश्यक कारण है? खण्डों पर विस्तृत चर्चा करने के संसद के अधिकार को नजरअन्दाज करते हुए इसे प्रख्यापित किया गया है। सदन की बैठकें स्थगित हो गई थी और उसके पश्चात् विधेयक में नए खण्डों को जोड़ा गया था। पुन: इसे अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित किया गया। अत: यह विधेयक अब हम पर थोपा गया है। यह एक निर्विवाद सत्य है। सरकार ने खण्डों का पहले ही क्रियान्वयन कर दिया है।

हमारे देश में शेयर खरीदने और बेचने के कार्यों से शेयर बाजार में क्या हो रहा है? माननीय प्रधान मंत्री भी वह ब्यौरे प्राप्त नहीं कर पाए कि कितनी जाली कम्पनियों ने लोगों को और निवेशकों को लूटा है? आज के समाचार पत्र में कहा गया है कि चार सौ से अधिक जाली कम्पनियों ने प्रतिभूतियों का पूर्णत: जाली कारोबार किया और उनका कहीं पता नहीं है। लोगों को लूटने वाली और शेयर बाजार को लूटने वाली कितनी जाली कम्पनियां आ रही हैं?

हम हर्षद मेहता काण्ड को भूले नहीं हैं। और हर्षद मेहता के बाद कितनी कम्पनियां आई और चली गई? जनसाधारण का हजारों करोड़ों रुपया लूटा गया है। यू टी आई के मामले में भी *निधियां कहां चली गईं? माननीय मंत्री जी कृपया मुझे यह बताने* के लिए माफ करें। अविश्वसनीय एकाधिपत्य वाले घरानों ने

यू.टी.आई. की धनराशि को लूटा है। यह सभी चीजें आज क्यों घटित हो रही हैं? करोड़ों साधारण लोगों ने यू.टी.आई. में निवेश किया है और सभी स्थापित नियमों को ताक पर रखकर यू.टी.आई. की निधियों का एकाधिपत्य घरानों द्वारा उपयोग किया गया। 'सेबी' कहां थी? भारतीय रिजर्व बैंक कहां था? भारत सरकार कहाँ थी? आम निवेशकों का हजारों करोड़ रुपया प्रतिदिन कई कम्पनियों द्वारा लूटा जा रहा है।

मंत्री महोदय, क्या आप बताएंगे कि जाली प्रतिभूतियों के पश्चात् कितनी कम्पनियां भूमिगत हो गईं हैं? निगमित क्षेत्र को बचाने के लिए आपकी चिन्ता को मैं समझ सकता हूं। लेकिन हमारी चिन्ता यह है कि करोड़ों लोगों को इन बेईमान जाली कम्पनियों द्वारा प्रतिदिन लूटा जा रहा है। सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। अत: जब हम कम्पनी अधिनियम और इसके विभिन्न खण्डों के बारे में सोचते हैं तो क्या आप उन्हें अध्यादेश द्वारा हम पर लाद सकते हैं? अब, सरकार आती है और कहती है कि इसे क्रियान्वित किया जा चुका है और हमें इसे पारित करना चाहिए।

हमारे लिए यह किंकर्तव्यविमूढ़ता की स्थिति है। अध्यादेशों को एक बार नहीं कई बार प्रख्यापित किया गया है। पहला अध्यादेश अक्तूबर में आया था। तब सदन का सत्र चल रहा था। सरकार के लिए इस विधेयक पर चर्चा करने और इसे पारित करने के लिए हमें दो दिन और बैठने के लिए कहने में क्या परेशानी थी? इस विधेयक को पारित किये बिना सदन को स्थगित किया गया? आपने सोचा कि सत्रावसान होने दीजिए फिर हम अध्यादेश द्वारा इसे लागू करा देंगे। यह संसद की अनदेखी है। आप इसे कई बार कर चुके हैं। यदि सरकार संसद के प्रति गम्भीर है तो सदन को इसकी छानबीन करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। यदि यह विधेयक पारित नहीं होता है तो आज पुन: अध्यादेश लाएंगे। यह कोई छोटी अथवा साधारण बात नहीं है। लोगों का धन अन्तर्ग्रस्त है। यह बेरोकटोक चल रहा है। यह अभी भी जारी है। क्या यह उचित है कि धोखाधड़ी में शामिल कम्पनियों की संख्या माननीय प्रधान मंत्री के पास भी उपलब्ध नहीं है? माननीय प्रधान मंत्री ने सम्बद्ध प्राधिकारियों से तीन माह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा कि लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाली कम्पनियां कितनी हैं। तथ्यों को अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। एक समाचार पत्र ने कहा है कि माननीय प्रधान मंत्री को 'सेबी' तथा अन्य एजेन्सियों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई कि लोगों से धोखाधड़ी करने वाली कम्पनियां कितनी हैं और इसमें कितना हजारों और करोड़ों रुपया अन्तर्ग्रस्त है।

निगमित घरानों और एकाधिपत्य वाले घरानों की सहायता करने के लिए आपकी बेचैनी समझने योग्य है। लेकिन कृपया उन करोड़ों जनसाधारण के बारे में सोचिए जिनको लूटा गया है। क्या उनके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? यह अध्यादेश-कम्पनी (संशोधन) अधिनियम इन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। इसमें उनके निवेशों की सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं है। 'सेबी' काफी लम्बे समय से कार्य कर रहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। मुझे सरकार द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने पर आपत्ति है। ये सभी अविश्वसनीय और धोखे बाज कम्पनियां शेयर जारी करती हैं और लोगों को लूट रही हैं। यू टी आई फण्ड का भी यही मामला है।

माननीय वित्त मंत्री को इन चीजों के बारे में अब काफी चिन्ता हुई है। आखिरकार लोगों को पता चल गया है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री ने यू टी आई और अन्यों के लिए कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है। इनका क्या फायदा है? उन्हें गारन्टी देनी चाहिए कि अब बार-बार धोखाधड़ी नहीं होगी। कम्पनी अधिनियम, 'सेबी' नियमों आदि की गहनता से संवीक्षा की जानी चाहिए। कुछ सुरक्षोपाय होने चाहिए। उसके बाद ही आप यह सब कह सकते हैं। तत्पश्चात्, मैं आपके तर्कों से सहमत होऊंगा। लेकिन आप हम पर यह अध्यादेश एक निर्विवाद सत्य के रूप में लाद रहे हैं। धन लगाने वाले उन साधारण लोगों का ख्याल नहीं रखा गया है जिन्होंने धन निवेश किया है। उनको ठगा जा रहा है और यह ठगी चलती जा रही है। सरकार अध्यादेश प्रख्यापित करके ऐसे विधान को थोपकर संसद की अनदेखी कर रही है। यह संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धान्तों के खिलाफ है। सरकार बार-बार अध्यादेश प्रख्यापित कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बार बार अध्यादेश जारी करना उचित नहीं है।

सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी पालन नहीं कर रही है। अत: मैं सरकार द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का विरोध करता हूं। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस सांविधिक संकल्प को पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सभापति जी, हमें इस अध्यादेश पर बोलना है।

सभापति महोदय: कैसे बोलने दें, पहले मिनिस्टर को मूव तो करने दीजिए।

श्री राजो सिंह: कैसे मूव करने दें। हमारा नाम दिया हुआ है।

सभापति महोदय: पहले तो श्री राघवन ने रिजोल्यूशन पर बोला है। अब मिनिस्टर को बिल मूव करने दें।

श्री राजो सिंह: सभापति जी, यह नियम की बात है कि राघवन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने मूव किया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राजो सिंह जी, नियम है कि उसमें जो नाम दिये हुये हैं, उसके मुताबिक श्री राघवन को बुलाया है। उन्होंने अपना रिजोल्यूशन मूव किया है और अभी मिनिस्टर साहब बिल मूव करेंगे। उसके बाद आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री राजो सिंह: सभापति जी, पहले हम बोलेंगे, उसके बाद मिनिस्टर साहब मूव करेंगे।

सभापति महोदय: नहीं, ऐसा नियम नहीं है। पहले वे मूव करेंगे, उसके बाद आपको बुलाऊंगा। आप बैठिए। बिहार असेम्बली में दूसरा नियम है, यहां नियम दूसरा है।

[अनुवाद]

डा. एम. तम्बी दुरई: सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर आगे खण्ड वार विचार किया जाए।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 1999 को प्रख्यापित कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]]

श्री राजो सिंह: माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सांसद श्री राघवन ने अध्यादेश के बारे में अपने विचार इस सदन के सामने रखे। मैं उनका समर्थन करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर पार्लियामेंट और लोक सभा का निर्माण किस बात के लिए किया गया था। लोक सभा की ड्यूटी क्या है? हम लोगों का कर्त्तव्य कानून बनाना है। अगर एक निश्चित तिथि तक संसद की बैठक नहीं होगी तो जितने बिल हैं, हम वे पास नहीं कर सकते। सरकार को इस बिल को लोक सभा में न लाकर अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई?

सभापति जी, आप इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं। आपको जानकारी है। यदि हिसाब लगाया जाये तो यहां 1/3 बिल ही पास होते हैं, बाकी 2/3 बिलों को अध्यादेशों के जरिये काम चलाया जाता है। इस तरह सरकार जन-प्रतिनिधियों के साथ खिलवाड़ करती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1952 से लोक सभा की बैठकें किस किस वर्ष में कितनी हुई हैं। यदि दिन-ब-दिन बैठकें कम होती जायेगी तो भिन्न भिन्न विभाग कानून नहीं बना सकते हैं। जैसा अन्य सदस्यों ने कम्पनी कानून के अंतर्गत अध्यादेश को रद्द करने के लिए कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस सरकार को खतरा है, इसलिए अध्यादेश के जरिये अपने मन की बात करना चाहती है और इसलिए यह अध्यादेश लाई है। अभी आपने देखा कि दो-दो मंत्रियों ने अपने विभाग से संबंधित बिलों को वापस लिया है। जब यह बिल आया था, उस समय सदन के पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इस अध्यादेश को पसंद नहीं किया है। प्रसार भारती बिल को भी पसंद नहीं किया तो इनको लौटाकर ले जाना पड़ा। लोगों की भावनाओं को जानते हुए, लोगों की राय और सुझाव को मानते हुए भारत सरकार को बिल लाना चाहिए जिससे कि जनहित में वह उपयोगी साबित हो सके। इसलिए ऑर्डिनेन्स का विरोध करते हुए मैं इनको सलाह देना चाहता हूं कि आप जो आर्डिनेन्स के माध्यम से राजकाज चलाना चाहते हैं, उसको बंद करिये, लोक सभा की बैठक अधिक से अधिक दिनों तक करिये और जो माननीय सदस्य आपको सुझाव दें, उसके अनुकूल बिल को प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सभापति महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने इस बिल पर बोलने का मुझे मौका दिया। कंपनीज ऐक्ट भी इनका बहुत खराब है। अभी सुबह सदन के माननीय सांसद आदरणीय शिवशंकर जी ने जिन प्रश्नों को उठाया जिसका सारे सदस्यों ने समर्थन किया है और सरकार ने भी स्वीकार किया है, अगर इस तरह की बातें सदन में लाकर कानून बनाकर करें तो मैं समझता हूं कि इस तरह की कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी और सरकार पर किसी तरह का आरोप नहीं लगेगा। इसलिए मैं कानून मंत्री जी को सलाह देना चाहता हूं कि ऑर्डिनेन्स की प्रथा बंद करें और ऑर्डिनेन्स द्वारा सरकार चलाने की कृपा न करें। आप बिल लाइए। हमारा कर्तव्य है कि हम उस पर बहस-मुबाहिसा करके बिल पास कराएंगे।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां: महोदय मैं कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय: नहीं, आपका नाम नहीं है।

श्री सुनील खां: यह कार्य सूची में हैं।

सभापति महोदय: आपका नाम कार्य सूची में हैं। किंतु श्री वी.वी. राघवन ने इसे पहले ही पेश कर दिया है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (डा. एम. तम्बी दुरई): सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने अभी-अभी आपत्ति उठाई हैं कि सरकार ने किस प्रकार अध्यादेश जारी किया है और अब इस विधेयक को पारित करने का प्रयास कर रही है, सरकार का इरादा संसद की अनदेखी करना नहीं है। हमने इसे इरादतन भी नहीं किया है। पिछले सत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि हमने अध्यादेश क्यों जारी किया था। विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए हमने यह अध्यादेश जारी किया था। एक व्यापक विधेयक स्थायी समिति के समक्ष लम्बित है। स्थायी समिति द्वारा सभी आवश्यक खंडों को जैसे ही स्वीकृति मिलती है तत्पश्चात, इन्हें लिया जा सकता है।

अपराह्न 2.42 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन* हुए]

तथापि, जैसाकि माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कुछ नई कंपनियों का अभ्युदय हो रहा है। वे पैसा एकत्रित करते हैं और भाग जाते हैं। यह आशंका है। मंत्रालय इस तथ्य पर गौर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है कि हमारे देश में ऐसा न हो। जब कभी हमें शिकायत प्राप्त होती है हम तत्काल कार्यवाही करते हैं।

वास्तव में इस विधेयक में निवेशकों को सावधि जमा, शेयर और डिबेन्चर के मामले में किसी व्यक्ति के पक्ष में यह नाम-निर्देशन करने की सुविधा का प्रावधान है कि शेयर और डिबेन्वर किसके पास रहेंगे या निवेशक की मृत्यु की दशा में इसका लाभ किसे मिलेगा और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निगमित क्षेत्र कुछ अन्य अनुषंगी कंपनियों में निवेश कर सकें।

इसलिए मैं सभा से एक बार पुन: निवेदन करता हूँ कि कंपनी (संशोधन) विधेयक, 1998, जो उचित संशोधनों के साथ 7 जनवरी, 1999 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित कंपनी (संशोधन) अध्यादेश 1999 (1999 का संख्यांक 1) का स्थान लेगा, को विचार करने के लिया जाए और तदनुसार कंपनी (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाए।

सभापति महोदय: श्री राघवन सभा में उपस्थित नहीं हैं। इसलिए मैं श्री वी.वी. राघवन द्वारा पेश किए गए संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 1999 को प्रख्यापित कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 1) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 11

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 7, पंक्ति 12,-

"1998" के स्थान पर "1999" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

(डा. एम. तम्बी दुरई)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 11, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 और 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 14

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 9, पंक्ति 14 से 16,-

के *स्थान* पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित*

किया जाये:-

"परन्तु भारतीय चार्टर्ड अकाउण्टेंट संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा मानक, जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उपधारा के अधीन लेखा मानक विहित न किए गए हों, लेखा मानक समझे जाएंगे।" (4)

(डा. एम. तम्बीदुरई)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 14, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 15 और 16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 17

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 9, पंक्ति 30,-

"1998" के *स्थान* पर "1999" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (5)

(डा. एम. तम्बी दुरई)

सभापनि महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 17 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 9, पंक्ति 34,-

"1998" के *स्थान* पर "1999" *प्रतिस्थापित* किये जाएं।" (6)

(डा. एम. तम्बीदुरई)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 18, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 11, पंक्ति 2 से 9 का *लोप* किया जाए। (7)

पृष्ठ 12, पंक्ति 15 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अन्तःस्थापित* किया जाए:

"(ग) नियंत्री कंपनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व की समनुषंगी कंपनी को दिये गये किसी उधार:

(घ) नियंत्री कंपनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व की समनुषंगी कंपनी को दिए गए उधार के संबंध में दी गई किसी प्रत्याभूति या प्रदान की गई किसी प्रतिभूति; या

(ङ) नियंत्री कंपनी द्वारा अभिदाय, क्रय या किसी अन्य माध्यम से किए गए किसी अर्जन को, अपनी पूर्ण स्वामित्व की समनुषंगी कंपनी की प्रतिभूतियों को लागू नहीं होगी।" (8)

(डा. एम. तम्बीदुरई)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 13, पंक्ति 12 के *स्थान पर* निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाए:

"21(1) कम्पनी (संशोधन) अध्यादेश, 1999 इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।" (9)

(डा. एम. तम्बीदुरई)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 1, पंक्ति 2,-

"1998" *के स्थान पर* "1999" *प्रतिस्थापित* किया जाए।" (2)

(डा. एम. तम्बीदुरई)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

किया गया संशोधन:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

"उनचासवां" *के स्थान पर* "पचासवां" *प्रतिस्थापित* किया जाए। (1)

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

डा. एम. तम्बीदुरईः मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.51 बजे

वित्त (संख्या 2) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब हम मद संख्या 21 पर चर्चा करेंगे।

श्री आरिफ, मोहम्मद खां – अनुपस्थित

श्री पी.सी. थामस – अनुपस्थित

श्री मोहन सिंह – अनुपस्थित

श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी – अनुपस्थित

श्री वारकला राधाकृष्णन – अनुपस्थित

श्री राम नारायण मीणा – अनुपस्थित

अब मद संख्या 22—माननीय मंत्री जी विधेयक को विचारार्थ और पारित किये जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

यह विधेयक बिना किसी संशोधन के 1998 के वित्त (संख्या 2) अध्यादेश, 1999 (संख्या 20) का स्थान लेगा। मुद्दा काफी मामूली है। पिछले साल के बजट में मैंने कहा था कि हम कर समाधान स्कीम लागू करेंगे। हमने इसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया। इस दौरान, इसको दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई थी। उच्च न्यायालय ने नवम्बर महीने में फैसला दिया था। उच्च न्यायालय के उस आदेश को देखते हुए इस स्कीम का संशोधन किया गया था। कुछ अन्य संशोधन भी किए गए थे। उसे देखते हुए, स्कीम को बंद करने की तारीख 31 दिसम्बर, 1998 थी। इन परिवर्तनों द्वारा इस स्कीम में किए गए नए कदमों को देखते हुए हमने इसे एक अध्यादेश द्वारा 31 दिसम्बर 1999 तक बढ़ा दिया था। इस प्रकार अब यह इस सभा के समक्ष है। 31 जनवरी बीत चुकी है। यह स्कीम समाप्त हो चुकी है।

महोदय, मैं इस सभा से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को पारित करके अधिनियम का रूप दें। अब मैं इस अनुरोध के साथ यह विधेयक प्रस्तुत करता हूँ कि इस पर विचार करके इसे पारित किया जाए।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1998 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदयः अब यह सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदयः अब माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अगर यह सभा सहमत हो तो अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों पर चर्चा कर सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्यः जी हां।

सभापति महोदयः अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों पर चर्चा करेंगे।

श्री यशवंत सिन्हा: महोदय, कुछ मिनट बचे हैं। अगर यह सभा सहमत हो तो हम गोवा से संबंधित लेखानुदान को पारित कर सकते हैं। यह बहुत ही सामान्य मामला है। हम इस पर सहमत हो चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा आरंभ करेंगे।

अपराह्न 2.58 बजे

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का पुनरुद्धार–*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मैं श्री खारबेल स्वाईं को बोलने का अनुरोध करता हूँ।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, आज हम गैर-सरकारी सदस्यों के जिस संकल्प पर चर्चा करने वाले हैं वह निम्न प्रकार है:

> ''यह सभा केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए सरकार से ठोस और प्रभावी उपाय करने तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए एक व्यापक नीति प्रतिपादित करने का अनुरोध करती है।''

महोदय, माननीय सदस्य डा. असीम बाला द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प का विरोध करते हुए इस संकल्प पर मेरा मूल प्रश्न है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार व्यापक नीति क्यों बनाएगी? डा. असीम बाला ने यह संकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा था कि सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में सुधार लाया जाना चाहिए। इसका क्या अर्थ है?

अपराह्न 3.00 बजे

इसका अर्थ है कि सरकार को सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले सभी उपक्रमों को धन देते रहना चाहिए। महोदय, मैं आपको दो या तीन आंकड़े दूंगा। वर्ष 1996-97 में प्रचालनगत उद्यमों की संख्या 236 थी। सरकारी क्षेत्र के इन सभी उपक्रमों में लगाई गई कुल पूंजी 2,020,21 करोड़ रुपये थी। इन 236 उद्यमों का निवल लाभ 10,257 करोड़ रुपये है। लाभ कमाने वाले उपक्रमों की संख्या 129 है। लाभ की राशि 16,120 करोड़ रुपये है। घाटा उठाने वाले उपक्रम 104 हैं। घाटे की राशि 5,862 करोड़ रुपये है। मैं केवल एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। 2,020,21 करोड़ रुपये का निवेश करके हम केवल 10,257 करोड़ रुपये का लाभ कमा रहे हैं। इस प्रकार निवल लाभ 5.1% है। यह व्यापार की बात है। क्या कोई भी व्यापारी अपने धन का केवल 5.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष के न्यूनतम लाभ के लिए निवेश करेगा? सरकारी क्षेत्र के 236 उपक्रमों में से केवल 129 उद्योग लाभ कमा रहे हैं और 104 उद्योग घाटा उठा रहे हैं। लगभग 50 प्रतिशत उद्योग घाटा उठा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि विश्व में कहीं भी कोई भी सरकार 40 से 50 प्रतिशत उद्यमों में घाटा उठा रही हो जिसमें उसने निवेश किया हो। मुझे वास्तव में ही बहुत हैरानी हुई जब हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार को धन प्रदान करते रहना चाहिए।

महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। सरकार का कार्य क्या है? क्या सरकार कोई प्रशासक है? या, सरकार कोई व्यापारी है? यह सरकार क्या है? हां, मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार को, सरकारी क्षेत्र को आगे बढ़कर निवेश करना होगा। शुरू में जब भारत को 1947 में आजादी मिली तो यह एक स्वतंत्र देश बन गया था। तो कई ऐसे क्षेत्र थे जैसे इस्पात, जहां अधिक मात्रा में निवेश किये जाने की आवश्यकता थी और जहां निजी क्षेत्र आने का अनिच्छुक था। इसलिए सरकार धन से सहयोग के लिए आगे बढ़ी। मैं यह नहीं कहता कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को एक ही झटके में समाप्त कर देना चाहिए। अगर आज नहीं तो कल सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ धन का निवेश करना होगा। सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम ऐसे हैं उदाहरण के लिए समुद्र विज्ञान। जहां काफी अधिक मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है और लाभ अर्जन के लिए पक्वनावधि काफी लम्बी होती है। इसलिए उन मामलों में सरकार को धन का निवेश करना होगा। इसलिए न केवल अब बल्कि भविष्य में सरकार को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और समुद्र विज्ञान में प्रवेश करना होगा जहां सरकार द्वारा निवेश किये जाने की आवश्यकता है। परन्तु सरकार एक होटलीयर क्यों बने? सरकार ब्रेड बनाने का काम क्यों करे? कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने मुर्गी पालन में धन निवेश किया है। क्या सरकार का काम ब्रेड बनाना है? क्या सरकार का काम होटल बनाना है? क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि सरकार मुख्यत: इन क्षेत्रों में भारी घाटा उठा रही है? मैं यही कहना चाहता हूँ इस तरह के भारी घाटे के कारण ही, जो सरकार ने उठाया था, सरकार ने विनिवेश आयोग की बात की।

विनिवेश आयोग ने कुछ ऐसे कारणों का पता लगाया है जो सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समस्याएं समझी जाती थी। कई कारण हैं अर्थात (1) कम उत्पादकता (2) खराब ट्रैक प्रबंधन कौशल,

[श्री खारबेल स्वाईं]

(3) अधिक मजदूर, (4) प्रौद्योगिकीय उन्नयन का अभाव (5) अनुसंधान और विकास पर अपर्याप्त ध्यान दिया जाना; और मानव संसाधन विकास को कम वरीयता दिया जाना। मूलतः, ये छह पहलु सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समस्या है। विनिवेश आयोग ने सिफारिश की कि चुने हुए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी इक्विटी का 20 प्रतिशत तक म्यूच्युल फंड और वित्तीय निवेश संस्थाओं को दिया जाएगा। आयोग ने कुछ प्रमुख और गौण क्षेत्रों की कम्पनियों का पता लगाया है जहां विनिवेश आयोग प्रमुख क्षेत्र में 49 प्रतिशत और गौण क्षेत्र में 74 प्रतिशत तक विनिवेश की सिफारिश कर सकता है।

अब मैं केवल तीन या चार अन्य ऐसे कारण बताऊंगा कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को घाटा क्यों हुआ। एक कारण था आंतरिक और बजटेतर सहायता कम जुटाया जाना। आंतरिक और बजटेतर सहायता राशि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित स्तर से काफी नीचे थी। इससे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश और विकास की गति काफी धीमी हुई। इसके काफी गंभीर परिणाम हुए। प्रौद्योगिकी उन्नयन, संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार की कोई योजना नहीं थी। आखिरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रसार पर प्रभाव पड़ा।

एक अन्य कारण भी था। वह था बजटीय सहायता में कमी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, केन्द्रीय सरकार का वित्तीय घाटा पिछले कई वर्षों से बढ़ रहा है और यह हर साल बढ़ रहा है। कभी-कभी यह सात प्रतिशत तक बढ़ा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का ग्यारह प्रतिशत तक है। वित्तीय घाटे के बढ़ने से 1990 में जो बजटीय सहायता 32 प्रतिशत थी वह 1995 में घटकर 13 प्रतिशत तक हो गई थी। इसलिए, वह अन्य कारण था। प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनुसंधान और विकास जैसे क्षेत्रों में और निवेश के लिए और अधिक धन उपलब्ध नहीं था।

विस्तार के लिए पैसा नहीं था जिससे जिन उपक्रमों में हानि हो रही थी उनमें और हानि हुई।

इसका एक अन्य मूल कारण भी है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा और वह प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के संबंध में है। आरम्भ में जब सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित किये गये थे, तब वास्तव में कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं थी। बाद में इन क्षेत्रों में भारी निवेश के साथ गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग आगे आ गए जो केवल सरकार के लिए सीमित नहीं थे। हम इस्पात का उदाहरण लेते हैं। टाटा कम्पनी स्थापित हुई। टाटा इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र लगभग साथ-साथ हैं और टाटा नगर और राउरकेला के बीच लगभग 150 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए टाटा कम्पनी ने भारी निवेश किया और इसने राउरकेला इस्पात संयंत्र तथा अन्य इस्पात संयंत्रों के साथ प्रतिस्पर्द्धा की। यह स्वाभाविक है कि इसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के हित में नहीं गया।

यह गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ क्योंकि यह क्षेत्र केवल सरकार के लिए ही नहीं थे। एयर-लाइन्स और रेलवे की तरह यह कोई एकाधिकार वाला क्षेत्र नहीं था कि सरकार किसी भी समय पैसा बढ़ा दे अथवा उनके पास अपनी इच्छानुसार अपने उत्पाद की दर निर्धारित करने का अधिकार हो।

हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हानि कुल प्रत्यक्ष बजटीय सहायता का लगभग 60 प्रतिशत है और वर्ष दर वर्ष, यह बढ़ता जाएगा। अविनियमनीकरण और सार्वभौमिकीकरण के कारण प्रतिस्पर्द्धा अधिक है और इसलिए भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां तथा अन्य देशों की कम्पनियाँ, जिन्होंने हमारे बाजार में प्रवेश किया है, उसी वस्तु का उत्पादन करती है। वह भी अपना सामान और उत्पाद भारत में भेजना चाहते हैं। इससे प्रतिस्पर्द्धा काफी बढ़ी है। अन्ततः इससे लाभ उठाने वाली कम्पनियों के लाभ भी प्रभावित हुए हैं। अन्य शब्दों में, इस प्रतिस्पर्द्धा से न केवल हानि उठाने वाले उपक्रम प्रभावित हुए हैं बल्कि लाभ उठाने वाले उपक्रम भी प्रभावित हुए हैं। जिन उपक्रमों को लाभ कमाने वाले उपक्रम माना जाता था। वह अचानक न लाभ न हानि की स्थिति में पहुँच गए। उन्होंने कोई लाभ नहीं कमाया और वे केवल निर्दिष्ट राशि ही अर्जित कर रहे थे।

अतः विनिवेश की आवश्यकता है। मैं इस संकल्प से सहमत नहीं हूं कि सरकार को हानि उठाने वाले सभी तरह के उपक्रमों को पैसा देते ही रहना चाहिए। आखिरकार, यह सरकार का पैसा है और सरकार ऐसा क्यों करे?

अब मैं दो मुद्दों का उल्लेख करूंगा। न केवल हानि उठाने वाले उपक्रमों में बल्कि लाभ कमाने वाले उपक्रमों में भी वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए विनिवेश की आवश्यकता है। यदि हम विनिवेश की प्रक्रिया से गुजरे, तो इससे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्य में सुधार होगा क्योंकि इससे वित्तीय अनुशासन कायम होगा। वह ऐसा नहीं सोचेंगे कि उनका एकाधिकारिक क्षेत्र है और सरकार हमेशा पैसा देती रहेगी। दूसरा विनिवेश से उपलब्ध दुर्लभ पूंजी और अधिक अन्य महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश अथवा वैकल्पिक इस्तेमाल के लिए लगाई जा सकेगी।

अन्त में, इस वर्ष, विनिवेश के 5,000 करोड़ रु. के लक्ष्य के साथ सरकार 8,000 करोड़ रु. का लाभ कमाने की उम्मीद कर रही है। माननीय वित्त मंत्री ने एक दिन कहा था कि सरकार को 8,000 करोड़ रु. का लाभ होगा। हमारी स्थिति इतनी खराब है कि यदि हम इक्विटी बेचें तो कोई उसे खरीदने के लिए आगे नहीं आएगा। इसीलिए सरकार को शेयर बाजार के सैनसैक्स के ऊपर उठने की इन्तजार नहीं करनी चाहिए। उन्हें उसकी इन्तजार नहीं करनी चाहिए और इसकी बजाय उन्हें अब स्वयं इक्विटी बेचनी चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में पैसा लगाना चाहिए जहाँ गैर-सरकारी क्षेत्र प्रवेश करने के इच्छुक नहीं है।

इन शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): माननीय सभापति महोदय, मैं सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के पुनरुद्धार के संबंध में इस महत्वपूर्ण संकल्प को प्रस्तुत करने के लिए डा. असीम बाला का धन्यवाद करता हूं।

हम पिछले अनेक वर्षों से इस सभा में इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। हम वर्ष 1991 से इस समस्या का सामना कर रहे हैं जबकि भारत सरकार द्वारा आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमने वर्ष 1948 में और फिर 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प स्वीकृत किया था। सरकार वर्ष 1956 में अपनाई गई औद्योगिक नीति को बदलने का प्रयास कर रही थी। हम वर्ष 1956 की औद्योगिक नीति के सभी मुद्दों से सहमत नहीं थे। लेकिन हम उस नीति के एक महत्वपूर्ण पहलू से सहमत थे, वह थी, आत्म-निर्भरता की नीति। अब आत्म-निर्भरता की नीति की उपेक्षा कर दी गई है।

स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष का लक्ष्य केवल स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं था। हमारे स्वतंत्रता सेनानी चाहते थे कि स्वतंत्रता के साथ-साथ विदेशी पूँजी का कम से कम प्रयोग होना चाहिए ताकि हम आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकें। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र की संकल्पना को एक नीति के रूप में अपनाया गया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि हम समाजवाद चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हम आत्म-निर्भरता चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हम अपने देश को मजबूत करना चाहते थे; ऐसा इसलिए था क्योंकि हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वयं अपना नियंत्रण चाहते थे जैसा कि किया गया था। इसीलिए प्रमुख क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया था।

हम अपने सार्वजनिक क्षेत्र को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक श्रेणी उन उद्योगों की है जो कि आरम्भ से ही सार्वजनिक क्षेत्र में है। जब उन्हें स्थापित किया गया था, तब उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में ही स्थापित किया गया था। दूसरी श्रेणी में अनेक ऐसे उद्योग हैं जो कि मूल रूप से निजी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। जब यह उद्योग रुग्ण हुए तो भारत सरकार ने उन्हें अपने अधिकार-क्षेत्र में ले लिया और तत्पश्चात् उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इनमें से कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बाद क्या हुआ? कोई आधुनिकीकरण नहीं हुआ। जब हमने उदारीकरण की नीति को अपनाया, जब हमने प्रवेश के रास्ते खोल दिए और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित करना आरम्भ कर दिया और जब हमने यह कहना आरम्भ किया कि हमें प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना चाहिए तो हमें प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना चाहिए तो हम प्रतिस्पर्द्धा का सामना कैसे कर सकते थे? हम किस कम्पनी के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकते थे?

मैं आपको इस्को, भारतीय लौह तथा इस्पात कम्पनी जैसे कुछ उदाहरण दे सकता हूं।

यह दोनों इस्पात संयंत्र—टाटा इस्पात संयंत्र और बर्नपुर में इस्को एक वर्ष के भीतर लगभग साथ-साथ स्थापित हुए थे। इस्को को भारत सरकार ने सत्तर के दशक में अधिगृहीत कर लिया। संसद के एक अधिनियम द्वारा उन्होंने वर्ष 1978 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद पुरानी मशीनें और संयंत्रों को बदलने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। इस संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक पैसा भी नहीं लगाया गया। हम इस उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए पिछले 15 से 20 वर्षों से शोर मचा रहे हैं।

महोदय, आधुनिकीकरण के बिना और पुरानी मशीनों से कोई उद्योग आधुनिक और नवीनतम प्रौद्योगिकी वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कैसे कर सकता है? इसका स्पष्ट उदाहरण हिन्दुस्तान केबल्स है जिसके बारे में माननीय सिकन्दर जी अच्छी तरह जानते हैं। उनके पास एकाधिकार शेयर थे। वर्ष 1993 तक यह लाभ कमा रही थी। लेकिन वर्ष 1994 से वह रुग्ण बन गई। इसके चार यूनिट हैं जिनमें दो प्रमुख यूनिटें, एक रूपनारायणपुर में और दूसरा हैदराबाद में है। वहाँ 5,000 से 6,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हिन्दुस्तान केबल्स के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने की अनुमति दे दी गई है। पहले उनका एकाधिकार था। लेकिन अब एकाधिकार नहीं है।

रूपनारायणपुर के संयंत्र जोकि मूल संयंत्र है के संबंध में मुख्य संयंत्र है के संबंध में भारत सरकार ने एक नये संयंत्र, जैलीफील्ड केबल्स को स्थापित करने में पांच वर्ष लगा दिए।

[श्री बसुदेव आचार्य]

मैं स्कूटर इंडिया का एक अन्य उदाहरण भी दे सकता हूँ। माननीय मंत्री महोदय भी इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। महोदय, भारत सरकार द्वारा उस यूनिट को बंद करने का निर्णय लिया गया था। हमने सभा में यह मुद्दा उठाया था। तत्पश्चात् 1985 अथवा 1986 में भारत सरकार ने अपना निर्णय बदल दिया। स्कूटर इंडिया के साथ क्या समस्या थी? बजाज को विदेशी कम्पनी से सहयोग लेने की अनुमति दी गई थी। बजाज को आधुनिकीकरण करने, नवीनतम प्रौद्योगिकी के लिए निवेश करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन स्कूटर इंडिया को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस तरह, स्कूटर इंडिया आधुनिक स्कूटर उद्योग के साथ कैसे प्रतिस्पर्द्धा कर सकता है?

सरकार द्वारा अपना निर्णय बदलने और इसे बंद न करने का निर्णय लेने के बाद इसका पुनरुद्धार किया जा सकता था। अब, यह कम्पनी लाभ कमा रही है। अत:, यदि सरकार एक रुग्ण उद्योग का पुनरुद्धार करने की कोशिश करती है तो ऐसा नहीं है कि उसका पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता है। उसका पुनरुद्धार किया जा सकता है।

महोदय, हम यह देख कर हैरान हैं और हम यह उम्मीद नहीं करते थे कि आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिसमें से छ: पश्चिम बंगाल में हैं को बंद कर दिया जाएगा। अचानक ही सरकार ने उन्हें बंद करने का निर्णय ले लिया। केवल एक महीना पहले हमारी सलाहकार समिति की बैठक थी जिसमें हमें यह सूचित किया गया था कि उन आठ यूनिटों में से तीन अभी भी बी.आई.एफ.आर. के अंतर्गत हैं।

बी.आई.एफ.आर. ने अभी अपना उत्पाद तैयार नहीं किया है। एम.ए.एम.सी. पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उद्योग है। एच.ई.सी. और एम.ए.एम.सी. दोनों साथ-साथ थे। उन्हें अलग कर दिया गया था। दोनों उसी उत्पाद मिश्र का उत्पादन करते थे। वह भूमिगत मशीनों का उत्पादन करते हैं। यदि एच.ई.सी. का पुनरुद्धार किया जा सकता है, यदि भारत सरकार एच.ई.सी. के पुनरुद्धार के लिए 131 करोड़ रु. खर्च कर सकती है तो एम.ए.एम.सी. का पुनरुद्धार क्यों नहीं किया जा सकता जिसका उत्पाद मिश्र वही है? दोनों इंजीनियरिंग कम्पनियाँ हैं?

कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनी है चार वर्ष पहले 500 करोड़ रु. के अतिरिक्त पुर्जे आयात किया करती थी। हमने उन्हें एम.ए.एम.सी. को आर्डर देने का सुझाव दिया और कहा कि वह उसका उत्पादन करेंगे और उसका विश्वीकरण करेंगे ताकि कम्पनी का पुनरुद्धार किया जा सके। पुनरुद्धार योजना तैयार की गई थी। बी.आई.एफ.आर. ने इसे बंद करने का निर्णय क्यों लिया? ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार प्रमोटर है और कम्पनी का स्वामी है। यदि कम्पनी का स्वामी कम्पनी को आगे बढ़ाने से इंकार कर देगा, यदि कम्पनी का स्वामी बी.आई.एफ.आर. द्वारा तैयार और स्वीकृत पुनरुद्धार पैकेज को कार्यान्वित करने और चलाने की जिम्मेदारी उठाने से इंकार करता है तो बी आई एफ आर क्या कर सकती है? यदि भारत सरकार कम्पनी का प्रोमोटर बनने और जिम्मेदारी लेने से इंकार करती है तो बी.आई.एफ.आर. क्या कर सकता था? तीन वर्ष की बातचीत के बाद जब भारत सरकार ने जिम्मेदारी उठाने से इंकार कर दिया तो बी.आई.एफ.आर. ने निर्णय लिया कि इसे बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता। हमारे पास पचास वर्ष के लिए कोयले के भारी भंडार हैं और भूमिगत कोयला धरती के ऊपर मिले कोयले और अतिरिक्त कोयले से कहीं बेहतर है। चीन अब 1,000 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर रहा है जिसमें से कम से कम 40 से 45 प्रतिशत भूमिगत कोयला है। यदि चीन लौंगवाल खनन मशीनरी के साथ भूमिगत खनन द्वारा कोयले का उत्पादन कर सकता है तो एम.ए.एम.सी. लोंगवाल खनन मशीनरी का उत्पादन कर सकता है और इस कम्पनी का पुनरुद्धार किया जा सकता है। हमारे देश में केवल भेल ही एक ऐसी कम्पनी है जो बटन का उत्पादन करती है। रक्षा के लिए भी जरूरत है। इस कम्पनी के पुनरुद्धार के लिए कुल कितनी राशि की आवश्यकता है?

इसकी लागत केवल 20 करोड़ रु. से 25 करोड़ रु. की होगी। क्या इस पर खर्च करने के लिए आपके पास इतना पैसा भी नहीं है? हम चीन तथा रूस से इसका आयात कर रहे हैं। भारत सरकार ने फ्लिंट बटन पर सीमा शुल्क को 80 प्रतिशत से घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया है। अब, आयातित फ्लिंट बटन हमारे अपने यहाँ उत्पादित फ्लिंट बटन से सस्ता है। जैसे आयातित कोयला हमारे देश में उपलब्ध कोयले से सस्ता है।

आप हमारे भारतीय उद्योग को नष्ट और तबाह कर रहे हैं।

[हिन्दी]]

आपकी क्या स्वदेशी नीति है हमारी समझ में नहीं आता।

[अनुवाद]

क्या बी.ओ.जी.एल. का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता है? क्या यह कम्पनी लाभकारी नहीं बनाई जा सकती है? अब उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों

द्वारा उत्पाद शुल्क के माध्यम से लगभग 1,000 करोड़ रु. मिल गए हैं।

सभापति महोदयः अब बात को समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]]

श्री बसुदेव आचार्यः हां, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, हमें ट्रेन पकड़नी है, हमें भी जल्दी है। लेकिन जो जरूरी चीज है वह बोलनी चाहिए। सिकन्दर बख्त साहब जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उन्हें याद दिला दें।

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): आचार्य साहब क्या आप अपनी बात कहकर चले जायेंगे?

श्री बसुदेव आचार्यः आपसे फिर कभी सुनेंगे।

[अनुवाद]

साइकिल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का संयुक्त उद्यम करने का प्रस्ताव था। यह अच्छी तरह कार्य कर रहा था लेकिन अचानक ही माननीय मंत्री महोदय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसे बंद करना होगा। रात के बारह बजे मुझे दिल्ली से संदेश मिला कि भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है।

आज, हम प्रधानमंत्री से मिले। दस दिन पहले हमने समाचार-पत्रों में देखा था कि इसे रोक दिया गया है। हमने सोचा कि हो सकता है बजट में कुछ हो।

[हिन्दी]]

सर, कुछ नहीं मिला, पैसा नहीं दिया गया, मंत्री जी एक पैसा नहीं दिया गया। आपने इसे कैसे स्टॉल किया, आप साफ-साफ बता दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं? हमारी मांग है कि आप इसे बंद मत कीजिए। हम दुर्गापुर गये थे, हजारों मजदूरों के सामने हम बोले। आप यह कारखाना क्यों बंद करना चाहते हैं। क्या हम इसे रिवाइव नहीं कर सकते? जो सामान वहां बन रहा है क्या उसकी जरूरत नहीं है, क्या वह खत्म हो गया है। हम इसे रिवाइव कर सकते हैं। रिवाइवल के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी।

[अनुवाद]

किसी कम्पनी को बंद करने की लागत उसका पुनरुद्धार करने की लागत से अधिक होती है। पुनरुद्धार की लागत 400 करोड़ रु. है जबकि बंद करने की लागत 600 करोड़ रु. है।

[हिन्दी]]

आप क्या करना चाहते हैं। रिवाइवल के लिए आपको चार सौ करोड़ रुपये लगेंगे और लगभग छः सौ या सात सौ करोड़ रुपये खर्च करके आप इसे बंद करना चाहते हैं, ऐसा कैसे चलेगा।

[अनुवाद]

मैं माननीय उद्योग मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वह इस बारे में पुनर्विचार करें और पुनः जांच करे। उन्होंने तीन माह का समय दिया है। हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि वे एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि समिति के सदस्य कौन होंगे।

सरकार को अपना निर्णय स्पष्ट करना चाहिए। सरकार को इन सभी आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनमें से छः पश्चिम बंगाल में स्थित हैं का पुनरुद्धार करने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए। उन्हें आत्म-निर्भरता की अपनी नीति को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 'आधुनिक भारत का मंदिर' कहते थे।

[हिन्दी]]

आधुनिक भारत का नया मंदिर, इसे खत्म मत करो, इसे स्ट्रैंथन करो। इसे स्ट्रैंथन करने से हमारा देश मजबूत होगा। यही कहते हुए हम फिर मांग करेंगे कि जब आप जवाब दें तो साफ-साफ बतायें कि जो आठ सार्वजनिक उपक्रम बंद करने का फैसला लिया गया था, उसमें आप क्या परिवर्तन करना चाहते हैं और केवल परिवर्तन ही नहीं करेंगे, उसे रिवाइव करेंगे, उसे वर्किंग कैपिटल देंगे। वहां जनवरी महीने से तनख्वाह नहीं मिली है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के इन आठ उपक्रमों के कर्मचारियों को जनवरी माह से उनके वेतन नहीं मिल रहे हैं।

[श्री बसुदेव आचार्य]

[हिन्दी]

तो वे करेंगे। यही कहते हुए, आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए, सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ।

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत जल्दी ही बोलने का मौका दिया। डा. असीम बाला जो रैजोल्यूशन लाये हैं, मैं हार्दिक रूप से इसका समर्थन करते हुए सिर्फ कुछ बातें कहूंगा, क्योंकि कुछ समय पहले बसुदेव बाबू ने भी इसके समर्थन में बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं।

एक बात, जो सरकारी पक्ष में हैं, उनको याद करवाना चाहता हूं कि एक साल पहले जब यह नई सरकार बनी तो उस वक्त हमारे इस हाउस में ऐसा एक माहौल था, जैसे 50 साल की आजादी के बाद हमने नई आजादी ली, जब हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मना रहे थे, स्वर्ण जयन्ती का वर्ष खत्म हो रहा था, उसी समय ऐसी आवाज गूंज रही थी कि फिर से हम नया भारत बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हर एक बात में स्वदेशी की बात थी, हर एक बात में स्वनिर्भरता, हर बात में स्वाभिमान वगैरह की बात गूंज रही थी। यहां तक कि जब हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट रखा तो उसमें भी उन्होंने इन बातों को बजट में जगह दे दी तो हमने सोचा, हमारा ऐसा ख्याल था कि शायद हम फिर नये सिरे से भारत को बनाने का एक नया कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जब सरकारी पक्ष से अभी जो उड़ीसा के माननीय सदस्य बोल रहे थे। आजादी के बाद हमारे जो पहले प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू थे, उन्होंने भी स्वदेशी और सैल्फ-रिलायंस पर जोर दिया था। हम उस वक्त भी विरोधी पक्ष में थे और आप भी उस वक्त विरोधी पक्ष में थे, हम सब ने मिलकर यह बात तय की थी कि हमें पंचवर्षीय योजना बनानी है और उन योजनाओं में कभी उद्योग पर, कभी कृषि पर, जब हम जैसी जरूरत समझेंगे, उस पर हम अपनी पहल करेंगे, उस पर हम अपना कदम बढ़ाएंगे। उद्योगों में, दूसरी चीजों में हम अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, यह आवाज सिर्फ हमारे प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू की ही नहीं थी, बल्कि जहां तक हमें याद आता है, शायद समूची लोक सभा की, समूची संसद् की उन दिनों यही आवाज थी। उसके 50 साल बाद जब नई करके वही आवाज सुनी तो हमारे दिल में ऐसा महसूस हुआ कि हम कोई नया कदम उठाने जा रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि नया कदम तो बहुत दूर, बल्कि आज माडर्नाइजेशन के नाम पर हम देश को विदेशियों के हाथों में देने का बन्दोबस्त कर रहे हैं।

अभी-अभी बसुदेव बाबू 2500 करोड़ रुपये की चर्चा कर रहे थे। मिसाल के तौर पर हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि हावड़ा जिले में सदगछिया में गवर्नमेंट की प्रिंटिंग प्रैस की सिर्फ अगर मशीन बदली जाये तो उसमें सिर्फ चार करोड़ रुपये लगेंगे। मुझे याद है जब दसवीं लोक सभा में हम सदस्य थे तो मैं अर्बन एंड रूरल डवलपमेंट कंसलटेटिव कमेटी का सदस्य था। उस समिति की मीटिंग में स्वीकार किया गया कि चार करोड़ रुपए देकर सदगछिया प्रेस को रिवाइव किया जाएगा, जिससे हम उस मिल से लाभ लेने की स्थिति में आ सकें। यू.आर.डी. की स्टैंडिंग कमेटी में भी सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम चार करोड़ रुपये भी नहीं खर्च कर सके। हम लोग प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, लेकिन यह किसके पैसे से चलता है, क्या सिर्फ प्राइवेट मालिक के पैसे से चलता है, नहीं, इसमें सरकार का भी योगदान रहता है और हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी बड़ा हिस्सा लगा होता है, जो रुपए से इसकी मदद करते हैं। लेकिन हम अपने उद्योगों को लाभ की स्थिति में नहीं ला पा रहे हैं और इसके उपाय खोजने पर भी विचार नहीं करते। हमने सिर्फ बी.आई.एफ.आर. बना दिया है। उसके पास हम मामला भेज देते हैं। सालभर तक वह मामला वहीं लटका रहता है, फिर उसके ऊपर फैसला होता है। हमें किन-किन चीजों का आधुनिकीकरण करना है, किनकी मशीनरी बदलने से हम उत्कृष्ट सामान तैयार कर सकते हैं और उस माल को बाजार में बेचकर अमुक कम्पनी को कैसे प्राफिटेबल बना सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए।

अभी हमारे साथी बसुदेव बाबू मिसाल के तौर पर दुर्गापुर के बारे में कह रहे थे। उसको बर्बाद करने में जितना पैसा खर्च हुआ, उससे कम पैसे से उसका अगर आधुनिकीकरण कर दिया जाए तो हम उससे स्वावलम्बन की भावना सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे सत्ता पक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे पता नहीं है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमारे साथी असीम बाला जी ने जो संकल्प यहां रखा है, मेरा निवेदन है कि सरकारी पक्ष को भी उस पर ध्यान से सोचना चाहिए और संसद में सभी मिलकर हम इसे पारित करें, जिससे एक नए भारत की, स्वदेशी पर आधारित भारत का हम निर्माण कर सकें।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, डा. असीम बाला ने यह संकल्प लाकर देश पर उपकार करने का काम किया है। जो पब्लिक सैक्टर में यूनिट्स बीमार हैं, बंद पड़ी हैं, नीचे जा रही हैं, उस पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए वे यह संकल्प लेकर आए हैं। यह मानसिकता और विचारधारा से जुड़ा हुआ सवाल है। जब देश आजाद हुआ तो तय हुआ कि मिक्स्ड इकोनोमी होगी, प्राइवेट सेक्टर भी चलेगा और पब्लिक सेक्टर भी चलेगा।

लेकिन प्राइवेट सैक्टर वालों में कितनी ताकत है और उनकी लॉबी, उनका जाल, उनका विस्तार इतना भारी है कि वे बराबर इस ख्याल में रहते हैं कि किसी हालत में पब्लिक सैक्टर को खराब कर दिया जाए, इसे निरुत्साहित किया जाए और इसे डिस-क्रैडिटेड कर दिया जाए जिससे कि निजी पूंजीपतियों के पौं-बारे हो जाएं। हम नहीं जानते हैं कि इस सरकार का इनसे कितना तालमेल है? यह पब्लिक सैक्टर को मजबूत और जिन्दा करने के लिए जोर लगा रही है, इसलिए यह मानसिकता का सवाल है कि सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी रहे क्योंकि देश में 1,93,000 करोड़ रुपया पूंजी लगी हुई है और 23 लाख कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं और 23 प्रतिशत जी.डी.पी. में इसका कांट्रीब्यूशन है। जिसका इकॉनोमी में इतना भारी हिस्सा है और लोग चाहते हैं कि इसे डुबा दिया जाए। सरकार पूंजीपतियों के चंगुल से हटे और पब्लिक सैक्टर को मजबूत करने के लिए कमर कसे।

ये पब्लिक सैक्टर और एंटरप्राइजेज जितने हैं, ये ऑटोनॉमस हैं। इसमें बाहर से सरकार हस्तक्षेप न करे और इसमें इनके अफसर सर्वेसर्वा हैं। कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स बड़े काबिल होते हैं। इनके डायरेक्टर और चेयरमैन सब बड़े काबिल होते हैं। इसमें इतनी पूंजी लगी हुई है तो फिर वह क्यों डूबा रहता है? सवाल यह है कि जिनकी काबिलियत की ठेकेदारी है फिर भी वह चौपट हो रहा है? कहा जाता है कि पोलिटिकल लोग बिगाड़ देते हैं लेकिन वे क्या बिगाड़ देते हैं, यह तो ऑटोनॉमस है। उसमें पॉलिसी मैटर भी कोई देखेगा या नहीं देखेगा, तब भी यह सिक हो रहा है। यशवंत जी दुनिया के लोगों को अंग्रेजी में सुनाते हैं। हिन्दुस्तान के लोग, जिनके लिए यह बजट है, उनको हिन्दी में न सुना कर यह दुनिया के लोगों को सुनाते हैं। इस मानसिकता की मैं बात कर रहा हूं। लोग समझते हैं कि जो अंग्रेजी में बोलता है, वह ज्यादा काबिल होता है और जो देशी भाषा बोलता है, वह गांव का है, यह मानसिकता की बात है।

श्री खारबेल स्वाईं: राममूर्ति जी बताते हैं कि वह अंग्रेजी में समझेंगे ...*(व्यवधान)* सिर्फ आप हिन्दी में समझते हैं, इसलिए आप बोलेंगे कि अंग्रेजी में नहीं बोलिए। ...*(व्यवधान)* तमिल में बोलेंगे तो क्या आप समझ लेंगे? आप हिन्दी जानते हैं, इसलिए आप बोलते हैं कि हिन्दी में बोलें। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: हिन्दुस्तान में जो अंग्रेजी में बोलता है, वह ज्यादा काबिल होता है और जो देशी भाषा बोलता है, वह काबिल नहीं होता है, यह मानसिकता है और इसी पर हम हमला करना चाहते हैं। हमें एक कागज मिला है, उसमें कहा है कि सिक यूनिट को जिन्दा करने के लिए वॉलन्ट्री रिटायरमेंट स्कीम को लागू किया जाएगा लेकिन उसमें बहालियां ज्यादा हो जाती हैं। उसमें मिस-मैनेजमेंट, फिजूलखर्ची हो जाती है और उसके अफसर अपने को शहंशाह समझते हैं। उसमें पैसे की कमी, उत्पादकता में कमी, ये सब बातें हैं। इस पर बड़ी छानबीन हुई है लेकिन सरकार के लिए आश्चर्य की बात है।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या को तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार बजटीय सहायता प्रदान कर रही थी। तथापि, इस सहायता को सामान्यतः हानि उठाने वाले उद्यमों तक सीमित रखा गया है।

[हिन्दी]

इसका मतलब है कि ये एंटरप्राइजेज तरक्की में है, उसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लागू हो, उसको मजबूत करेंगे और जो सिक हैं, उनको चौपट कर देंगे, यह सरकार का मतलब है। यह कागज मिला है, हमें आश्चर्य होता है।

इस तरह से सिक यूनिट को जिन्दा करने के लिए सरकार को खड़े होना चाहिए। पब्लिक सैक्टर कमजोर न हो, उसके लिए उपाय करने चाहिए, बजटरी सपोर्ट करना चाहिए। उसमें कमिटिड आफिसर्स को भेजना चाहिए, जो पब्लिक सैक्टर को बढ़ाने वाले हों और अगर प्राइवेट सैक्टर में दलाल चला जाएगा, क्योंकि इस सरकार में बहुत दलाल लोग हैं। इस पर जब बहस हुई थी तो उस समय यशवंत सिन्हा जी छटपटा रहे थे। यह सारी साजिश है कि किस तरह से देश को रसातल में ले जाया जाए।

महोदय, हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है।

[श्री सत्यपाल जैन]

[हिन्दी]

कि इस सरकार में बहुत सारे दलाल हैं, मैं समझता हूं कि रघुवंश जी बहुत सीनियर मेम्बर हैं उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* वे अपने शब्द वापिस लें।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या दलाल शब्द अनपार्लियामेंट्री है? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अगर उनको आपत्ति है तो वह अपने शब्द वापिस ले लें।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: ठीक है।

डा. शकील अहमद (मधुबनी): महोदय, दलाल शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: जैन साहब वकालत करते हैं, हम नहीं जानते कि वह वकालत करते हैं या नहीं लेकिन वह बीच में खड़े हो जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

महोदय, फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया नेट लास 538 करोड़ टॉप 10 साल मेकिंग एटरप्राइसेस में है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में सिंदरी कारखाना है और यह एशिया में खाद बनाने के लिए नम्बर एक कारखाना है। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है। यहां केमिकल खाद, रासायनिक खाद की जरूरत होती है। यहां फारेन एक्सचेंज कितना खर्च होता है। हमारे देश में गरीबी का यह भी एक कारण है, हमें विदेश से खाद मांगना पड़ता है। मंत्री जी चले गये हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह मुझसे अनुमति लेकर गए हैं। पटेल जी यहां बैठे हैं वह आपकी बात उन तक पहुंचा देंगे।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, सिंदरी खाद का कारखाना है और नामरूप तथा बरौनी भी खाद का कारखाना है। यह बीआईएफआर में गया, रिपोर्ट हुई और पैकेज बना। वह अच्छा कारखाना चल रहा है लेकिन उसकी हालत में सुधार करने के लिए, वह अच्छे लाभ में चले इसके लिए बीआईएफआर में रिपोर्ट दी और पैकेज बना। सिंदरी और नामरूप का पैकेज बना लेकिन नामरूप का लागू हो गया, उसको पैसा मिला गया, उसके पुनर्वास का काम शुरू हुआ लेकिन सिंदरी का काम शुरू नहीं हुआ. बिहार के साथ इतना भारी भेदभाव हुआ। रीता वर्मा जी यहां नहीं हैं, यह उनका क्षेत्र है। मैं सिंदरी गया था, वहां के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने मुझे कहा कि इतना भारी अन्याय, भेदभाव कभी किसी के साथ नहीं हुआ जितना बिहार और सिंदरी कारखाने के साथ हो रहा है। इसलिए हम सरकार से जानना चाहते हैं कि एक साथ बीआईएफआर में नामरूप और सिंदरी कारखाना दोनों गए और उसकी रिपोर्ट बनी। उसका पैकेज बना, लेकिन क्या कारण है कि नामरूप का काम चालू हो गया और सिंदरी का रुक गया है। वह कौन-सी शक्ति है जो इसे रोके हुए है और इसमें क्या बीमारी है जिसके कारण यह रुका है, हम यह जानना चाहते हैं।

उसी तरह से पी.डी.आई.एल. एशिया में नामी संस्थान है जो कंसल्टैंसी करता है, उसका यह एक विंग है। पहले उसका हैडक्वार्टर सिंदरी में था, उसको बदलकर नोएडा में ला रहे हैं। वहां उसके सुधार के लिए कुछ देंगे नहीं लेकिन वहां जो हैडक्वार्टर था उसको खराब करके नोएडा ला रहे हैं। आपने कहीं इतनी भारी लापरवाही देखी है। कहा जाता है कि हमारे बिहार से तीन मंत्री हैं, यशवंत सिन्हा, नीतीश कुमार और जार्ज फर्नान्डीज। ये बिहार के बारे में कहते हैं कि वहां धारा 356 लगाओ, सरकार को बर्खास्त करो। वहां की दस करोड़ की आबादी के लिए क्या इन्होंने एक बार भी कोई प्रयास किया है, न ही वहां के सांसदों की बैठक बुलाई है। बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। बिहार की सरकार के साथ केन्द्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है।

सभापति महोदय: इस प्रस्तुत प्रस्ताव पर दो घंटे का समय था जोकि समाप्त होने जा रहा है। अभी सात-आठ सदस्य बोलने वाले और हैं। अगर सदन की अनुमति हो तो सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

कई माननीय सदस्य: ठीक है।

सभापति महोदय: ठीक है, सदन की अनुमति से एक घंटा समय बढ़ा दिया जाता है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, भारत की आबादी का दसवां हिस्सा बिहार है। अगर बिहार पीछे रह जाएगा तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। एक आई.सी.एस. अंग्रेज लेखक जॉन हिल्टन ने "बिहार द हर्ट ऑफ इंडिया" नामक एक किताब लिखी है। बिहार का बटवारा हो जाए, धारा 356 वहां लागू हो, यह तो आप मंत्री लोग चाहते हैं लेकिन वहां जो बीमार यूनिट्स हैं उनको रिवाइव करना आप नहीं चाहते हैं। वहां जो पब्लिक सैक्टर में

अंडरटेकिंग्स हैं, भारत सरकार के अधीन हैं उसका पैकेज नामरूप में लागू हो गया लेकिन अभी तक सिंदरी में लागू नहीं हुआ है। मैं सिंदरी और पी.डी.आई.एल. के साथ यह अन्याय करने का और पक्षपात करने का सरकार पर आरोप लगाता हूं। हिन्दुस्तान कॉरपोरेशन के अधीन बरौनी कारखाना बंद है, उसको चालू क्यों नहीं किया जा रहा है। उसमें सुधार के लिए सरकार क्यों जोर नहीं लगा रही है। यह भी हमारा आरोप है।

सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का घाटा 159 करोड़ है। उसको भी बी.आई.एफ.आर. में भेजने का काम हो रहा है। बी.आई.एफ.आर. ने कहा कि इन सब यूनिटों को बेच दीजिए, तो उसको नहीं बेच रहे हैं। जो ठीक यूनिट्स हैं उनके दाम तय करवा रहे हैं लेकिन उसके पैकेज पर चुप बैठे हुए हैं, उसको भी बंद करने के ख्याल में हैं। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड और सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के मामले में सरकार साफ बताए कि क्यों इस तरह से इनके साथ अन्याय और भेदभाव का काम हो रहा है। सिंदरी कारखाना खाद का एक मशहूर कारखाना है और देश में खाद की आवश्यकता है। बरौनी कारखाना बंद है। पी.डी.आई.एल. पर भेदभाव कर रहे हैं, सीमेंट कॉरपोरेशन जो चालू है उसको क्यों बेचना चाहते हैं। जो रिपोर्ट बी.आई.एफ.आर. ने दी है तो उसको क्यों नहीं बेच रहे हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

इस तरह से उसका अपना 40 करोड़ रुपया जमा है, आप उसे खर्च करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। मुझे यह सब जानकारी मिली है। मेरा स्पैसिफिक सवाल यह है कि सिक यूनिट्स को दूर करने के लिए आप कमर कसें जिससे पब्लिक सैक्टर न मरे। आज यह पूंजीपतियों के घेरे में हैं। वह चाहते हैं कि प्राइवेट सैक्टर मालामाल हो जाए और पब्लिक सैक्टर डूब जाए। हम चाहते हैं कि पब्लिक सैक्टर तरक्की करे और आगे बढ़े। इसका देश की इकोनोमी में महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसका जी.डी.पी. में 23 परसैंट कंट्रीब्यूशन है। इसमें 23 लाख लोग काम कर रहे हैं। इसमें एक लाख 93 हजार करोड़ रुपए की पूंजी लगी है। आप इसे दुरुस्त करने की कोशिश करें। मैं इन सब बातों का जवाब चाहता हूं।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापट्टनम): माननीय सभापति महोदय, मैं एक तुच्छ निवेदन करना चाहता हूं। आपने इस संकल्प के लिए एक घंटा समय और बढ़ा दिया है और यहां आठ अन्य वक्ता चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। इसलिए, पांच बजे के बाद हमें अगले संकल्प पर चर्चा करनी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इस बात का ध्यान रखें कि चर्चा एक घंटे के भीतर समाप्त हो जाए।

[हिन्दी]]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, मैं डाक्टर असीम बाला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार और इस सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। सार्वजनिक क्षेत्र भारत के लिए अभिमान का विषय है। आजादी के बाद जब देश में औद्योगिक वातावरण नहीं था, भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना था तो हमारे देश की सरकार ने अपने संसाधनों को इकट्ठा कर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बनाने और खड़ा करने का एक अभियान चलाया।

अपराह्न 4.02 बजे

[**डा. रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन* हुए]

1956 के आजाद भारत में नई आर्थिक नीति आई। उस औद्योगिक नीति के आधार पर एक स्वस्थ प्रतियोगिता, स्पर्धा की बात हमारे देश ने स्वीकार की जिससे सार्वजनिक क्षेत्र का देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास में अपरहैंड रहे। हमने इस सिलसिले को 1990 तक चलाया। 1968-69 में देश के सामने कठिन सवाल आया कि देश के बेरोजगार नौजवानों और गरीबों को वित्तीय मदद देकर पैरों पर खड़ा करना है तो इस देश के लोगों को साधन मुहैय्या कराने के जो आर्थिक संसाधन थे, आर्थिक स्रोत थे, वे निजी दायरे में थे। इससे लोगों को सही ढंग से मदद नहीं मिल पाती थी। इसलिए 18 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यदि इन 18 बैंकों का राष्ट्रीकरण नहीं होता तो देश के बेरोजगारों, गरीबों और खास तौर से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकारी सुविधाओं और सरकारी योजनाओं को अमल में लाने का काम नहीं हो सकता था। आज भी यदि समीक्षा के दौर पर इस बात को देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का यदि सहयोग न हो तो निजी क्षेत्र के बैंक किसी भी हालत में इस देश के बेरोजगार नौजवानों की मदद करने को तैयार नहीं हैं। हमारे सामने जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के परिणाम आए हैं, उनको देखते हुए हजारों करोड़ रुपया सामान्य इनवैस्टर्स, बहुत से सेना के रिटायर्ड अफसरों का जिन्होंने अपनी सेवा काल के बाद की पूंजी उन नॉन बैंकिंग इन्स्टीट्यूशन्स में आकर्षक ब्याज दर पाने के लालच में जमा करायी, डूब गई। छोटे-छोटे रिक्शा वाले, छोटा-छोटा काम करने वाले, छोटे व्यवसायी और छोटे कर्मचारियों ने भी सेवानिवृत्ति के बाद अपने पैसे बैंकिंग इन्स्टीट्यूशन

[श्री मोहन सिंह]

में जमा किए। उनका हजारों करोड़ रुपया जिस के बारे में मैंने संसद में सवाल किया तो वित्त मंत्री ने कहा कि इसके कोई आंकड़े भारत सरकार के पास नहीं हैं। एक ऐसी कम्पनी थी जो कि 1700 करोड़ रुपए लूट कर भाग गई। इसके बारे में रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस तरह की 7-8 बड़ी कम्पनियां और छोटी-छोटी स्थानीय स्तर पर काम करने वाली कम्पनियां यदि इन सब की लूट जोड़ी जाए, तो 10 हजार करोड़ रुपया के आसपास जरूर आयेगा और पिछले 2-3 वर्षों में लूटकर भाग गये। सार्वजनिक क्षेत्र का यही सबसे बड़ा योगदान है कि भारत के किसी भी आम आदमी या नागरिक को इस बात की गारंटी और आश्वासन रहता है कि उसकी पूंजी और लागत सुरक्षित रहेगी। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर जिसके ऊपर हमारा सैक्टर बहुत कुछ निर्भर करता है, उसे इस बात की गारंटी रहती है कि कम से कम श्रम कानून का उल्लंघन नहीं होगा और उनका पालन होगा। उसमें काम करने के जो घंटे निर्धारित हैं, वे पूरी तौर पर रहेंगे और उसे उसकी उचित मजदूरी मिलेगी। आप देखिये, आज निजी क्षेत्र की क्या हालत है? 1991 के बाद जब से आपने छूट दे दी, उसमें 12-14 घंटे काम लेते हैं और प्रतिमाह 6-7 सौ रुपया देते थे। यदि और मांग की गई तो चार लात मारकर बाहर कर देते हैं। आज की तारीख में ट्रेड एक्ट की अनुपालना नहीं हो रही है। हम लोग कहना चाहते हैं कि इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र तरक्की का मुख्य स्तम्भ हैं। उसे खत्म करने या उससे विमुख होने से सामाजिक कल्याण के कार्य सरकार नहीं कर सकती है।

सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वे 1977 में कांग्रेस संगठन के नेता थे, इस देश में जब मारुति कार के बारे में निजी क्षेत्र का प्रयास शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री के लड़के ने उसकी शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि यह स्वदेशी कार होगी और सस्ती होगी। उससे पहले 1972-73 में उसका प्रोटो-टाइप इंजिन डिस्प्ले हुआ था। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि उस समय मैं दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था जब विपक्ष के नेता श्री एस.एन. मिश्र और श्री मधु लिमये ने इस मामले को उठाया था कि जो प्रोटो-टाइप इंजिन डिस्प्ले किया गया है, वह स्वदेशी नहीं है। इस प्रकरण पर इस सदन में कई दिनों तक हंगामा होता रहा। अंततः 1980 के चुनाव के बाद 1981 में वह निजी कम्पनी सरकारी कम्पनी बनी। आज उसका जो ऑटो इंडस्ट्रियल सैक्टर में योगदान है, हम उसको नमस्कार करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। यदि सार्वजनिक क्षेत्र का वह उद्योग आज की तारीख में नहीं रहता तो ऑटो क्षेत्र में जो क्रांति इस देश में हुई, क्या हम कर सकते थे? आज भी सरकार के मनमाने ढंग के तरीकों से अम्बैसडर कार चली आ रही है। उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार हिन्दुस्तान मोटर्स में 13 हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। पिछले 50 वर्ष से सरकार उसकी मशीनरी, उसके इंजिन और ढांचे में या डाई में कोई परिवर्तन नहीं कर पाई। यदि नहीं करती है तो वह कार कूड़ेदान में फैंकने वाली कार हो जायेगी। सरकार उसको निजी क्षेत्र में जिन्दा किये हुये है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान, क्रान्तिकारी औद्योगिक परिवर्तन से इन्कार नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय, मुझे याद है जब इस देश में घड़ी नहीं मिलती थी तब एच.एम.टी. कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया गया। उस समय के सांसद के साथ मैं झोला लेकर चलता था और विवाह के लिए 100 रुपये की घड़ी के लिए एम.पी. की सिफारिश लगाई जाती थी। मैं उस चिट्ठी को लेकर मंत्रालय में जाता था कि हमारे अमुक आदमी को घड़ी चाहिए। आज घड़ी के क्षेत्र में ऐसा चमत्कार हो गया कि एच.एम.टी. घड़ी घाटे में हो गई और बीमार होकर मरणासन्न अवस्था में है। जैसा घड़ी के क्षेत्र में चमत्कारिक परिवर्तन किया गया, उसको जिन्दा रखने के योगदान से इन्कार करके, उसकी भी इमदाद करके अपने पैरों पर खड़ा किया जाये और सरकार की ओर से वह कोशिश की गई। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब 1977 में नई क्रान्ति के तहत सरकार बनी थी तो यह नीति बनी कि जो बीमार उद्योग होंगे, किन्हीं परिस्थितियों में यदि जनता से संबंधित होंगे तो सरकार उनका राष्ट्रीयकरण करेगी। उसी समय से सरकार राष्ट्रीयकरण करती आ रही है। यदि एक उद्योगपति एक कारखाने को जानबूझकर बीमार करेगा तो जितने कारखाने उससे संबंधित होंगे, सरकार सब का राष्ट्रीयकरण कर देगी। इतना कहने के बाद स्वदेशी काटन मिल, कानपुर बीमार हो गई। वहां मजदूर हड़ताल पर चले गये। उनको एक महीने वेतन नहीं मिला। उसके बगल में एक चीनी का कारखाना था। उन सभी कारखानों का राष्ट्रीयकरण आपने 1977 में कर दिया। उस सरकार में सिकंदर बख्त जी थे जो आज इस सरकार में बैठे हैं। उसका राष्ट्रीयकरण करने के बाद उसे भगवान भरोसे छोड़ दिया। सारे कारखाने आज की तारीख में जिस हालत में आपने लिये, उससे भी बुरी हालत में हैं और हमारे यहां के किसान मर रहे हैं। जो चीनी मिल है, उसी स्वदेशी कॉटन मिल के साथ साथ वह भी सरकार के हाथ में आ गई और आज की तारीख तक सरकार ने उस बारे में कुछ नहीं किया। किसान भी मर रहा है और मजदूर भी मर रहा है। हमारे यहां गोरखपुर में फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की यूनिट थी जो 1990 से बंद है। 1990 से लगातार फर्टिलाइजर कारपोरेशन ने उनको वेतन दिया और करीब-करीब 50 लाख रुपये हर महीने मजदूरों के वेतन देने में, वहां की बिजली की आपूर्ति और दूसरे इनफ्रास्ट्रक्चर को मेनटेन करने में भारत सरकार खर्च कर रही थी। जब पूछा जाता है कि इसका रेनोवेशन करके क्यों नहीं चलाते तो कहते हैं कि

इन्हें चलाना ज्यादा घाटे वाला सौदा है और बिना काम किये वेतन देना और मेनटेन करना हमारा लिए सस्ता सौदा है। इस संसद में दसवीं लोक सभा में मैंने सवाल किया था कि 'हमारे देश के जो रासायनिक उर्वरक हैं, उनके उत्पादन के लिए भारत सरकार क्या कर रही है और यूरिया का कारखाना जो पूर्वी उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक यूरिया आपूर्ति करने का काम करता था, वह बंद है, भारत सरकार उसको चलाए।' इस पर उस समय के प्रधान मंत्री जी ने, जो संयोग से उस समय के उद्योग मंत्री भी थे, उन्होंने कहा कि 'जो बाहर से आयात करके हम यूरिया मंगाते हैं, वह हमारे यहां अपने साधनों से तैयार स्वदेशी यूरिया से 1000 रुपये प्रति टन सस्ता पड़ता है, इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम अपने ही देश में यूरिया के उत्पादन को ठीक करें।' यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछले पचास वर्षों में जब भी सरकार बदली है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के बारे में सरकार ने भिन्न-भिन्न रुख और रवैया अख्तियार किया है जिसके चलते ये कारखाने खत्म हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हमें अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन एक विचित्र विडंबना की बात है कि भारत सरकार के दायरे में चलने वाले चार कारखाने थे, एक डिस्टिलरी थी और चार चीनी के कारखाने थे, ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन के अंग के रूप में चलने वाला एक निगम था जिसको कानपुर शुगर वर्क्स के नाम से जानते हैं, उसमें दो चीनी मिलें मेरे लोक सभा क्षेत्र में आती हैं, एक बिहार की है और एक पडरौना चीनी मिल है और मदौरा में उसी के साथ जुड़ी हुई एक डिस्टिलरी है—इन पांचों कारखानों को बी.आई.एफ.आर. ने उत्तर प्रदेश के एक मंत्री के हाथों 64 करोड़ रुपये में बेच दिया जो बड़ी विचित्र बात है। सरकार कंगाल हो रही है, कर्मचारियों को देने के लिए राज्य सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, लेकिन मंत्री मालामाल हो रहे हैं, 64 करोड़ रुपये में सार्वजनिक क्षेत्र के भारत सरकार के पांच कारखानों को उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने खरीद लिया और औने-पौने दामों में खरीदा। यदि देखा जाए तो केवल एक चीनी मिल की जमीन ही उतने रुपये की होगी। आपने बीमार कारखानों को चलाने के लिए बी.आई.एफ.आर. नाम का अस्पताल खोल रखा है लेकिन उसकी जगह वह उद्योगों को मारने वाला एक कारखाना बन गया है। बी.आई.एफ.आर. की वर्किंग के बारे में माननीय मंत्री जी को नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, उनका जीवन आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए नये से उनके नियम, नयी तकनीक, नयी विधा और नयी पूंजी लगाकर उनको जागृत करने की आवश्यकता है। यही आग्रह करते हुए मैं मंत्री महोदय से इतना जरूर करना चाहता हूं कि यदि इस देश का सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत नहीं होगा तो इस देश का निजी क्षेत्र भी मजबूत नहीं हो सकता। यह एक मूल बात आपको जानने की जरूरत है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग मरे हैं, उसके पीछे एक जरूरी कारण है। वित्त मंत्री जी यहां रहकर बिहार की सरकार के खिलाफ चाहे जो बात कहते हों, लेकिन जब कभी 1000 करोड़ रुपया वहां के गरीबों को बांटने के लिए बैंकों के जरिये गए तो उस दिन उनका भाषण मैं टेलीविजन पर देख रहा था। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि बिहार को इस नेता या उस नेता ने नहीं, बिहार की अफसरशाही ने बरबाद किया है। एक मूल बात इन्होंने टेलिविजन पर कही जब वे गरीबों को पैसा दे रहे थे, बैंकों के जरिये जो उन्हें पहले नहीं दिया जा रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में भी मेरा इल्जाम है कि यही बात इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को अफसरशाही के जिम्मे देकर हमने की है, अफसरशाही में जो चुने हुए लोग थे, उसके संचालन में, प्रबंध की व्यवस्था में उन्होंने अपने को जमींदार मान लिया। उसका मालिक मान लिया, उनके ठाठ-बाट, उनकी फिजूलखर्ची, उनकी अय्याशी, सरकार के जो प्रशासकीय काम हैं, उनसे मुक्ति लेकर वह सार्वजनिक क्षेत्रों में इसलिए जाने की पैरवी करने लगे कि वहां उनकी पत्नी के लिए गाड़ी, उनके बच्चों को स्कूल भेजने के लिए गाड़ी, एयरकंडीशंड बंगले और दुनिया भर की फिजूलखर्ची करने का मौका मिलेगा। बिना किसी नई दृष्टि के इन सारे सार्वजनिक क्षेत्रों के कारखानों को बरबाद करने की विशेष जिम्मेदारी इस देश की अफसरशाही की है और इस देश का जो निजी क्षेत्र है वह भी सार्वजनिक पूंजी से अपने उद्योगों को खड़ा करता है। लेकिन इस उद्योग का मालिक भी अपने को मालिक मानकर उसी ठाठ-बाट और फिजूलखर्ची का शिकार हो रहा है, जिसके चलते इस देश का निजी क्षेत्र अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो रहा है। इसलिए इन बातों पर ध्यान देते हुए मैं माननीय मंत्री जी से पुरजोर अपील करना चाहता हूं कि असीम बाला साहब का प्रस्ताव बहुत ही वजनदार है और इस प्रस्ताव के वजन को समझते हुए अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करने के लिए भारत सरकार इस देश के जो बीमार उद्योग हैं, जिनसे इस देश के आम जन-जीवन का सीधा रिश्ता है, उसमें विकास और सुधार करने की कोशिश करें, यही आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं।

श्री सत्यपाल जैनः सभापति महोदय, आज यह सदन डा. असीम बाला जी के इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसके द्वारा वह चाहते हैं कि सदन भारत सरकार से यह सिफारिश करे कि जो सार्वजनिक पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, बीमार औद्योगिक यूनिट्स हैं, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए कदम उठाये और साथ-साथ ऐसी नीति बनाये जिसके कारण इन बीमार यूनिट्स की कार्य प्रणाली ठीक हो सके। इसी भावना के साथ उन्होंने यह प्रस्ताव हमारे सामने रखा है।

[श्री सत्यपाल जैन]

सभापति महोदय, भारत की आजादी के बाद पांचवें, छठे और सातवें दशक तक इस देश में अर्थव्यवस्था के संबंध में काफी चर्चा होती रही। लेकिन चर्चा के अंदर प्रभुत्व उन लोगों का था जो चाहते थे कि उद्योग से समाज, सामाजिक व्यवस्था और समाजवाद की व्यवस्था हर चीज पर स्टेट का कंट्रोल हो और जब तक सरकार का कंट्रोल नहीं होगा तब तक वह चीज ठीक नहीं होगी, ऐसी लोगों की डोमीनेन्स थी। स्वयं कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद 1956 में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का नारा दिया था। यह बात अलग है कि 1956 में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का नारा देने वाली कांग्रेस 1980 में सरदार मनमोहन सिंह जी की लिबरेलाइजेशन की पालिसी और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी पर आकर टिकी। लेकिन ये दो-तीन दशक ऐसे थे जिनमें समाजवाद, सामाजिक व्यवस्था का नारा दिया गया था। मोहन सिंह जी ने जिक्र किया, मुझे याद है 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो वह किस कारण से हुआ था। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी आज हमारे बीच नहीं हैं, इसलिए मैं वह बात नहीं कहना चाहता। लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी एक राजनीतिक हथियार के तौर पर प्रयोग करने की कोशिश की गई और कहा गया कि जो लोग सामाजिक कंट्रोल की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, वे गरीबों के मसीहा हैं, उनके पक्ष में विचार करने वाले लोग हैं और अगर आप राष्ट्रीयकरण का विरोध कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े पूंजीवादी और पूंजीपति हैं और आप देश के विरोधी हैं—ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। आज मुझे इस बात की खुशी है कि यह प्रस्ताव भी स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी के एक मैम्बर लाये हैं, उस व्यवस्था का समर्थन करने वाले सदस्य लाये हैं, जो उस समय यह कहा करते थे कि अगर पब्लिक अंडरटेकिंग्स आ जायेंगी, अगर सरकार का कंट्रोल हो जायेगा तो इस देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा, इंडस्ट्रीज बहुत प्रोग्रेस करेंगी, गरीबी दूर हो जायेगी, आम आदमी को उससे सहायता मिलेगी। आज वह सदस्य यह प्रस्ताव लाने पर मजबूर हुए हैं कि सरकार उनके रिवाइवल के लिए कदम उठाये। मैं चाहता था कि अपने भाषण में वह और बाकी मैम्बर साहेबान इस बात पर जिक्र जरूर करते कि ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स क्यों सिक हुई। इनके सिक होने का क्या कारण था। जब तक हम इनके सिक होने के कारणों में नहीं जायेंगे, जब तक इनके फेल्योर होने के कारणों में नहीं जायेंगे, तब तक हम भारत सरकार से इस बात का निवेदन कैसे करें कि भारत सरकार इस बारे में कदम उठाये। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि दो-तीन प्रमुख कारण रहे हैं जिनके कारण यह पब्लिक अंडरटेकिंग्स वाला मामला सफल नहीं हो पाया।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात जो किसी भी पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए आवश्यक होती है, वह यह है कि जहां सरकारी नियंत्रण होता है, वहां राष्ट्रवाद की भावना का मजबूत होना बहुत बड़ी बात है। जब तक उस फैक्टरी में लगा अफसर चूंकि वह उसका मालिक नहीं है, उसके मैनेजमेंट में अफसर है, वहां काम करने वाला कर्मचारी है, जब तक दोनों के मन में यह भावना नहीं होगी कि इसके लाभ-हानि में मैं और मेरा देश बराबर का जिम्मेदार है।

सभापति महोदय, जब तक उसके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं होगी, तब तक वह उद्योग सफल नहीं हो सकता। हमने वह भावना पैदा करने की कोशिश नहीं की। हमने सिर्फ नारा लगाने की कोशिश की, लेकिन मजदूरों को कभी यह अहसास दिलाने की कोशिश नहीं की कि यह उद्योग उनका अपना उद्योग है। यदि फैक्ट्री में हड़ताल होती है, यदि उद्योग हड़ताल की वजह से फेल होता है या उसका नुकसान होता है, तो वह उसका अपना नुकसान होगा, राष्ट्र का नुकसान होगा। यदि कोई आई.ए.एस. अधिकारी उस उद्योग से अपना व्यक्तिगत लाभ उठाने की कोशिश करे, उसके पैसे से अपना फायदा करने की कोशिश करे, तो वह कभी सफल नहीं होगा। सबसे बड़ी कमी मैं इस भावना की पाता हूं जिसमें उद्योग के नुकसान को अपना नुकसान न समझा जाए।

सभापति महोदय, आज सोवियत रूस जो दुनिया के साम्यवाद का सबसे बड़ा समर्थक था और हमेशा साम्यवाद का हामी रहा, वह 70 साल के आयरन रूल के बाद टूट गया, बिखर गया। डंडे के साथ, मिलिट्री के साथ, पुलिस के साथ आप रूल नहीं कर सकते, इस बात को रूस के बिखराव ने सिद्ध कर दिया। मैं तो उस आदमी को सलाम करता हूं जिसने अपने अंदर की टेंशन को महसूस किया, बेचैनी को, मन की इस कुंठा को समझा और उस महान व्यक्ति गोरबाचेव ने यह समझ कर कि हम स्टेट कंट्रोल से राज नहीं चला सकते, उसने रूस की उस टेंशन को ओपन कर दिया। यह भावना थी जो 70 साल के आयरन रूल में भी लोगों में पैदा नहीं की जा सकी जिसके कारण असफलता मिली।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं और श्री मोहन सिंह से बिलकुल सहमत हूं कि इस मुल्क के अंदर एकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई और यह एक बहुत बड़ा कारण हमारी विफलता का रहा न केवल उद्योग में बल्कि जीवन के अन्य अनेक क्षेत्रों में। हमने कोई आई.पी.एस. अफसर मिनिस्ट्री से उठाया और किसी सार्वजनिक उद्योग में एम.डी. लगा दिया। फैक्ट्री घाटे में चल रही है, लेकिन उसके लिए एयरकंडीशंड कार खरीदी जा रही है, उसके पी.ए. के लिए कार खरीदी जा रही है, उसके कमरें को सजाने पर बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है, उसके लिए गलीचे बिछाए जा रहे हैं। उसके आने के बाद यदि उद्योग को और घाटा होता है, तो हमने उसके लिए उसका कोई

दायित्व फिक्स नहीं किया है। यदि बहुत किया, तो उसको एक महकमे से दूसरे महकमे में स्थानांतरित कर दिया, एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मेरा निवेदन यह है कि जिन अधिकारियों के सेवाकाल में वह उद्योग घाटे में जाता है, तो उस अधिकारी के वेतन से वह घाटा रिकवर किया जाना चाहिए, उसकी एकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए जिसने पानी की तरह जनता का पैसा, सरकार का पैसा, जनता द्वारा टैक्स के रूप में दिया गया धन, बहाया है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए और उनसे व्यक्तिगत रूप से यह पैसा रिकवर किया जाना चाहिए। जिनके भी काल में उद्योग फेल होता है, नुकसान होता है या बन्द होता है, उनके एम.डी./चेयरमैन से वह धन व्यक्तिगत रूप से वसूला जाना चाहिए। जब तक ऐसी व्यवस्था कायम नहीं की जायेगी, जब तक उद्योग में कार्यरत मजदूरों में देशभक्ति की भावना पैदा नहीं की जाएगी तब तक ऐसा ही होता रहेगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम इस देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम वह करते नहीं हैं। यहां हमारे साम्यवादी भाई बैठे हैं, कम्युनिस्ट भाई बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हर उद्योग में एक ऐसा माहौल बन गया है कि किसी न किसी प्रकार हड़ताल हो और जब तक हड़ताल नहीं होगी तब तक हमारी लीडरशिप नहीं चलेगी, हमारी नेतागिरी नहीं चमकेगी, एक ऐसा माहौल बना रखा है जिसके कारण छोटी-छोटी बातों को लेकर हड़ताल कर दी जाती है, फैक्ट्री को बन्द कर दिया जाता है। वे ऐसा समझते ही नहीं हैं कि बातचीत के जरिए समस्या का हल किया जा सकता है और बातचीत का रास्ता भी कोई रास्ता है। जब तक दो-तीन महीने फैक्ट्री बन्द नहीं रहती है तब तक वे समझते हैं कि हमारी नेतागिरी नहीं चमकेगी। वे चाहते हैं कि दो-चार मजदूर टरमिनेट हों ताकि उनकी पार्टी का कार्य करने के लिए उनको आदमी मिल जाएं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि छोटी-छोटी बातों को लेकर बहुत बड़ी-बड़ी स्ट्राइक करा दी जाती हैं। यदि किसी जैन्यूइन बात को लेकर हड़ताल होती है, किसी वास्तविक परेशानी को लेकर हड़ताल हो, तो सारा देश आपका साथ देगा, लेकिन यहां ऐसा माहौल पैदा करने का काम किया गया कि जो सरकारी पब्लिक अंडरटेकिंग हैं, वे किसी की नहीं हैं इसलिए इनके अंदर जो कुछ करना है, वह करना है। इसका परिणाम यह निकला कि उद्योग बीमार पड़े और दो-तीन फैक्टर उसके कारण हमारे सामने आए।

सभापति महोदय, हमारी सरकारी इंडस्ट्रीज फेल हो गई और वे चाहते हैं कि सरकार उनको चलाने के लिए और पैसा दे, लेकिन सरकार उनको चलाने के लिए कब तक पैसा दे, कब तक पैसे को उनमें पानी की तरह बहाती रहे और वह भी सिर्फ इसलिए कि हम पब्लिक सैक्टर के हामी रहे हैं और उस विचारधारा को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम उससे जुड़े रहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार का पैसा नहीं है, यह हिन्दुस्तान के आम आदमी का पैसा है, टैक्सपेयर का पैसा है, यह पैसा उसका है जो इस देश में ईमानदारी से टैक्स पे करना चाहता है, उसका पैसा है। क्या हम उस पैसे को अंधी गली में फेंक दें, क्या हम उसे बर्बाद करें? क्या आपने कभी विचार किया है कि जो पैसा पब्लिक अंडरटेकिंग में लगा है क्या उसका रिटर्न आएगा और कितना आएगा और बीमार होने के बाद उसमें और पैसा लगाने पर क्या उतना टर्नओवर होगा या नहीं? सवाल यह नहीं है कि उसमें 20 या 30 करोड़ रुपया और लगा दिया जाए, तो वह बीमार उद्योग चल पड़ेगा। सवाल यह है कि 20, 30 या 50 करोड़ रुपये लगाने के बाद भी क्या घाटा पूरा हो जायेगा और क्या वास्तव में वह उद्योग चल पड़ेगा। यदि ऐसा है, तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें पैसा लगाने के बाद भी उसका घाटा कम होने के बजाय और बढ़ेगा, रिट्रेंचमेंट बढ़ेगी। इसलिए देश की जनता के पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर और पैसा नहीं खर्च करना चाहिए।

सभापति महोदय, अब कंपिटीशन का, ग्लोबलाइजेशन का, कामन ट्रेड का युग आया है वह इसलिए आया है कि हम अपनी इन पुरानी बातों पर न अड़कर जो नई बातें आ रही हैं उन पर ध्यान दें और नई व्यवस्था को अपनाकर आगे बढ़ें। यदि हम पुरानी व्यवस्था को अपनाकर ही बैठे रहेंगे, तो हमें लाभ नहीं होगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में विचार जरूर करे। यह बात सही है कि हम इतनी बड़ी पब्लिक अंडरटेकिंग पर, उनकी तरफ अनकेजुअल, अनकेयरफुल एटीट्यूड एडॉप्ट नहीं कर सकते। उनको चालू कर सकते हैं, तो उनके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए, लेकिन यदि नहीं हो सकती है और फिर भी उद्योग घाटे में जाता है, तो आज समय आ गया है कि प्राइवेट सैक्टर के लिए, प्राइवेट मैनेजमेंट के लिए उसे दे दिया जाए ताकि उसका ठीक उपयोग हो सके।

सभापति महोदय, मैं समझ नहीं पाया हूं कि जो उद्योग सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं और घाटे में रहते हैं, लेकिन वही उद्योग यदि प्राइवेट मैनेजमेंट में चला जाता है, तो ठीक काम करता है और लाभ होता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। अधिकांश क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है, ...*(व्यवधान)* अधिकांश की मैं बात कर रहा हूं, कोई अपवाद हो सकता है, मैं यह नहीं कह रहा कि हर प्राइवेट ठीक है, हर सरकारी गलत है। लेकिन अब तक का जो अनुभव हमारे सामने आया है, उसका लाभ उठाते हुए इस बात का हम फायदा उठायें। मैं महसूस करता हूं कि इसकी तरफ हम

[श्री सत्यपाल जैन]

चलें। अगर यह नीति हम अपनाते हैं तो मैं समझता हूं कि इसका हमें बहुत लाभ होगा। हां, मैं इस बात के पक्ष में हूं कि अपने जो कर्मचारी हैं, उनको प्राइवेट मैनेजमेंट की मर्जी पर हम नहीं छोड़ सकते। आज हम भले ही प्राइवेट सैक्टर को एन्करेज करें, उनको इसका मैनेजमेंट दें, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्मचारियों का शोषण न हो।

मैं मोहन सिंह जी की इस बात से सहमत हूं, बल्कि मुझे मालूम है कि कई स्थानों पर जहां-जहां प्राइवेट लोगों को मैनेजमेंट दिया गया है, भले ही किसी पब्लिक सैक्टर में एक विशेष व्यवस्था की गई है, वहां पर कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें आ रही हैं। मेरे यहां चंडीगढ़ में कई अस्पतालों में, डिपार्टमेंट्स में, जहां-जहां प्राइवेट सैक्टर को मैनेजमेंट दिया गया है, वहां उनकी तनख्वाह 1200 रुपये, 1500 रुपये, 900 रुपये होने की बातें सुनाई पड़ रही हैं। सैक्टर 32 में हमारा मैडिकल कालेज है, बड़ा अच्छा प्रोजैक्ट है, लेकिन वहां जो कर्मचारी लगते हैं, वे रोज आकर हमसे मिलते हैं।

इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अन्दर ऐसे प्रावधान हैं और प्रावधान किये जा सकते हैं कि भले ही प्राइवेट मैनेजमेंट हो, लेकिन वहां जो कर्मचारी हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनकी जो सेवा शर्तें हैं, उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। उसके लिए मिनिमम वेजेज प्रैस्क्राइब होने चाहिये और सरकार ऐसी मशीनरी बनाये कि उनको मिनिमम वेजेज मिलें।

एक बात मैं और कहता हूं। हमारे यहां जब कोई क्राइम करता है तो उसके खिलाफ जो केस होता है, वह व्यक्तिगत आदमी नहीं करता। मान लीजिए आप किसी की पिटाई करे, किसी का कत्ल करें, किसी को चोट पहुंचायें तो वह स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड होता है, सरकार बनाम मुलजिम होता है। ऐसे ही इंडस्ट्री में, उद्योग के अन्दर अगर कोई मिल मालिक किसी मजदूर के साथ ज्यादती करता है तो मेरा ऐसा मत है कि यह भी सोसायटी के अगेन्स्ट क्राइम माना जाना चाहिए। इसका मुकदमा भी सरकार लड़े। काम करने वाले मजदूर के पास इतना पैसा नहीं है कि अगर उसका झगड़ा मैनेजमेंट से होता है तो वह अच्छा वकील कर सके, पैसा लगा सके। इसलिए इसमें मेरा निवेदन है कि इंडस्ट्रियल लॉ के अन्दर इस नये कन्सैप्ट पर भी विचार करना चाहिए। जहां मजदूर के हक में निर्णय आता है, वहां सरकार उसकी मदद के लिए आये और उसकी सुरक्षा करे।

बी.आई.एफ.आर. के बारे में भी इस प्रस्ताव पर बात करते हुए जिक्र हुआ है। बी.आई.एफ.आर. ने कितना लाभ दिया, इसके बारे में मैं अधिक जानकारी लेना चाहता हूं, लेकिन मैंने एक बात जरूर देखी है कि बी.आई.एफ.आर. ने बहुत सारी कन्सर्न्स के लिए तो अमृतधारा का काम किया है, क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में और बी.आई.एफ.आर. के एक्ट में आपने एक प्रावधान कर दिया। वह प्रावधान यह कर दिया कि अगर कोई यूनिट सिक हो गई है और वह बी.आई.एफ.आर. के पास एक एप्लीकेशन डाल देता है कि हम सिक हैं, हमें सिक डिक्लेयर किया जाये या हमारी कोई मदद की जाये तो उस कन्सर्न के खिलाफ जितने भी केस किसी भी अदालत में चल रहे हैं, वे सारे स्वयं स्टे हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेज देखे हैं, जहां ये बड़ी-बड़ी कन्सर्न्स अपनी लायबिलिटी बचाने के लिए, अपनी देनदारी बचाने के लिए एक एप्लीकेशन डाल देंगी। बी.आई.एफ.आर. में साल, दो साल, तीन साल उसकी सुनवाई नहीं होगी और इस दौरान जिस किसी ने भी उस इंडस्ट्री के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ कोई केस डाला हुआ है, वह ऑटोमेटीकली स्टे हो जायेगा। इस संबंध में भी हमें पुनर्विचार करना चाहिए। इस संबंध में भी दोबारा विचार किया जाना चाहिए। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इनके ये जो प्रावधान हैं, जिनका दुरुपयोग कुछ लोगों ने किया है, इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। सिक पब्लिक अंडरटेकिंग्स के संबंध में सरकार विचार जरूर करे, पुनर्विचार करे, उनके बारे में विस्तार से निरीक्षण हो। जहां-जहां इसका फैल्योर आफिसर्स के कारण हुआ है, उनकी एकाउण्टेबिलिटी फिक्स करके उन पर इसकी जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए, उनको खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके बारे में कैजुअल एप्रोच एडॉप्ट नहीं की जानी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और जहां-जहां यह व्यवस्था सरकारी नियंत्रण में नहीं चल पा रही है, वहां प्राइवेट मैनेजमेंट को हम दें। कर्मचारियों की सुरक्षा की हम गारण्टी लें और इस बात की चिन्ता करें कि वहां पर फिजूलखर्ची न हो।

इन शब्दों के साथ असीम बाला जी का जो प्रस्ताव है, उसकी भावना से मैं सहमत हूं, लेकिन अगर हम सरकार पर यह बोझ डालने का प्रयास करेंगे तो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो पहले भी बर्बाद हो चुका है, और ज्यादा बर्बाद होगा। यह एक ऐसी अंधी गली है, जिसमें जितनी मर्जी आप पैसा फेंकते जाइए, इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। सरकार विचार करे, सरकार को हम कहें, इस पर विचार करने के बाद एक ठोस नीति अपनायें और उस ठोस नीति के अंतर्गत मामले को आगे बढ़ायें।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर मैंने अपने विचार रखते हुए यह निवेदन किया था कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए, एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए और औद्योगिक क्षेत्र में निरन्तर उत्पादकता बनी रहे, इस दृष्टि से सार्वजनिक उपक्रमों का निर्माण किया गया था।

प्रारम्भ में इन्हें काफी सफलता मिली, लेकिन धीरे-धीरे इन पर सरकारी तंत्र हावी होता गया, उसके नियंत्रण में ये जाते गए, तो इनकी उत्पादन क्षमता घटती गई और इनका प्रबन्धन भी बिगड़ता चला गया। इस कारण एक के बाद एक कई यूनिट घाटे में चले गए। यहां पर जो विवरण उपलब्ध कराया गया है उसमें टॉप टेन जो घाटे वाले यूनिट हैं वे इस प्रकार हैं—फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया, ईस्टर्न कोलफील्ड, एयर इंडिया, सी.सी.आई., हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन, आई.डी.पी.एल., भारत कोकिंग कोल, राष्ट्रीय इस्पात निगम, इंडियन आयरन स्टील कम्पनी और हिन्दुस्तान शिपयार्ड। इनमें कुल मिलाकर 5862 करोड़ रुपए का घाटा है। इतना घाटा होना हम सबके लिए विचारणीय है। डा. असीम बाला जी ने जो यह संकल्प यहां पेश किया है, यह विचारणीय विषय है कि हम किस तरह से इनमें जो ठीक होने लायक यूनिट्स हैं, उनको ठीक करके चला सकें। अन्यथा धीरे-धीरे और भी उपक्रम बंद होते चले जाएंगे और घाटा निरंतर बढ़ता चला जाएगा।

मैं दो विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। इसमें एक सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया का मामला है, कुछ का उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं। इसमें घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी उसकी कुछ यूनिट्स को बेचने की बात भी चल रही है। इनको ठीक किया जा सकता था और अच्छी तरह से चलाया जा सका था। लेकिन ठीक चलाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसका अभाव है। इसी कारण घाटा निरंतर बढ़ रहा है और धीरे-धीरे इतना बढ़ गया कि ऐसी स्थिति आ गई कि वह न चल सके। कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो चलती भी हैं और नहीं भी चलतीं। वहां के कर्मचारियों और श्रमिकों को वेतन भी विलम्ब से दिया जा रहा है, लेकिन उनकी उत्पादन क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है।

मेरे क्षेत्र के अंदर नयागांव में सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया की दो यूनिट हैं। वर्षों से ये काम भी कर रही हैं और कभी-कभी नहीं भी कर रही है। केवल कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति बन गई है। मैं यहां पर जयपुर से प्रकाशित होने वाले 'महानगर टाइम्स' में प्रकाशित एक अभिमत 'सीमेंट निगम में पल रहे भ्रष्टाचार' का कुछ अंश आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि देश में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए घोषित रूप से प्रतिबद्धता निश्चित करने के लिए सीमेंट निगम में पल रहे भ्रष्टाचार को कसौट के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। यदि इस मामले में कोई सार्थक कार्यवाही की जाए तो कई क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार मिट सकता है। भारतीय सीमेंट निगम में पल रहा भ्रष्टाचार आम चर्चा का विषय है। सीमेंट निगम से जब यह पूछा गया कि सी.सी.आई. में चूना-पत्थर की ढुलाई का काम ठेके पर कराया जाता है तो उसने साफ इन्कार कर दिया, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है और वह काम वहां हो रहा है। जिसके लिए सभी नियम और कायदे तोड़े गए हैं।

सभापति महोदय, मैं इस संबंध में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इसके बारे में जब कहा गया कि आप डीजल के जैनरेटर सैट क्यों खरीद रहे हैं तो कहा गया कि मध्य प्रदेश के अंदर और दूसरे स्थानों पर बिजली की कमी है। हालांकि उतनी कमी नहीं है, जितनी की आंकी जा रही है। बिजली की कमी कहकर जो बिजली के बकाया बिल हैं, उनका भुगतान नहीं किया गया, जिस कारण उनकी बिजली काट दी गई और जैनरेटर सैट भी नहीं चले। इस प्रकार सी.सी.आई. में असत्य कहानी बनाकर जैनरेटर सैट खरीद लिए गए। 1992-93 के बाद अपनी अनुमता छिपाने के लिए उद्योग मंत्रालय को असत्य रिपोर्ट दी गई और सी.सी.आई. को घाटे में चलाने का मुख्य कारण बिजली की कटौती बताया गया। कहा जाता है कि क्योंकि कारपोरेशन के द्वारा होने वाले कुल उत्पादन का 85 प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होता है और इन दोनों प्रदेशों में बिजली की कटौती 60 प्रतिशत है, जबकि तथ्य इसके विपरीत है और ये जो जैनरेटर सैट खरीदे गए, क्यों खरीदे गए? उनसे काम लेना था अथवा नहीं खरीदे जाने चाहिए थे। मैं कहना चाहता हूं कि अगर खरीद लिए गए तो इनको चलाकर कारखानों को चलाया जा सकता था, वह भी नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार इसमें भ्रष्टाचार निरंतर पनपता चला जा रहा है।

मंत्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में एक जगह उल्लेख किया था कि हम कुछ कारखानों को बंद करने जा रहे हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में एक अखबार के अंदर उद्योग मंत्री बख्त जी से साक्षात्कार छापा था। उसमें माननीय बख्त ने कहा था कि सरकार दोबारा न चलाए जाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने की अपनी नीति के तहत इस साल नौ रुग्ण सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि इस वर्ष इनमें से कौन-कौन से बंद किये जाने वाले कारखाने हैं? मैंने जैसे कहा है सीमेंट कार्पोरेशन में कुछ कारखाने ऐसे हैं जिनको चलाया जा सकता है। मैंने स्वयं भी निवेदन किया है कि उनके बारे में फिर से विचार करेंगे, देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हिन्दुस्तान एंटी-बायटिक एक लाभप्रद संस्थान रहा है और लाभ में चलने वाली इकाई रही लेकिन धीरे-धीरे उसके अंदर भी घाटा होता जा रहा है और आज वह एक घाटे की इकाई के रूप में परिणत हो गई है। अभी माननीय सदस्य, मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि वह फर्टिलाइजर कार्पोरेशन घाटे में क्यों चली गई, इसे घाटे में जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन यह केवल कु-प्रबन्ध और भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हुआ।

मैं इसके बारे में 'हिन्दुस्तान' में जो प्रकाशित हुआ, उसका उल्लेख करना चाहूंगा। "सार्वजनिक उपक्रमों में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार"। भारत के सार्वजनिक उपक्रमों का महत्वपूर्ण योगदान

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

रहा है लेकिन धीरे-धीरे इनमें भ्रष्टाचार, कुप्रबन्ध और तदर्थवाद की बुराइयां फैलने लगीं। आज हालत यह है कि घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि स्वतंत्र भारत के आधुनिक निर्माताओं ने इन उपक्रमों को जिस सपने के साथ स्थापित किया था, वह सपना साकार क्यों नहीं हुआ? इसका कारण इनमें बढ़ता भ्रष्टाचार, चोरी और तदर्थवाद है और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? आज वहां जो बड़े अधिकारी हैं, जिनको अच्छा वेतन मिलता है, हर तरह की सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी वहां स्थिति नहीं सुधर रही है जबकि इन्हीं सरकारी उपक्रमों को यदि निजी संस्थान खरीदते हैं तो वही उपक्रम लाभ में चलने लगते हैं। सीमेंट कार्पोरेशन ने एक ऐसी इकाई बेची और वही इकाई वहां लाभप्रद हो गई जबकि सीमेंट कार्पोरेशन में वह लाभप्रद नहीं थी। इसलिए एक ऐसी सुनिश्चित नीति होनी चाहिए और उस नीति के बारे में माननीय मंत्री महोदय स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से इन सार्वजनिक उपक्रमों को चलाया जा सकता है, उन्हें जिन्दा रखा जा सकता है। उन्हें बी.आई.एफ.आर. के पास भेजने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। 60 के करीब मामले ऐसे हैं जो विचाराधीन हैं इधर सार्वजनिक उपक्रम रुग्ण पड़े हुए हैं और जिन पर कोई विचार नहीं हो रहा है। वहां इनके बारे में कोई निर्णय नहीं होता है। कहा जाता है इनके बारे में निर्णय कर रहे हैं, आखिर वह निर्णय कब होगा? उसके बारे में विचार होकर काम हो सकता है। क्या आप समय सीमा निर्धारित करेंगे? इन दोनों तथ्यों की तरफ भी आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा। निश्चित रूप से इन कारखानों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोका जाए और जिन उपक्रमों को जिन्दा रखा जा सकता है चाहे बी.आई.एफ.आर. को मामला दिया हुआ हो या अन्यथा भी विचार कर रहे हैं, अभी वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में रुग्ण इकाइयों, विशेषकर नेशनल टैक्सटाइल्स के बारे में, टैक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कुछ उल्लेख किया है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की नीति बनाकर कुछ ठोस उपाय किये जाएं ताकि लाखों की तादाद में काम करने वाले श्रमिक, जिनका भविष्य अंधकारमय है उन्हें उबारा जा सके। मैंने सी.सी.आई. में उल्लेख किया है, जैसे वहां एक केन्द्रीय विद्यालय चल रहा था, मेरे पास कर्मचारी मिलने के लिए आए। उनको केन्द्रीय विद्यालय से जो वेतन मिल रहा था, वह सी.सी.आई. दे रहा था क्योंकि यह वहां बंद होने की स्थिति में है। सी.सी.आई. का कहना है कि हम केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों या अध्यापकों का वेतन नहीं दे सकते क्योंकि यूनिट बन्द है। 700 या 800 श्रमिकों के बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका श्रमिकों और अधिकारियों के बच्चों से संबंध है, उनके परिवारों से संबंध है, इसलिए निश्चित नीति के बारे में निर्णय होना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में इन सब बातों का उल्लेख करेंगे। मैंने कुछ बातें प्रारम्भ में अपने भाषण में कही थीं लेकिन मैं उनको नहीं दोहराऊंगा। मैं यही कहूंगा कि जो उपक्रम जैव्य हैं, जिन्हें चलाया जा सकता है, उनको ठीक करने के बारे में कुछ ठोस उपाय किए जाएं। एक अंतिम वाक्य के रूप में मैं उद्धृत कर कहूंगा:

[अनुवाद]

"भारत में सार्वजनिक उपक्रम—एक मूल्यांकन: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों सहित विभिन्न उद्योगों में रुग्णता की बढ़ती हुई घटनाएं भारत के औद्योगिक क्षेत्र की एक बहुत ही गंभीर समस्या है। केन्द्र तथा राज्य के उद्यमों में रुग्णता और हानि भारत सरकार अथवा राजकोष पर बोझ बनते जा रहे हैं। लगभग 1,00,000 करोड़ रु. की देश की सम्पत्ति केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ लगी हुई है और 31 मार्च, 1997 के अनुसार इसकी वापसी एक प्रतिशत से भी कम है। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत सोलह रुग्ण उद्योगों को पुनरुद्धार के लिए बी.आई.एफ.आर. के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। हानि उठाने वाले दस मुख्य उपक्रम निम्न थे:"

[हिन्दी]

जैसा मैंने उल्लेख किया है, इसके अनुसार भी जो हमारा करोड़ों रुपये का लॉस है, उसे बचाया जाए और आगे सुनिश्चित नीति निर्धारित करके इन उपक्रमों को ठीक किया जाए।

सभापति महोदय: आधे घंटे की चर्चा श्री स्वाइन का है, इससे संबंधित नियम 193 पर वाद-विवाद स्वीकृत हो चुका है। अगर सभा की सहमति हो तो इसको उसी में शामिल कर लिया जाए।

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, आज यहां सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम के संबंध में डा. असीम बाला ने जो संकल्प पेश किया है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। निश्चित ही औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के जो उपक्रम रहे हैं उनकी भूमका को नकारा नहीं जा सकता है। यहां जो संकल्प असीम बाला जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह निश्चित रूप से विचारणीय है कि किन परिस्थितियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बराबर घाटे में चल रहे हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि उनको रुग्ण घोषित कर दिया जाता है। जब कि उन्हीं के साथ के जो निजी क्षेत्र के उपक्रम हैं वे लाभांश दे रहे हैं। इतना बड़ा राजस्व का घाटा हमें दे रहा है, जिसमें कार्यरत लाखों कर्मचारी हैं, उससे जुड़े हुए लाखों व्यवसायी हैं तथा लाखों किसान और मजदूर उससे प्रभावित होते हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनकी भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए।

आज अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में देखें तो वहां जो कुप्रबंधन की स्थिति है, वहां ऐसे अधिकारी भेज दिये जाते हैं जिनको उस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं होता है और न ही वे कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं तथा न ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उपक्रम बंद होता है तो उन्हें कहीं अन्यत्र ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उनका किसी भी प्रकार से कोई भावनात्मक लगाव उस उपक्रम से नहीं होता है। इसके साथ ही जो भ्रष्टाचार होता है, चोरी होती है और जो आधुनिक तकनीक की मांग उस उपक्रम के लिए होनी चाहिए, वह समय पर न होना भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। आज जो ट्रेड यूनियन्स हैं, उनकी यह मानसिकता बन गई है, उनका केवल एक ही नारा होता है कि हमारी मांगें पूरी हों, चाहे कोई भी मजबूरी हो। वास्तव में उनका कर्तव्य उस उपक्रम के प्रति, अपने समाज के प्रति जो होना चाहिए उसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचने की कोशिश नहीं की। ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रम मेरे संसदीय क्षेत्र में भी पड़ते हैं। इससे पूर्व भी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि गोरखपुर में फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक उपक्रम था। वह उपक्रम 1969 में लगाया गया था और 1990 में साधारण दुर्घटना के कारण वह बंद कर दिया गया। 1995 में उस कारखाने में कार्यरत जो अधिकारी और कर्मचारी थे उन्होंने भारत सरकार से मात्र 65 करोड़ रुपए की मांग की थी कि अगर 65 करोड़ रुपये भारत सरकार दे देगी तो यह कारखाना पुन: प्रारम्भ हो जाएगा लेकिन भारत सरकार इतने रुपए उस उर्वरक संयंत्र को नहीं दे पाई। जिस उर्वरक संयंत्र ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के ढाई लाख टन उर्वरक की मांग को पूरा करना था वह मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई। प्रत्येक वर्ष उस क्षेत्र के किसानों की ढाई लाख टन उर्वरक की मांग है और वहां मात्र 30,000 टन सप्लाई होता है।

वहां पर 65 करोड़ रुपया न देकर उस समय जो सरकार थी उन्होंने मात्र 133 करोड़ रुपया यूरिया घोटाले के नाम पर इस देश का खर्च किया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की तमाम चीनी मिलें हैं जो भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीन चल रही हैं। अगर भारत सरकार उन पर ध्यान दे तो उन्हें पुन: चालू किया जा सकता है और अगर उनका आधुनिकीकरण कर दिया जाए तो वे पुन: लाभ अर्जित कर सकती हैं। उनसे जुड़े हुए जो तमाम कर्मचारी हैं, किसान हैं, उनकी भावनाओं से हमने अवगत होने की कोशिश नहीं की। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निरंतर घाटा चल रहा है। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। बी.आई.एफ.आर. की जहां तक बात है, गोरखपुर में ही एक सरयाम शुगर मिल है, जोकि एक निजी शुगर मिल है। इसमें तीन साल से काश्तकारों को एक पैसा भुगतान के रूप में नहीं दिया गया है। वहां के किसान बर्बादी के कगार पर हैं। मिल का मालिक मिल को बी.आई.एफ.आर. के पास ले गया और उसने उसे बीमार घोषित कर दिया, जिसके कारण वहां के किसान बर्बादी के कगार पर हैं। इसी तरह से गणेश शुगर मिल, आनंद नगर सात-आठ साल से बंद चल रही है। अगर मंत्रालय उस ओर ध्यान देता तो उसे पुन: चालू किया जा सकता था। इसके चालू होने से जो किसान और कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं, उनकी स्थिति में सुधार आता और मिल की आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाया जा सकता था। डा. असीम बाला जी ने सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के विषय में जो यह संकल्प पेश किया है, इस पर विचार होना चाहिए और जो भी राष्ट्रीय हित में और उन उपक्रमों से जुड़े हुए कर्मचारियों, व्यापारियों और काश्तकारों के हित में हो, उस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला): माननीय सभापति जी, जहां तक हमारे मित्र असीम बाला जी का प्रस्ताव है, मैं इसकी ताईद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव लेकर आये हैं। आज जितने भी उद्योग जो सरकारी क्षेत्र में आते हैं, घाटे में चल रहे हैं। कुछ का जिक्र सभी मैम्बरों ने किया है। कुछ को छोड़कर जितने भी उद्योग सरकारी क्षेत्र में हैं सब घाटे में चल रहे हैं। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र कहीं भी आप जाते हैं सब घाटे में चल रहे हैं। यह मजदूरों को बेकार करने की एक स्कीम है। सरकार को सोचना चाहिए कि जो मजदूर हैं जो अपने उदरपूर्ति के लिए इनमें काम करते हैं, अगर हम उनको रोजगार नहीं दे सकते हैं तो उनके लिए कुछ इस तरह का प्रबंध करना चाहिए जिससे इन कारखानों को पुन: स्थापित किया जा सके। जो पहले लाभ में चल रहे थे और अब घाटे में चल रहे हैं उनको किस तरह से लाभ में लाया जाए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। इस पर बहुत से विचार आए हैं। इनमें जितने अधिकारी हैं वे इससे फायदा उठाते हैं क्योंकि जो अधिकारी का रिश्तेदार प्राइवेट में उद्योग लगाता है, वह उसका मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है।

इस तरह से प्राइवेट सैक्टर को फायदा देने के लिए सरकारी क्षेत्र के कारखानों को बेकार घोषित करने की कोशिश होती हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। जिन अफसरों की ऐसे नियुक्ति हुई है, उनकी नियुक्ति रद्द करनी चाहिए। इस तरह से जो भी कदम उठाए गए हैं, वे भविष्य में बंद होने चाहिएं।

पब्लिक सैक्टर में 1 लाख 91 हजार करोड़ रुपया लगा है। प्राइवेट उद्योगों में भी बहुत सा पैसा लगा है। अगर आप नए सिरे से और नई मशीनरी के साथ बीमार उद्योगों की मदद करेंगे तो राष्ट्र का भला होगा। अगर कारखाने चलेंगे तो मजदूरों को निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे यहां कोयला खनन होता है। कोयला इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को उधार पर दिया जाता है। वहां

[श्री के.डी. सुल्तानपुरी]

मजदूरों की छंटनी होती है। उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है क्योंकि बिजली बोर्ड पूरा पैसा नहीं देते। हमें इस पर विचार करना चाहिए। कुछ जगहों में बिजली का उत्पादन केवल 7 परसैंट ही होता है और कुछ जगहों में 40 परसैंट भी होता है। यहां भी मजदूरों को नुकसान होता है। प्राइवेट कारखाने हमेशा फायदे में जाते हैं लेकिन वहां मजदूरों का शोषण होता है। इसकी मानिटरिंग होनी चाहिए।

जैन साहब ने ठीक कहा कि मैनेजिंग डायरैक्टर पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि वह कारखानों को प्रॉफिट में लाएं ताकि राष्ट्र को फायदा हो। स्कीम्स में बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखाया जाता है। इनका उद्घाटन करने के लिए उद्योग मंत्री, दूसरे मंत्री और एम.पी. लोग जाते हैं। वह वहां भाषण देते हैं और कहते हैं कि यह उद्योग कामयाब रहेगा और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन उसके नतीजे चार-पांच साल के बाद निकलते हैं तो उसमें घाटा निकलता है। आज प्राइवेट बसें प्राफिट में जा रही हैं लेकिन सरकारी बसें घाटे में हैं। सरकारी बिजली बोर्ड घाटे में जा रहे हैं। टेंडर सिस्टम ठीक नहीं है और ठेकेदारी का काम भी वाजिब नहीं है। यह जो प्रस्ताव आया है, इसको कम से कम एक राय से पास किया जाए। बंद कारखानों की सरकार मदद करे ताकि यह अपने पैरों पर खड़े हो सकें, मजदूरों का भला हो सके और ज्यादा उत्पादन हो सके। आप अच्छे चलते हुए कारखाने दूसरों के हाथों बेच देते हैं। ऐसा करके लोगों के साथ अन्याय होता है। जिस तरह की स्कीम्स चल रही हैं और सरकार चल रही है उससे लगता है कि यह सरकार गरीबों के लिए कोई अच्छा कदम उठाने वाली सरकार नहीं है। यह गरीबों को बरबाद कर देगी। जिस की 18 पत्नियां हों और एक घरवाला हो, उसका क्या हाल होगा? वहां 18 तरफ से अपने पति को घसीटेंगी। वाजपेयी जी बड़े शरीफ और अच्छे आदमी हैं। देश के सारे काम टैंडर पर देना अच्छा नहीं है।

यहां जो भी बिल लाया जाता है, उसके बारे में कम से कम दोनों तरफ से पूछना चाहिए। इस बारे में ऐसे झगड़ा होता है जैसे कारखाने के मजदूरों और मालिकों में होता है। आज मालिकों को फायदा हो रहा है। पूंजीपतियों के पास इनकम टैक्स का कितना रुपया बकाया है? उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप गरीब लोगों को तंग करते हैं। जितना वह तंग होगा, मैं उतनी आपको मुबारकवाद देना चाहूंगा।

क्योंकि गरीब आदमी को तंग करके आपकी सरकार नहीं रहेगी, जैसे आपने हमारी सरकार को हटाया था। अगर आपके अंदर हिम्मत है, जो देनदारियां हैं, इस बात को समझना चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेट्स जिस कारखाने का जिम्मा लेते हैं, उसमें घाटा क्यों होता है। चाहे गुजरात की टैक्सटाइल मिलें हों या महाराष्ट्र की दूसरी मिलें हों, मजदूर चिल्ला रहे हैं और वे कहते हैं कि हमें रोजगार दो। आप उनको वेतन दिये जा रहे हैं जिससे सरकारी खजाना खाली होता जा रहा है। उनको काम कोई नहीं है। यदि कोई कार्यवाही करने की कोशिश की जाती है तो वे उसे बंद करने की कोशिश करते हैं।

सभापति जी, देश ने विदेशों से कर्जा लिया हुआ है। हालांकि सस्ते दर पर कर्जा लिया हुआ है लेकिन यहां कारखाने महंगे हो रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि आप पब्लिक अंडरटेकिंग्ज के कारखाने चलाना चाहते हैं तो उन सब के लिए बजट भी रखिए। जो डाकू लोग देश को तबाह करना चाहते हैं, जो इस देश की संस्कृति को बरबाद करना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास पैसा है। इसका कारण यह है कि वे सरकार को टैक्स नहीं देते, कारखानों में नई मशीनें नहीं लगाने देना चाहते। यह बात उन लोगों को समझनी होगी। यदि आप इन बातों को समझेंगे तो यह देश आगे बढ़ सकता है।

सभापति महोदय, मैं अपने राज्य हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां फारेस्ट कारपोरेशन बना हुआ है जिसका काम वृक्षों की मार्किंग करना है। पांच साला योजना में वे वृक्ष काटे जायेंगे। इस प्रकार इस साल हजारों पेड़ कट जायेंगे। कारपोरेशन के जो ठेकेदार हैं, वे उन्हें खरीद लेते हैं लेकिन बीच में बिचौलिये रखे हुये हैं। जहां-जहां फारेस्ट के कारखाने हैं या सीमेंट के कारखाने हैं, वहां इस तरह का काम होता है। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के कारखाने हैं लेकिन लोगों को सीमेंट महंगा मिलता है और यहां के लोगों को सस्ता। क्या यह उन लोगों के साथ न्याय हो रहा है? पोलिटिकल लोगों को प्राफिट देने के लिए कारखाने लगाते हैं और उसका एग्रीमेंट हो जाता है, उसमें दस्तखत हो जाते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार पर डालनी चाहिए। जिस ब्यूरोक्रेट को इंडस्ट्री में भेजा जाता है, उसके डी.ए. और टी.ए. की जांच हो। उस ब्यूरोक्रेट की मर्जी होती है कि अपने बच्चों को कहीं भेज दे, यदि विदेश भी चला जाये तो उसे पूछने वाला कोई नहीं है। यह कहा जाता है कि मंत्री या अधिकारी का जाना इसलिए जरूरी था कि उसे नई टैक्नालाजी लेकर आना था। लेकिन जब अधिकारी वापस आयेगा और चार महीने नौकरी करेगा तो दूसरे विभाग में चला जायेगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार के वातावरण को इस देश से खत्म करिए।

सभापति महोदय, हम आपस में लड़ते-झगड़ते हैं। हमें अपने राष्ट्र को सामने रखकर इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सब को इस राष्ट्र को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। मैं आप सब से यही प्रार्थना करूंगा कि इस बात का ध्यान रखें कि जो

एम.पी. लोग हैं, जब बाहर जायेंगे या मंत्री लोग बाहर जायेंगे तो जनता से संबंध नहीं होता है और जब मंत्री नहीं रहते तो लोग जानते नहीं। हमने अपने गांव में देखा है कि ब्यूरोक्रेट पब्लिकमैन को ठीक ढंग से नहीं समझता है। इस बात को समझने के लिए यह आवश्यक है कि जनता को किस चीज से फायदा पहुंचता हो, वही ब्यूरोक्रेट को काम करना चाहिए। जो ईमानदार आदमी है, उसे रखना चाहिए। जो ईमानदारी से इंडस्ट्री चलाता है, उनकी मदद करें।

अपराह्न 5.00 बजे

लेकिन बी.आई.एफ.आर. की बात करते हैं, उनमें भी केसेज पैण्डिंग पड़े रहते हैं। फिर किसी कोर्ट में मुकदमा भी नहीं चलता है। इसके लिए नीति निर्धारित करनी होगी ताकि राष्ट्र का भला हो और राष्ट्र आगे बढ़ सके।

इन्हीं शब्दों के साथ डा. असीम बाला जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और सभी लोगों से आशा करता हूं कि इसको एकमत से पास करेंगे।

सभापति महोदय: अभी तीन और माननीय सदस्यों के नाम हैं। अगर सभा की सहमति हो तो 45 मिनट तक चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य: हां, हां।

सभापति महोदय: ठीक है। सभा की सहमति से चर्चा का समय 45 मिनट बढ़ाया जाता है।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर): माननीय सभापति महोदय, डा. असीम बाला जी ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के पुनर्जीवन के लिए और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उद्योगों को तंदुरुस्त बनाने के लिए जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है, उसके लिए सबसे पहले मैं डा. असीम बाला जी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, जहा तक हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सवाल है, जब से हमारा देश आजाद हुआ और जब से हमारे देश में आर्थिक नियोजन का युग प्रारंभ हुआ, तब से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों ने इस देश के, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए बहुत बुनियादी योगदान दिया है। उस योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। कोई आदमी यदि बीमार हो जाता है तो उसको स्लो-पाइजनिंग करके मार नहीं दिया जाता है, बल्कि दवा-दारू देकर ठीक से इलाज करके उसको जिन्दा रखने की कोशिश की जाती है। जिस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने इस देश की आधुनिकता को बढ़ाने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, इस देश को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के लिए इतना बड़ा बुनियादी योगदान दिया, वे उद्योग अगर बीमार हैं तो उनको बीमार कहकर अगर बंद करने की कोशिश की गई तो मेरे ख्याल से देश के प्रति और देश की जनता के प्रति बहुत बड़ा अपराध होगा और यह अपराध हमारा सदन न करे, मंत्री महोदय न करें, यह मैं अपील करना चाहूंगा।

सभापति जी, हमने जब आर्थिक नियोजन की नींव डाली तो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की कल्पना हमने की थी। समाजवादी समाज की संरचना की बात हमने की थी, कल्याणकारी राज्य निर्माण करने की बात हमने की थी और कल्याणकारी राज्य निर्माण करते वक्त हमारे देश के सामने एक ही लक्ष्य था—बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और उस लक्ष्य को साकार करने के लिए हमारे देश के औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए हमारे देश के आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो औद्योगिक नीति का अवलंबन किया था, 1948 में जो औद्योगिक नीति बनी थी, उसके बाद से उसमें काफी परिवर्तन लाए गए। उसके तहत हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। आज कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग बीमार चल रहे हैं और उनको सुदृढ़ बनाने, उनको तंदुरुस्त करने के लिए, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए हर संभव कोशिश करना सरकार और हम सबका फर्ज है।

सभापति जी, हमारे देश में जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, जब से नयी आर्थिक नीति का अवलंबन हमारे देश ने किया है, हमारे देश ने ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की नीति जब से अपनाई है, तब से हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और उपक्रम हैं, उनको दिन-प्रतिदिन घाटे में चलाकर कहीं बंद करने की साजिश तो नहीं की जा रही है।

अपराह्न 5.04 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

मेरा आरोप है कि हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को जान-बूझकर बीमार बनाकर उनको निजी क्षेत्र में ले जाने की साजिश है ताकि इस देश में फिर वही पूंजीवाद का राज यहां आए। पूंजीवादी व्यवस्था को कायम करने की साजिश इस देश में हो रही है। पूंजीवादी व्यवस्था की बुनियाद मनुवाद है। मनुवाद ने

[प्रो. जोगेन्द्र कवाडे]

इस देश को तरक्की से रोककर रखा, विकास से रोककर रखा और इस देश में आपसी भाई-चारे को नष्ट किया, इस देश को आगे नहीं बढ़ने दिया, दुनिया के सामने सर उठाकर जीने नहीं दिया। वही मनुवाद पूंजीवाद है, वही पूंजीवाद मनुवाद है। निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देकर इसे फिर लाने की कोशिश की जा रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय हमारे पब्लिक और सैक्टर अंडरटेकिंग्स की आर्थिक स्थिति सुधारने के सवाल पर कुछ सदस्य जब विरोध करते हैं तो मुझे इस बात का ताज्जुब होता है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, पिछली बार हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जब बजट पेश किया था तब उन्होंने सम्मान की बात की थी। जिस सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे उपक्रमों ने इस देश का सम्मान बढ़ाया, आज केवल बीमार होने के बहाने अगर उनको बंद करने की साजिश की जाती है, उनको बंद करने की कोशिश की जाती है तो देश के हित में हमारे लिये यह ठीक नहीं होगा। हमारी सरकार की जो सामाजिक न्याय की नीति है, हमारे देश की जो सामाजिक न्याय की नीति है, हमारे देश के संविधान ने इस देश की जनता के प्रति जो अपनी जवाबदेही दे रखी है, उसके प्रति यदि हम सम्मान नहीं रखेंगे तो यह ठीक नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां बी.आई.एफ.आर. की बात हो रही थी। हमारे एक साथी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा कि जो सरकारी क्षेत्र में चलने वाले उद्योग घाटे में चलते हैं, वह सरकारी क्षेत्र के उद्योग यदि निजी क्षेत्र में चले जाते हैं तो फायदे में चलने लग जाते हैं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। सरकारी क्षेत्र में जो अधिकारी काम करते हैं यदि वे अफसर निजी क्षेत्र में चले जाते हैं तो वह निजी क्षेत्र फायदे में चलने लग जाता है। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, अधिकारी वर्ग और जो ब्यूरोक्रेसी है, वह ईमानदारी के साथ काम कर रही है या नहीं कर रही है इसका इन्वेस्टीगेशन करना भी बहुत जरूरी है। उनके बगैर काम नहीं चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन यह इस देश के लाखों मजदूरों की जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ सवाल है, इस देश के आर्थिक विकास के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। हम देखते हैं कि निजी क्षेत्र के उद्योग आज सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के भरोसे पनप रहे हैं। हमारे बैंकिंग सैक्टर का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। हम निजी क्षेत्र के उद्योगों को बैंकिंग सैक्टर से लोन देते हैं, तब कहीं जाकर निजी क्षेत्र के उद्योग पनपते हैं। जो हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम है क्या वह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का पुनर्निर्माण, पुनर्वास, आधुनिकीकरण नहीं कर सकता? आप निजी क्षेत्र में विदेशी सहायता दे सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने ठीक कहा कि बजाज आटो लि. को विदेशी सहायता लेने की इजाजत दी जाती है। लेकिन सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को इस प्रकार की परमीशन आज तक आपने क्यों नहीं दी? इस प्रकार के ज्वाइंट सैक्टर का लाभ हम सार्वजनिक क्षेत्र को भी दिला सकें तो मेरा ख्याल है कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो आज बीमार पड़े हैं, वे अच्छी तरह से चल सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, बी.आई.एफ.आर. की नीति पर फिर से विचार करना जरूरी है। चूंकि बी.आई.एफ.आर. के द्वारा इन उद्योगों को चालू रखना है, मदद करना है और किसको मदद देनी है और किसको नहीं देनी है, यह नीति तय करते समय भी यह देखा जाए, जैसाकि श्री सुलतानपुरी जी ने कहा कि किन उद्योगों को चालू रखने के लिए मदद दी जाए या नहीं दी जाए, यह तय करते समय भी कौन सा क्राइटीरिया फिक्स होता है, इस बात को भी तय करना निहायत जरूरी है। जहां हम सोशलिज्म की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सोशल ऑब्लीगेशन की बात करते हैं। सार्वजनिक उपक्रम को चलाना सोशल ऑब्लीगेशन है, यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है और किसी भी हालत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बंद नहीं करना चाहिए। हमारे एक साथी श्री मोहन सिंह ने कहा कि इन सार्वजनिक उद्योगों को बंद करने में जितना खर्च आता है, उससे कम खर्च इन उद्योगों के आधुनिकीकरण, नवनिर्माण में आता है, यह बात सही है इसलिए इस बात पर गौर किया जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में कुछ उद्योग ऐसे हैं जिसकी लिस्ट हमारे साथी ने यहां पढ़कर सुनाई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिन उद्योगों की लिस्ट दी जिनको आप बन्द करना चाहते हैं जिनमें हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स, सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया आदि आपने दिए हैं, जिनको बन्द करने की हमारे मंत्री महोदय ने घोषणा की है। इस बारे में मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि इनमें से कुछ उद्योग आज भी ऐसे हैं जिनमें यदि ठीक ढंग से व्यवस्था की जाए, जिनका मैनेजमेंट ठीक किया जाए, साइंटीफिक मैनेजमेंट हो और कमर्शियल तरीक से चलाएं, तो वे फायदे में चलेंगे और देश की तरक्की में उनका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ राष्ट्रभक्ति की बात कही गई है, मैं कहना चाहता हूं कि यह दिखाने की चीज नहीं है, यह तो वह चीज है जब वक्त आता है, तब यह हमारी व्यवस्था से, शासन की व्यवस्था से दृष्टिगोचर होती है। देश में आज जो स्थिति है उसमें हम देखते हैं कि हम अपने में ही सीमित रह जाते हैं,

दूसरों की भलाई नहीं देखते। हमारे अफसर, ब्यूरोक्रेसी, सांसद, सामान्य व्यक्ति में, सबमें राष्ट्रभक्ति की भावना भरी है और उसी भावना को लेकर देश में सार्वजनिक उद्योग पनप रहे हैं और देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है?

उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत बड़ी बात सामाजिक न्याय तथा इस देश के उपेक्षित तबके के साथ जुड़ी हुई है, उसे मैं इस चर्चा के बहाने इस सदन तथा देश के समक्ष रखना चाहता हूं और वह यह है कि सार्वजनिक उद्योगों को बन्द करके देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के आरक्षण का जो अधिकार संविधान ने दिया है, उसे उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को बन्द करके उसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। हमारे महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले में नागोष्णे नामक स्थान पर आई.पी.सी.एल. नाम की कंपनी है जिसे इंडियन पेट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड कहा जाता है। हमने उसके बारे में रसायन, खाद एवं उर्वरक एवं नागरिक उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी को एक पत्र लिखा था। वहां के कर्मचारी और अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल हमारे पास आया और बताया कि आई.पी.सी.एल. को निजी क्षेत्र को बेचने की कोशिश की जा रही है। हमने बरनाला जी को पत्र लिखा। बरनाला जी ने बड़े साफ शब्दों में उत्तर दिया मैं उनके पत्र से उद्धरण कोट करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

"जैसाकि आप जानते हैं कि सरकार ने सरकारी शेयर होल्डिंग के विनिवेश के बारे में सलाह देने के लिए 1996 में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से शेयरों के विनिवेश के लिए एक विनिवेश आयोग की स्थापना की थी। विनिवेश आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार को आईपीसीएल में विनिवेश करना चाहिए और विश्वव्यापी निविदा की प्रक्रिया से पता लगाये गए महत्वपूर्ण खरीददारों के पक्ष में प्रबंधन नियंत्रण भी करना चाहिए। सरकार ने आईपीसीएल में विनिवेश की इस सिफारिश को स्वीकार कर दिया है अत: अब यह कंपनी कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सरकारी कंपनी नहीं रहेगी और (यह अधिक महत्वपूर्ण है।) इस प्रकार रोजगार में आरक्षण नीति का अनुसरण करने के लिए बाध्य नहीं है।"

[हिन्दी]

अगर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को उस प्रकार से बन्द कर दिया जाता है, बीमार होने के नाम पर उनका निजीकरण कर दिया जाता है, निजी क्षेत्र में अगर उनको धकेल दिया जाता है, तो इस देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और आदिवासियों के लोगों को संविधान ने जो अधिकार दिया है, उसको नष्ट करने की साजिश इस बहाने से सरकार करने जा रही है, वह नहीं होनी चाहिए।

इसीलिए मैं सदन से और मंत्री महोदय से यह गुजारिश करूंगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जिन्होंने इस देश की रचना में, इस देश के विकास में, इस देश की तरक्की में योगदान दिया है, केवल बीमार होने के कारण उनको हम नष्ट न होने दें, बल्कि उनको सब प्रकार की सुविधा देकर, उनको फिर से तन्दरुस्त बनाकर, उनको अपने पांव पर खड़ा करके देश के आर्थिक विकास में योगदान देने का उनको मौका प्रदान करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं असीम बाला जी को धन्यवाद देता हूं। आपको भी धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर): उपाध्यक्ष महोदय, इस ज्वलन्त मुद्दे को सभा और सरकार के समक्ष लाने के लिए यह पूरी सभा डा. असीम बाला की कृतज्ञ है।

यही समय है जब हमें इस मुद्दे पर गहनता से विचार करना चाहिए। हमें न केवल रुग्ण इकाइयों को पुनरुज्जीवित करना है अपितु अन्य इकाइयों को रुग्ण होने से बचाना भी है। जब हम रूग्ण इकाइयों व कुशलता से चलाई जा रही इकाइयों सहित संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी औद्योगिक विकास की गति धीमी है। यह सत्य है कि यह अत्यधिक धीमी है। इसका वास्तविक कारण क्या है? मेरी विनम्र राय में आर्थिक नीतियों के बारे में जहां तक मेरा ज्ञान है ऐसा कुछ वर्षों से भारत सरकार द्वारा अपनायी गई नीति के कारण हुआ है। मैं इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। जब तक हम अपनी आर्थिक नीतियों के बारे में कुछ परिवर्तन के बारे में नहीं सोचते हैं हम रुग्ण इकाइयों को पुनरुज्जीवित नहीं कर पाएंगे हम अधिकाधिक इकाइयों को रुग्ण होने से बचा नहीं सकेंगे। हम औद्योगिक विकास को सही पटरी पर नहीं ला पाएंगे।

हमारे माननीय वित्त मंत्री ने आर्थिक विकास को सही दिशा में लाने के लिए अनेक प्रोत्साहन व कार्यक्रमों की घोषणा की है। मुझे आशंका है कि जब तक हम अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव नहीं लाते तब तक इन प्रोत्साहनों से कोई सहायता नहीं मिलेगी।

[श्री वी.वी. राघवन]

आयात नीति को ही देखिए। हमने अपनी आयात नीति को उदार बनाया है। इस मंदी का एक मुख्य कारण यह भी है। हमने अपने बाजारों को विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोल दिया है। जब हमने अपने बाजार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल दिया है तो वे बाजार पर कब्जा कर रही हैं और माल का यहां ढेर लगा रही हैं, हमारे औद्योगिक विकास में वृद्धि जारी कैसे रह सकती है? हम अपनी इकाइयों को रुग्ण होने से कैसे बचा सकते हैं?

मैं अपने राज्य केरल का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। महोदय आप फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) के बारे में जानते हैं। यह हमारे लिए एक प्रतिष्ठित इकाई थी, किंतु वर्ष दर वर्ष कैप्रोलेक्टम पर आयात शुल्क को कम करने की आयात नीति के कारण वह इकाई संकट का सामना कर रही है। इस वर्ष के बजट में भी हमारे अभ्यावेदनों के बावजूद माननीय वित्त मंत्री ने शुल्क में पांच प्रतिशत की और कमी की है। उससे फैक्ट, ट्रावनकोर टिटैनियम और अन्य इकाइयों को गहरे संकट में डाल दिया है। मैं नहीं जानता कि उनका अस्तित्व कैसे बना रह पायेगा।

यह एक छोटा सा उदाहरण है। हम अनेक मदों पर आयात टैरिफ को कम कर रहे हैं। मैं संरक्षणवाद की वकालत नहीं कर रहा हूं। किंतु यदि हमें हमारे उद्योगों को बढ़ाना है तो हमें संरक्षण के बारे में भी कुछ सोचना होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि नुकसानदेह प्रतिस्पर्धा जारी है।

यहां मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने विश्व अर्थव्यवस्था के समन्वय के बारे में बात की है। वर्तमान विश्व में यह कैसे संभव है? विकसित और विकासशील देशों में अन्तर्निहित विरोधाभास है और वे विरोधाभास सरल नहीं है, इसमें प्रत्येक देश के हित जुड़े हैं। विश्व की जनसंख्या में हमारा हिस्सा 99 करोड़ लोगों का है। इस गला काट प्रतिस्पर्धा से हमारे हित भी जुड़े हैं। यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को अति विकसित देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं तो इससे केवल उन्हें ही लाभ मिलेगा हमें नहीं। हमें कई मामलों में नुकसान उठाना पड़ेगा। यह सत्य है कि विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर करने में हमारे माननीय वित्त मंत्री की कोई भूमिका नहीं है। किंतु अब भी हमें विश्व व्यापार संगठन की धाराओं व बाध्यताओं के बारे में संघर्ष करना होगा। क्या हम उन सभी दबावों के समक्ष झुक जाएंगे। यूरोपीय संघ को ही देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका व यूरोपीय संघ सहयोगी है फिर भी वे कड़ा प्रतिरोध कर रहे हैं। कल ही हमने देखा कि वे झुक नहीं रहे हैं। वे अमेरिका के 301 और अन्य अधिनियमों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिका संपूर्ण बाजार, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। वे राजनीतिक स्तर पर भी आधिपत्य बना रहे हैं और यह एक त्रासदी है, शक्तिशाली भारत राष्ट्र। मैंने 'शक्तिशाली' शब्द का प्रयोग इसलिए किया है चूंकि हमारे यहां इन शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने की परम्परा है। हमने 200 वर्षों तक स्वतंत्रता के लिए उनके साथ संघर्ष किया और हमारे पास संघर्ष की क्षमता है। वर्तमान विश्व में हम अकेले नहीं हैं। क्या हम उस सीमा तक नहीं जा सकते हैं जहां तक मलेशिया गया है? मलेशिया उनका मुकाबला कर रहा है। हम अमेरिका के दबाव में विश्व व्यापार संगठन की बाध्यताओं के समक्ष क्यों झुके? दबाव में हम आयात शुल्क में कमी कर रहे हैं और अपने बाजार को उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर रहे हैं।

हमारे पास केल्ट्रान का एक प्रतिष्ठित इलेक्ट्रानिक निगम है। आप उसके बारे में जानते हैं। गला काट प्रतिस्पर्धा के कारण इस अति प्रतिष्ठित निगम की वर्तमान दशा क्या है? उसके पास प्रौद्योगिकी या वैज्ञानिक ज्ञान की कमी नहीं है। वह उनके पास है किन्तु बाहरी देशों से गला काट प्रतिस्पर्धा और विश्व व्यापार संगठन की धाराओं के कारण हम पिछड़ते जा रहे हैं। हमें अपना अस्तित्व बचाना कठिन हो रहा है। अत: इस तस्वीर, हमारी औद्योगिक वृद्धि की दुखद तस्वीर और रुग्ण इकाइयों व रुग्णता की कगार पर खड़ी इकाइयों की दयनीत दशा को देखते हुए क्या हमें साहस के साथ अपनी नीति में कुछ बदलाव नहीं करना चाहिए? यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो औद्योगिक विकास में सुधार नहीं होगा।

बजट से और माननीय उद्योग मंत्री के नीति संबंधी वक्तव्यों से पता चलता है कि वे मुकाबला करने के पक्ष में नहीं हैं वे हर बात पर झुक रहे हैं।

महोदय, यदि हम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाए गए वैश्वीकरण कार्यक्रम पर गौर करें तो स्पष्ट होगा कि वे हमें किन्हीं मुद्दों पर विवश कर रहे हैं। माननीय मंत्री ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर की अच्छी तस्वीर पेश की है। किंतु मैं उनकी आशावादिता से सहमत नहीं हूं। जब सरकार अन्य देशों की कंपनियों के उत्पादों के लिए अनन्य विपणन अधिकार देने के लिए पेटेंट अधिनियम जैसे कानूनों में संशोधन करेंगी तो मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गयी सुंदर तस्वीर वहाँ नहीं रहेगी। हम अपने बाजार को दूसरों के लिए खोलने के लिए पेटेंट अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। इस समय अनन्य विपणन अधिकार देने की क्या आवश्यकता है? ऐसा करने के लिए हम बाध्य नहीं हैं और विश्व व्यापार संगठन की धारा के अनुसार भी इस समय उन्हें अनन्य विपणन अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। हम उन्हें पेटेंट कर सकते हैं, इस पर निर्णय लेने के लिए हमारे पास एक वर्ष का समय है। जब हम

अन्य देशों, जो विश्व व्यापार संगठन का अंग हैं के उत्पादों को अनन्य विपणन अधिकार देते हैं तो हमारा हश्र क्या होगा? मंत्री ने कहा है कि उन पर कुछ नियंत्रण होगा। मैं नहीं जानता कि सरकार उन पर कैसे नियंत्रण करेगी, यदि सरकार ऐसे दबाव में झुक रही है तो फिर सरकार उन पर नियंत्रण कैसे कर सकती है और वे हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को संरक्षण कैसे दे सकते हैं?

महोदय, वर्तमान में हमारे देश की जनसंख्या 99.26 करोड़ है और नवजात शिशु के लिए भी फार्मास्यूटिकल उत्पादों की बहुत आवश्यकता होती है। हमारा बाजार विशाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका विशेष रूप से चाहता है कि हम पेटेंट अधिनियम में संशोधन करें और उनके उत्पादों को अपने विशाल बाजार में आने की अनुमति दें। हम उनके दबाव के समझ झुक रहे हैं। यह हमारे देश के हित में नहीं है। मैं अपने देश के 99 करोड़ लोगों के भाग्य के बारे में चिंतित हूं। हमारी सरकार ने हमारे व्यावसायिक घरानों, एकाधिकारी घरानों को विशेष संरक्षण दिया है और मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि माननीय मंत्री ने खुलेआम कहा है कि वे एकाधिकार को रोकना नहीं चाहते हैं अपितु वे उन्हें मिलाकर इसे और बढ़ावा देना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, कोरम भी नहीं है। हम लोगों को आप बिठाए हुए हैं। कोरम कहां है? ...*(व्यवधान)* हमें बोलना पड़ेगा कि कोरम नहीं है। क्या बिना कोरम के लोक सभा चलाएंगे; ऐसा भी कहीं होता है? यह भी नयी बात है। मैजोरिटी सरकार की भी ड्यूटी है कि वह अपना कोरम बनाकर रखें। अब चेयर जाने और फैसला ले। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.29 बजे

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: घंटी बजाई जा रही है...

उपाध्यक्ष महोदय: गणपूर्ति के अभाव में सभा सोमवार, 8 मार्च, 1999 के अपराह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.36 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा, सोमवार, 8 मार्च, 1999/17 फाल्गुन, 1920 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/8/8/99 (एन०)
220

© 1999 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।